https://www.civilaviation.gov.in/hi

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF
CIVIL AVIATION

G20 भारत 2023 INDIA

वार्षिक रिपोर्ट | 2022

विजन

"विश्वस्तरीय नागर विमानन अवसंरचना से लोगों को संरक्षित, सुरक्षित, सतत तथा वहनीय विमान संपर्कता सेवाएं उपलब्ध कराना।"

ध्येय

- विश्वस्तरीय नागर विमानन अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षा सहित प्रभावी विनियामक संरचना की स्थापना।
- मौजूदा असेवित क्षेत्रों के लिए विमान संपर्कता उपलब्ध कराना।
- क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन विकास।
- क्षेत्र के इष्टतम विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रस्तरण।
- प्रयोक्ताओं के लिए अधिकतम संतोषप्रद सेवा/इष्टतम उपभोक्ता संतुष्टि का सुनिश्चय।

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	प्रमुख विशेषताएं	3-14
2.	नागर विमानन मंत्रालय	15-33
3.	नागर विमानन महानिदेशालय	34-64
4.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	65-75
5.	रेल संरक्षा आयोग	76-82
6.	विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो	83-84
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	85-92
8.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	93-104
9.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	105-111
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	112-132
11.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	133-147
12.	पवन हंस लिमिटेड	148-153
13.	मंत्रालय में लेखांकन व्यवस्था	154-156
14.	महिला कल्याण	157-158
15.	निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं	159
16.	इकाओ परिषद् में भारत के प्रतिनिधि	160-168

1. प्रमुख विशेषताएं

1.1 क्षेत्रीय सम्पर्क योजनाः

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान के अंतर्गत क्षेत्रीय विमान संपर्कता की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)–उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) का शुभारंभ नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा दिनांक 21.10.2016 को किया गया था। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान नागर विमानन मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान का प्रमुख उद्देश्य, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना/प्रोत्साहित करना है और इसे (1) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा एयरलाइन की लागत को कम करने जैसे उपायों के माध्यम से जनता के लिए किफायती बनाना है। (2) क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन/अन्य सहायता उपायों और एयरलाइन प्रचालन की लागत और ऐसे मार्गों पर अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) करना है।

बोली के चार दौर पूरे होने के पश्चात, वर्ष 2023–24 तक आरसीएस उड़ानों के प्रचालन के लिए 25 वाटर–एयरोड्रोम तथा 40 हेलीपैड/हेलीपोर्ट सहित 180 (अप्रचालित और अल्पप्रचालित) हवाई अड्डों को चिन्हित किया गया है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान के अंतर्गत अब तक 72 आरसीएस हवाईअड्डों (9 हेलीपोर्टों तथा 2 वाटर एयरोड्रामों सहित) से जुड़े 459 आरसीएस मार्ग प्रचालनात्मक हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, अब तक, 5 आरसीएस हवाईअड्डे तथा 1 हेलीपोर्ट को प्रचालनात्मक बनाया गया है।

'उड़ान' के अंतर्गत जुड़े नगरों के नए युग्मः भौगोलिक रूप से मार्ग काफी विस्तारित हैं, देश की सम्पूर्ण लम्बाई एवं विस्तार के लिए सम्पर्कता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास का सुनिश्चित किया गया है।

पर्यटन मार्गः अब तक, 63 मार्ग आबंटित किए गए हैं तथा 49 मार्गों के प्रचालन से विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा आय में निरंतर वृद्धि हुई है।

आरसीएस सीटों की संख्याः अब तक पूरे किए जा चुके 'उड़ान' के 4 दौर के आधार पर वर्ष में कम से कम 1 करोड़ से अधिक आरसीएस सीटें मुहैया कराई जाएंगी।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान 4.0

छोटे आकार के विमानों की योजना (एसएएस),के अंतर्गत चयनित एयरलाइन प्रचालकों को हेलीपोर्ट (शैल्ला, खली, हरात, नांगस्टॉयन तथा जोवाई) से 23 नए गंतव्यों, 11 वाटर एयरोड्राम्स (मायाबंदर, काजीरंगा, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, द्वारिका, डलहौजी, कालपेनी, बितरा, कदमत, किल्टन एवं बंगराम) तथा अप्रचालित हवाईअड्डों (डल्टनगंज, काड़वाड़ा, दतिया, पंचमढ़ी, अमार्दा, श्री गंगानगर, कैलाशशहर तथा माल्दा) को आरसीएस उड़ानों के लिए जोड़े जाने के साथ 184 मार्ग आबंटित किए गए हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान 4.3

उड़ान – 4.3 की बोली के दौरान, चयनित एयरलाइन प्रचालकों को 01 नए गंतव्य यथा होलोंगी, अरूणाचल प्रदेश से आरसीएस उड़ान के माध्यम से सम्पर्कता के लिए 10 पर्यटक आरसीएस मार्ग आबंटित किए गए हैं।

आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 3 लाख यात्री, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 12 लाख यात्री, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 लाख यात्री, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 15 लाख यात्री, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 33 लाख यात्री तथा वित्तीय

वर्ष 2022–23 में अब तक 20 लाख यात्री लाभांवित हुए हैं।

अब तक उड़ान भरने वाले यात्रियों की कुल संख्या 113 लाख (लगभग) है।

अंतर्राष्ट्रीय विमान सम्पर्क योजना–4 (आईएसीएस–4)

अंतर्राष्ट्रीय विमान सम्पर्क योजना, आईएसीएस–उड़ान 4.0 की बोली के दौर में चयनित एयरलाइनों को 8 अंतर्राष्ट्रीय मार्ग आबंटित किए गए हैं।

1.2 कृषि उड़ान

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अखिल भारतीय पेरिशेबल टनभार 2,54,817 मीट्रिक टन है।
- नवम्बर, 2022 तक अखिल भारतीय पेरिशेबल टनभार (संयुक्त उद्यम हवाईअड्डों सहित) 1,64,925 मीट्रिक टन है।
- कृषि उड़ान 2.0 में 5 और हवाईअड्डों को जोड़ा गया है जिससे हवाईअड्डों की कुल संख्या 58 हो गई है।

1.3 आपरेशन गंगा

1 फरवरी से 11 मार्च 2022 की अवधि के दौरान कुल 90 बचाव उड़ानों का प्रचालन करके 22500 से भी अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी यूक्रेन से की गई थी। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के परिणामस्वरूप सभी बचाव उड़ानों के किराए की लागत का भारत सरकार द्वारा किया गया था।

1.4 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान अनुसूची को पुनः स्थापित करना

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान अनुसूची को 27 मार्च, 2022 से इस अपेक्षा के साथ पुनः स्थापित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया, समय समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन किया जाना सभी प्रचालकों के लिए अनिवार्य होगा।

1.5 अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा पारित कोरसिया / दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य (सीओआरएसआईए / एलटीएजी) में भारत का योगदान।

दिनांक 27 जनवरी 2022 को, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन परिषद में समान विचारधारा वाले नौ देशों (एलएमसी) की एक उच्च–स्तरीय बैठक के आयोजन अवसर पर भारत के प्रतिनिधिमंडल की पहल से वाटरशेड कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत की वार्ता समान विचारधारा वाले नौ देशों (एलएमसी) एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सदस्यों के साथ विकासशील देशों के पक्ष में बेसलाइन का परक्रामण करने के संबंध में की जा रही थी तथा इसमें भारत को अपने प्रयास में सफलता मिली है। समान विचारधारा वाले देशों के सक्रिय समर्थन के साथ, भारत की ओर से की गई कड़ी मध्यस्था के परिणामस्वरूप अनुपालन क्रम के "वैयक्तिक विकास कारक" में कमी लाए जाने के साथ साथ भारतीय वाहकों को कोरसिया बेसलाइन को न्यून करके इसे 2019 की 85 प्रतिशत की उत्सर्जन बेसलाइन पर लाने में सफलता हासिल हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों (एलटीएजी) के संबंध में भारत की ओर से किए अनवरत प्रयासों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की महासभा द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से किन्हीं ऐसे अनिवार्य लक्ष्यों को शामिल न किए जाने, जिनसे दंडात्मक उपाय करने पड़ सकते हैं, के लिए राष्ट्रीय समय फ्रेम की अनुमति प्रदान करने एवं समान विचारधारा वाले देशो के लिए समान, परन्तु भिन्न प्रकार के, उत्तरदायित्वों के सिद्धांत का समावेश करने में सफलता प्राप्त हुई है।

1.6 अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद में भारत का पुनर्चयन

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की 41वीं महासभा में भारत का पुनर्चयन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद (2022–2025) में भाग II के अंतर्गत हुआ है जिसे ऐसे देशों का

प्रतिनिधित्व प्राप्त है जिनका अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान दिक्कचालन की सुविधाओं के प्रावधान में सर्वाधिक योगदान है।

1.7 ई–जीसीए – नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सेवा आपूर्ति में ई–गर्वनेंस

ई–जीसीए परियोजना का शुभारंभ 14 मई, 2019 को हुआ था तथा यह 31 जुलाई, 2021 को पूरी हो गई है। ई–जीसीए प्लेटफार्म के माध्यम से इस में नागर विमानन महानिदेशालय की कुल 298 सेवाओं / कार्यों की लाइव प्रस्तुति की गई है। ई–जीसीए परियोजना का लक्ष्य उत्तरदेयता में पारदर्शिता एवं नागर विमानन महानिदेशालय की प्रक्रियाओं तथा कार्यों में डिजीटल कायाकल्प के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रस्तुति करना है।

1.8 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ)

देश में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 34 उड़ान प्रशिक्षण संगठन कार्य कर रहे हैं। अमेठी (उत्तर प्रदेश) में स्थित इग्रुआ का उड़ान प्रशिक्षण संगठन केन्द्र सरकार के अध्याधीन है, 8 संगठन राज्य सरकारों के अध्याधीन हैं तथा 25 संगठनों का स्वामित्व निजी सेक्टर के पास है। वर्ष 2022 के दौरान 4 नए बेस प्रचालनातमक हुए हैं।

वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तथा 2022 के दौरान क्रमशः 552, 640, 744, 578, 863 तथा 1165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए थे।

वर्ष 2022 में जारी 1165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की संख्या अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

1.9 अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय का ऑडिट

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के ऑडिटरों के एक दल द्वारा 9.11.2022 से 16.11.2022 के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय का ऑडिट

किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दल द्वारा ऑडिट की प्रक्रिया के समापन के अवसर पर नागर विमानन महानिदेशालय को यह सूचित किया गया कि भारत का प्रभावी कार्यान्वयन स्तर पूर्व के 69.95 प्रतिशत से बढ़कर अब 85.49 प्रतिशत हो गया है।

1.10 एअर इंडिया में विनिवेश

एअर इंडिया में भारत सरकार की 100 प्रतिशत अंशधारिता, एवं साथ ही एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं एअर इंडिया सैट्स में एअर इंडिया की इक्विटी शेयरधारिता, में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया दिनांक 27.1.2022 को पूरी हो गई है। मैसर्स टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसने एअर इंडिया (एअर इंडिया की एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं एअर इंडिया सैट्स में अंशधारिता के साथ एअर इंडिया का 100 प्रतिशत अंशभाग) 18,000 करोड़ के उद्यम मूल्य पर इसकी बोली के विजेता हैं। मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,700 करोड़ का नकद घटक (18,000 करोड़ रुपए का 15 प्रतिशत) निवेश एवं लोक सम्पति विभाग के खाते में जमा कर दिया है तथा 15,300 करोड़ रुपए (18,000 करोड़ रुपए का 85 प्रतिशत) का नामे की स्वीकृति की है।

एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड एवं एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के पश्चात पूर्ववर्ती एअर इंडिया लिमिटेड की शेष सहायक कम्पनियां यथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम को एअर इंडिया एस्सेट होल्डिंग लिमिटेड में अंतरित कर दिया गया है जो एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए निर्मित एक विशेष उद्देश्य वाहक कम्पनी है तथा वर्तमान में ये एअर इंडिया एस्सेट होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कम्पनियां हैं। इन सहायक कम्पनियों में विनिवेश की प्रक्रिया की जा रही है।

1.11 डिजीयात्रा

डिजी यात्रा नीति नागर विमानन मंत्रालय की एक पहल है, जिसकी शुरूआत यात्रियों को हवाईअड्डों पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना अनेक टच प्वाइंटों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए की गई है। डिजी यात्रा का शुभारंभ माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा 01.12.2022 को दिल्ली, बेंगलुरू तथा वाराणसी हवाईअड्डों के लिए किया गया है। डिजी यात्रा ऐप एंड्रॉइड के साथ–साथ आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।

1.12 एटीएफ पर कर का यौक्तिकरण

17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एटीएफ पर मूल्य संवर्धित कर को घटा दिया गया है, जिनमें से 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एटीएफ पर मूल्य संवर्धित कर में 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कमी लाई गई है जबकि कर्नाटक ने इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है और हाल ही में गोवा ने भी मूल्य संवर्धित कर को 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है।

1.13 गुजरात में सी–295 विमान निर्माण सुविधा

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2022 को वडोदरा, गुजरात में सी–295 विमान के उत्पादन के लिए भारत की पहली परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला स्थापित की गई है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के नेतृत्व में टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा और सितंबर, 2026 से अगस्त, 2031 तक वितरित किया जाएगा।

1.14 ड्रोन

ड्रोन से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को जबरदस्त लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें – कृषि, चिकित्सा आपूर्ति, आपदा राहत, भू–स्थानिक मानचित्रण, निगरानी, परियोजना निगरानी, रक्षा और कानून प्रवर्तन आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

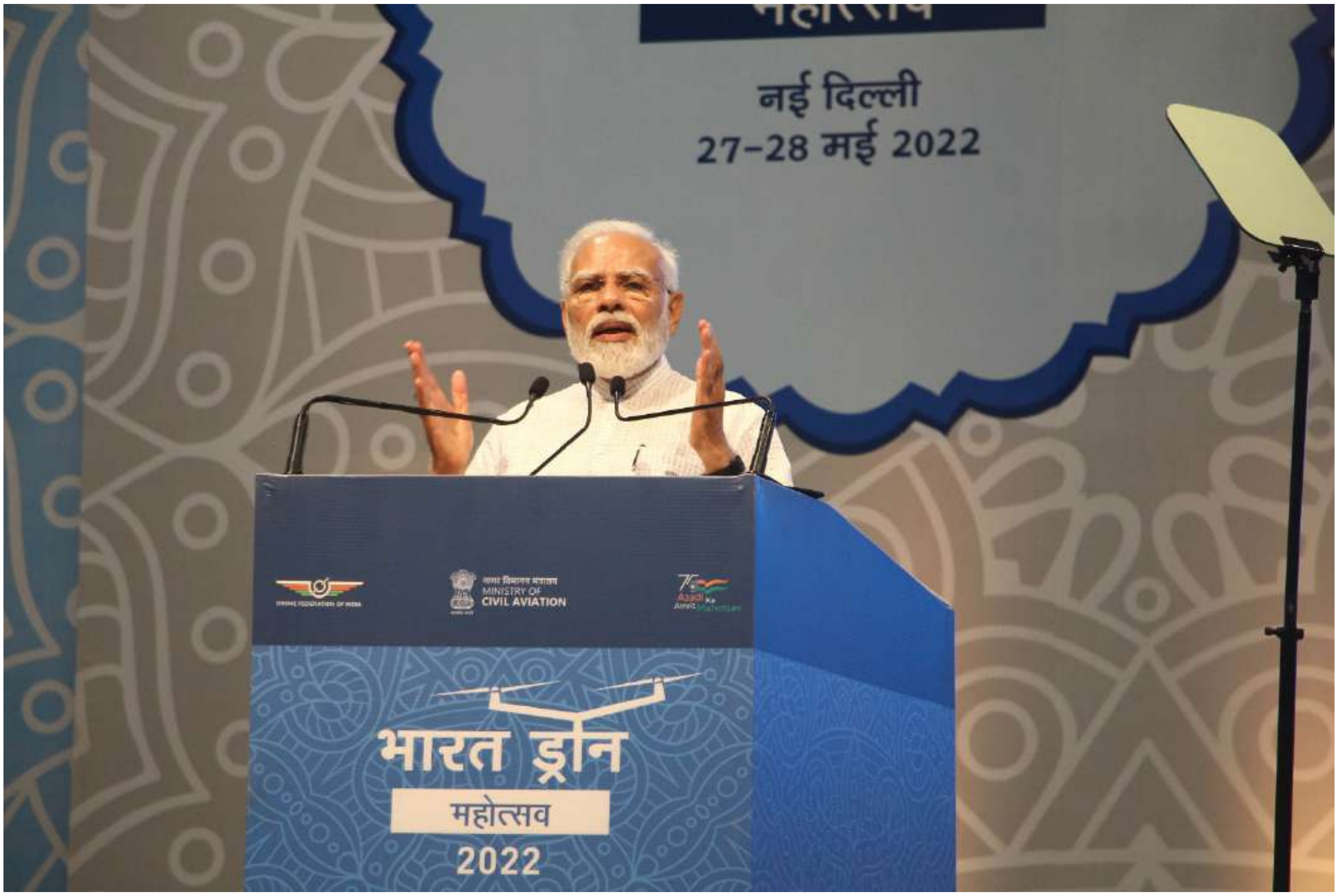
नई दिल्ली
27–28 मई 2022
MINISTRY OF
CIVIL AVIATION
भारत ड्रोन
महोत्सव
2022

ड्रोन अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग में आसानी के कारण विशेष रूप से भारत के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्माता हो सकते हैं।

भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के प्रसार के लिए रूपरेखा प्रदान करने और भारत को विश्व का एक ड्रोन हब बनाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं।

उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 अधिसूचित किए गए हैं, ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रकाशित किया गया है, लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र को 400 फीट तक उड़ान भरने वाले ड्रोन के लिए ग्रीन जोन के रूप में खोल दिया गया है।

ड्रोन नियमावली, 2021 के अंतर्गत सभी पांच आवेदन फॉर्म 26 जनवरी 2022 को डिजिटलस्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

दिनांक 27–29 मई 2022 के दौरान प्रगति मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में एक भव्य भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम से 70 से अधिक ड्रोन प्रदर्शकों और स्कूली बच्चों सहित 10,000 आगंतुक आकर्षित हुए थे।

ड्रोन क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई है। तीन वित्तीय वर्षों में विस्तारित योजना के अंतर्गत कुल 120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त की गई है तथा दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को पीएलआई दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

31 दिसंबर 2022 तक 5714 विशिष्ट पहचान नम्बर (यूआईएन) जारी किए जा चुके हैं। 38 ड्रोन विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए टाइप प्रमाणपत्रों की कुल संख्या आठ है।

ड्रोन के जटिल संचालन को सक्षम करने, यूटीएम हवाई क्षेत्र में समग्र सुरक्षा बढ़ाने और हितधारकों को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए दिनांक 24 अक्तूबर, 2021 को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) यातायात प्रबंधन (यूटीएम) नीति रूपरेखा जारी की गई है।

1.15 हवाईअड्डे

हवाईअड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर वर्ष 2022 में 147 हो गई है। हमारा लक्ष्य 2024–25 तक इसे 220 तक ले जाने का है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2024–25 की अवधि के दौरान 98000 करोड़ रुपये से अधिक का कैपेक्स खर्च व्यय की संभावना है, जिसमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 25000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा जबकि शेष व्यय विकासकों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप में किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान नागर विमानन सेक्टर के संवर्धन के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का पूंजी व्यय किया गया है।

भारत सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की गई है जो देश में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है। नीति के अनुसार, हवाईअड्डा स्थापित करने की इच्छुक राज्य सरकार सहित हवाईअड्डा विकासकर्ता को 2–चरण की प्रक्रिया यथा 'स्थल अनुमोदन' तथा उसके पश्चात 'सैद्धांतिक अनुमोदन' की प्राप्ति के लिए निर्धारित प्रारूप (www.civilaviation.gov.in पर उपलब्ध) में नागर विमानन मंत्रालय) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

भारत सरकार द्वारा अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों, अर्थात् गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी तथा सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, बीजापुर, हसन और शिवमोगा, मध्यप्रदेश में डाबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी, भोगपुरम और ओरवाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाकयोंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर), की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इनमें से 10 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाएं नामतः दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पाकयोंग, कन्नूर, कालाबुरागी, ओरावकल, कुशीनगर, डोनी पोलो हवाईअड्डा (ईटानगर) और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा–मोपा, गोवा प्रचालनात्मक हैं।

धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डाः आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 14.06.2022 को आयोजित बैठक में धोलेरा, गुजरात में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के पहले चरण के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1305 करोड़ रुपए है तथा इसके कार्य 48 माह में पूरे किए जाने हैं।

विभिन्न ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों / टर्मिनलों का उद्‌घाटन

(i) डोनी पोलो हवाईअड्डा, ईटानगरः अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे, डोनी पोलो हवाईअड्डे, ईटानगर का उद्‌घाटन माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा 19.11.2022 को किया गया है और यह हवाईअड्डा दिनांक 28.11.2022 से प्रचालनिक है।

(ii) मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवाः गोवा राज्य के मोपा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का उद्‌घाटन माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11.12.2022 को किया गया है। (हवाईअड्डे को 05.01.2023 से प्रचालनिक कर दिया गया है)

(iii) टर्मिनल–2 बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डाः माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 11.11.2022 को बेंगलुरु अंतराराष्ट्रीय हवाईअड्डे (बीआईएएल) के टर्मिनल टी–2 का उद्‌घाटन किया गया है। (टी–2 से दिनांक 15.01.2023 से घरेलू प्रचालन आरंभ हो गया है)।

(iv) देवघर हवाईअड्डाः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और झारखंड सरकार के एक संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित देवघर हवाईअड्डे का उद्‌घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 12.07.2022 को किया गया है।

(v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वड़ोदरा हवाईअड्डे पर भारतीय वायु सेना के लिए सी–295 विमानों के निर्माण के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 30.10.2022 को आधारशिला रखी गई थी।

1.16 हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग

नागर विमानन मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग (एफयूए) की अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू करके राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के इष्टतम उपयोग का सुझाव दिया है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) 30: राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जिसमें से 30: को हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग के तहत ऊपरी हवाई क्षेत्र के रूप में जारी किया गया है। क्षेत्रीय दिल्ली और चेन्नई में हवाई क्षेत्र प्रबंधन प्रकोष्ठ (एएमसी) स्थापित किए गए हैं और राष्ट्रीय एएमसी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। अब तक, एफयूए के तहत 128 सशर्त मार्ग (सीडीआर) घोषित किए गए हैं। इससे उड़ान समय, ईंधन के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी में महत्वपूर्ण बचत होगी। एयरलाइनों के लिए संभावित बचत 1000 करोड़ रूपए प्रति वर्ष होगी।

1.17 यात्री वृद्धि

घरेलू मार्गः

वर्ष 2022 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने कुल 9.43 लाख अनुसूचित उड़ानों के प्रचालन द्वारा कुल 123.2 मिलियन अनुसूचित यात्रियों को वहन किया है जबकि पिछले वर्ष 2021 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान कुल 82.74 मिलियन अनुसूचित यात्रियों को वहन किया गया था)। अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष 2021 (31 दिसंबर तक) की तुलना में वर्ष 2022 में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मार्गः

जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान अनुसूचित भारतीय/विदेशी वाहकों द्वारा कुल 43.4 मिलियन यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर वहन किया गया, जबकि 2021 में इसी अवधि में यह संख्या 17.2 मिलियन थी, जिससे इसमें 152.7% की वृद्धि देखी गई। 43.4 मिलियन यात्रियों में से, 20.9 मिलियन यात्रियों को अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किया गया, जबकि 22.5 मिलियन यात्रियों को जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किया गया।

1.18 अनुसूचित प्रचालक

दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक पंद्रह (15) अनुसूचित/अनुसूचित यात्री प्रचालन नामतः एअर इंडिया लिमिटेड, एलायंस एयर, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, स्पाइसजेट लिमिटेड, गो एयरलाइंस (इंडिया) प्रा.

मानननीय प्रधान मंत्री द्वारा ईटानगर में डोनी पोलो का उद्‌घाटन

लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो), एयर एशिया प्रा. लिमिटेड, टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा), एसएनवी एविएशन प्रा. लिमिटेड (अकासा एयर), घोडावत एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड (स्टार एयर), जीएसईसी मोनार्क और डेक्कन एविएशन प्रा. लिमिटेड (इंडियावन एयर), एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड (एयर टैक्सी), बिग चार्टर प्रा. लिमिटेड (फ्लाई बिग), पवन हंस लिमिटेड घरेलू क्षेत्र में काम कर रही हैं और भारत के विभिन्न भागों में उड़ानों और सम्पर्कता की एक विस्तृत विकल्प प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, दो कार्गो एयरलाइनें नामतः ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड और क्विक जेट कार्गो लिमिटेड, देश में अनुसूचित कार्गो सेवाओं का प्रचालन कर रही हैं। इसके अलावा, स्पाइसजेट लिमिटेड पांच (5) बी737 मालवाहक विमानों के साथ कार्गो प्रचालन भी कर रहा था।

इस वर्ष के दौरान, तीन अनुसूचित प्रचालन प्रमाणपत्र (जीएसईसी मोनार्क एंड डेक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया वन एयर), एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर) और क्विक जेट कार्गो लिमिटेड) जारी किए गए।

1.19 गैर–अनुसूचित प्रचालक

जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, 15 नए एनएसओपी प्रदान किए गए और दिनांक 31.12.2022 तक, 103 कंपनियों के पास गैर–अनुसूचित प्रचालक परमिट था, जबकि दिनांक 31.12.2021 को यह संख्या 94 कंपनियां थीं।

1.20 व्यापार करने की सुगमता

व्यापार करने की सुगमता के उद्देश्य से दिनांक 08.04.2022 को आधिकारिक राजपत्र में वायुयान नियमावली, 1937 में व्यापक संशोधन को अधिसूचित किया गया है ताकि विभिन्न लाइसेंस आदि की वैधता का विस्तार किया जा सके।

1.21 विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए समावेशी परिवहन सुविधाएं

सदैव समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता रही है, जो विकलांग व्यक्तियों को परिवहन में गैर–भेदभाव सुविधाएं प्रदान करता है। दिनांक 03 दिसंबर, 2015 को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुलभ भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) शुरू करके सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित मुद्दे को संबोधित किया गया है। इसकी तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, अर्थात् – वातावरण का सृजन, पारवहन क्षेत्र और आईसीटी इकोसिस्टम। नागर विमानन मंत्रालय ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे नागर विमानन क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन्हें अप्रैल, 2022 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग को

प्रस्तुत किया गया है और जनवरी 2023 में इन्हें अधिसूचित किया गया है।

1.22 कोविड–19 के दौरान विमानन क्षेत्र में किराए की सीमा तय करना

कोविड–19 महामारी ने विमानन क्षेत्र सहित व्यवसायों की राजस्व धाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। सामान्य परिस्थितियों में, हवाई किराए सरकार द्वारा न तो स्थापित किए जाते हैं और न ही विनियमित किए जाते हैं। हालांकि, अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण, सरकार द्वारा एक विशेष उपाय के रूप में ऊपरी और निचली सीमा वाले किराया बैंड पेश किए गए थे। किराया बैंड ने यात्रियों के साथ–साथ एयरलाइनों के हितों की रक्षा के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया है।

यात्रियों के हितों की रक्षा करते हुए, विमानन क्षेत्र को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए किराया बैंड समय–समय पर संशोधित किए गए थे। वर्तमान में, दिनांक 31.08.2022 से हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।

1.23 द्विपक्षीय समझौते

भारत ने मालदीव (अप्रैल 2022) और कनाडा (जुलाई 2022) के साथ राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार मुक्त आकाश नीति को औपचारिक रूप दिया है। भारत ने वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सूडान और जिम्बाब्वे के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सफलतापूर्वक वार्ता की है।

1.24 भारतीय विमान कार्गो

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) नामक, 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है, जिसे दिनांक 11 अगस्त 2016 को कार्गो विभाग को अलग करके स्थापित किया गया था ताकि देश में सभी एएआई हवाईअड्डों पर एयर कार्गो विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एएआईसीएलएएस, सभी एएआई प्रबंधित हवाईअड्डों में एयर कार्गो प्रचालनों का संचालन कार्य भी कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एएआईसीएलएएस ने घरेलू यात्री टर्मिनल के माध्यम से 6 हवाईअड्डों नामतः कोल्हापुर, जोरहाट, कलबुर्गी, भावनगर, तेजपुर, हिंडन और 3 हवाईअड्डों नामतः श्रीनगर, अमृतसर, मैंगलोर पर समर्पित कार्गो टर्मिनल के माध्यम से घरेलू हवाई कार्गो प्रचालन शुरू किया है। एआईसीएलएएस ने त्रिची, श्रीनगर (नई सुविधा), जयपुर (नई सुविधा) नामक 3 हवाईअड्डों से विनियमित एजेंट (आरए) प्रचालनों सहित अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो प्रचालन शुरू किया है।

एक ही स्थान पर, बिना विलंब आवश्यक संस्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए विनियामक प्राधिकरण और अन्य प्रतिभागी सरकारी एजेंसियां (पीजीए) जैसे सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, एपीएचओ, पौध संगरोध, पशु संगरोध, ड्रग नियंत्रक आदि, को प्रमुख भारतीय हवाईअड्डों पर अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनलों में उपलब्ध कराया गया है।

ऑनलाइन प्रणालियों जैसे भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई गेजवे (आईसीईजीएटीई) के माध्यम से संस्वीकृतियों की प्रक्रिया की जाती है, त्वरित एकल विंडों संस्वीकृति और प्रक्रिया प्रणाली हेतु अन्य विनियामक प्राधिकरणों जैसे दवा नियंत्रक, पौध संगरोध, पशु संगरोध, एफएसएसएआई, आदि के एकीकृत किया गया है, जो निर्यातकों की सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेसिलिटेटिंग ट्रेड (स्विफ्ट) प्रोजेक्ट के तहत उनके शिपमेंट को उनके स्थानों से संसाधित करने में मदद करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल के अनुरूप, और व्यापार करने की सुगमता हेतु और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एएआईसीएलएएस ने भारतवर्ष में विभिन्न एएआईसीएलएएस सुविधाओं पर एकीकृत कार्गो प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) को लागू किया है, ताकि ऑनलाइन एक्सेस और भुगतान, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी आदि के साथ पहुँच और व्यापार में सुगमता हो सके । निर्यातक, टर्मिनल स्टोरेज और प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य संबंधित जानकारी

को अपने स्थानों पर ही आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं।

सभी एयर कार्गो टर्मिनल प्रचालक, जेवी/पीपीपी हवाईअड्डे और एएआईसीएलएएस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) परियोजना से जुड़े हुए हैं, जो परिवहन के विभिन्न आदेशों की जानकारी/डेटा साझा करने का एक सामान्य मंच है। इसका औपचारिक उद्घाटन, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 17.09.2022 को किया गया था।

भारत में कार्गो हैंडलिंग, वित्तीय वर्ष 2020—21 के 2.47 एमएमटी से वित्त वर्ष 2021—22 में बढ़कर 3.14 एमएमटी हो गई है। चालू वित्त वर्ष में, अब तक नवंबर 2022 तक, 2.13 एमएमटी एयर कार्गो का प्रचालन किया जा चुका है।

1.25 विमान पट्टाकरण और वित्तपोषण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से विमान पट्टे और वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने गांधीनगर में आईएफएससीए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक—सिटी (गिफ्ट सिटी) में विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था प्रदान की है। आईएफएससीए के माध्यम से पट्टे पर देने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों में शामिल हैंः

पहले 15 वर्षों के ब्लॉक में से लगातार 10 वर्षों की अवधि के लिए 100% कर अकाश।

कर अवकाश के दौरान, विमान के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के लिए कर अवकाश (वित्त अधिनियम, 2021) बढ़ाया गया है।

अनिवासियों को विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं द्वारा किया गया ब्याज और रॉयल्टी भुगतान कर योग्य नहीं है। (वित्त अधिनियम, 2021)

आईएफएससीए ने भारत में आईएफएससी में विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय को सक्षम करने के लिए दिनांक 18 मई 2022 को 'विमान पट्टों के लिए रूपरेखा' जारी की है।

गिफ्ट—सिटी गुजरात से संचालन करने के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक, 13 विमान पट्टाकरण संस्थान, आईएफएससीए के साथ पंजीकृत हैं जबकि लक्ष्य बारह (12) का था। इसके अतिरिक्त, पांच अन्य आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।।

दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक गिफ्ट आईएफएससी से पंजीकृत विमान पट्टाकरण संस्थाओं द्वारा कुल 14 विमानों को पट्टे पर दिया गया है।

1.26 हज प्रचालन

हज 2022 का प्रचालन दिनांक 04 जून, 2022 से शुरू हुआ और इसे दिनांक 13 अगस्त, 2022 को सुचाः रूप से और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तीन एयरलाइनों नामतः सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, स्पाइसजेट और फ्लाइनास ने पूरे भारत में 10 आरोहण स्थलों से 56,634 तीर्थयात्रियों को जेद्दाह/मदीना और वापसी की यात्रा प्रदान की है।

2. नागर विमानन मंत्रालय

2.1 संगठन

नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संगठन हैं:–

संबद्ध कार्यालय/संगठन

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)

रेल सरंक्षा आयोग (सीआरएस)

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी)

स्वायतशासी निकाय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)

पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)

एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और इसकी सहायक कंपनियां

2.2 नागर विमानन मंत्रालय देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य विधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

2.3 नीति निर्धारण संबंधी प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त, मंत्रालय अपने संगठनों को नीति संबंधी दिशा–निर्देशों के पालन के संबंध में मार्ग–दर्शन प्रदान करता है, उनकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करता है और संसद के साथ उनका इंटरफेस भी मुहैया कराता है। मंत्रालय संगठनों द्वारा सरकार के विशेष कार्यक्रमों, विशेषकर समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाये गये कार्यक्रमों, के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है।

2.4 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की सहायता के लिए चार संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, निदेशक/उप–सचिव/वित्त नियंत्रक, एक उप महानिदेशक स्तर के सात अधिकारी तथा अवर सचिव/सहायक वित्त नियंत्रक स्तर के तेरह अधिकारी हैं। मंत्रालय के कार्यों का आबंटन इसके सत्रह अनुभागों के बीच किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

नागर विमानन मंत्री

जनरल (डा.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत)

नागर विमानन राज्य मंत्री

श्री राजीव बंसल

सचिव, नागर विमानन

श्री पीयूष श्रीवास्तव

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा

संयुक्त सचिव

श्रीमती उषा पाढ़ी

अपर सचिव

श्रीमती रुबीना अली

संयुक्त सचिव

श्री अम्बर दुबे

संयुक्त सचिव

श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन

संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार

श्री वनलालदीना फनाई

मुख्य वित्तीय नियंत्रक

श्री पी.के. ठाकुर

उप महानिदेशक

संबद्ध कार्यालय के प्रमुख

- नागर विमानन महानिदेशालय : श्री अरुण कुमार, महानिदेशक
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो : श्री जुल्फिकार हसन डी.जी.
- रेल संरक्षा आयोग : श्री शैलेश कुमार पाठक, सीसीआरएस
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो : सुश्री पूजा सिंह मंडोल, डी.जी. (अतिरिक्त प्रभार)

स्वायत्त निकाय के प्रमुख

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण : श्री बी. एस. भुल्लर, अध्यक्ष

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी : श्री कृष्नेन्दु गुप्ता, निदेशक
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय : श्री पी०के०ठाकुर, (कार्यकारी पंजीयक)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के प्रमुख

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष
- एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड : श्री विक्रम देव दत्त, सीएमडी
- पवन हंस लिमिटेडः श्रीमती संजीव राजदान, सीएमडी

2.5 रिकार्ड प्रबंधन

नागर विमानन मंत्रालय के मौलिक कार्यों से संबंधित रिकार्ड की रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.6 ई–एचआरएमएस का क्रियान्वयन

सेवा रिकॉर्ड, छुट्टी, एलटीसी, अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति, इत्यादि जैसे विभिन्न स्थापना संबंधी कार्यों का रिकॉर्ड रखने तथा रखरखाव हेतु डीओपीटी द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक ऑनलाइन प्रणाली, अर्थात ई–एचआरएमएस शुरू की गई है। नागर विमानन मंत्रालय चुनिन्दा मंत्रालयों में से एक है जिसे पहली चरण में ई–एचआरएमएस की क्रियान्वयन हेतु चुना गया है।

2.7 केंद्रीय सचिवालय संवर्ग प्रबंधन सेवाएं (सीएससीएमएस)

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाओं की विशेष ऑनलाइन डिलीवरी सक्षम करने के लिए सीएससीएमएस पोर्टल को नया रूप दिया। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय में संशोधित सीएससीएमएस पोर्टल को त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा मामलों को संसाधित करने के लिए लागू किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, इस मंत्रालय के सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्ग के सभी कर्मचारियों के विवरण इस प्रभाग द्वारा समय–समय पर पोर्टल पर अद्यतन किए गए थे।

2.8 विशेष अभियान 2.0

नागर विमानन मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक "स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0" का आयोजन किया जिसका प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों का निपटान, पुरानी/अनावश्यक फाइलों को हटाना और कार्यालयों की समग्र सफाई करना तथा उपलब्ध स्थान का उचित प्रबंधन था।

अभियान के दौरान, 582 लोक शिकायतों, 145 पीजी अपीलों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा, 43224 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 32,919 वास्तविक फाइलों की छंटाई की गई, 42,786 वर्ग फीट जगह मुक्त की गई और 2,65,91,760/– रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ। इस अभियान में देश भर के 134 स्थानों को शामिल किया गया, जिसमें देश के सुदूर हिस्से और निर्जन स्थान शामिल हैं।

महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जूट बैग का वितरण, जल निकाय के संरक्षण, हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा और ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य कदमों सहित कई सर्वोत्तम अभ्यास हवाईअड्डे पर अपनाए गए।

नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता अभियान में भाग लेकर उनका हौसला बढ़ाया। मंत्री ने कई बार अभियान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

विशेष अभियान 2.0 फील्ड/आउटस्टेशन कार्यालयों पर भी ध्यान देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार कार्यालयों या सार्वजनिक इंटरफेस से जुड़े कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया गया।

नागर विमानन मंत्रालय, इसके संबद्ध कार्यालय जैसे डीजीसीए, बीसीएएस, सीआरएस और एएआईबी, संबंधित स्वायत्त निकाय जैसे एईआरए, आईजीआरयूए और आरजीएनएयू, पीएसयू जैसे एएआई, एआईएएचएल और पीएचएल ने अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाकर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। जमीनी कार्यकर्ता, नोडल अधिकारी नियुक्त करना और अभियान के माइलस्टोन्स को पूरा करने के लिए काम किया गया।

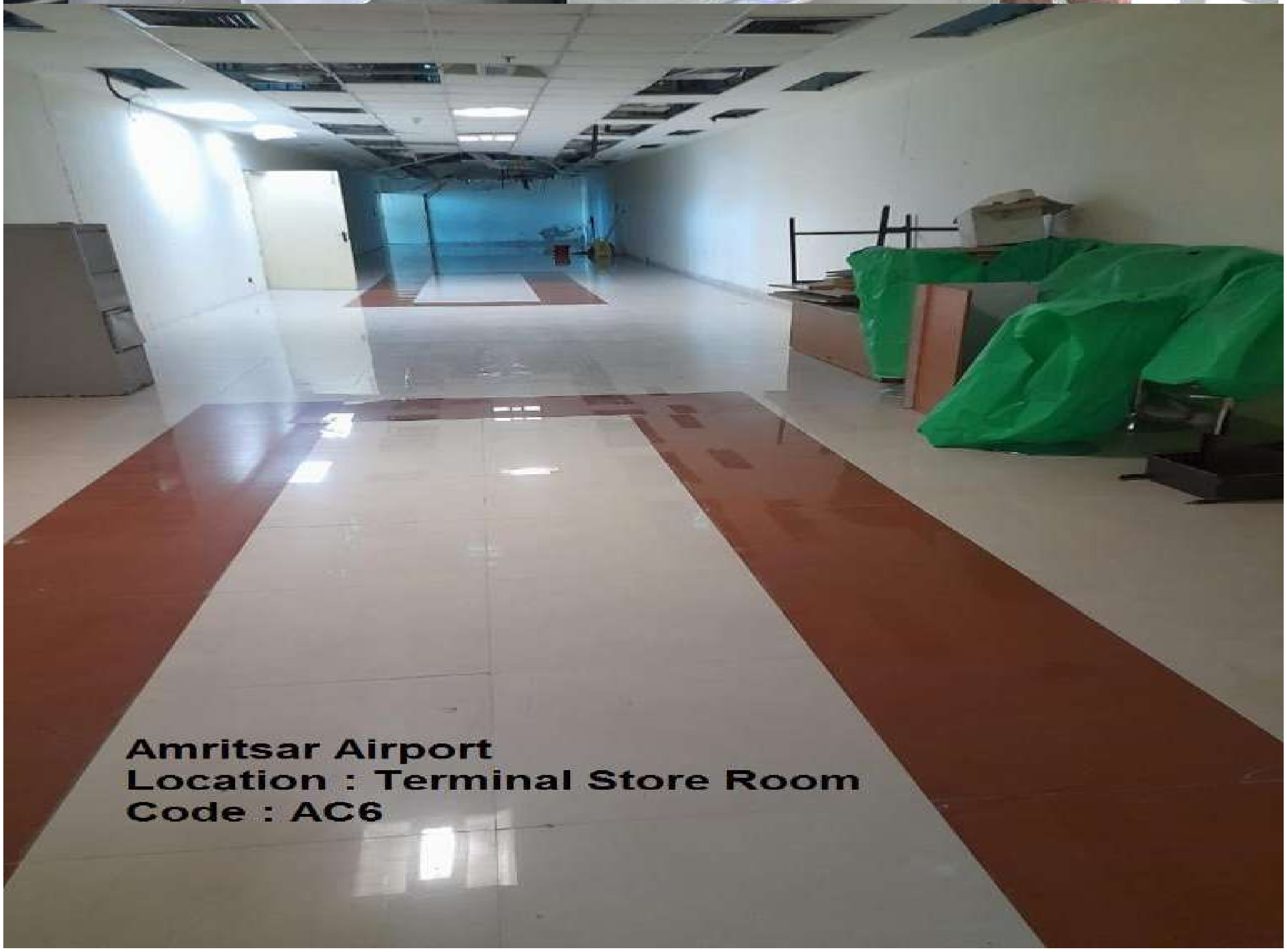
Amritsar Airport
Location : Terminal Store Room
Code : AC6

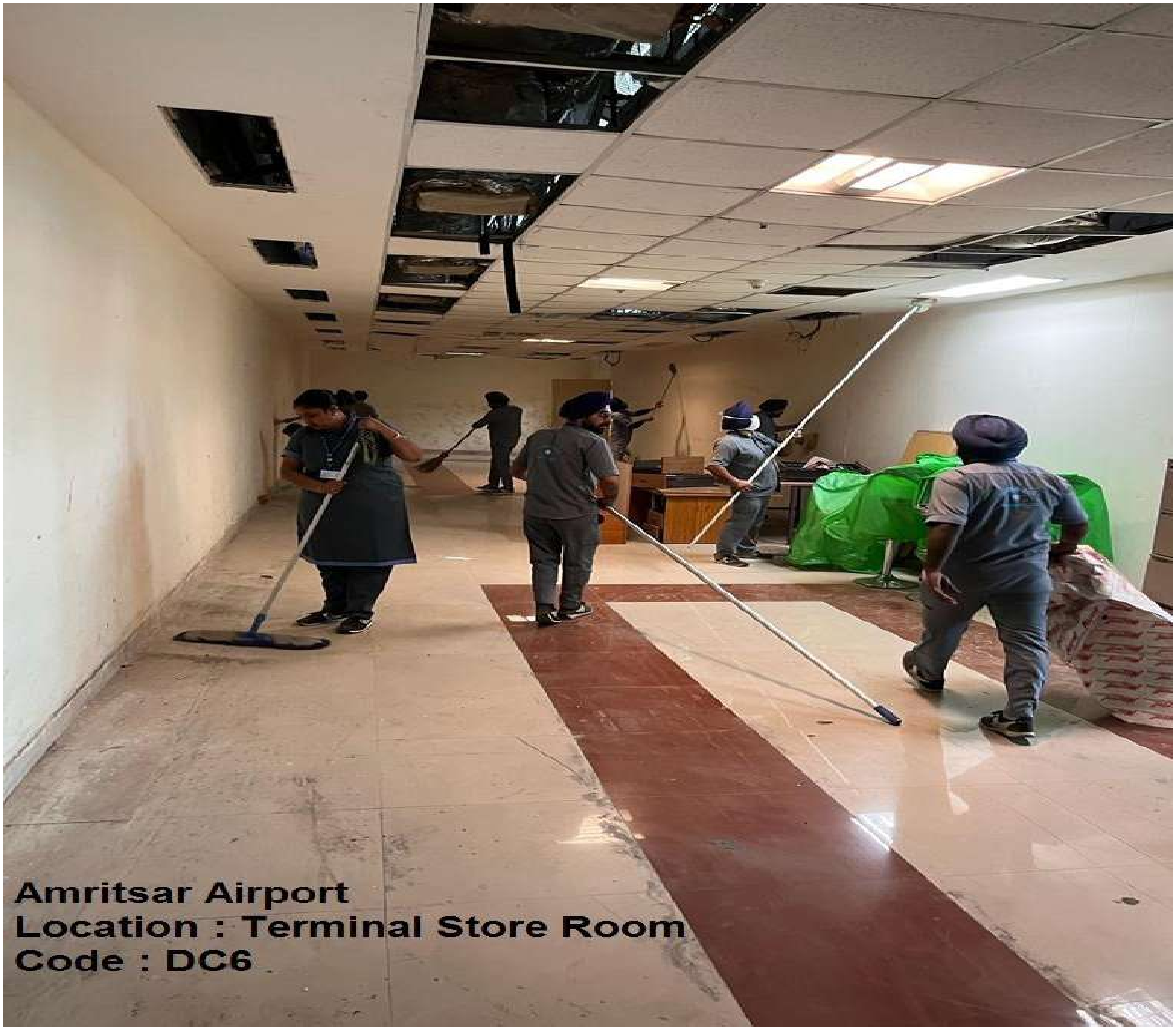

2.9 लोक शिकायत निवारण तंत्र

2.9.1 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), जो एक वेब–आधारित ऑन–लाइन सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा पेश और विकसित किया गया था। मंत्रालय में शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए दिनांक 01.01.2008 से यह प्रणाली लागू की गई है।

वर्ष 2022 में, कुल 10,052 जन शिकायत मामले ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,766 मामले (पिछले बैकलॉग सहित), यानी लगभग 107 प्रतिशत, सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से निपटाए गए हैं। एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को मंत्रालय में 'लोक शिकायत अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सभी संगठनों के पास

संबंधित नामित 'नोडल अधिकारियों' की अध्यक्षता में पूर्ण जन शिकायत निवारण तंत्र है।

2.9.2 एयरसेवा

एयरसेवा, यात्रियों को शिकायत दर्ज करने और भारत में हवाई यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह नागर विमानन मंत्रालय की एक पहल है। एयरसेवा क्यूआर कोड को एयरसेवा पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए 80 से अधिक हवाईअड्डों के रणनीतिक स्थानों पर स्टैंडियों, उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफआईडीएस) आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। एयरसेवा क्यूआर कोड एयरलाइनों के बोर्डिंग कार्ड और टिकट पर भी छपा होता है। लंबित शिकायतों की सबसे बड़ी संख्या वाले शीर्ष 6 स्टेकधारकों के नाम एमओसीए वेबसाइट पर लंबित और हल की गई शिकायतों के बारे में दैनिक तिथि के साथ प्रमुखता से दिखाए जा रहे हैं।

2.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। यह प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है, साथ ही नागरिकों के अनुरोध का समय पर निपटान भी करता है।

अधिनियम को लागू करने के लिए इस मंत्रालय में 13 सीपीआईओ और 8 अपीलीय प्राधिकरण नामित किए गए हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के बारे में लोगों में बढ़ती जागरूकता के साथ, इस वर्ष ऑनलाइन/मेल के माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन/अपील प्राप्त हुए। वर्ष 2022 के दौरान कुल 1625 आवेदन एवं 80 अपीलें प्राप्त हुई। इन आवेदनों एवं अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया गया।

2.11 सतर्कता गतिविधियाँ

2.11.1 इस मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, जो सतर्कता ढांचे में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीवीओ को एक निदेशक, एक अवर सचिव और सतर्कता अनुभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सतर्कता अनुभाग, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मुख्य मंत्रालय के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की सतर्कता गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करता है।

2.11.2 इस मंत्रालय के तहत पीएसयू में पूर्णकालिक सीवीओ हैं, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस लिमिटेड, जिन्हें एसीसी द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि, मुख्य मंत्रालय, डीजीसीए, ऐरा, एएआईबी, एआईएएचएल, आरजीएनएयू, इग्रुआ में अंशकालिक सीवीओ हैं, जिन्हें सीवीसी के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, सीआरएस और बीसीएएस में सीवीओ की नियुक्ति विचाराधीन है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी की स्थिति – नागर विमानन मंत्रालय

क्र. सं.	संगठन का नाम	सीवीओ पद पूर्णकालिक / अंशकालिक	सीवीओ का नाम	पदनाम
1.	मंत्रालय (मुख्य)	अंशकालिक	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	जेएस एंड सीवीओ
2.	ऐरा	अंशकालिक	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	जेएस एंड सीवीओ (सीवीओ/ऐरा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)
3.	एएआईबी	अंशकालिक	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	जेएस एंड सीवीओ (सीवीओ/एएआईबी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)
4.	डीजीसीए	अंशकालिक	श्रीमती पूजा सिंह मंडोल	सीवीओ एंड संयुक्त महानिदेशक (प्रशा.)
5.	एएआई	पूर्णकालिक	श्री अमल गर्ग	सीवीओ,भाविप्रा
6.	पवन हंस लिमिटेड	पूर्णकालिक	श्री अमल गर्ग	सीवीओ,भाविप्रा (सीवीओ/पीएचएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)
7.	एआईएएचएल	अंशकालिक	श्री अमल गर्ग	सीवीओ,भाविप्रा (सीवीओ/एआईएएचएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)
8.	आरजीएनएयू	अंशकालिक	श्री अमल गर्ग	सीवीओ,भाविप्रा (सीवीओ/आरजीएनएयू का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)
9.	इग्रुआ	अंशकालिक	श्री अमल गर्ग	सीवीओ,भाविप्रा (सीवीओ/इग्रुआ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं)

2.11.3 **निवारक सतर्कता**: संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर प्राथमिक जोर देने के साथ निवारक सतर्कता पर प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है।

2.11.4 **सहमत सूची और ओडीआई सूची**: 'सहमत सूची–2022' और 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची–2022' तैयार की गई और सीबीआई के साथ साझा की गई।

2.11.5 **अनुशासनात्मक मामले**: कैलेंडर वर्ष 2022 में, अनुशासनात्मक मामले का प्रारंभिक शेष 01 था, वर्ष 2022 के दौरान कोई नया अनुशासनात्मक मामला शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार, 31.12.2022 तक मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में केवल 01 अनुशासनात्मक मामला लंबित था।

2.11.6 **शिकायतें**: कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, शिकायतों का प्रारंभिक शेष (ओबी) 12 था, वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें 88 थीं, निपटान की गई शिकायतों की संख्या 91 थी और समापन शेष 09 था।

2.11.7 **सतर्कता क्लीयरेंस**: वर्ष 2022 के दौरान 200 से अधिक कर्मचारियों के संबंध में विजिलेंस क्लीयरेंस देने के अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिन पर कार्रवाई कर प्रक्रिया के तहत उनका निस्तारण किया गया।

2.11.8 **रिपोर्ट**:

क) मंत्रालय (मुख्य), डीजीसीए, बीसीएएस और सीआरएस के संबंध में मामूली जुर्माना, बड़ा जुर्माना, अभियोजन की मंजूरी, एफआर 56 (जे) आदि जैसे विवरणों वाली सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मासिक आधार पर डीओपीटी के पोर्टल पर संकलित और अपलोड की जाती है।

ख) शिकायतों, निरीक्षण, लेखा परीक्षा, लंबित जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सीबीआई को अग्रेषित मामलों आदि से संबंधित तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार की जाती है और सीवीसी के पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

ग) अनुशासनात्मक मामलों, शिकायतों, निरीक्षण आदि से संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए कार्य योजना पर तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार की जाती है और तिमाही आधार पर डीओपीटी को भेजी जाती है।

2.11.9 सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 का पालनः

31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 तक मुख्य मंत्रालय के साथ–साथ इस मंत्रालय के अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में 'एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

इसकी शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को 31.10.2022 को सुबह 11:00 बजे सचिव, नागर विमानन द्वारा दिलाई गई 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' से हुई।

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय की वेबसाइट पर ई–प्रतिज्ञा (जो सीवीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध थी) के लिए एक लिंक भी प्रदान किया गया था और मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। कार्यालय में प्रमुख स्थानों/स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।

अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने और उन्हें सतर्कता कार्यों के साथ फिर से जोड़ने के लिए, मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए चित्र विवरण लेखन, क्विज, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

मंत्रालय में 02.11.2022 को इस क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ 'निवारक सतर्कता' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को कमियों की घटनाओं को कम करने के लिए संवेदनशील बनाना था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में, 5098 पुरानी फाइलों की पहचान की गई और उनकी छंटाई की गई।

इसके अलावा, सतर्कता प्रभाग की टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर मंत्रीस्तरीय वेबसाइट में निम्नलिखित अद्यतन किए गए:

1. संलग्न संगठन को वेबसाइट पर संलग्न कार्यालय, एमओसीए के तहत जोड़ा गया था।
   - ख) आरजीएनयूए के कुलपति का नाम अपडेट किया गया था। आरजीएनयूए के पूर्व कार्यवाहक वीसी का नाम हटाया गया।
   - ग) पिछले अधिकारियों के नाम हटाकर 'कौन क्या है' सूची वेबसाइट पर अपडेट की गई थी।
   - घ) कार्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों के नाम को हटाकर कार्य आवंटन चार्ट को अद्यतन किया गया था।
   - ड.) भर्तियां की जा रही थीं लेकिन वेबसाइट के 'भर्ती अनुभाग' में उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया था। संबंधित डिवीजन यानी एसडी और आईटी को सलाह दी गई है कि वे सभी रिक्तियों को वेबसाइट के 'रिक्रूटमेंट सेक्शन' में डाल दें।

मंत्रालय में संचालित सभी गतिविधियों का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया गया।

2.11.10 सामान्य अनुभाग का निरीक्षणः सतर्कता प्रभाग, एमओसीए द्वारा सामान्य अनुभाग, एमओसीए का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण "वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ळम्ड के बाहर की गई खरीद" से संबंधित था। सामान्य अनुभाग ने 2020–21 के दौरान जीईएम के बाहर कुल 128 वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की एक सूची प्रदान की थी। इन 128 मदों में से 10 यादृच्छिक मदों को विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था। जांच के बाद, एक विस्तृत सतर्कता जांच रिपोर्ट तैयार की गई और सामान्य अनुभाग के साथ साझा की गई। खरीद प्रक्रिया में व्यवस्थित सुधार का भी सुझाव दिया गया।

2.11.11 करार अनुभाग का निरीक्षणः सतर्कता प्रभाग द्वारा समझौता प्रभाग, एमओसीए का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उन मामलों से संबंधित है जहां वर्ष 2022 में चार्टर उड़ानें संचालित करने की अनुमति अनुबंध प्रभाग द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में ऐसे मामलों की विस्तृत जांच प्रक्रियाधीन है।

2.11.12 मंत्रालय में बारी–बारी से तबादले की समीक्षाः नागर विमानन मंत्रालय में संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के बारी–बारी से तबादले के संबंध में सीवीसी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले को प्रशासन प्रभाग के साथ उठाया गया था और यह सलाह दी गई थी कि इस विषय पर सीवीसी के दिशा–निर्देशों का पालन करें और संवेदनशील पद पर कार्यरत सभी अधिकारियों को अलग–अलग अनुभागों में घुमाएंध्स्थानांतरित करें और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रशासन प्रभाग ने मामले में एक अनुपालन रिपोर्ट भेजी जिसके विषय में आयोग को अवगत करा दिया गया।

2.11.13 प्रणालीगत सुधार सुझावः विभिन्न मामलों में विस्तृत जांच की गई और प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया जैसे मालदा मंडल के तिनपहाड़–बोनीडांगा खंड में वाणिज्यिक सेवा शुरू करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करनाय रेलवे सुरक्षा आयुक्त, पूर्वी सर्किल कोलकाता के कार्यालय में प्रथम श्रेणी के रेलवे ड्यूटी पास को अनियमित रूप से जारी करनाय इग्नुआ में एएफआई की नियुक्ति में अनियमितताएंय नागर विमानन विभाग कॉलोनी, जोरबाग, नई दिल्ली में दो फ्लैटों को मिलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

2.11.14 सीवीसी की प्रथम चरण की सलाहः सीवीसी की सलाह के अनुसार, स्वचालित उड़ान निरीक्षण प्रणाली से लैस दो विमानों की खरीद के संबंध में एएआई निविदा में कथित अनियमितताओं के लिए नॉर्वेजियन स्पेशल मिशन द्वारा की गई शिकायत की जांच की गईय एक विस्तृत सतर्कता जांच रिपोर्ट तैयार की गई और आयोग की प्रथम चरण की सलाह लेने के लिए सीवीसी को प्रस्तुत की गई।

2.11.15 ऑडिट रिपोर्ट परीक्षा: रोकड़ अनुभाग से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सतर्कता प्रभाग द्वारा जांच की गई थी। विस्तृत जांच के बाद, विभिन्न टिप्पणियां की गईं रोकड़ अनुभाग को टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

2.12 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ संगठनों की सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी संपर्क कार्य की देखरेख एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में भी इसी प्रकार के प्रकोष्ठ कार्य करते हैं। आरक्षित वर्गों से संबंधित सरकारी आदेशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टरों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को लागू कराए जाने के लिए सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाता है। इस बारे में सभी आवधिक विवरणियां नियमित रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों/उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों/शिकायत याचिकाओं की जांच की जाती है तथा उन पर आवश्यकता अनुसार उपचारी कार्रवाई की जाती है।

एससी/एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व 31.12.2022 तक

नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के कुल 148 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
अनुसूचित जाति	14
अनुसूचित जनजाति	05
अन्य पिछड़ा वर्ग	23

2.13 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी तथा "वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति" में यथा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में अविलम्ब, निष्पक्ष तथा मानवीय दृष्टिकोण से कार्रवाई करना सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। निम्नलिखित के संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं:–

सभी एयरपोर्टों पर तथा एयरलाइन तक सुगम प्रवेश, आवाजाही तथा निकासी की सुविधा के लिए सभी प्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करना,

सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे फ्रिस्किंग बूथों में ढांचागत बदलाव लाए जाएं ताकि वृद्धों को सुरक्षा जांच के दौरान चढ़ना–उतरना न पड़े,

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हवाई अड्डों पर यात्रियों के गाड़ी से उतरने के बाद, विशेषकर चेक–इन काउंटरों पर पहुंचने तक, हर प्रकार की सहायता/मदद दी जाए,

एयरलाइनों के बुकिंग कार्यालयों तक पहुंचने में भी वृद्ध व्यक्तियों तथा जिन यात्रियों को, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए,

एयरलाइनों में आरक्षण तथा सीटों के चयन में भी इन्हें वरीयता दी जाए,

पति की मृत्यु हो जाने पर विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति/देय सुविधाओं के मामलों को विशेष अग्रता देते हुए निपटाया जाए, तथा

पेंशन, भविष्य निधि, उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को निपटाने में होने वाली किसी प्रकार की देरी के बारे में जवाबदेही नियत की जाए।

2.14 पर्यावरण का संरक्षण

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) अंतरराष्ट्रीय विमानन से उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और 2020 तक कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ के लक्ष्य को कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर एविएशन (सीओआरएसआईए) के रूप में अपनाया गया है, जिसके लिए उपरोक्त आधारभूत मान के उत्सर्जन की भरपाई की अपेक्षित है। 41वीं इकाओ असेंबली ने UNFCCC पेरिस करार संबंधित तापमान लक्ष्य के समर्थन में 2050 तक शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य (LTAG) को अपनाया।

विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को महसूस करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में बायो–एटीएफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बायो–एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) कार्यक्रम समिति का गठन किया। समिति के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ कच्चे माल का उत्पादन/मांग, प्रौद्योगिकी, बीआईएस मानक, इंजन के प्रदर्शन पर प्रभाव आदि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी नागर विमानन मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट में निहित समिति की सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने निर्धारित परिचालन वाले सभी ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के प्रचालकों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को सलाह दी कि वे पैनलबद्ध सत्यापनकर्ताओं के माध्यम से एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI/ISO 14064) द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करें और कार्बन शमन उपायों के साथ–साथ कार्बन प्रबंधन योजनाओं को अपनाएं। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने नागर विमानन अपेक्षाएं भी जारी की थीं जो एयरलाइन और हवाईअड्डे के प्रचालकों को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए स्वैच्छिक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। निम्नलिखित उपाय थेः

एयरलाइनों के लिएः

क. कुशल उड़ान योजना प्रबंधन।

ख. अवांछित अतिरिक्त मृत भार के कारण अतिरिक्त ईंधन जलने से बचने के लिए।

ग. जब विमान को प्रस्थान या आगमन के बाद स्टैंड पर तैयार किया जा रहा हो तो एपीयू/जीपीयू के स्थान पर फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड पावर का उपयोग।

घ. प्रस्थान में देरी और रैंप की भीड़ को कम करने के लिए, इंजन स्टार्ट–अप और पुशबैक प्रक्रियाएं।

ड. सिंगल इंजन–आउट टैक्सी प्रक्रियाओं का उपयोग करना।

2.15 संघ की राजभाषा नीति

नागर विमानन मंत्रालय संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इन्हीं प्रयासों के कारण मंत्रालय में राजभाषा का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। है। वर्ष 2022–23 के प्रयासों और उपलब्धियों का सारांश नीचे निम्नलिखित हैः–

2.15.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के प्रमुख अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। राजभाषा प्रभाग में एक निदेशक, एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी, दो वरिष्ठ सचिवालय सहायक, एक अवर श्रेणी लिपिक और एक स्टेनो के पद स्वीकृत हैं।

यह प्रभाग मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/पीएसयू में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी करता है।

2.15.2 हिन्दी सलाहकार समिति

इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का 25 जनवरी, 2021 को पुनर्गठन किया गया है। माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसमें 15 गैर–सरकारी सदस्य हैं, (4 मनोनीत सदस्य (सांसद), संसदीय कार्य मंत्रालय से, दो (सांसद), संसदीय राजभाषा समिति से, राजभाषा विभाग से 3 हिंदी विद्वान, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का एक प्रतिनिधि , हिन्दी प्रचार–प्रसार में संलग्न हिन्दी संस्थान से एक प्रतिनिधि तथा मंत्रालय द्वारा 4 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं)। इसके अलावा, मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालयों के प्रमुख और मंत्रालय के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी समिति के आधिकारिक सदस्य होते हैं। समिति की बैठकें 25 अगस्त, 2021 और 12 सितंबर, 2022 को आयोजित की गईं।

2.15.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों के सभी प्रमुख, और नागर विमानन मंत्रालय के उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। समिति की बैठक अनिवार्य रूप से मंत्रालय में प्रत्येक तिमाही में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। बैठक में मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/पीएसयू के संबंध में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया।

2.15.4 तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्य में, हिन्दी में किए गए कार्य का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभागों से आंकड़े एकत्र करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित की जाती है और नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसी प्रकार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ–साथ मंत्रालय के सभी सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा भी की जाती है।

2.15.5 नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं

मंत्रालय में, भारत सरकार, राजभाषा विभाग की, 'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना' लागू की जा रही है।

2.15.6 आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस (14 सितंबर) और हिंदी पखवाड़े का आयोजन।

मंत्रालय में प्रत्येक वर्ष की भाँति 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2022 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया तथा 07 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में कुल 136 लोगों ने भाग लिया।

27 दिसंबर, 2022 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सचिव नागर विमानन द्वारा सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इसके अलावा, नागर विमानन सचिव द्वारा पूरे वर्ष हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और गृह पत्रिका के प्रकाशन के लिए शील्ड मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों को प्रदान किए गए।

2.15.7 हिन्दी कार्यशालाएं

कर्मचारियों की, सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में आने वाली झिझक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

2.15.8 राजभाषा निरीक्षण

वर्ष के दौरान, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निरीक्षण दल द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों और सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निरीक्षण किया गया।

2.15.9 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने एएआई के विभिन्न कार्यालयों नामतः इंदौर, आगरा, अमृतसर, कोयंबटूर, कोच्चि, मदुरै, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, कोलकाता और रांची, रायपुर और कोलकाता में बीसीएएस कार्यालयों, रोहिणी, दिल्ली और डीजीसीए (मुख्यालय), नई दिल्ली में पवन हंस कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी ने निरीक्षण में भाग लिया।

2.16 अन्य गतिविधियां

2.16.1 चिंतन शिविर का आयोजन

माननीय नागर विमानन मंत्री एवं माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय नागर विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए कार्यकुशलता में सुधार, क्षमता निर्माण, टीम निर्माण और नेतृत्व निर्माण पर चिंतन करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। चिंतन शिविर एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखने का मंच था। आयोजन के दौरान, डीजीसीए के महानिदेशक श्री अरुण कुमार ने 'अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठनश पर एक प्रस्तुति दी, इसके बाद कर्मयोगी पर एक प्रस्तुति दी और श्री प्रवीण सिंह परदेशी, सदस्य, श्टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप बिल्डिंग' पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। सीबीसी और एक कला–आधारित शिक्षण पद्धति प्रशिक्षण एक तरफ से आयोजित की जाती है।

2.16.2 ग्वालियर में योग शिविर का आयोजन

नागर विमानन मंत्रालय ने माननीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में 21 जून, 2022 को ग्वालियर किले में एक सामूहिक योग प्रदर्शन आईडीवाई 2022 का आयोजन किया जिसमें सरकारी, निजी, पीएसयू, एनजीओ, योग संगठनों सहित इस मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी थी। खेल, फिल्मों और सामाजिक सेवाओं

की स्थानीय हस्तियां भी उक्त कार्यक्रम में शामिल हुईं। पूरे कार्यक्रम को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया था।

एकेएएम के एक भाग के रूप में, नागर विमानन मंत्रालय ने माननीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में 14.08.2022 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मी बाई की छत्री में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जनता के लिए 'विभाजन की विभीषिका' पर एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों एवं विभाजन पीड़ित परिवारों को बुलाया गया था।

3. नागर विमानन महानिदेशालय

3.1 प्रस्तावना

नागर विमानन महानिदेशालय नागर विमानन के क्षेत्र में प्रमुख विनियामक निकाय है जिसको वायुयान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के साथ समन्वय करता है तथा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक एवं अनुशंसित प्रथाओं के सामंजस्य में भारत को/से/के भीतर, विमान परिवहन सेवाओं के सुरक्षा विनियमन, सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा उड़नयोग्यता मानकों के निर्धारण व प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

3.2 संगठन

नागर विमानन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन के प्रमुख महानिदेशक, नागर विमानन हैं जिनकी सहायता के लिए संयुक्त महानिदेशक व उपमहानिदेशक हैं। महानिदेशक के नियंत्रणाधीन विभिन्न निदेशालय हैं, जो भिन्न–भिन्न कार्यों को करने में उनकी सहायता करते हैं।

3.3 कार्य

नागर विमानन महानिदेशालय का प्रमुख कार्य नागर विमानन संबंधी सभी विषयों का विनियमन करना है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं,

i) विदेशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों और सरकार की नीतिगत उद्घोषणाओं सहित वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों के अनुसार भारत को/से/के भीतर विमान परिवहन सेवाओं का विनियमन,

ii) सिविल विमानों का रजिस्ट्रीकरण,

iii) भारत में रजिस्ट्रीकृत सिविल वायुयानों के लिए उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को निर्धारित करना और ऐसे वायुयानों को उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र की मंजूरी देना,

iv) पायलटों, वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों को लाइसेंस देना तथा उड़ान कर्मीदल मानकों की निगरानी करना,

v) विमानक्षेत्रों व विमान वाहकों को लाइसेंस देना,

vi) नागर विमानन संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देना,

vii) शिकागो कन्वेन्शन और उसके उपबंधों तथा विमानन से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेन्शन्स के उपबंधों को भारत में लागू करने की दृष्टि से वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 व विमानन से संबंधित अन्य अधिनियमों के संशोधनों पर कार्रवाई करना,

viii) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संबंधी कार्यों का समन्वय करना और स्टेक होल्डरों से तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात देशों के पत्रों का उत्तर भेजनाय

ix) विमान दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण करना तथा जांच न्यायालयों/समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना,

x) उड़ान/ग्लाइडिंग क्लबों की प्रशिक्षण गतिविधियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, और

xi) वायुयान का टाइप प्रमाणन।

3.4 अंतरराष्ट्रीय संबंध

3.4.1 विमान सेवा करार

कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान कनाडा, जर्मनी और वियतनाम के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की गई।

कनाडा से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान कनाडाई अधिकृत एयरलाइनों के लिए भारत में 6 मेट्रो प्वाइंट्स नामतः दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई तथा हैदराबाद में पूर्ण तीसरे और चौथे फ्रीडम राइट्स के विस्तारित

संशोधन सहमति हुई। बदले में, भारत अधिकृत एयरलाइनों के लिए कनाडा में 7 प्वाइंट्स पर पूर्ण तीसरे और चौथे फ्रीडम राइट्स पर सहमति हुई। दोनों पक्षों के बीच सीमित पांचवे फ्रीडम राइट्स पर भी सहमति हुई।

जर्मनी से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों पक्ष बिना किसी कैबोटेज राइट्स के अनुसूचित कार्गो उड़ानों पर दूसरे पक्ष के क्षेत्र में को–टर्मिनस राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि यात्री एवं कार्गो उड़ानों को त्रिकोणीय सेवाओं के तहत भी प्रचालित किया जा सकता है।

भारत में 6 मेट्रो प्वाइंट्स से/को नामतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु, और हैदराबाद से केवल तीसरे एवं चौथे फ्रीडम ट्रैफिक राइट्स के साथ दोनों तरफ के अधिकृत एयरलाइनों द्वारा किसी भी संख्या में सेवाओं के प्रचालन को मंजूरी देने के साथ भारत और मालदीव के बीच कपैसिटी एन्टाइटल्मेन्ट को भी संशोधित किया गया।

आगे, दिसंबर 2022 में नाइजीरिया के अबुजा में आयोजित आईसीएओ हवाई सेवा समझौता वार्ता (आईसीएएन 2022) के दौरान दस देशों नामतः ब्राजील, कोंगो, इथियोपिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सेशल्स, सुडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और जिम्बाबे के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया गया। इन समझौता वार्ताओं का परिणाम यह हुआ कि स्विट्जरलैंड, इथियोपिया, कोंगो, सुडान और जिम्बाबवे नामक देशों के साथ छह(06) समझौता ज्ञापन/सहमति–कार्यवृत का निष्पादन किया गया।

3.4.2 विधायन

नागर विमानन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों और नवीनतम घटनाक्रमों के अनुरूप सांविधिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए वायुयान नियम, 1937 के कुछ नियमों में व्यापक जनहित में जी. एस. आर के अनुरूप संशोधन किए गए जो इस प्रकार हैः

दिनांक 08.04.2022 के जी.एस.आर.(ई) सं. 289 (ई) के द्वारा वायुयान नियम, 1937 में प्रथम संशोधन– नियम 3, नियम 29(डी), नियम 38सी, 39सी, 41ए, 41बी, नियम 48, 61, 62 और 84 में संशोधन, 133बी, और नियम 133सी में संशोधन, नियम 134ए में संशोधन, नियम 155ए में संशोधन, 155बी, और अनुसूची ii, धारा–ए में संशोधनय अनुसूची II, धारा–के में संशोधन, अनुसूची II, धारा–एन में संशोधन, अनुसूची II, धारा–पी में संशोधन, अनुसूची II, धारा–वाई में संशोधन, अनुसूची VIबी में संशोधनय

दिनांक 01.04.2022 के जी.एस.आर.(ई) सं. 253(ई) के द्वारा वायुयान नियम, 1937 में द्वितीय संशोधन– नियम 3 में, खंड 34ए के बाद, खंड 34एए जोड़ा गया, नियम 133ए में संशोधन, अनुसूची II, धारा–के में संशोधन, अनुसूची II, धारा–एन में संशोधन,

3.5 विमान परिवहन

3.5.1 अनुसूचित प्रचालक

दिनांक 31 दिसंबर, 2022 के अनुसार, (15) पंद्रह अनुसूचित/अनुसूचित कम्प्यूटर प्रचालक अर्थात एयर इंडिया लि., अलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस लि., जेट एयरवेज (इंडिया) लि., स्पाइस जेट लि., गो एयरलाइंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो), एयर एशिया प्राइवेट लि., टाटा सिया एयरलाइंस लि. (विस्तारा), एसएनवी एविएशन प्राइवेट लि.,(अकासा एयर), घोरावत इंटर प्राइजेज प्रा. लि. (स्टार एयर), जीएसईसी मोनार्क एंड डेक्कन एविएशन प्राइवेट लि., (इंडियावन एर), एविएशन कनेक्टिविटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स प्राइवेट लि. (एयर टैक्सी), बिग चार्टर प्राइवेट लि. (फ्लाई बिग), पवन हंस लिमिटेड हैं जो घरेलू क्षेत्र में प्रचालन के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ानों तथा कनेक्टिविटी का एक विस्तृत विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो कार्गो एयरलाइन यथा ब्लू डार्ट एविएशन लि. तथा क्विक जेट कार्गो लिमिटेड है जो देश में अनुसूचित कार्गो सेवाएं

प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्पाइस जेट भी पाँच (05) बी737 मालवाहक विमानों के साथ कार्गो संचलन प्रचालित कर रही है।

3.5.2 अनुसूचित प्रचालकों द्वारा वहन किए गए यात्री

घरेलू मार्गः

वर्ष 2022 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने 9.43 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की और कुल 123.2 मिलियन अनुसूचित यात्री वहन किए गए जबकि पिछले वर्ष 2021(जन–दिसंबर) के दौरान 7.31 लाख उड़ानें प्रचालित की गई और कुल 82.74 मिलियन अनुसूचित यात्री वहन किए गए। पिछले वर्ष अर्थात 2021 (31 दिसंबर तक) की तुलना में, वर्ष 2022 के दौरान अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए घरेलू यात्रियों के प्रतिशत में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मार्ग :

अनूसूचित भारतीय/विदेशी वाहकों द्वारा जनवरी – दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर 43.3 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि 2021 में इसी अवधि के दौरान 17.2 मिलियन यात्री वहन किए गए थे। इसमें कुल 152.7: की वृद्धि हुई है। जनवरी से दिसंबर, 2022 के दौरान 43.4 मिलियन यात्रियों में से 20.9 मिलियन यात्री अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए और 22.5 मिलियन यात्री अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किए गए।

3.5.3 गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट

जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान पंद्रह (15) नये गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) जारी किए गए और 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, गैर–अनुसूचित प्रचालक परमिट धारक कंपनियों की कुल संख्या 103 है जबकि 31.12.2021 को इनकी संख्या 94 थी।

3.5.4 पर्यटक चार्टर

वैमानिकी सूचना परिपत्र संख्या 03/2020 द्वारा जारी किए गए उदारीकृत दिशा–निर्देशों के तहत भारत के लिए और भारत से इंक्लूसिव यात्रा पैकेज चार्टर उड़ानों का प्रचालन जारी रहा और जनवरी–दिसबंर 2022 की अवधि के दौरान कुल 143 उड़ानें प्रचालित की गई जिनसे 25163 पर्यटक भारत आए।

3.6 उड़नयोग्यता

3.6.1 मुख्यालय में उड़नयोग्यता निदेशालय ने नीचे दी तालिका के अनुसार विभिन्न गतिविधियां की है:

क्र. सं.	गतिविधि	संख्या
1.	एयरक्राफ्ट का पंजीयन	
	वर्ष 2022 में पंजीकृत एयरक्राफ्ट की कुल सं.	155
2.	जारी/परिवर्तित किए गए एएमई लाइसेंस	
	वर्ष 2022 में जारी किए गए एएमई लाइसेंस की कुल सं.	**1466**
	वर्ष 2022 में नागर विमानन अपेक्षाएँ 66 के अनुरूप पृष्ठांकित किए गए एएमई लाइसेंस	657
	वर्ष 2022 में नागर विमानन अपेक्षाएँ 66 के अनुरूप परिवर्तित किए गए एएमई लाइसेंस	शून्य
3.	वर्ष 2022 में संगठनात्मक अनुमोदन	
	क) संगठन रख–रखाव	
	i. घरेलू	09
	ii. विदेशी	08
	ख) प्रशिक्षण प्रकार के संगठन	
	i. घरेलू	02
	ii. विदेशी	02
	ग) एयरक्राफ्ट रख–रखाव संस्थान(बेसिक)–147	02
	घ) सीएआर– एम उप–भाग–एफ के तहत रख–रखाव संगठन	02
	ड़) सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन संगठन (उप–भाग –जी)	
	च) ईंधन लुब्रीकेंट और विशेष पेट्रिलियम उत्पाद संगठन	23
	छ) सीएआर–21 उत्पादन संगठन	01
		शून्य
4.	वर्ष 2022 में निपटाई गई लोक शिकायतें	122

3.7 विमान कर्मी दल प्रशिक्षण एवं अनुज्ञापन

प्रशिक्षण एवं अनुज्ञापन निदेशालय का कार्य सीपीएल/एटीपीएल/सीएचपीएल/पीपीएल/ एफएटीए लाइसेंसों का प्रथम संस्करण जारी करने /परिवर्तन करने और विमान कर्मी दल लाइसेंसों के नवीनीकरण/पृष्ठांकन से संबंधित है।

3.7.1 दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	लाइसेंस का नाम	जारी किए गए लाइसेंसों की कुल सं.
1.	कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (एयरोप्लेन/हेलीकॉप्टर)	1165
2.	हवाई परिवहन पायलट लाइसेंस (एयरोप्लेन/हेलीकॉप्टर)	717
3.	प्राइवेट पायलट लाइसेंस (एयरोप्लेन)/हेलीकॉप्टर)	13
4.	इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (एयरोप्लेन)/हेलीकॉप्टर)	2519
5.	उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक लाइसेंस [एफआरटीओएल ओर एफआरटीओएल (आर),	2407
6.	विमान कर्मीदल अस्थाई प्राधिकार (एफएटीए) (प्रारंभिक्विस्तार)	114
7.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग	40
8.	सहायक विमान अनुदेशक रेटिंग (एएफआईआर)	84

3.7.2 दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए पृष्ठांकन/नवीनीकरण की कुल संख्या

1.	वायुयान रेटिंग (खुली रेटिंग सहित पृष्ठांकन)	2903
2.	लाइसेंस तथा रेटिंग का नवीनीकरण	9254
3.	ईएलपी मूल्यांकन का नवीनीकरण	1744

3.8 उड़ान मानक

उड़ान मानक निदेशालय द्वारा वर्ष 2022 में किए गए प्रमुख सुधार और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

दूर-शिक्षा प्रचालक और एटीओ दोनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के विकल्पों में बढ़ोतरी प्रदान करता है। इसलिए, कोविड महामारी के कारण दूर-शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा गया ताकि उड़ान कर्मी दल, उड़ान डिस्पैचर, भू-अनुदेशक, लाइन प्रशिक्षण कप्तान, वायुयान अनुदेशक और कैबिन कर्मी दल के मूल्यांकन सहित ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किया जा सके।

पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में कम ऊंचाई के उड़ानों तथा, एयरस्पेस क्षमता, उच्च घनत्व एयरस्पेस, आरएनपी 0.3 एयरस्पेस के लिए सहायता हेतु प्रचालन परिपत्र 01/2022 जारी किया गया।

अनुसूचित, गैर-अनुसूचित तथा सामान्य विमानन प्रचालकों के इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रचालन परिपत्र 02/2022 जारी किया गया। उड़ान मानक निदेशालय द्वारा सभी प्रचालक, जो इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्डकीपिंग की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, के द्वारा अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा इस तरह दस्तावेजों को भौतिक फाइल में संचयन की जरूरत को खत्म कर दिया।

चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) के लिए प्रचालन परिपत्र 03/2022 जारी किया गया। दिनांक 07 अगस्त, 2020 को कालीकट में एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद उप–समिति की सिफारिशों के अनुरूप उड़ान मानक निदेशालय द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए। डीजीसीए द्वारा सीआरएस के प्रयोग की सिफारिश की जाती है। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) सीट बेल्ट के अलावा ऐसी डिवाइस है जिसे उड़ान के सभी चरणों के दौरान शिशु या बच्चे की सुरक्षा तथा नियंत्रण की दृष्टि से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

खंड–8, श्रेणी–एस, भाग–I के तहत नागर विमानन अपेक्षाएँ का पुनरीक्षण– एक्स्टेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन्स (ईडीटीओ) को पहली बार एनएसओपी के लिए लागू किया गया। ईडीटीओ विनियमों को वैसे मार्गों पर जुड़वां इंजन के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करते हुए बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करनी थी, जिसपर पहले तीन या चार इंजन वाले वायुयानों को ही अनुमति थी।

इलेक्ट्रोनिक फ्लाइट बैग्स के प्रचालनात्मक इस्तेमाल के लिए खंड–8, श्रेणी–एस, भाग–VIII के तहत नागर विमानन अपेक्षाएँ का प्रकाशन। ईएफबी उड़ान प्रचालनों अथवा ड्यूटी में सहायक होता है।

पायलटों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वायुयान नियम, 1937 के विभिन्न खंडों में संशोधन किए गए। किए गए संशोधनों का विवरण इस प्रकार हैः–

हेलीकॉप्टर पायलटों के लिए पायलट प्रवीणता परीक्षण की आवृति के लिए अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाने तथा इसको कम करने और प्रारम्भिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए सिमुलेटर पर कौशल परीक्षण का आयोजन करने की अनुमति देने के लिए वायुयान नियम 1937 के खंड 'के' एवं 'एन' (अनुसूची–II) में सशोधन किया गया।

पायलट धारक सीपीएल(एच) के लिए एक परीक्षक के साथ रात्रि परीक्षण की आवश्यता को खत्म करने के लिए वायुयान नियम 1937 के खंड 'के' (अनुसूची–II) में संशोधन किया गया।

5700 किलोग्राम से अधिक के हेलीकॉप्टर के लिए सिमुलेटर पर इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग परीक्षण का आयोजन तथा मार्ग परीक्षण की जरूरत को छह तक लाने, एडीशनल टाइप पर पीआईसी रेटिंग की मंजूरी को शामिल करने के लिए वायुयान नियम 1937 के खंड 'एन' (अनुसूची–प्प) में संशोधन किया गया।

3.9 विमान क्षेत्र मानक

विमान क्षेत्र मानक निदेशालय विमान क्षेत्रों/हेलीपोर्टों के निरीक्षण और लाइसेंसिंग/प्राधिकार संबंधी कार्य करता है तथा इस निदेशालय द्वारा अनुमोदित/लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों एवं हेलीपोर्टों पर उपलब्ध सेवाओं के हिसाब से हवाई अड्डों पर विमान प्रचालन की निगरानी करता है। वर्ष 2022 के दौरान निदेशालय द्वारा किए गए कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः

प्रारंभिक रूप में लाइसेंस जारी करना (सार्वजनिक उपयोग)ः

i) प्रारम्भिक रूप में विमान क्षेत्र लाइसेंस जारी करना – देवघर एयरपोर्ट
ii) प्रारम्भिक रूप में विमान क्षेत्र लाइसेंस जारी करना – होलोंगी एयरपोर्ट
iii) प्रारम्भिक रूप में विमान क्षेत्र लाइसेंस जारी करना – देवघर जयपोर एयरपोर्ट
iv) प्रारम्भिक रूप में विमान क्षेत्र लाइसेंस जारी करना – न्यू गोवा एयरपोर्ट, एमओपीए

विमान क्षेत्र प्रचालक/नाम में बदलाव

i) विमान क्षेत्र लाइसेंस जयपुर को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
ii) विमान क्षेत्र लाइसेंस अहमदाबाद को अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद
iii) विमान क्षेत्र लाइसेंस लखनऊ को लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ
iv) विमान क्षेत्र लाइसेंस मैंगलोर को मैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरू

हवाई अड्डा लाइसेंस का नवीनीकरण (सार्वजनिक उपयोग श्रेणी) (35)

पटना हवाई अड्डा, जुहू हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, राऊरकेला हवाई अड्डा, राजीव

गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद, मुंद्रा हवाईअड्डा, तेजू हवाईअड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, मंगलुः हवाई अड्डा, केशोद हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा, सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा, बिरसी हवाई अड्डा गोंडिया, कलबूर्गी हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, सीएसएमआई हवाई अड्डा मुंबई, आईजीआई हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, नांदेड़ हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा, पकयोंग हवाई अड्डा, कोल्हापुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, रूपसी हवाई अड्डा, राऊरकेला हवाई अड्डा, मुंद्रा हवाई अड्डा, मैसूर हवाई अड्डा, तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डा, विजयनगर हवाई अड्डा, देवघर हवाई अड्डा, त्रिची हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा,

नवीकरण/विस्तार/परिचालन प्राधिकरण/एयरोड्रम/हेलीपोर्ट (निजी उपयोग श्रेणी) (04):
ताज बेलींगटन म्यूज हेलिपोर्ट, आईटीसी गार्डेनिया बेंगलूरु, गडीमोगा, सावित्री जिंदल एयरस्ट्रिप, अंगुल, होसुर विमान क्षेत्र,

निगरानी निरीक्षण/(सार्वजनिक/निजी उपयोग श्रेणी) (91):—

बेगमपेट हैदराबाद, सीएसआईए मुंबई, कोयंबटुर, जगदलपुर, झारसुगोड़ा, कोलकाता, नांदेड़, भोपाल, गुवाहाटी, कलबूर्गी, कुशीनगर, कांडला, मंगलोर, शिमला, कालीकट, जबलपुर, खजुराहो, किशनगढ़, केआईए बैंगलोर, रांची, शिर्डी, बारापानी, हुबली, कांगरा, मुंद्रा, पकयोंग, रूपसी, सलेम, बेलगावी, दुर्गापुर, इम्फाल, पंतनगर, पोरबंदर, राजकोट, रोहिणी हेलीपैड, विजयवाड़ा, जमशेदपुर, केशोद, लीलाबारी, मैसूर, सूरत, तिरुपति, तूतीकोरिन, वाराणसी, अगरताला, भावनगर, गया, कन्नूर, कडप्पा, लखनऊ, नागपुर, दिमापुर, इंदौर, जयपुर, जिंदल, विजयनगर, जुहा, लुधियाना, आरजीआईए शमशाबाद, सिंधुदुर्ग, बिलासपुर, कोचीन, देहारादून, हिसार, ओझर एचएएल नासिक, राऊरकेला, त्रिची, वडोदरा, अहमदाबाद, कूच विहार, आईजीआईए नई दिल्ली, कुल्लू भुंतर, कुरनूल, पुडुचेरी, रायपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, डिब्रूगढ़, बिरसी, गोंडिया, मदुरै, नैनी—सैनी पीथौरागढ़, तेजू, अगति, कोल्हापुर, राजमंद्री, त्रिवेन्द्रम, शिवमोगा हवाई अड्डा, मंजरी हेलीपैड, सोलापुर हवाई अड्डा, बलडोटा हवाई अड्डा

जीएचए निरीक्षण (12):—

लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, गुवाहाटी

देवघर हवाई अड्डा, मुरादाबाद हवाई अड्डा, जयपोर हवाई अड्डा, होलोंगी हवाई अड्डा, न्यू गोवा हवाई अड्डा एमओपीए का लाइसेंस—पूर्व निरीक्षण

हिसार, राजकोट में न्यू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी

जयपोर हवाई अड्डा पर निजी उपयोग श्रेणी के तहत धामरा भद्रक विमान क्षेत्र के विकास के लिए स्थल स्वीकृति

भावनगर हवाई अड्डा पर रनवे 07द्25 के लिए रनवे स्ट्रिप चौड़ाई गैर—अनुपालन के अस्थायी छूट की मंजूरी

अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद, हरियाणा में ऊँचे हेलिपोर्ट के निर्माण को शुरू करने की मंजूरी

प्रबंधन में बदलावधविस्तारधविमान क्षेत्र का आधुनिकीकरण/अनुमोदन/अन्यः

- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद में टैक्सीवे ‘के’ (टैक्सीवे ‘सी’ एवं ‘डी’) के पोर्टिंग तथा स्टैंड 15 और टैक्सीवे ‘के’ के प्रतिच्छेदन बीच टैक्सीवे ‘डी’ के हिस्से को पेवमेंट पुनर्स्थापन/पुनःसतहीकरण कार्य के बाद पुनः प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन(कमीशनिंग स्तर)।
- शमशाबाद, हैदराबाद हवाई अड्डे पर टैक्सीवे बी3 और बी6 के बीच आकस्मिक मरम्मत सतह पेवमेंट सुधार कार्यों के बाद सहायक रनवे (09/27) के हिस्से का अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर) ।
- जिंदल विजयनगर हवाई अड्डे, विद्यानगर के रनवे/टैक्सीवे/एप्रन के पीसीएन क्षमता के पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुमोदन।
- डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर के एप्रन—टर्मिनल के बिटुमिनस

हिस्से, टैक्सीवे 'ए', बी2 और टैक्सीवे सी1 के हिस्से के पुनः लक्ष्यीकरण हेतु अनुमोदन। (अवधारणा /डिजाइन और निष्पादन स्तर) पर

- हुबली हवाई अड्डा पर डिजिटल करंट वेदर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम (डीसीडबल्यूआईएस)– मेट इंस्ट्रूमेंट की स्थापना हेतु अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- गया हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों सिरों पर ब्लास्ट इरोशन एरिया हेतु अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- खजुराहो हवाईअड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण/रि–कार्पेटिंग के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में अस्थायी प्रकृति के लोकलाइजर एवं ग्लाइड पाथ (एलएलजेड एवं जीपी) हट के निर्माण की स्वीकृति।
- हुबली हवाई अड्डे पर आईसीएओ विनिर्देशों के अनुसार कैट 1 फिटिंग्स को लैटिस टाइप अस्थायी निर्माण के साथ पुनर्स्थापन हेतु अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- त्रिची हवाईअड्डे पर लोकलाइजर/ग्लाइड पाथ के ट्रांस–इंस्टालेशन हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- आईजीआई हवाई अड्डे पर चरणबद्ध तरीके (चरण 6 और 7) से टैक्सीवे के पुनः नामकरण के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन। (निष्पादन स्तर और कमीशनिंग स्तर)
- वड़ोदरा हवाई अड्डे के विभिन्न जगहों पर नए आईएलएस की स्थापना हेतु अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर बरसाती जल निकास में परिवर्तन हेतु अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- भावनगर हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के रीकार्पेटिंग के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर एफटीओ के लिए टैक्सीवे के निर्माण के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कलबुर्गी हवाई अड्डे पर प्रस्तावित एफटीओ से रनवे को जोड़ने वाले 10.5 मीटर चौड़े लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- आईजीआई एयरपोर्ट पर नए पृथक वायुयान पार्किंग क्षेत्र, स्टैंड 803 को चालू करने के लिए अनुमोदन।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर पर रनवे 08626 के पुनः सतहीकरण, टैक्सीवे के लिए रनवे के टर्न पैड्स और फिलेट्स को चौड़ा करने हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- डिबरूगढ़ हवाई अड्डे पर मौजूदा रनवे 05–23 के री–कारपेटिंग और अन्य संबद्ध कार्यों हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर संबंधित विद्युत कार्यों सहित रनवे, आरईएसए, टैक्सीवे, एप्रन, आइसोलेशन बे के विस्तार के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- शिलांग के बारापानी हवाई अड्डे पर मौजूदा रनवे थ्रेसहोल्ड और छोर प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए मंजूरी।
- मदुरै हवाई अड्डे पर बी777 300 ईआर प्रकार के विमानों के लिए रनवे टर्न पैड के विस्तार के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- जमशेदपुर हवाई अड्डे पर रनवे लाइट को अपग्रेड करने के लिए अनुमोदन।
- बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर पर बी 777 300 ईआर प्रकार के विमानों के लिए रनवे 14 और 32 के दोनों सिरों पर टर्न पैड के विस्तार के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- शिमला हवाई अड्डे पर एआरपी के स्तर को कम करने हेतु अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर संबद्ध विद्युत कार्यों सहित रनवे, आरईएसए, टैक्सीवे, एप्रन और आइसोलेशन बे के विस्तार के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर जी एप्रन के उत्तर–पूर्व में 3 कोड सी स्टैंड्स जी6 जी7 और जी8 के

निर्माण की के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)

- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीलेन जे1 (टैक्सीलेन तक जोड़ते हुए) के विस्तारित हिस्सों के साथ टैक्सीलेन सी1 और पुनर्निर्मित टैक्सीलेन सी (स्टैंड संख्या 28 और 33 के बीच) के हिस्सों का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर, वर्ष 2022 में मौनसून–पूर्व और मौनसून के पश्चात निवारक रखरखाव के लिए रनवे (रनवे 14/32 और रनवे 09/27) के प्रतिच्छेदन को बंद करने के लिए अनुमोदन।
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे बी6 (टैक्सीवे बी6 आरएचपी से टैक्सी बी–एम1 जंक्शन के बीच) के हिस्से को पेवमेंट पुनर्स्थापन/पुनरूसतहीकरण कार्य के बाद पुनः प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- राजकोट हवाई अड्डे पर न्यू एप्रन साइट पर एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट (एजीएल) को लगाने के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- खजुराहो हवाई अड्डे पर बी777 300 ईआर प्रकार के विमानों के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट के निर्माण के लिए अनुमोदन।
- कालीकट हवाई अड्डे पर रनवे 28 के लिए डीसीडब्ल्यूआईएस मास्ट (विंड सेंसर) लगाने के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे स्ट्रिप में सुधार के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर रनवे 09 के रनवे सिरे के सुरक्षा क्षेत्र (आरईएसए) को अपग्रेड करने से संबन्धित कार्यों का अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर पर बी777–300 ईआर प्रकार के विमानों हेतु लिंक टैक्सीवे के लिए टर्निंग पैड्स और फिलेट्स हेतु अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बारापानी हवाई अड्डा पर सीडबल्यूआईएस/एडबल्यूओएस (स्वचालित मौसम प्रेक्षण प्रणाली) को लगाने के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर रनवे स्ट्रिप के समतलन और ग्रेडिंग के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे बी (टैक्सीवे बी6 के पश्चिम) के हिस्से तथा टैक्सीवे बी7 और अस्थायी कोड सी वायुयान पार्किंग स्टैंड (सी1 से सी10) को बंद करने सहित कार्गो एप्रन पार्किंग स्टैंडों को उनकी मूल स्थिति में पुनर्विन्यास हेतु अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे बी3 (टैक्सीवे बी3 के आरएचपी और टैक्सीवे बी0 के बीच), टैक्सीवे बी–के जंक्शन के हिस्से को पेवमेंट पुनर्स्थापन कार्य के बाद अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- दुर्गापुर हवाई अड्डे पर मौजूदा एप्रन पर एक साथ चार कोड सी वायुयानों (ए–321/बी 737–900) को समायोजित करने के लिए नए एप्रन के खाके की शुरु करने हेतु अनुमोदन।
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे डी (टैक्सीवे के और टैक्सीवे के1 के बीच) के विस्तारित हिस्से टैक्सीवे 'जे' तथा टैक्सीवे के1 (टैक्सीलेन ई1 और टैक्सीवे डी के बीच) के हिस्से को पेवमेंट पुनरूसतहीकरण कार्य के बाद पुनः प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन
- भावनगर हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना हेतु हैंगर, एप्रन एवं लिंक टैक्सीवे के निर्माण के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची पर बी777 300 ईआर प्रकार के विमानों के लिए रनवे 13/31 के दोनों सिरों पर टर्न पैड के विस्तार हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बारापानी हवाई अड्डे पर एटीसी भवन से रनवे तक नए एटीसी टावर सह फायर स्टेशन

(शेष कार्य) सह फायर एप्रोच रोड के निर्माण हेतु अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)

- जमशेदपुर हवाई अड्डे पर रनवे 26 के लिए आरईएसए के निर्माण हेतु अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 27 09 तथा पीडी पॉइंट रोड को रनवे 27 तक के लिए एप्रोच मार्ग को पुनः संरेखण और चौड़ा करने हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- राजा भोज हवाई अड्डा, भोपाल पर बी777–300 ईआर प्रकार के विमानों के लिए लिंक टैक्सीवे हेतु टर्निंग पैड्स और फिलेट्स के विस्तार हेतु अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर पर एप्रन–टर्मिनल, टैक्सीवे ए, बी2 और टैक्सीवे सी1 के हिस्से के रीकार्पेटेड बिटुमिनस हिस्से का अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)।
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर वाहनों की आवाजाही के लिए जीएसई सुरंग का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे बी1 से गुजरने वाली सीवेज पाइप लाइन की सफाई के लिए टैक्सीवे बी1 को बंद करने हेतु अनुमोदन।
- बीजू पटनायक हवाई अड्डा, भुवनेश्वर के परिचालन क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कोल्हापुर हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों छोर पर पीएपीआई के स्थानांतरण हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- मंगलुरु हवाई अड्डा पर रनवे 06 के शुरूआत में मौजूदा थ्रेशोल्ड–कम–एंड लाइट इनसेट फिटिंग में बदलाव के प्रस्ताव को अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- सलेम हवाई अड्डा पर रनवे स्ट्रिप के नीचे के सतह की ग्रेडिंग और समतलन करने के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बेगमपेट हवाई अड्डा पर रनवे तथा अन्य पेवमेंट्स (टैक्सीवे, एप्रन आदि) के पुनः सतहीकरण करने के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- केशोद हवाई अड्डा पर डीसीडबल्यूआईएस (मेट उपकरण) को लगाने के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कडप्पा हवाई अड्डे पर मौजूदा एप्रन के विस्तार और अतिरिक्त 4 श्रेणी–सी (ए–320) प्रकार के विमानों की पार्किंग और नए टैक्सीवे के निर्माण के लिए अनुमोदन (कमीशनिंग स्तर)।
- मदुरै हवाई अड्डा पर एप्रन विस्तार के लिए अनुमोदन (कमीशन स्तर)।
- मदुरै विमान क्षेत्र में एक की संख्या में पीबीबी और एवीडीजीएस (एयरो ब्रिज) के प्रावधान का अनुमोदन। (कमीशन स्तर)
- लीलाबाड़ी हवाई अड्डा पर आईएमडी द्वारा विमानन मौसम प्रेक्षण प्रणाली (एडब्ल्यूओएस) की स्थापना के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची पर सीएटी लोकलाइजर और ग्लाइड पाथ के प्रतिस्थापन हेतु अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बिरसा गोंदिया हवाई अड्डा पर रनवे और टैक्सीवे की मरम्मत के लिए अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कडप्पा हवाई अड्डे पर एफटीओ की स्थापना के लिए एप्रन, हैंगर और लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- राजमुंदरी हवाई अड्डे पर बी777 300 ईआर टाइप के वायुयानों हेतु लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट के विस्तार का अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर पर पृथक विमान पार्किंग क्षेत्र (आईएपीपी) के निर्माण के लिए अनुमोदन(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर रनवे 32 (सीएटी–900)

पर मौजूदा एप्रोच लाइटिंग सिस्टम को बैरेट लाइट सिस्टम में बदलने हेतु अनुमोदन (कमीशनिंग लेवल)

- चेन्नई हवाई अड्डे पर टैक्सीवे बी के सीध ा हिस्से और कार्गो एप्रन स्टैंड नंबर 1 से 5 के विस्तारित हिस्से को आंशिक रूप से चालू करने के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- वड़ोदरा हवाई अड्डे पर पेरीमीटर लाइटिंग के पावर केबल्स को बदलने की के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- लीलाबाड़ी हवाई अड्डा पर एफटीओ के लिए विमान हैंगर और एप्रन के निर्माण और विकास का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर टैक्सीवे डबल्यू1 और एफ1 के लिए स्टॉप बार की स्थापना तथा एकीकरण और रैपिड एक्जिट टैक्सीवे एन7, ई4 और ई8 के लिए नो एंट्री बार की स्थापना के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- लीलाबाड़ी हवाई अड्डा पर एफटीओ के लिए टैक्सीवे–एम का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- कांडला हवाई अड्डा पर 02 की संख्या में क्यू–400 टाइप के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन के विस्तार का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- पुडुचेरी हवाई अड्डा पर जीएसई एरिया के साथ, 02 की संख्या में कोड 'सी' टाइप के वायुयानों को समायोजित करने के मौजूदा एप्रन के विस्तार का अनुमोदन (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सूरत हवाई अड्डे पर बी777–300ईआर टाइप के विमानों हेतु लिंक टैक्सी–वे के लिए रनवे 22 टर्निंग पैड और फिलेट्स के विस्तार का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) और एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग सिस्टम (एडीवीजीएस) के एसआईटीसी सहित फिक्स्ड फिंगर और रोटुंडा के निर्माण के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा, अगरतला पर प्राचीर–दर–प्राचीर ग्रेडिंग कार्य का अनुमोदन(अवधारणाधडिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर स्टैंड 47, 48, और 49 पर ब्रिज–माउंटेड पीसीए इकाइयों से लैस यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- रायपुर हवाई अड्डा पर बी777–300ईआर टाइप के विमानों के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट्स के विस्तार के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजा भोज हवाई अड्डा पर बे संख्या 4 पर पीबीबी, एवीडीजीएस और फिक्स्ड फिंगर रोटुंडा के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर पीएपीआई इकाइयों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन के लिए सुरक्षा मूल्यांकन दस्तावेजों का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- हुबली हवाई अड्डा पर उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की स्थापना के लिए विद्युत कार्यों सहित हैंगर, एप्रन, 10.5 मीटर चौड़ा लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों का अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) की स्वीकृति।
- इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बी777–300 ईआर टाइप के विमानों हेतु लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट्स के निर्माण के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- खजुराहो हवाई अड्डे पर एफटीओ के लिए विमान हैंगर और एप्रन के निर्माण और विकास का अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- जीएचआईएएल शमशाबाद हवाई अड्डा पर पेवमेंट पुनर्स्थापन कार्य के बाद टैक्सी–वे 'के' (टैक्सी लेन ई1 आगे की ओर) के हिस्से को चालू करने हेतु अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- कलबूर्गी हवाई अड्डा पर उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए हैंगर और उससे जुड़े एप्रन के निर्माण के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर पर कोड

4सी, एबी–320/321 टाइप के विमानों के लिए 01 की संख्या में अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड के निर्माण का अनुमोदन(कमीशनिंग स्तर)।

- कलबुर्गी हवाई अड्डे पर रनवे को एफटीओ से जोड़ने वाले 10.5 मीटर लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण का अनुमोदन।(कमीशन स्तर)
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर रनवे 27 के एप्रोच लाइट्स के स्लोप प्रोफाइल में सुधार हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कलबुर्गी हवाई अड्डा पर डिजिटल करेंट वेदर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम (डीसीडबल्यूआईएस) की स्थापना के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कडप्पा हवाई अड्डे पर 280 मीटर बेसिक स्ट्रिप के घोषणा का अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद पर स्टैंड पुनर्विन्यास कार्य के बाद रिमोट कोड 'ई' पार्किंग स्टैंड 59, 60 और 61 का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- राजकोट हवाई अड्डा पर ए–320 टाइप के विमानों के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के साथ निर्मित एप्रन का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर पर एटीआर–72 के लिए 05 स्टैंडों, समानांतर टैक्सीवे के हिस्से को रनवे, टैक्सीवे 'सी' एवं 'डी' से जोड़ने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर एप्रन ट पर दो अस्थायी कोड 'सी' स्टैंड–वी3एल और वी3आर के निर्माण हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- टैक्सी–वे सी और डी के बीच टैक्सी–वे पी के हिस्से के पुनर्निर्माण, स्टैंड 36 के सख्त पेवमेंट के विस्तार, परिधि सड़क के पुनर्लक्ष्यीकरण और अपग्रेड करने के लिए अनुमोदन।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद (जीएचआईएएल) पर टैक्सीलेन एच–एच1 के जंक्शन से स्टैंड 28 के 26 मीटर पूर्व तक टैक्सी लेन सी1 और पुनर्संरचित टैक्सीलेन सी के हिस्से की का अनुमोदन।(कमीशनिंग लेवल)
- कोल्हापुर हवाई अड्डा पर ब्लास्ट पैड, टर्न पैड, रनवे स्ट्रिप, आरईएसए और एजीएल (फेज 1) जैसे संबंधित कार्यों के साथ–साथ रनवे 25 के साथ रनवे के विस्तारित हिस्से को 410 मीटर तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- सरदार बल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद पर डीसीडब्ल्यूआईएस की स्थापना का अनुमोदन।
- देवघर हवाई अड्डे के विमान क्षेत्र लाइसेंस को एआरसी 3सी वीएफआर से एआरसी 4सी वीएफआर में अपग्रेड करने के लिए अनुमोदन।
- स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर पर नए टीसी टावर सह तकनीकी ब्लॉक को आंशिक रूप से चालू करने के लिए अनुमोदन।
- कोल्हापुर हवाई अड्डा पर ए320 टाइप के विमानों के प्रबंधन तथा इसके लिंक टैक्सीवे जीएसई एरिया, आइसोलेशन बे के साथ तीन की संख्या में कोड 'सी' टाइप के विमानों (ए320 के लिए 1 और एटीआर–72 के लिए 2) के लिए निर्मित नए एप्रन का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- जलगांव हवाई अड्डे पर रनवे 09 के उत्तरी तरफ एफटीओ के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक चालू करने हेतु अनुमोदन।
- जलगांव हवाई अड्डे पर मैसर्स स्काईनेक्स एयरो प्रा. लिमिटेड द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए निर्मित हैंगर और संबद्ध एप्रन को चालू करने के लिए अनुमोदन।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद पर टैक्सीवे बी4 (टैक्सीवे बी4 के सहायक रनवे 09एल–27आर आरएचपी और टैक्सीवे 'ई' के बीच) के हिस्से को फिर से चालू करने और टैक्सीवे सेंटरलाइन लाइट को पेवमेंट पुनर्स्थापन कार्य के बाद चालू करने हेतु अनुमोदन।
- केम्पागौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु पर रनवे 09एल/27आर से जुड़े टैक्सीवे ए1, ए2 और ए4 (रनवे होल्डिंग पोजीशन) और एबीपी तथा क्यू (आईएचपी लोकेशन) पर स्टॉप बार और कैट–1 से नीचे की परिस्थिति

में अलग–अलग मोड में प्रचालन के लिए अनुमोदन।

- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर 'जी' के उत्तर–पूर्व में 3 कोड स्टैंड G6, Frugal Sans7 और G8 को चालू करने हेतु अनुमोदन।
- बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया में कूलिंग पिट के निर्माण के लिए अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मौजूदा रनवे 09–27 के री–कार्पेटिंग के लिए कमीशनिंग स्तर का अनुमोदन।
- देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर पर ए–321 वायुयान टाइप के लिए अतिरिक्त 10 बे तथा इसके समानांतर टैक्सी–वे बनाने का अनुमोदन।
- राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद हवाई अड्डे पर टैक्सीवे बी और टैक्सीवे ई के बीच टैक्सीवे बी4 और बी5 के हिस्से का नाम बदलकर टैक्सीवे ई3 और टैक्सीवे ई4 करने हेतु अनुमोदन।
- बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद पर बी–777 300 ईआर टाइप के विमानों हेतु लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट के विस्तार हेतु अनुमोदन।(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद में नव स्थापित लोकलाइजर और ग्लाइड पाथ के सामने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ग्रेडिंग और समतलीकरण के लिए अनुमोदन।(अवधारणाधडिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कोयंबटूर हवाईअड्डे पर बी777–300 ईआर टाइप के विमानों हेतु लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फिलेट के विस्तार का अनुमोदन। (अवधारणर/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- मैसूर हवाईअड्डे पर 02 की संख्या में कोड सी एटीआर–72 विमानों को समायोजित करने के लिए एप्रन विस्तार का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- कोचीन हवाईअड्डे पर एप्रन 1 में हाई मास्ट लाइटों के पुनः संयोजन के लिए अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 5 की संख्या में टाइप 'सी' विमानों के लिए अतिरिक्त एप्रन तथा दो की संख्या में एटीआर विमानों के लिए एप्रन विस्तार का अनुमोदन।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर में पुननिर्मित पुराने एप्रन का अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- जलगांव हवाईअड्डे पर रनवे 09 के उत्तर में एफटीओ के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक हेतु अनुमोदन।
- शिमला हवाई अड्डे के रनवे 32 पर थ्रेशोल्ड बहाली और पीएपीआई को मूल स्थिति वापस लाने हेतू अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)।
- बिरसी हवाई अड्डा, गोंदिया पर 02 की संख्या में सुरक्षा निगरानी टावर के निर्माण हेतु अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- आईएएच हिसार हवाईअड्डा का अनुमोदन।
- हुबली हवाईअड्डे के रनवे के दोनों सिरों पर वायु दिशा सुचकों के प्रतिस्थापन का अनुमोदन। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु पर रनवे 09एल/27आर पर बी–747–8 के लिए अनुमोदन।
- कोड 'सी' वायुयानों के लिए 08 की संख्या में पार्किंग स्टैंड (33 से 40) का अनुमोदन(एयरसाइड धारण वर्धन का आंशिक रूप से चालू करना (एनएससीबीआई में चरण– I कार्य–02) (कमीशनिंग स्तर)।
- गया एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सीवे एवं संबद्ध कार्यों के साथ एप्रन के विस्तार हेतु अनुमोदन।(कमीशनिंग स्तर)
- महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डा, अगरतला में नए आइसोलेशन बे और लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए अनुमोदन।(कमीशन स्तर)।
- चेन्नई हवाईअड्डा पर मानक टैक्सी मार्ग के एक भाग के रूप में रनवे 12/130 पर टैक्सीवे प्रक्रिया को वापस लेने के लिए अनुमोदन।
- शमशाबाद हवाई अड्डे पर लेन ई!, टैक्सीवे ई और ए8 के कुछ हिस्सों पर दृष्टिगोचर पेवमेंट डिस्ट्रेस एरिया में सुधार करने के लिए अनुमोदन।
- शिमला हवाई अड्डे के रनवे 14 पर टर्निंग पैड के विस्तार, छोर लाइटों के प्रावधान का संयोजन, रनवे 14ध्32 के थ्रेसहोल्ड पर इनसेट लाइट हेतु अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)

- छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई पर टैक्सीलेन डब्ल्यू6 और एप्रन सी के हिस्से के पुनर्निर्माण और अपग्रेड करने हेतु अनुमोदन।
- राजमुंदरी हवाई अड्डे पर पार्किंग स्टैंड के लिए उपयुक्त हेलीकाप्टर एप्रन लगाने की स्वीकृति।
- हुबली हवाईअड्डे पर 8 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट के डिजाइन, आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए कमीशनिंग स्तर की मंजूरी।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद एप्रन 2 के विस्तार और पुनर्निर्माण की स्वीकृति। (अवधारणाध्डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- जबलपुर हवाई अड्डे पर नए एप्रन और टैक्सीवे की स्वीकृति, (कमीशनिंग स्तर)
- छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई पर ए10, ए11 और ए12 के पीछे टैक्सी लेन एल के हिस्से के पुनर्निर्माण की स्वीकृति। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- मैसूर हवाई अड्डे (कमीशनिंग स्तर) पर आरईएसए के विकास और सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति।
- हुबली हवाई अड्डे पर डिजिटल करंट वेदर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम (डीसीडब्ल्यूआईएस) इंस्ट्रूमेंट लगाने की मंजूरी।(कमीशनिंग स्तर)
- पुडुचेरी हवाईअड्डे पर नए एटीसी टावर कम टेक्निकल ब्लॉक कम फायर स्टेशन (सीएटी–टप) के निर्माण की मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)
- खजुराहो हवाई अड्डे पर एफटीओ के लिए एयरक्राफ्ट हैंगर और एप्रन के निर्माण और विकास की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)
- छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई (पर 03 नवंबर 2022 से 18 मई 2022 तक रनवे 14/32 पर री–कार्पेटिंग कार्यों की स्वीकृति। संकल्पना/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- बिलासपुर हवाईअड्डे को 3सी वीएफआर से 3सी आईएफआर में अपग्रेड करने की स्वीकृति। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल में एटीसी टावर कम टेक्निकल ब्लॉक के लिए संबंधित कार्य (सीसीआर जीएलएफ यूपीएस की शिफ्टिंग और जीएलएफ फीडर केबल का रीरूटिंग) की स्वीकृति। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- बिरसा मुंडा हवाई अड्डे, रांची में पार्किंग स्टैंड नंबर 2 और 5 पर अतिरिक्त फिक्स्ड फिंगर रोटुंडा और कॉरिडोर और पीबीबी और एवीडीजीएस लगाने की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- गया हवाई अड्डे पर तकनीकी ब्लॉक सह कंट्रोल टावर के निर्माण की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- क्यू400 विमान (यात्री ऑन बोर्ड) पर रायगढ़ से/के लिए उड़ान पर एक बार की उड़ान के अनुमोदन की स्वीकृति।
- जिंदल विजयनगर विमानन क्षेत्र पर रनवे साइड 400 मीटर रनवे विस्तार विस्तार की 31 स्वीकृति और संबद्ध लिंक टैक्सीवे के साथ आइसोलेशन पार्किंग के निर्माण स्वीकृति। (संकल्पना/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद में टैक्सीवे सी एंड डी और एयरक्राफ्ट स्टैंड 36 के बीच टैक्सीवे पी के पुनर्निर्मित हिस्से का अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)।
- त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर श्रेणी IX के लिए नए फायर स्टेशन की स्वीकृति। (कमीशन स्तर)
- शिमला हवाईअड्डे पर बेसिक स्ट्रिप के जीर्णोद्धार की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)।
- मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के विस्तार क्षेत्र के आंशिक उपयोग की मांग को मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)।
- सूरत हवाईअड्डे पर एप्रन ड्राइव ग्लास वॉल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) और एवीडीजीएस के निर्माण की स्वीकृति (संकल्पना/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- वडोदरा हवाई अड्डे के आइसोलेशन बे में एससीसीटीवी कैमरा लगाने की मंजूरी। (संकल्पना/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- लोक नायक जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में आरईएसए रनवे 07ध्25 में संशोधन की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)।

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता पर मुख्य रनवे 19एल–01आर के समानांतर आपातकालीन पहुंच मार्ग की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- कलबुर्गी हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सीवे, टर्न पैड्स और एप्रन सतह के सुधार की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कालीकट हवाईअड्डे पर संबद्ध सिविल और विद्युत कार्यों सहित रनवे री–कार्पेटिंग और सेंट्रल लाइन लाइट को मजबूत करने और लगाने की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- महाराणा प्रताप हवाईअड्डा, उदयपुर में घोषित दूरियों के पुनरीक्षण एवं आरईएसए के पुनर्विन्यास हेतु ट्रांजिशन योजना का अनुमोदन।
- मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मंगलुरु में नए एकीकृत टर्मिनल भवन (एनआईटीबी) आगमन पक्ष के विस्तार क्षेत्र के साथ–साथ दो यात्री बोर्डिंग ब्रिज (पीबीबी) और विमान स्टैंड संख्या 5 और 6 (कोड सी) पर एवीडीजीएस की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)
- कोचीन हवाईअड्डे पर बिजनेस जेट संचालन और वीवीआईपी आवाजाही के लिए बिजनेस जेट टर्मिनल (बीजेटी) के रूप में टर्मिनल–2 को मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)।
- त्रिची हवाईअड्डे पर लिंक टैक्सीवे जे के साथ आइसोलेशन पार्किंग की स्थिति को मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)।
- त्रिची हवाई अड्डे पर मौजूदा एप्रन के निकट संख्या बे 8 का अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)।
- विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर 06 कोड दृसी पार्किंग स्टैंड और लिंक टैक्सी–वे डी के हिस्से के निर्माण का अनुमोदन।
- भारत के त्रिची हवाई अड्डे में विभिन्न हवाई अड्डों के लिए एप्रॉन्ग ड्राइव कांच की दीवार वाले यात्री बोर्डिंग ब्रिज पीबीबी और एवीडीजीएस की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- बेलगावी हवाई अड्डे पर एप्रोच रोड सहित कूलिंग पिट के निर्माण की स्वीकृति और नए फायर पिट रोड और विविध के लिए फिलेट का प्रावधान। (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- कालीकट हवाईअड्डे पर सैटेलाइट फायर स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति। (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- तिरुपति हवाईअड्डे पर कोड ई प्रकार के विमान के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के साथ सन्निहित एप्रन की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- चेन्नई हवाईअड्डे पर पीबीबी / ए–वीडीजीएस और संशोधित एप्रन लेआउट के साथ 01 नंबर (बे 30) रोटुंडा के चरण–1 के पुनर्निर्माण की स्वीकृति। (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एटीसी टॉवर कम तकनीकी ब्लॉक के निर्माण की स्वीकृति (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- रनवे 06 / 24 रिहैबिलिटेशन / री–कार्पेटिंग कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों की स्वीकृति जिसके लिए मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने की आवश्यकता है (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- हुबली हवाई अड्डे पर आईसीएओ द्वारा विनिर्दिष्ट लैटिस टाइप फ्रैंजिबल स्ट्रक्चर के साथ कैट–1 फिटिंग्स के प्रतिस्थापन की स्वीकृति।(कमीशनिंग स्तर)
- केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु में संबद्ध सुविधाओं के साथ–साथ टैक्सी लेन एम एएसएमजीएल के टर्मिनल 2 एप्रन चरण–1 (उप चरण III) का अनुमोदन। (कमीशनिंग स्तर)।
- सरदार बल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद (कमीशनिंग स्तर) पर प्रमुख पुनर्वास के बाद रनवे 05 / 23 सहित एयरसाइड सुविधाओं की स्वीकृति
- देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर (कमीशनिंग स्तर) पर बी777–300ईआर प्रकार के विमानों के लिए लिंक टैक्सीवे के लिए टर्निंग पैड्स और फिलेट्स के विस्तारित हिस्से की स्वीकृति।
- स्वीकृत नए स्थान, एमबीबी हवाई अड्डे, अगरतला हवाई अड्डे (संकल्पना / डिजाइन और निष्पादन स्तर) पर नए आईएलएस की स्थापना की स्वीकृति।
- आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में टैक्सी–वे और टैक्सी–वे जे7 के बीच टैक्सी–वे के के

पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।

- बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 4.0 एमडब्ल्यूपी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के प्रावधान की स्वीकृति (कमीशन स्तर)।
- बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में कोड सी विमान की पार्किंग के लिए 08 अदद समानांतर टैक्सी ट्रैक (पीटीटी) और एप्रन को आंशिक रूप से चालू करने की मंजूरी। (कमीशनिंग स्तर)।
- भावनगर हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की स्वीकृति। (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर होल्कर पर प्रदान किए गए एएफएल, रनवे गार्ड लाइट, टैक्सी–वे लाइट, साइनेज, सीसीआर (एवीडीजीएस को छोड़कर) की स्वीकृति। (कमीशनिंग स्तर)।

3.10 विमान सुरक्षा

विमान सुरक्षा निदेशालय को निगरानीधनियामक सुरक्षा ऑडिट और घटना की जांच करके सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निदेशालय द्वारा की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

3.10.1 राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना (एनएएसपी):

आईसीएओ द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आईसीएओ द्वारा चिह्नित वैश्विक एचआरसी और राज्य से संबंधित स्थानीय सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना विकसित करें। आईसीएओ एसएआरपी और एसएसपी–इंडिया के आधार पर, डीजीसीए द्वारा 2015 से 2016 की अवधि के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा योजना विकसित की गई। पहली राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर, डीजीसीए द्वारा ने पाँच वर्षों की अवधि (2018–22) के लिए वर्ष 2018 में दूसरा एनएएसपी विकसित किया गया।

निम्नलिखित को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना (2018–2022) को वर्ष 2022 में संशोधित और प्रकाशित किया गया है:

- वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए लक्ष्य।
- भारत के सुरक्षा कार्य निष्पादन का स्वीकार्य स्तर
- चिकित्सा जोखिम पहचान का प्रावधान।

3.10.2 वार्षिक सुरक्षा समीक्षा:

सुरक्षा कार्यनिष्पादन संकेतक,सुरक्षा लक्ष्यों तथा सुरक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में अभिव्यक्त एनएएसपी से संबन्धित सुरक्षा मीट्रिक्स के कार्य निष्पादन का यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक रूप में आकलन किया जाता है कि सुरक्षा प्रक्षेपवक्र (Trajectory) सही मार्ग पर है। आकलन का परिणाम वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2021 में प्रकाशित किया गया है।

3.10.3 किए गए अन्वेषण:

डीजीसीए ने 16 घटनाओं में वायुयान नियमावली 2017 के नियम 13(1) के अन्वेषण किए गए हैं।

- क्षेत्रीय हवाई सुरक्षा कार्यालयो विमानों को उनके द्वारा प्रचालित विमानों के साथ होने वाली घटना के अन्वेषण के लिए स्थायी एयरलाइंस अन्वेषण बोर्ड द्वारा घटनाओं की जांच को सहयोग तथा निर्देशित करता है।
- 43 एयरप्रोक्स घटनाओं का अन्वेषण किया गया है।
- 2077 वन्यजीव स्ट्राइक की सूचना दी गई है जिसे डेटाबेस में दर्ज किया गया है। (नवंबर–22 तक)।
- विभिन्न विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं के अन्वेषण से तैयार की गई सुरक्षा सिफारिशों का संबंधित एजेंसियों के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुपालन किया गया है ताकि इस प्रकार की समान दुर्घटनाओं/घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.10.4 की गई निगरानी/नियामक सुरक्षा लेखापरीक्षा:

डीजीसीए वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तैयार करता है जो डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2022 के लिए अनुसूची एयरलाइंस और विभिन्न गैर–अनुसूची और

निजी ऑपरेटरों के 43 लेखा परीक्षा (नियामक लेखा परीक्षा / सुरक्षा लेखा परीक्षा) और 477 निगरानी निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों ने विभिन्न कमियाँ पाई गई हैं जिन पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऑपरेटरों के साथ चर्चा की गई है।

उपरोक्त के अलावा, 01 विशेष लेखा परीक्षा भी किया गया।

3.10.5 नागर विमानन अपेक्षाएँ / जारी किए गए परिपत्र:

वायुयान नियमावली 1937 की 'अनिवार्य सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली' पर नियम 29ई दिनांक 08.04.2022 को प्रकाशित हुआ।

वायुयान नियमवली 1937 की 'स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली' पर नियम 29एफ दिनांक 08.04.2022 को प्रकाशित

सीएआर खंड 5, श्रृंखला सी भाग I अंक II संशोधन 5 'घटनाओं की अधिसूचना और उनकी जांच' दिनांक 10.06.2022 को जारी की गई।

सीएआर खंड 5, श्रृंखला एफ भाग II अंक II 'उड़ान डेटा विश्लेषण कार्यक्रम (एफडीएपी)' दिनांक 25.01.2022 को जारी किया गया।

सीएआर खंड 1 श्रृंखला सी भाग I अंक III 'एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) की स्थापना' दिनांक 24.03.2022 को जारी किया गया।

3.11 विमान इंजीनियरिंग निदेशालय

3.11.1 एयरो इंजीनियरिंग प्रभाग:

I) डिजाइन संगठन अनुमोदन (डीओए):

वैकल्पिक डिजाइन संगठन अनुमोदन (डीओए) प्रारंभिक संगठनों को छोटे पैमाने पर डिजाइन गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रदान की गई स्वीकृति
1.	मैसर्स एसए एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सीएआर–21 सबपार्ट जेए के तहत वैकल्पिक डिजाइन संगठन अनुमोदित किए गए।

II) विमान का टाइप प्रमाणन

टाइप प्रमाणन में मुख्य रूप से टाइप डिजाइन अनुमोदन शामिल होता है जो संगठन को भारत में विमान निर्माण में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित परियोजनाएं वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं जिनके लिए भारतीय डिजाइन संगठनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं:

क्र.सं	विमान	संगठन	प्रगति
1.	हिन्दुस्तान 228–201 (19 सीट वाले विमान)	ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (टीएआरडीसी), एचएएल कानपुर	वायुयान नियमावली 1937 के नियम 49 के तहत टाइप प्रमाण पत्र जारी किया गया।

III) विमान का टाइप/वैधीकरण

क्र.सं	विमान	संगठन	प्रगति
1.	एएनएसएटी हेलीकॉप्टर	जेएससी कजान हेलीकॉप्टर	वायुयान नियमावली 1937 के नियम 49 बी के तहत टाइप/ वैधीकरण पत्र जारी किया गया।

IV) विमान में प्रमुख संशोधन की स्वीकृति और सेवा बुलेटिन जारी करना:

एएलएच – हेलीकाप्टर

उन्नत ध्रुव पर उड़ान परीक्षण उपकरण स्थापित करने के लिए संशोधन को अनुमोदन दिया गया है।

उन्नत ध्रुव हेलीकॉप्टर (वीटी–एचईएल) पर स्वदेशी रूप से विकसित मैसर्स एईपीएल सैन्य प्रमाणित हिस्सों के साथ संपुष्टि उड़ान परीक्षणों के लिए संशोधन पत्रक को अनुमोदन दिया गया है।

फ्लूडलास्टिक डंपर (FL–1077–1) की स्थापना के लिए सेवा बुलेटिन को अनुमोदन दिया गया है।

एसी सिस्टम एलआरयू के लिए जीवन विस्तार प्रदान किया गया है।

सिविल (एएलएच) ध्रुव हेलीकॉप्टर के मुख्य (पिच, रोल, कलेक्टिव) और टेल रोटर एक्चुएटर एलआरयू की सेवा अवधि सीमा को 15 साल से बढ़ाकर 16 साल तक विस्तार।

एलयूएच– हेलीकाप्टर

- आपातकालीन फ्लोटेशन सिस्टम के तकनीकी विनिर्देश के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- फायर डिटेक्टर सिस्टम के तकनीकी विनिर्देश के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- स्टार्टर/जनरेटर के तकनीकी विनिर्देशन के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- जेनरेटर नियंत्रण और सुरक्षा इकाई के तकनीकी विनिर्देश के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- फायर चेतावनी बॉक्स के तकनीकी विनिर्देश के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- डी–फ्यूलिंग वाल्व के तकनीकी विशिष्टता के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- फ्लेक्सिबल पुश–पुल बॉल बेयरिंग कंट्रोल केबल, लोअर उड़ान नियंत्रण प्रणाली के नियंत्रण रॉड्स और एलयूएच (सिविल) के अपर उड़ान नियंत्रण प्रणाली के नियंत्रण रॉड्स हेतु तकनीकी विशिष्टता के लिए स्वीकृति जारी की गई है।

एचएएनएसए–एनजी

- विंग संशोधन पत्रक को अनुमोदन जारी कर दिया गया है।
- विंग, फ्लैप और एलेरॉन संशोधन पत्रक और इससे जुड़े अनुपालन दस्तावेजों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- मुख्य लैंडिंग गियर संशोधन पत्रक और उससे संबंधित अनुपालन दस्तावेजों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- हॉरिजॉन्टल टेल संशोधन पत्रक और इससे संबन्धित अनुपालन दस्तावेजों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- वर्टिकल टेल संशोधन पत्रक और इससे संबन्धित अनुपालन दस्तावेजों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अ) आईटीएसओए :
- एएसइआरडीसी,एचएएल कोरवा द्वारा डिजाइन और विकसित सीवीआर और एफडीआर डिजाइन के लिए स्वीकृति पत्र (एलओडीए) जारी किया गया है।

VI) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :

- डीजीसीए, भारत और फाटा, रूस के बीच विधिवत रूप से हस्ताक्षरित कार्यान्वयन प्रक्रिया (आईपी)।

VII) वैमानिकी उत्पादों की टाइप स्वीकृति/ उनके टाइप के डिजाइन में परिवर्तन:

(क) विदेशी नागरिक विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित वैमानिकी उत्पादों अर्थात विमान, इंजन और प्रोपेलर के टाइप डिजाइन का

मूल्यांकन किया गया है और भारत में संचालन के लिए डिजाइन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित टाइप को स्वीकृति दी गई है:

क्र.सं.	एयरोनॉटिकल उत्पाद	टाइप स्वीकृति की संख्या
1.	विमान	17
2.	इंजन	13
3.	प्रोपेलर	05
4.	हेलीकाप्टर	05
5.	हॉट एयर बैलून	04

(ख) विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित टाइप डिजाइन में प्रतिपूरक टाइप प्रमाण पत्र / टाइप डिजाइन में परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है और भारत में विमान परिचालन पर संशोधनों को शामिल करने के लिए डिजाइन की दृष्टि से कुल 31 एसटीसी टाइप स्वीकृति प्रदान की गई है।

viii) ई–प्रशासन:

आवेदक की आसानी के लिए डीजीसीए सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन के तहत, निम्नलिखित एईडी सेवाओं को ईजीसीए प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है:

- प्रतिपूरक टाइप प्रमाणपत्र (एसटीसी) जारी करना
- टाइप प्रमाणपत्र / प्रतिबंधित टाइप प्रमाणपत्र / एसटीसी की टाइप स्वीकृति
- टाइप प्रमाणपत्र / प्रतिबंधित टाइप प्रमाणपत्र / एसटीसी में परिवर्तन की टाइप स्वीकृति
- उड़नयोग्यता निर्देश जारी करना
- भारतीय तकनीकी मानक आदेश प्राधिकरण
- विमान के डिजाइन की स्वीकृति
- डिजाइन संगठन अनुमोदन
- संशोधनों की स्वीकृति
- सीवीआर/एफडीआर की नियमित निगरानी
- उड़ान अनुसूचियों का अनुमोदन
- अनुमोदित उड़ान अनुसूचियों में संशोधन
- प्रचालन सुरक्षा पर वित्तीय तनाव के प्रभाव का आकलन।
- हवाई यातायात डेटा विश्लेषण
- समय पर कार्यनिष्पादन की निगरानी
- नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों की स्वीकृति।

3.11.2 विमानन पर्यावरण इकाई:

- डीजीसीए ने मैसर्स इंडिगो को 17 फरवरी 2022 को टूलूज से दिल्ली तक 10 प्रतिशत मिश्रित ईंधन के साथ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय नौका उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है।
- भारत ने आईसीएओ को सीओआरएसआईए के तहत अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्बन उत्सर्जन डेटा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया।
- आईसीएओ(इकाओ) की उच्च स्तरीय बैठक में भारत के नेतृत्व, बातचीत, विचार और विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप, इकाओ की सभा ने निम्नलिखित निर्णय लिया है जो विकासशील देशों के पक्ष में साबित हुआरू
  (क) असेंबली रेजोल्यूशन ।–41 ने सदस्य राज्यों को 2050 तक शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतर्राष्ट्रीय विमानन (LTAG) के सामूहिक दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए कहा है, यह जानते हुए कि प्रत्येक राज्य की विशेष परिस्थितियों और संबंधित क्षमताओं को प्रत्येक राज्य को अपनी राष्ट्रीय समय सीमा के भीतर एलटीएजी में योगदान करने की क्षमता के बारे में सूचित करेगा।
  (ख) पायलट चरण (2024 – 2035) के बाद कोर्सिया बेसलाइन के रूप में 2019 CO2 उत्सर्जन का 85 प्रतिशत उपयोगय और
  (ग) कोर्सिया के तहत ऑफसेट आवश्यकताओं की गणना के लिए क्षेत्रीय और व्यक्तिगत ऑपरेटर के विकास घटकों के प्रतिशत में परिवर्तन इस प्रकार है:
- 2030–2032 के लिए 100 प्रतिशत क्षेत्रीय और 0 प्रतिशत व्यक्तिगतय (पूर्व में 80 प्रतिशत क्षेत्रीय और 20 प्रतिशत व्यक्तिगत) और
- 2033–2035 के लिए 85 प्रतिशत सेक्टोरल और 15 प्रतिशत इंडिविजुअल (पूर्व में 30 प्रतिशत से क्षेत्रीय और 70 प्रतिशत व्यक्तिगत))।

3.11.3 एयरो प्रयोगशाला प्रभाग

निम्नलिखित अन्वेषण किए गए हैं:

क्र.सं.	गतिविधि	संख्या
1.	विमान के खराब पुर्जों की विफलता के प्राथमिक कारण का पता लगाने और ऐसी घटनाओं के पुनः घटित होने से बचने के लिए विस्तार से अन्वेषण किए गए और तदनुसार रिपोर्ट तैयार की गई।	08
2.	अनुसूची के अनुसार सीवीआर और एफडीआर की निगरानी की गई	273250=523
3.	दुर्घटना एवं घटना से संबंधित सीवीआर एवं एफडीआर का अन्वेषण किया गया	04
4.	ईंधन के नमूनों की जांच की गई	106
5.	वीवीआईपी उड़ान, दुर्घटना और घटना, ईंधन टैंक कमीशनिंग और गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी के लिए ईंधन परीक्षण किया गया	1976
6.	ज्वलनशीलता परीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई	24

3.11.4 वायु परिवहन प्रभाग

निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

क्र.सं.	गतिविधि	संख्या
1.	गर्मियों और सर्दियों में घरेलू अनुसूची उड़ान अनुमोदित की गई	707630
2.	घरेलू हवाई यातायात डेटा का प्रकाशन	11
3.	वीआईपी संदर्भों का रख रखाव	97
4.	संसदीय प्रश्नों के उत्तर	142
5.	उड़ान अनुसूची में संशोधन को मंजूरी	9050
6.	आरटीआई जवाब	340 / 24
7.	एटीडी–एईडी से संबन्धित न्यायालय मामलों का रख रखाव।	68

3.12 एयर स्पेस और एयर नेविगेशन सेवाएं

वायु अंतरिक्ष और वायु नेविगेशन सेवा निदेशालय नेवीगेशन सुविधाओं पर उच्च कोटि की निर्भरता के लिए लगातार प्रयासरत रहता है ताकि सक्षम और सुरक्षित वायु संचालन सुनिश्चित किया जा सके जो लेखापरीक्षा निरीक्षण के तंत्र और उनकी मजबूत रिपोर्टिंग और अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाती है जिनमे से कुछ नाम विभिन्न हवाईअड्डा संचालकों, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ,भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि हैं 31.12.2022 तक की अवधि के लिए की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

3.12.1 वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी), 2022 के अनुसार निगरानी गतिविधियां:

- रायपुर, दिल्ली, पटना, मैंगलोर, अमृतसर, लखनऊ, डिब्रूगढ़, बारापानी, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद, जुहू, मुंबई, उदयपुर, अगरतला, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली (त्रिची), इंदौर, कोचीन, कोयंबटूर और मदुरै हवाई अड्डों पर एटीएम सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण।
- कोलकाता, गोवा, तिरुचिरापल्ली (त्रिची), मदुरै, विशाखापट्टनम, बेलगाम, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, गुवाहाटी, शिमला, पंतनगर, औरंगाबाद, गया, मुंबई, कालीकट, कोचीन, दिल्ली, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, नागपुर हैदराबाद, चेन्नई हवाई

अड्डों पर सीएनएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण।

- राजकोट, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, वाराणसी, पटना, मैंगलोर, अहमदाबाद, कन्नूर और बैंगलोर हवाई अड्डों पर एमईटी सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण।
- एएआई सीएचक्यू एसएआर सेक्शन, आरसीसी दिल्ली और आरएससी गुवाहाटी में एसएआर सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण।
- एआईएस चेन्नई में एआईएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण।

3.12.2 स्थल निरीक्षणः

- बैंगलोर, गुवाहाटी और पटना हवाई अड्डों पर एटीएम सुविधाओं का स्थल निरीक्षण।
- पटना हवाई अड्डे पर सीएनएस सुविधाओं का स्थल निरीक्षण।

3.12.3 विशेष कैट–III सीएनएस निरीक्षणः

- दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अमृतसर, जयपुर और लखनऊ हवाई अड्डों पर सीएनएस सुविधाओं का विशेष सीएटी–III निरीक्षण।

3.12.4 सीएआर तैयार करना/संशोधनः

- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज सी भाग – I – हवाई नियमों में संशोधन।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज डी भाग – II में संशोधन – वैमानिकी दूरसंचार – रेडियो नेविगेशन अनुदान ।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज डी भाग –III में संशोधन – वैमानिकी दूरसंचार – संचार प्रक्रियाएं।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज डी भाग –IV में संशोधन – वैमानिकी दूरसंचार – डिजिटल डेटा संचार और स्वर संचार प्रणाली।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज डी भाग –वी में संशोधन – वैमानिकी दूरसंचार – माध्यमिक निगरानी रडार (प्रक्रिया में – सीएआरजी बैठक की मंजूरी के बाद प्रकाशित किया जाएगा)।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज ई भाग – I – हवाई यातायात सेवा में संशोधन।
- सीएआर सेक्शन 9 श्रृंखला जी भाग – I – वैमानिकी चार्ट में संशोधन।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज एल भाग VII में संशोधन दृहवाई यातायात सेवाओं में लगे हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिकों की ड्यूटीसमय सीमा तथा बाकी आवश्यकताओं को देखना । (प्रक्रिया में – सीएआरजी मीटिंग की मंजूरी के बाद प्रकाशित किया जाएगा)।

3.12.5 मैनुअल/हैंडबुक तैयार करना/संशोधनः

वैमानिकी चार्ट निरीक्षक हैंडबुक और निरीक्षण जांच सूची तैयार करना।

पीएएनएस–ओपीएस निरीक्षक हैंडबुक और निरीक्षण जांच सूची में संशोधन। प्रचालन/ प्रक्रियात्मक मैनुअल स्वीकृति जांच सूची तैयार करना।

एटीएम निरीक्षक हैंडबुक और निरीक्षण जांच सूची में संशोधन।

3.12.6 नई/संशोधित उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं (आईएफपी) का अनुमोदनः

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान अनुमोदित नई/संशोधित उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं (आईएफपी) की सूचीः

क्रम सं.	प्रक्रिया का नाम
01	आरएनपी 1 एसआईडी पाक्योंग एयरपोर्ट (वीईपीवाई)
02	आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 26 विजयवाड़ा एयरपोर्ट (वीओबीजेड)
03	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 09एल शमसाबाद एयरपोर्ट (वीओएचएस)
04	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 27आर शमसाबाद एयरपोर्ट (वीओएचएस)
05	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 27 देवघर एयरपोर्ट (वीईडीओ)
06	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 09 देवघर एयरपोर्ट (वीईडीओ)

क्रम सं.	प्रक्रिया का नाम
07	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 27 औरंगाबाद एयरपोर्ट (वीएएयू)
08	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 27 औरंगाबाद एयरपोर्ट (वीएएयू)
09	आरएनपी आरडब्ल्यूवाई 10 मोपा एयरपोर्ट (वीओजीए)
10	आरएनपी आरडब्ल्यूवाई 28 मोपा एयरपोर्ट (वीओजीए)
11	आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 05 डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट (वीईएमएन)
12	आरएनपी जेड आरडब्ल्यूवाई 23 एलपीवी किशनगढ़ एयरपोर्ट (वीआईकेजी)
13	आरएनपी जेड आरडब्ल्यूवाई 05 किशनगढ़ एयरपोर्ट (वीआईकेजी)
14	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 09 (एलएनएवी, एलएनएवी/वीएनएवी) औरंगाबाद एयरपोर्ट (वीएएयू)
15	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 27 (एलएनएवी, एलएनएवी/वीएनएवी) औरंगाबाद एयरपोर्ट (वीएएयू)
16	वोओआर आरडब्ल्यूवाई 23 राजकोट एयरपोर्ट (वीएआरके)
17	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 23 राजकोट एयरपोर्ट (वीएआरके)
18	आईएलएस सीएटी I II III आरडब्ल्यूवाई 27एल बेंगलुरु एयरपोर्ट (वीओबीएल)
19	आईएलएस एलओसी ऑनली आरडब्ल्यूवाई 09 एल बेंगलुरु एयरपोर्ट (वीओबीएल)
20	आईएलएस सीएटी I II III/ एलओसी ऑनली RWY 09R बेंगलुरु एयरपोर्ट (वीओबीएल)
21	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 27आर बेंगलुरु एयरपोर्ट (वीओबीएल)
22	आईएलएस वाई आरडब्ल्यूवाई 26 के साथ आरएनएवी संक्रमण विजयवाड़ा एयरपोर्ट (वीओबीजेड)
23	एनडीबी चक्कर लगाने की प्रक्रिया आरडब्ल्यूवाई 04/22 गोंदिया एयरपोर्ट (वीएजीडी)
24	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 04 गोंदिया एयरपोर्ट (वीएजीडी)
25	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 22 गोंदिया एयरपोर्ट (वीएजीडी)
26	आईएलएस वाई आरडब्ल्यूवाई 05 डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट (वीईएमएन)
27	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 32 नागपुर एयरपोर्ट (वीएएनपी)
28	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 12 भोपाल एयरपोर्ट (वीएबीपी)
29	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 30 भोपाल एयरपोर्ट (वीएबीपी)
30	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 30 भोपाल एयरपोर्ट (वीएबीपी)
31	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 05 डिबरूगढ़ एयरपोर्ट (वीईएमएन)
32	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 22 वडोदरा एयरपोर्ट (वीएबीओ)
33	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 04 वडोदरा एयरपोर्ट (वीएबीओ)
34	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 22 वडोदरा एयरपोर्ट (वीएबीओ)
35	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 07 इंदौर एयरपोर्ट (वीएआईडी)
36	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 25 इंदौर एयरपोर्ट (वीएआईडी)
37	आईएलएस वाई – आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 23 राजकोट एयरपोर्ट (वीएआरके)
38	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 10 मोपा एयरपोर्ट (वीओजीए)
39	आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 26 होलोंगी एयरपोर्ट (वीईएचओ)
40	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 26(सीएटी ए/बी/सी) होलोंगी एयरपोर्ट (वीईएचओ)
41	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 28 मोपा एयरपोर्ट (वीओजीए)
42	आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 23 राजकोट एयरपोर्ट (वीएआरके)
43	वीओआर आरडब्ल्यूवाई 23 राजकोट एयरपोर्ट (वीएआरके)
44	आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 27 वाराणसी एयरपोर्ट (वीईबीएस)
45	आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 14 भुवनेश्वर एयरपोर्ट (वीईबीएस)

3.12.7 अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

गगन–नांगलोई, गगन–बेंगलुरु, एनडीबी–कोप्पल और एनडीबी–अंगुल का पुनः प्रमाणन।

3.13 प्रशासन

प्रशासन निदेशालय

3.13.1 स्थापना –I अनुभाग

कार्यालय	समूह	योग वर्तमान स्थिति	श्रेणी				
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
उप महानिदेशक का कार्यालय (उ. क्षे).	ख	02	00	00	00	02	00
	ग	28	02	02	07	18	00
उप महानिदेशक का कार्यालय (प. क्षे).	ख	01	00	00	00	01	00
	ग	19	03	00	06	10	00
उप महानिदेशक का कार्यालय बैंगलुरु	ख	01	01	00	00	00	00
	ग	05	01	00	03	01	00
उप महानिदेशक का कार्यालय (पू. क्षे).	ख	03	01	0	0	02	00
	ग	26	04	04	09	09	00
ग्लाइडिंग केंद्र पुणे	ख	00	00	00	00	00	00
	ग	8	03	01	00	04	00
उप महानिदेशक का कार्यालय (द. क्षे).	ख	03	00	00	02	01	00
	ग	17	02	02	02	11	00
योग (वर्तमान स्थिति)		113	17	09	29	59	00
कुल समूह 'ख' कर्मचारी		10	02	0	02	06	00
कुल समूह 'ग' कर्मचारी		103	15	09	27	53	00

3.13.2 स्थापना–II अनुभाग

व्यय विभाग के दिनांक 08.08.2022 के आईडी नोट के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर डीजीसीए में 416 पदों के सृजन का किया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर भी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया गया है :–

(i) अहमदाबाद में डीजीसीए के नए क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना।

(ii) उप क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नयन।

(i) पटियाला के मौजूदा उप क्षेत्रीय कार्यालय का अमृतसर स्थानांतरण।

(iv) देहरादून,नागपुर,अगरतला और जयपुर में चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना।

3.13.3 भर्ती सेल

(i) वर्ष 2022 के दौरान, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में तकनीकी जनशक्ति की कमी के संबंध में एफएए समीक्षा ऑडिट तथा ईकाओ ऑडिट की अंतरराष्ट्रीय ऑडिट टिप्पणियों को टालने के लिए,डीजीसीए में संविदा आधार पर विभिन्न श्रेणियों में 19 परामर्शदाताओं { उड़ान प्रचालन निरीक्षकों } की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें तैनाती दी गई।

(ii) इसके अलावा, वर्ष 2022 के दौरान डीडीसीए के विभिन्न निदेशालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष में सत्रह (17) अन्य परामर्शदाताओं की भी तैनाती की गई थी।

3.13.4 सतर्कता अनुभाग

(i) अनुशासनिक मामलेः वर्ष के दौरान सतर्कता से संबंधित कोई भी अनुशासनिक मामला नहीं था।

(ii) निवारक सतर्कताः वर्ष 2022–2023 के दौरान प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग निदेशालय(डीटीएल) तथा उड़ान और प्रशिक्षण निदेशालय (डीएफटी) का एक व्यवस्थित सुधार अध्ययन/ निरीक्षण किया गया था। डीटीएल और डीएफटी में और अधिक कार्यकुशलता तथा पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित/प्रक्रियात्मक सुधार की संस्तुति वाली एक समेकित रिपोर्ट तैयार की गई और संबंधित निदेशालय को भेजी गई।

(iii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022ः 31 अक्टूबर,2022 से 06 नवंबर,2022 तक डीजीसीए और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" की थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाए जाने के साथ–साथ दिनांक 15.08.2022 से 15.11.2022 तक,सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की मुख्य बातों के रूप में शिकायत निपटान, समुचित भूमि रिकॉर्ड और परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए 03 महीने का एक अभियान चलाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डीजीसीए मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान (i) निवारक सतर्कता और (ii) भारत सरकार द्वारा अपनाए गए भ्रष्टाचार निवारक उपायों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

3.13.5 सामान्य अनुभाग

(i) स्वच्छ भारत अभियान : डीजीसीए ने अपने कार्यालय परिसर में सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देते हुए स्वच्छ भारत अभियान में योगदान किया। इस प्रक्रिया में,कुछ पुराने कार्यालय फर्नीचर/ समाचारपत्र/ई–वेस्ट का निपटान किया गया।

(ii) कोविड–19ः कोविड–19 से बचाव के लिए डीजीसीए मुख्यालय के स्टाफ के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया।

3.13.6 वित्त अनुभाग

वित्त अनुभाग द्वारा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर,2022 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण, निरीक्षण, सेमिनार और कार्यस्थल ऑडिट आदि को शामिल करते हुए 141 विदेशी प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों का परिचालन किया गया।

3.13.7 संसद और समन्वय अनुभाग

(i) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिनांक 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर,2022 के बीच सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर एक सप्ताह लंबे समारोह का आयोजन किया तथा दिनांक 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया गयाः

- 25 अक्टूबर,2022 को यूनी–टी कॉर्नर का आयोजन करनाः इस दौरान प्रतिभागियों को संदेश की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया गया तथा डीजीसीए के अधिकारियोंध्पदाधिकारियों और स्टाफ को चाय के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- 26 अक्टूबर, 2022 को चाय पर चर्चाः डीजीसीए (मुख्यालय) के सभी संयुक्त निदेशकों और उप महानिदेशकों को महान राष्ट्रवादी नेता–सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और कार्य पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म का शीर्षक 'लौह पुरुष– सरदार पटेल' है और यह फिल्म्स डिवीजन द्वारा तैयार की गई है। इस लघु फिल्म के पश्चात सरदार पटेल के जीवन के बारे में विचार–विमर्श हुआ। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों ने भी इस प्रकार के कार्यकलापों में भाग लिया।

- 27 अक्टूबर, 2022 को ई–मानव एकता श्रृंखलाः सबसे लंबी वर्चुअल ई–मानव श्रृंखला बनाने की एक पहल के रूप में सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों और स्टाफ को ektadivas-in पर लॉग ऑन करने तथा सेल्फी क्लिक करने और अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी एकता श्रृंखला (ई–मानव श्रृंखला) के सहभागी बने।
- 28 अक्टूबर, 2022 को निबंध लेखन प्रतियोगिता।
- 29 अक्टूबर, 2022 को सरदार पटेल पर ऑडियो विजुअल प्रस्तुति तथा ड्राइंग प्रतियोगिताः डीजीसीए मुख्यालय में सरदार वल्लभभाई पटेल पर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति की गई। इस प्रस्तुति के पश्चात ' एकता में शक्ति' विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीजीसीए के अधिकारियों/पदाधिकारियों और स्टाफके साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया।
- 31 अक्टूबर, 2022 को एकता शपथ : सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को सप्ताहभर बनाने के दौरान डीजीसीए में एकता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह शपथ महानिदेशक(नागर विमानन) द्वारा दिलवाई गई।

(ii) डीजीसीए ने 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव अभियान चलाया और सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस अर्थात 25 नवंबर, 2022 को झंडा दिवस मनाया। सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाने के दौरान डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया गयाः

- 21 नवंबर, 2022 को भाषण प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी) : 'सांप्रदायिक सद्भाव का महत्व' विषय पर भाषण प्रतियोगिता के आयोजन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह शुरू किया गया था।
- 23 नवंबर, 2022 को कविता पाठ प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी): डीजीसीए में 'शांति और सद्भाव' विषय पर कविता पाठ प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) का आयोजन किया गया।
- 24 नवंबर, 2022 को तीन टांग की दौड़ः डीजीसीए के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच एकता, एकीकरण और सद्भाव के गुणों को बढ़ाने की एक पहल के रूप में तीन टांग की दौड़ का आयोजन किया गया और इसमें प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया।
- 25 नवंबर, 2022 को झंडा दिवसः झंडा दिवस सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस अर्थात 25 नवंबर, 2022 को मनाया गया। इस अवसर को मनाने के लिए, डीडीसीए में एक राष्ट्रीय एकीकरण शपथ का आयोजन किया गया। यह शपथ महानिदेशक(नागर विमानन) द्वारा दिलवाई गई।
- 25 नवंबर, 2022 को दान संग्रह अभियानः राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के लिए डीजीसीए में झंडा स्टीकर वितरण और दान संग्रह अभियान का आयोजन किया गया। एनएफसीएच द्वारा उपलब्ध कराए गए यूपीआई कोड और अन्य भुगतान के तरीकों के माध्यम से कार्मिकों ने अंशदान किया। अनेक कार्मिकों ने डोनेशन बॉक्स में नकद रूप में अंशदान दिया। नकद रूप में कुल 6,749/– रुपए का संग्रह हुआ।

(iii) इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया गया। डीजीसीए के स्टाफ द्वारा लंबित

मामलों का निपटान करने और कार्यस्थल तथा उसके आसपास साफ–सफाई को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

- अनुपयोगी फाइलों/रिकॉर्ड को हटानाः 3–4 अक्टूबर, 2022 के दौरान डीजीसीए के सभी निदेशालयों/अनुभागों तथा क्षेत्रीय/ उप–क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पुरानी फाइलों/ रिकॉर्ड/ दस्तावेजों की समीक्षा की गई और उन्हें हटाया गया।
- लंबित पत्रों/ आश्वासनों/ शिकायतों का निपटान करना : डीजीसीए में 6–7 अक्टूबर के दौरान संसद सदस्यों के लंबित पत्रों/ संसदीय आश्वासनों तथा शिकायतों का निपटान करने के लिए एक अभियान चलाया गया।
- स्वच्छता शपथः महानिदेशक (नागर विमानन) ने 7 अक्टूबर, 2022 को डीजीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने देश को साफ रखने के लिए कदम उठाने तथा अपने देशवासियों को स्वच्छता को अपनाने के लिए प्रेरित करने के संकल्प के साथ शपथ दिलवाई।
- स्वच्छता और साफ–सफाई के संबंध में स्टाफ को जागरूक करनाः संसद और समन्वय अनुभाग, डीजीसीए द्वारा 10–11 अक्टूबर, 2022 को हाउसकीपिंग स्टाफ/माली और गार्ड्स को स्वच्छता किट वितरित की गई तथा उन्हें साफ–सफाई के दौरान दस्तानों और मास्क के प्रयोग के महत्व के बारे में बताया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि प्रयोग किए गए दस्तानों और मास्क का किस प्रकार से समुचित ढंग से निपटान किया जाए।
- एकल प्रयोग प्लास्टिक/ पॉलिथीन के उपयोग को रोकने तथा ई–वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानः फ्लैक्स बोर्डों और पर्चों के माध्यम से एकल प्रयोग प्लास्टिक/ पॉलिथीन के उपयोग को रोकने के लिए डीजीसीए में 12–18 अक्टूबर, 2022 के दौरान एक जागरूकता अभियान चलाया गया था। ई–वेस्ट के समुचित ढंग से निपटान के लिए ई–वेस्ट प्रबंधन दिशा–निर्देश भी जारी किए गए थे।
- ड्राइंग/पोस्टर प्रतियोगिताः डीजीसीए में 19 अक्टूबर,2022 को 'स्वच्छता से समृद्ध पर्यावरण की ओर' विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- स्क्रैप निपटानः रीसाइक्लिंग और पुनः प्रयोग को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए के निदेशालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 20–26 अक्टूबर, 2022 के दौरान स्क्रैप और पुराने फर्नीचर के निपटान का कार्य किया गया।
- श्रमदान और सौन्दर्यीकरण के लिए वृक्षारोपणः 27–28 अक्टूबर, 2022 के द्वारा डीडीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने संबंधित अनुभागों में साफ– सफाई, झाड़ू लगाने आदि जैसे श्रमदान कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। डीजीसीए के कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
- निबंध प्रतियोगिताः डीजीसीए में 31 अक्टूबर,2022 को 'स्वच्छ भारत – आत्मनिर्भर भारत' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

3.14 चिकित्सा सेवा निदेशालय (नागर विमानन)

चिकित्सा सेवा निदेशालय को ईकाओ के अनुलग्नक 1 द्वारा अनिवार्य किए गए चिकित्सा परीक्षण और मूल्यांकन में शामिल सभी श्रेणियों के कार्मिकों के प्रारंभिक और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण के संबंध में सभी चिकित्सा संबंधी मामलों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

निदेशालय का स्वरूप डीजीएमएस(वायु) का प्रतिनिधित्व करने वाले चिकित्सा मूल्यांकनकर्ताओं पर आधारित है जो या तो विमान चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं या फिर वे विमानन चिकित्सा मामलों में

प्रशिक्षित होते हैं तथा वे भारतीय वायु सेना की सेवा में होते हैं। चिकित्सा परीक्षण के लिए चिकित्सा मूल्यांकन निदेशक/ संयुक्त निदेशक चिकित्सा सेवा(नागर विमानन) द्वारा जारी चिकित्सा परीक्षक द्वारा किए जाते हैं।

निदेशालय वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 39 बी और नियम 39 सी में समाहित प्रावधानों के अनुसार विमानकर्मी दल के चिकित्सा मूल्यांकन को सुनिश्चित करने का कार्य करता है तथा वर्ष 2022 के लिए (31 दिसंबर,2022 तक) कार्यकलापों के सांख्यिकी रिकॉर्ड निम्नानुसार हैः

ई–जीसीए परियोजना
क्लास 2 और 3 प्रारंभिक तथा क्लास 1,2 और 3 नवीनीकरण चिकित्सा परीक्षणों के उद्देश्य के लिए डीजीसीए इंपैनल्ड क्लास 1,2 और 3 चिकित्सा परीक्षकों द्वारा ई–जीसीए पोर्टल के माध्यम से सीए फार्म 34634ए का 100: ई–अनुमोदन।

सिविल डॉक्टरों का इंपैनलमेंट/ री–इंपैनलमेंट	
(क)	डीजीसीए इंपैनल्ड क्लास 1 और 2 चिकित्सा परीक्षकों की संख्या क्रमशः 35 से 40 करने और 105 से 124 करने के लिए क्लास 1 और 2 चिकित्सा परीक्षकों के 'इंपैनलमेंट/ री–इंपैनलमेंट' की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए डीजीसीए ने अनुमोदन दिया है।

नीतियों में संशोधन	
1.	'विमान कर्मी/ वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस और रेटिंग्स के लिए चिकित्सा अपेक्षाएं और परीक्षा' दिनांक 12 अक्टूबर,17 पर सीएआर, खंड 7, सीरीज सी भाग, इशू II का संशोधन 18 अक्टूबर, 2022 (संशोधन 6) किया गया था।
2.	20 अक्टूबर,22(संशोधन 3) को 'चिकित्सा निदेशालय(डीजीसीए) की प्रक्रिया और प्रशिक्षण मैनुअल' का संशोधन।
3.	डीजीसीए इंपैनल्ड चिकित्सा परीक्षकों/परीक्षा केंद्रों के लिए हैंडबुक' दिनांक 22 अक्टूबर,2018 का संशोधन दिनांक 20 अक्टूबर, 2022(संशोधन2) किया गया था।

क्र. सं.	डीजीसीए की वेबसाइट पर अपलोडेड सार्वजनिक सूचनाएं/ परिपत्र	दिनांक
1.	आईएएफ केंद्रों पर कोविड–19 महामारी के मद्देनजर 'क्लास 1 नागरिक विमानकर्मी दल के लिए चिकित्सा परीक्षण के संचालन' के संबंध में डीजीसीए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एवी/22025/37/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत किया गया।	06 जनवरी 2022
2.	'डॉ.बालाभाई नानावती अस्पताल, मुंबई (एक डीजीसीए इंपैनल्ड सिविल क्लास 1 इनिशियल केंद्र) में री– इनिशियल क्लास 1 चिकित्सा परीक्षण (एफएटीए पायलटों और भारतीय सशस्त्र बल में कार्यरत पायलटों के अलावा) के संचालन' के संबंध में डीजीसीए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एवी/22025/37ध्डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत किया गया।	01 फरवरी 2022
3.	'भारतीय वायुसेना (आईएएफ) नवीनीकरण/ बोर्डिंग केंद्रों में नागरिक विमानकर्मी दल के चिकित्सा परीक्षणों के संचालन को पुनः शुरू करने' के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एवी/22025/37/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत किया गया।	10 फरवरी 2022
4.	'विमानकर्मी दल के फिट न होने की अवधि के पश्चात अधिसूचना' पर एक चिकित्सा परिपत्र के लिए 2022 के चिकित्सा परिपत्र सं.03 का प्रकाशन एवी/22025/25ए/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत किया गया।	29 मार्च 2022

क्र. सं.	डीजीसीए की वेबसाइट पर अपलोडेड सार्वजनिक सूचनाएं/ परिपत्र	दिनांक
5.	'छह भारतीय वायुसेना बोर्डिंग केंद्रों में डीजीसीए लाइसेंस के चिकित्सा परीक्षणों के लिए ऑनलाइन समय तय करने' के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना' ईजीसीए के पोर्टल पर एवी/22025/37/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत अपलोड की गई।	09 जून 2022
6.	'क्लास 1,2 या 3 चिकित्सा मूल्यांकन के लिए ट्रांसजेंडर(जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर नॉन–कनफॉरमेटी सहित) के एरोमेडिकल मूल्यांकन के लिए चिकित्सा परीक्षण हेतु दिशा–निर्देश' पर एक चिकित्सा परिपत्र 04৳2022 डीजीसीए की वेबसाइट पर डीजीसीए फाइल सं. एवी/22025/25ए/ डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत अपलोड किया गया।	10 अगस्त 2022
7.	'क्लास 1 और क्लास 2 चिकित्सा परीक्षकों के इंपैनलमेंट/ री–इंपैनल के संबंध में डीजीसीए सार्वजनिक सूचना' डीजीसीए की वेबसाइट पर डीजीसीए फाइल सं. एवी/22025/17/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत अपलोड की गई।	10 अक्टूबर 2022
8.	'आईएएम, आईएएस, बंगलुरु में 6 नवंबर, 2022 को डीजीसीए इंपैनल्ड सभी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 चिकित्सा परीक्षकों के लिए ऑफलाइन कार्यशाला' पर डीजीसीए सार्वजनिक सूचना डीजीसीए फाइल सं. एवी/22025/18बी/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत अपलोड की गई।	11 अक्टूबर 2022
9.	डीजीसीए क्लास 1, 2 और 3 के रूप में चिकित्सा परीक्षक डॉ. यूएस महालनोबिस के इंपैनलमेंट के निलंबन' के संबंध में डीजीसीए सार्वजनिक सूचना डीजीसीए फाइल सं. एवी/22025/26/डीएमएस/ एमईडी के अंतर्गत अपलोड की गई	09 दिसंबर 2022

क्रम सं.	विवरण	कुल (31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार)
1.	विमानकर्मी दल के लिए संचालित किए गए चिकित्सा परीक्षणों की कुल संख्या	24664
2.	चिकित्सीय रूप से फिट जारी किए गए कुल मूल्यांकन	24213
3.	क्लास 1 और क्लास 2 चिकित्सा परीक्षण के संबंध में जारी किए गए कुल अस्थाई अनफिट चिकित्सा मूल्यांकन	286
4.	नागरिक विमानकर्मी दल चिकित्सा परीक्षण से संबंधित कुल कमियां/ टिप्पणियां	165
5.	डीजीसीए क्लास 1 और 2 चिकित्सा परीक्षकों के लिए वार्षिक सर्विलांस ऑडिट किया गया(एएसएपी 2022 के अनुसार)	23
6.	कुल जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र	3605
7.	निपटान की गई कुल आरटीआई	19
8.	असत्य घोषणाएं	05
9.	कुल स्थाई अनफिट मामले और अपील मामले	37

3.15 एटीसीओ लाइसेंसिंग डिवीजन

एटीसीओ लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा अनेक प्रकार के कार्यकलापों को संपन्न किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः—

- ईकाओ ऑडिट,2017 में, कार्मिक लाइसेंसिंग (पीईएल) से संबंधित 71 प्रोटोकॉल प्रश्नों (पीक्यू) को असंतोषजनक(यूएनएसएटी) पाया गया था जिसकी वजह से भारत गणराज्य के लिए 25.58 का एक समग्र प्रभावी कार्यान्वयन (ई.आई.) स्कोर रहा था जो वैश्विक औसत (लगभग 71) से काफी कम था जिसके परिणाम स्वरूप ईकाओ एसएआरपी कार्यान्वयन में भारत की रैंक गिरकर 102 हो गई। इसके बाद,प्रोटोकॉल प्रश्नों से संबंधित कुछ पीक्यू के विलय के कारण यूएनएसएटी पीक्यू की संख्या 64 हो गई थी। एटीसीओ लाइसेंसिंग डिविजन द्वारा बेहतर ईआई स्कोर लिए के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। नियमावली, नागर विमानन अपेक्षाएं, औपचारिक प्रक्रियाएं और मैनुअल तैयार किए गए थे और इसके पश्चात यूएनएसएटी पीक्यू की पूर्ति करने के लिए इनका कार्यान्वयन किया गया था। ईकाओ ने 09 नवंबर से 16 नवंबर, 2022 तक संचालित अपनी हालिया आईसीवीएम ऑडिट में समान रूप से पीईएल और विशेष रुप से एटीसीओ लाइसेंसिंग के क्षेत्रों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की जांच पड़ताल की और समीक्षा के पश्चात, प्रारंभिक रिपोर्ट/विनिदेशन में ईआई स्कोर को संशोधित करके 84.71 कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, ईकाओ एसएआरपी कार्यान्वयन में भारत की रैंक 102 से बढ़कर 48 पर आ गई।
- ईकाओ अनुलग्नक 1 के संशोधन 176 को अपनाने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं अर्थात सीएआर खंड 9 सीरीज एल भाग II, III, IV, V, IX और X में संशोधन किया गया था।
- एटीसीओ,एसएटीसीओएल और एटीएसटीओ के लिए सभी को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों का ऑफलाइन मोड बंद कर दिया गया और ई—जीसीए(ऑनलाइन मोड) के माध्यम से वायु यातायात नियंत्रकों को एटीसीओ/एसएटीसीओएल जारी करने तथा रेटिंग्स का अनुमोदन।
- ईकाओ अनुलग्नक 1 के नवीनतम संशोधन को अपनाने के लिए वायु यातायात नियंत्रक के जेनेरिक रेटिंग और ट्रेनिंग मैनुअल (आरटीएम) में संशोधन किया गया था।
- वर्ष 2022 के दौरान लगभग 140 वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस जारी किए गए।
- वर्ष 2022 के दौरान 03 से ज्यादा छात्र वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस जारी किए गए।
- डीजीसीए द्वारा जारी एटीसीओ लाइसेंसों के बारे में रेटिंग्स अर्थात विमानक्षेत्र नियंत्रण, अप्रोच कंट्रोल प्रोसीजरल, अप्रोच कंट्रोल सर्विलांस, एरिया कंट्रोल प्रोसीजरल,एरिया कंट्रोल सर्विलांस और सामुद्रिक नियंत्रण के अनुमोदन(लगभग कुल 750 अनुमोदन) का कार्यान्वयन किया गया।
- एएआई(एएनएसपी) की अपेक्षा के अनुसार, सीएटीसी—प्रयागराज, एनआईएटीएएम—गोंदिया और एचटीसी—हैदराबाद में वायु यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठन(एटीएसटीओ) के परीक्षा प्रक्रिया मैनुअल (ईपीएम) सहित संशोधित प्रशिक्षण और प्रक्रिया मैनुअल (टीपीएम), गुणवत्ता आश्वासन मैनुअल (क्यूएएम) अनुमोदन प्रदान किया गया।
- सीएटीसी—प्रयागराज,एनआईएटीएएम—गोंदिया और एचटीसी—हैदराबाद में वायु यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठन (एटीएसटीओ) का सर्विलांस निरीक्षण किया गया। लगभग दस (10) पद धारकों को स्वीकृति प्रदान दी गई।
- एईएलटीओ / टीएसपी के लगभग पंद्रह(15) पद धारकों को स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभिन्न एयरपोर्ट के लगभग पंद्रह(15) रेटिंग ट्रेनिंग मैनुअल (आरटीएम) को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- चेन्नई एटीएस स्टेशन में सेक्टर—वार रेटिंग्स के बजाय समग्र क्षेत्र रेटिंग्स के लिए योजना बदलाव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- चौंतीस(34)एटीएस यूनिटों जिसमें मुंबई,

कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर,लखनऊ, चेन्नई, नागपुर, वाराणसी आदि प्रमुख एटीएस स्टेशन शामिल हैं,का ऑफलाइन सर्विलांस निरीक्षण किया गया तथा कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित दो (2) एटीएस यूनिटों में भी ऑनलाइन सर्विलांस निरीक्षण किया गया।

- लागू नियमों/ विनियमों और सुरक्षा निगरानी प्रणाली तथा सुरक्षा से संबंधित संकल्प के भाग के रूप में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 05 से अधिक प्रवर्तन कार्य किए गए।
- एटीसीओ की पेशेवर दक्षता की जांच करने के लिए अठाइस (28) एयरपोर्ट जिसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, शमशाबाद, बेंगलुरु आदि शामिल हैं,में सर्विलांस निरीक्षण किया गया।

3.16. प्रशिक्षण निदेशालय

डीजीसीए अधिकारियों/विमानन उद्योग के लिए जनवरी से दिसंबर,2022 तक प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागियों का स्तर	दिनांक (कब से– कब तक)		बैच का आकार	पाठ्यक्रम समन्वयक
1	डीजीसीए के नई भर्ती अधिकारियों/ पदाधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण(मॉड्यूल –1 फेज–1)	डीजीसीए में नए भर्ती अधिकारी	01 फरवरी 2022	15 फरवरी 2022	51	प्रशिक्षण प्रभाग डीजीसीए मुख्यालय
2	डीजीसीए के नई भर्ती अधिकारियों/ पदाधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण(मॉड्यूल –1 फेज–11)	डीजीसीए में नए भर्ती अधिकारी	28 मार्च 2022	16 जून 2022	25	प्रशिक्षण प्रभाग डीजीसीए मुख्यालय
3	एसएमएस./एसएसपी कार्यशाला	डीजीसीए और विमानन उद्योग	09 अगस्त 2022	12 अगस्त 2022	04 दिवसीय कार्यशाला में कुल 70 प्रतिभागी	प्रशिक्षण प्रभाग डीजीसीए मुख्यालय
4	एसएमएस./एसएसपी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीजीसीए और विमानन उद्योग	16 अगस्त 2022	18 अगस्त 2022	58	प्रशिक्षण प्रभाग डीजीसीए मुख्यालय

3.17 ड्रोन निदेशालय

ई–गवर्नेंस 2022 के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	विषय	
1	वर्ष 2022 में अनुमोदित रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ)	39
2	वर्ष 2022 में रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) के कुल सर्विलांस	19
3	वर्ष 2022 में प्रदान किए गए कुल टाइप प्रमाणपत्र	07
4	वर्ष 2022 में ड्रोन नियमावली के तहत लगाया गया कुल जुर्माना	1,25,000 रुपए

क्र. सं.	विषय	
5	वर्ष 2022 में स्वचालित प्रक्रिया(डीएसपी में) के माध्यम से जारी विशिष्ट पहचान संख्या(यूआईएन) की कुल संख्या	5600 (लगभग)
6.	वर्ष 2022 में जारी ड्रोन प्रशिक्षण परिपत्र (डीटीसी)	03
7.	वर्ष 2022 में आयोजित स्वच्छता अभियान की संख्या	26

ई–गवर्नेंस 2022 के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाइलों की कुल संख्या	ई–फाइलों की कुल संख्या
216	195

2022 में लोक शिकायतों की स्थिति:

वर्ष 2022 के दौरान निपटान की गई लोक शिकायतें	वर्ष 2022 के अंत में लंबित लोक शिकायतें
19	शून्य

3.18 केंद्रीय परीक्षा संगठन

नागर विमानन महानिदेशालय के केंद्रीय परीक्षा संगठन (सीईओ) का उत्तरदायित्व एयरक्राफ्ट मेंटिनेस इंजीनियर्स (एएमई), पायलटों और फ्लाइट डिस्पैचर्स के लिए ज्ञान आधारित परीक्षा कराना है। लाइसेंस को जारी करने के लिए वायुयान नियमावली में आवश्यकता के अनुसार फ्लाइट इंजीनियर्स फॉरेन एयरक्रू टेंपरेरी ऑथराइजेशन(एफएटीए), फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग्स (एफआईआर) और असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग्स (एएफआईआर) तथा प्रासंगिक नागर विमानन अपेक्षाओं को शामिल किया जाता है। सीईओ भारत भर में मौजूद अपने केंद्रों पर पूरे वर्ष इन परीक्षाओं का आयोजन करता है।

केंद्रीय परीक्षा संगठन ने वर्ष 2022 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया है जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।

जनवरी,2022 से दिसंबर,2022 की अवधि के दौरान सीईओ द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाती तालिका निम्नानुसार है –

क्रम सं.	परीक्षाएं	अभ्यर्थियों की संख्या
1.	एयरक्राफ्ट मेंटिनेस इंजीनियर्स	42607
2.	पायलट	36913
3.	एफएटीए	18
4.	एफआईआर/एएफआईआर	204
5.	फ्लाइट डिस्पैचर्स	176
6.	फ्लाइट इंजीनियर्स	15
7.	पायलट के लिए कंप्यूटर नंबर आवेदन	9024
8.	एएमई के लिए कंप्यूटर नंबर आवेदन	3216

4. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

4.1 परिचय

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। ना वि सु ब्यूरो का लक्ष्य गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों से नागर विमानन प्रचालनों का सुरक्षित रखना है। ब्यूरो, भारत से / को जाने वाली नागर उड़ानों के संबंध में सुरक्षा संबंधी मानकों के निर्धारण तथा नियमित निरीक्षणों तथा सुरक्षा ऑडिट्स के माध्यम से उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। नागर विमानन उद्योग की उन्नति से कई नई चुनौतियां पैदा हुई हैं खासतौर पर सुरक्षा के संबंध में । इन कठिन चुनौतियों को पूरा करने के प्रयोजन से यह अति महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीतियों/ पहलों तथा इनके कार्यान्वयन का एकीकृत रूप से गहराई से मूल्यांकन किया जाए।

ना वि सु ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके शीर्ष अधिकारी महानिदेशक हैं जो भारत के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को विकसित करने, उसका रखरखाव करने, उसे अद्यतन बनाने तथा उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा इस परिप्रेक्ष्य में सभी अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन से ''उचित प्राधिकारी'' हैं। ब्यूरो, समन्वयन, मॉनीटरिंग, निरीक्षण तथा विमानन सुरक्षा (एवसेक) संबंधी विषयों में कार्मिकों के प्रशिक्षण, एवसेक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा नागर विमानन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन आदि कार्यों हेतु विनियामक प्राधिकरण है।

वर्ष 2016 से पहले ब्यूरो के अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में आठ क्षेत्रीय कार्यालय थे जिनकी संख्या इम्फाल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के बाद बढ़कर नौ (9) हो गई थी । वर्ष 2018 और 2019 में ग्यारह क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, रांची, जयपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, श्रीनगर तथा तिरूवनन्तपुरम में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक, ना वि सु ब्यूरो हैं जो अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विमानपत्तनों के विनियमन, मॉनीटरिंग और नियमित सुरक्षा निरीक्षण तथा ऑडिट करने हेतु उत्तरदायी हैं।

ब्यूरो ने नागर विमानन प्रचालनों में विमान अपहरण तथा गैर कानूनी हस्तक्षेप के अन्य कृत्यों से उपजने वाली आपात स्थितियों से निबटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। अन्य कार्यों के अलावा, यह ब्यूरो प्रत्येक विमानपत्तन पर ऐरोड्रम समिति की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। किसी आपात स्थिति के घटित होने पर जैसे कि नागर विमानन की सुरक्षा को खतरा, आतंकवाद, विमान अपहरण, विमान को गैर कानूनी रूप से कब्जे में लेना आदि, आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं को तत्काल सक्रिय किया जाता है सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक योजना में भली भांति संशोधन किया गया है और सभी संबंधित पक्षों को जारी कर दिया गया है। आकस्मिकता योजना की प्रभावशीलता एवं संबंधित एजेन्सियों की प्रचालनात्मक तैयार को परखने के लिए, विमानपत्तनों पर मॉक अभ्यासों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

ना वि सु ब्यूरो ने जी–20 बैठकों हेतु समन्वयन किया है य भारतीय विमानपत्तनों से होकर जाने वाले विदेशी गणमान्यों तथा प्रतिनिधि मंडलों की अबाध आवाजाई हेतु विदेश मंत्रालय तथा संबंधित प्राधिकरणों के साथ व्यापक विमानन सुरक्षा नीति एवं दिशानिर्देशों को एकत्रित करके साझा किया है। आवश्यक समन्वयन एवं सुविधाओं के लिए ना वि सु ब्यूरो मुख्यालय में नोडल अधिकारियों तथा 20 क्षेत्रीय कार्यालयों को नियुक्त किया गया है। पूरे देश के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को महानिदेशक महोदय द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है।

4.2 कैलेंडर वर्ष 2022 में ब्यूरो की उपलब्धियां

4.2.1 विमानपत्तनों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु की गई पहलें

(i) विमान (सुरक्षा) नियम 2011 का पुनरावलोकन किया गया है। नए विनियमों, सभी विमानन सुरक्षा के सरोकारों के और अधिक व्यापक / अपेक्षाकृत बड़े विस्तार पर सुरक्षा करने वाले विमानन सुरक्षा नियम, 2022 के प्रारूप को तैयार कियागयाहै और नागर विमानन मंत्रालय एवं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की वेबसाइटों सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ii) पहली बार, ना वि सु ब्यूरो से संबंधित विमानपत्तनों के लिए जोखिम पर आधारित संवेदनशीलता आकलन की परिकल्पना की गई है और केन्द्रीय आसूचना, स्थानीय पुलिस, राज्य आसूचना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर इनपुट मैट्रिक्स पर विमानपत्तनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तद्नुसार, एवसेक परिपत्र संख्या 05 2022 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा भारत में 134 विमानपत्तनों का वर्गीकरण (सामान्य, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील) जारी किया गया है।

(iii) यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं और यात्रियों की सुविधा के लिए समाधानों को ईष्टतम बनाने की दृष्टि से पहली बार विमानपत्तनों पर वाणिज्यिक स्थलों के अनुमोदन के लिए यात्री सुविधा क्षमता के अनुसार डिजाइन में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) **सुरक्षा पुनरीक्षण और अनापत्ति :** ना वि सु ब्यूरो के मानकों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार ना वि सु ब्यूरो मुख्यालय में प्राप्त कई विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न विमानपत्तनों के सुरक्षा पुनरीक्षण प्रस्तावों की जांच की गई और उन्हें संसाधित किया गया । कुल 257 पुनरीक्षण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना से संबंधित कई नए परिवर्तन हुए और इसके परिणामस्वरूप यात्री सुविधाओं के साथ साथ वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रगति हुई । इनमें आर सी एस विमानपत्तन के मामले भी शामिल हैं।

(v) **मानव संसाधन :** 43 विमानपत्तनों पुनः सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा मानव संसाधनों को बढ़ाए जाने के लिए ना वि सु ब्यूरो में प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनकी जांच की गई भागीदारों के साथ की गई पुनः सर्वेक्षण बैठक में भली भांती विचार विमर्श के पश्चात् उन्हें अंतिम रूप दिया गया और तत्पश्चात् संबंधित विभागों को प्रस्तुत किया गया । इससे आर सी एस विमानपत्तनों के मामलों सहित विमानपत्तनों के अंतर्गत सुरक्षा और विमानन प्रचालनों के स्तर में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

(vi) **सुरक्षा ऑडिट / निरीक्षण:** विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा पद्धति की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए पूरे देश में विमानपत्तनों के सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण किए गए । वर्ष 2022 में कुल 94 ऑडिट और 118 निरीक्षण किए गए ।

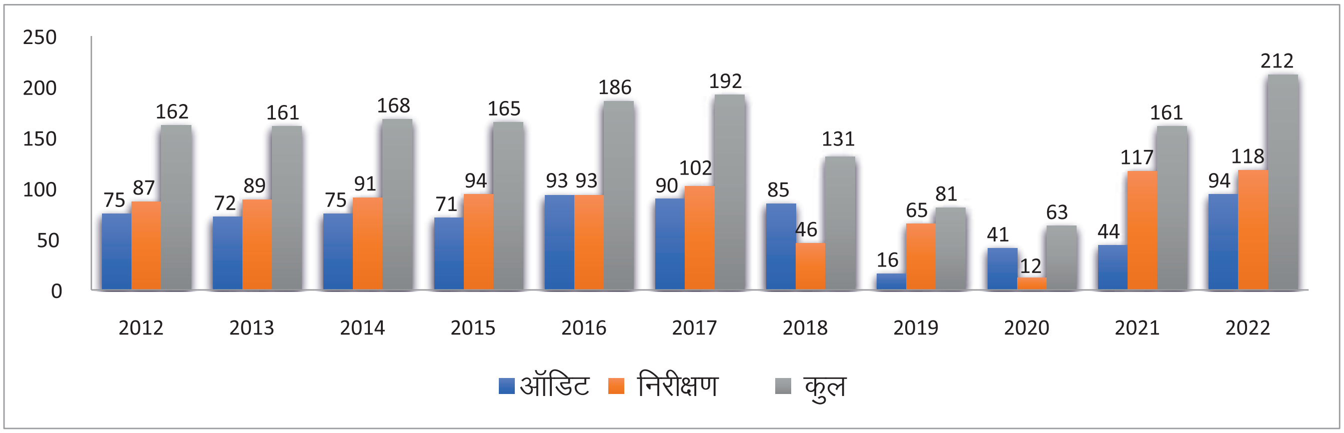

(vii) **विमानपत्तन सुरक्षा कार्यक्रम** : विभिन्न विमानपत्तनों / विभिन्न विमानपत्तन प्रचालकों से कुल 08 विमानपत्तन सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें ना वि सु ब्यूरो के मानकों के अनुसार जांचा गया और तद्नुसार अनुमोदित किया गया ।

(viii) विनियमों को विमानन सुरक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित एवसेक आदेशों तथा एवसेक परिपत्रों के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जाता है। इस संबंध में वर्ष 2022 में कुल 35 एवसेक आदेश / परिपत्र और उनके परिशिष्ट / संशोधन पत्र जारी किए गए हैं। ना वि सु ब्यूरो के विनियम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों और संस्तुत कार्यप्रणालियों को पूरी तरह से अनुपालन करते हैं जिनमें इनके नवीनतम संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा, 108 मौजूदा एवसेक परिपत्रों / आदेशों / विनियमों को विषयनुसार 7 एवसेक परिपत्रों एवं आदेशों में एकत्रित एवं संकलित किया गया है।

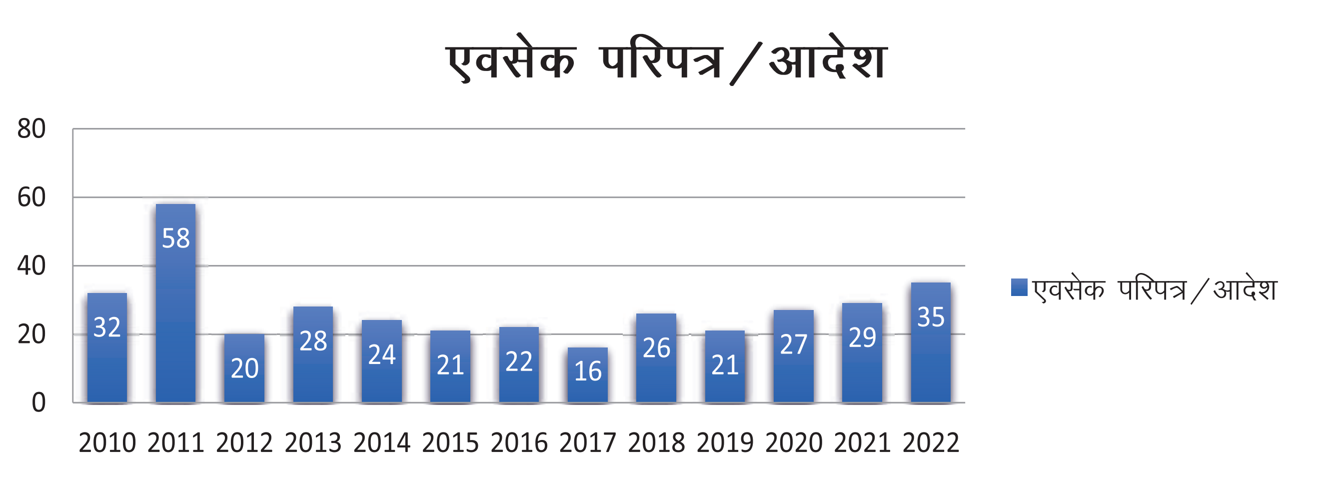

(ix) **सुरक्षा कार्यक्रम:** वर्ष 2022 में अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	विवरण	अनुमोदित
01	विमान प्रचालकों के सुरक्षा कार्यक्रम (अंतर्देशीय) {अनुसूचित}	03
02	विमान प्रचालकों के सुरक्षा कार्यक्रम (अंतरराष्ट्रीय) {अनुसूचित}	29
03	आर ए का सुरक्षा कार्यक्रम	24
04	जी एच ए का सुरक्षा कार्यक्रम	39
05	गैर अनुसूचित प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	30
06	निजी प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	02
07	केटरर्स का सुरक्षा कार्यक्रम	09
08	निजी सुरक्षा एजेन्सी (पी एस ए)	18
09	अनुसूचित यात्रा प्रचालक (एस सी ओ)	01
10	उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफ टी ओ)	05
11	ईंधन फार्म सुरक्षा कार्यक्रम (एफ एफ एस पी)	83
12	रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एम आर ओ)	16

(x) वर्ष 2022 के दौरान, 111 विमानपत्तनों पर अपहरण रोधी मॉक अभ्यास किए गए और 102 विमानपत्तनों पर बम जोखिम मॉक अभ्यास बैठकें की गईं । इसके अलावा, 12 अपहरण रोधी आकसमिकता योजनाओं के प्रारूप, 10 बम की धमकी से संबंधित आकस्मिकता योजनाएं (बी टी सी पी) और 07 आतंकवाद रोधी आकस्मिकता योजनाएं (सीटीसीपी) वर्ष 2022 के दौरान अनुमोदित की गईं।

(xi) कपड़ों के नीचे शरीर पर छुपा कर रखी गई ध ाातुयी और गैर धातुयी दोनों प्रकार की चीजों का पता लगाने के लिए भारतीय विमानपत्तनों के यात्रियों सहित व्यक्तियों की जांच के लिए बॉडी स्कैनर की एक मानक प्रचालन प्रक्रिया एवसेक परिपत्र सं० 05/2019 दिनांक 08/04/2019 के माध्यम से लागू की गई । एवसेक परिपत्र 05/2019 का एक परिशिष्ट 16.11.2021 को प्रकाशित किया गया जिसकी समय सीमा को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया । इसके अलावा, विमानपत्तन प्रचालकों को अति संवेदनशील तथा संवेदनशील विमानपत्तनों पर परिशिष्ट जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर तथा अन्य विमानपत्तनों पर दो वर्ष के भीतर फुल बॉडी स्कैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। फल बॉडी स्कैनर का परीक्षण दिशानिर्देश एफ बी एस के परीक्षण तथा जांच के लिए ना वि सु ब्यूरो द्वारा जारी किया जा रहा है।

(xii) वर्ष 2022 में, ना वि सु ब्यूरो ने विमानपत्तनों को रेडियोधर्मिता तथा आण्विक खतरों / आपात स्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए रेडियोधर्मी तलाश उपकरणों की स्थापना तथा कमिशनिंग करना सुनिश्चित किया है। इन उपकरणों को सभी 14 विमानपत्तनों पर स्थापित किया गया (फेस–।) । रेडियोधर्मी आपात स्थितियों से बचाव के लिए भारतीय विमानपत्तनों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरण (आर डी ई) के प्रचालन को प्रारंभ करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया एवसेक परिपत्र सं० 1/2020 के माध्यम से परिचालित की गई है। ना वि सु ब्यूरो ने नागर विमानन मंत्रालय से, विमानपत्तनों के सुरक्षा उपस्करणों का एक भाग होने के नाते आर डी ई की समग्र उपकरण प्रभावशीलता के लिए ए एम सी पर हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित विमानपत्तन प्रचालकों को उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। 10 विमानपत्तनों के लिए आर डी ई फेस–।। नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है।

(xiii) बायोमीट्रिक ए ई पी पर आधारित एक केन्द्रीकृत पहुँच नियंत्रण प्रणाली ना वि सु ब्यूरो के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में पूरे भारत में कार्यान्वित की गई है और 1,80,879 बायोमीट्रिक आधारित ए ई पी वर्ष 2022 में जारी किए गए हैं।

(xiv) विमानपत्तनों के लिए ड्रोन्स / यू ए वी एस की निगरानी, उन्हें खोजने तथा उन्हें विफल करने के लिए ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी / समाधानों के लिए आधारभूत अपेक्षाएं तथा तकनीकी विनिर्देशों / क्यू आर्स एवसेक परिपत्र सं० 02/2020 के रूप में समय सीमा के साथ जारी किए गए हैं। ना वि सु ब्यूरो ने ए सी 02/2020 का एक परिशिष्ट दिनांक 09/02/2021 को जारी किया है। राष्ट्रीय शठ ड्रोन नीति तथा दिशानिर्देश गृह मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन हैं। मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

(xv) बढ़ते हुए विमानन क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए विमानपत्तनों पर आतंकवादी रोधी आपात स्थिति योजना पर एस ओ पी एवसेक आदेश सं० 02/2020 द्वारा जारी किए गए हैं।

(xvi) ना वि सु ब्यूरो ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से सी बी आई द्वारा 18 से 21 अक्तूबर 2022 को आयोजित 90वीं इंटरपोल जनरल एसैम्बली के लिए समन्वयन कार्य किया तथा सुविधाएं प्रदान कीं। ना वि सु ब्यूरो ने इस वर्ष एन आई ए द्वारा आयोजित ''नो मनी फॉर टेरर'' पर सम्मेलन के लिए भी समन्वयन कार्य किया तथा सुविधाएं प्रदान कीं ।

4.3 यात्री सुविधा

(i) हैन्ड बैगेज टैग्स पर मोहर लगाना समाप्त किया जाना : मौजूदा स्थिति तक, हैन्ड बैगेज टैग्स पर मोहर लगाने की प्रक्रिया को 64 विमानपत्तनों पर समाप्त कर दिया गया है। इससे यात्रियों की अपेक्षाकृत तेज निकासी संभव हुई है। बैगेज स्टैम्पिंग को हटाया जाना प्रमुख विमानपत्तनों पर यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा अपेक्षाओं की लगातार समीक्षा का परिणाम है। यात्री के बोर्डिंग कार्ड तथा यात्री के हैन्ड बैगेज के टैग पर स्टैम्प लगी होने की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी कि यात्री की तलाशी हो गई है और उसका बैगेज सुरक्षा कार्मिकों द्वारा जांच लिया गया है।

(ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एवसेक परिपत्र सं० 01/2022 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से यह नियत किया है कि हवाई यात्रा जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्ति, चाहे उनकी व्यक्तिगत जरूरतें और परिस्थितियां कुछ भी हों, के साथ गरिमापूर्ण, आदर और शिष्टता का व्यवहार किया जाए। इसका प्रयोजन दिव्यांगजन और / अथवा कम गतिशीलता वाले यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करना है तथा इस प्रकार के यात्रियों और उनके गतिशीलता सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों के जांच अनुभव को बेहतर बनाना है।

(iii) यात्रियों के निजी आंकड़ों, कार्गो आदि की सुरक्षा के कार्यान्वयन की दिशा में नाा वि सु ब्यूरो ने पहली बार एक एवसेक परिपत्र जारी किया है। ना वि सु ब्यूरो विमानन साइबर सुरक्षा पर विनियमों का प्रारूप भी तैयार कर रही है जो कि भविष्य में होने वाले प्रमुख सुरक्षा सरोकारों में से एक होने वाला है।

(iv) कोविड 19 के कारण ना वि सु ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई : – स्पर्श /संपर्क द्वारा कोविड 19 को फैलने से रोकने के उपाय करने के लिए ना वि सु ब्यूरो ने निम्नलिखित विषयों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

i. यात्रियों की जांच के लिए एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

ii. कैरी ऑन बैगेज जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

iii. कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण, यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे बार बार हैन्ड सैनेटाइजर का प्रयोग करें । इसलिए यह तय किया गया है कि किसी विमान पर सवार होने वाले यात्रियों को 350 मिली लीटर तक हैन्ड सैनेटाइजर तरल पदार्थ अपने हैन्ड बैगेज में ले जाने की अनुमति दी गई है जो कि 100 मिली लीटर तक की पहले की ना वि सु ब्यूरो की अनुमति को प्रतिस्थापित करता है।

4.4 व्यापार की सरलता

(i) व्यापार की सरलता के लिए, ना वि सु ब्यूरो ने वर्ष 2022 में विमानन सुरक्षा भागीदारों की लेवल–1 की 9 बैठकें आयोजित कीं, उनके मुद्दों को सुना, उनकी जांच की और प्रचालनों को सुकर बनाए जाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करके उन्हें जारी किया । इसी प्रकार, ना वि सु ब्यूरो ने कार्गो, ट्रांसशिपमैन्ट, जीवन रक्षा के लिए दान किए गए अंगों के अबाध एवं तेज वहन और एयरलाइन सुरक्षा कार्यों आदि पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया है।

(ii) ऑनलाइन सुरक्षा अनापत्ति : विमानपत्तनों पर कार्य कर रही संस्थाओं की सुरक्षा अनापत्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन सुरक्षा अनापत्ति पोर्टल अर्थात् ई–सहज विकसित कर लिए जाने के पश्चात् कायिक रूप से ऑनलाइन माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि और अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समय में कमी की जा सके । विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कन्सेशनियर, केटरिंग, विनियमित एजेन्ट्स, ग्राउंड हैन्डलिंग एजेन्सी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी, जी एस ए / जी एस एस ए / प्राधिकृत एजेन्ट, फ्यूल फॉर्म तथा सहायक सुविधा प्रदाता की कुल 804 सुरक्षा अनापत्तियां 01.01.2022 जब 31.12.2022 तक की अवधि में ई–सहज पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित की गई हैं।

वर्ष 2022 के लिए ई–सहज की अनुमोदित सूची (सुरक्षा अनापत्ति) निम्नानुसार है

क्रम सं.	श्रेणी	कुल
1.	कन्सेशनेयर	235
2.	केटरिंग संस्थान	6
3.	सहायक सेवा प्रदाता	495
4.	आर ए	7
5.	जी एच ए	23
6.	ईंधन फॉर्म	5
7.	पी एस ए	24
8.	जी एस एध्जी एस एस ए/प्राधिकृत एजेन्ट	9
	कुल जोड	**804**

(iii) ऐसे देशों के साथ जहां भारतीय कैरियर्स प्रचालन करते हैं विमानन सुरक्षा पर तकनीकी सहयोग के लिए द्विपक्षीय करारों के प्रारूप तैयार किए गए । करारों के इन प्रारूपों को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, यू ए ई और जर्मनी के संबंध में नागर विमानन मंत्राल भेजा गया है।

(iv) मैनुअल प्रशिक्षण आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पद्धति में परिवर्तित करने के एक लक्ष्य से ई–बीसीएएस के प्रशिक्षण मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना का प्रशिक्षण मॉड्यूल सभी भागीदारों के लिए नागर विमानन मंत्रालय के डैशबोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है। यह परियोजना ना वि सु ब्यूरो के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, प्रचालन प्रभाग, प्रशिक्षण और नीति प्रभाग के ऑनलाइन कार्य के लिए एक पहल है। इस परियोजना के सभी मॉड्यूल्स का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्‌विमानन क्षेत्र में कार्य कर रहे आवेदक ना वि सु ब्यूरो को भेजे गए अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।

(v) घरेलू कैरियर्स द्वारा ट्रांसशिपमैन्ट कार्गो की संभलाई की आसानी के लिए, ''अंतर्देशीय से अंतर्देशीय ट्रांसशिपमैन्ट कार्गो की संभलाई'' के लिए सुरक्षोपाय नीति प्रभाग द्वारा दिनांक 10.09.2008 के एवसेक परिपत्र 08ध्2008 के परिशिष्ट दिनांक 23.12.2022 द्वारा जारी किए गए हैं।

(vi) दिसंबर 2022 माह में नीति प्रभाग द्वारा 12 अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के संबंध में क्षमता आकलन किया गया ताकि इन विमानपत्तनोंपर भीड़ भाड़ की समीक्षा करके उसे कम किया जा सके ।

4.5 आधुनिकीकरण

(i) ना वि सु ब्यूरो ने आधुनिकीकरण और स्वचालन के लिए एक ई–गवर्नेंस योजना तैयार करने के लिए एन आई सी को अनुबंधित किया है। सभी स्टॉफ सदस्यों को आधारभूत प्रचालन हेतु प्रशिक्षित किया गया है। सारे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कंप्यूटर पर तैयार किए जा रहे हैं य जिसके परिणामस्वरूप डेटाबेस का विकास और प्रशासन एवं इलैक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसैसिंग संभव हो पाई ।

(ii) इंटरनेट और NICNET तक त्वरित एवं आसान पहुंच के लिए एन आई सी मुख्यालय से ब्यूरो तक आर एफ लिंक का उपयोग किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को ई मेल की सुविधा दी गई है। अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसिस तथा विमानन सुरक्षा संगठनों की विभिन्न वेबसाइटों तक पहुंच के लिए इंटरनेट संपर्कता उपलब्ध करवाई गई है।

(iii) ना वि सु ब्यूरो के सभी अधिकारियों को एक आधिकारिक ई मेल आई डी उपलब्ध करवाई गई है जिसका उपयोग उनके द्वारा हर प्रकार के पत्राचार के लिए किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप समय और प्रयासों के पक्ष से और अधिक बचत हुई है। ना वि सु ब्यूरो की वेबसाइट को यात्रियों के लिए संगत जानकारी को शामिल करते हुए प्रयोक्ता हितैशी और द्वि भाषी बनाया गया है।

(iv) विमानपत्तन प्रवेश परिमिट्स के अनुमोदन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाया गया है।

(v) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ साथ ई ऑफिस प्रणाली को भी

पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है। सभी फाइलें / पावतियां केवल इलैक्ट्रॉनिकली संसाधित की जा रही हैं।

(vi) ना वि सु ब्यूरो वर्ष 2016 से जी ई एम का उपयोग कर रहा है और तब से सरकारी खरीद में पारदर्शिता, कुशलता और तेजी लाने के लिए जी ई एम पर उपलब्ध उत्पादों / सेवाओं की खरीद की जा रही है।

(vii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ''ई–सहज'' का कार्यान्वयन : सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ''ई–सहज'' का कार्यान्वयन और ना वि सु ब्यूरो मुख्यालय के साथ इसका समेकन कार्यान्वित कर दिया गया है और इससे संगठनों की सुरक्षा अनापत्ति में कुशलता, तेजी और समयबद्ध संसाधन सुनिश्चित होगा । विभिन्न संगठनों के लिए ई–सहज पोर्टल में सुरक्षा अनापत्ति का निर्धारित प्रपत्र ना वि सु ब्यूरो द्वारा संशोधित किया गया है क्योंकि संगठनों के साथ साथ ना वि सु ब्यूरो को भी आवेदन प्रोफॉर्मा के पहले के रूप में अस्पष्टता होने के कारण आवेदन करने/संसाधित करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था । संशोधित प्रोफॉर्मा लागू करने के बाद संगठनों को यह अत्यधिक प्रयोक्ता हितैषी लग रहा है और अपने आवेदनों को बिना बाधा भरने के लिए सरल मार्गदर्शन मिल रहा है जिससे संसाधन समय को न्यूनतम बनाया गया है।

4.6. ना वि सु ब्यूरो की पुनरूसंरचना / सुदृढ़ीकरण

(i) नागर विमानन को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे भारत में स्थापित ना वि सु ब्यूरो के सभी 20 क्षेत्रीय कार्यालय प्रचालन कर रहे हैं। कास्लो कार्यालय भी प्रचालनात्मक हैं।

(ii) वर्ष 2022 में, 'क' श्रेणी के 03 अतिरिक्त पद अर्थात् उप निदेशक (प्रौद्योगिकी), उप निदेशक (इंट) और विधि अधिकारी सृजित किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2022 को मौजूद स्थिति के अनुसार, ना वि सु ब्यूरो में 595 संस्वीकृत पदों में से कुल 398 पदों को भरा गया ।

4.7 एवसेक के लिए आर एंड डी डेटाबेस

ना वि सु ब्यूरो नेटवर्कड डेस्क स्टेशन के मायम से सर्वर पर निरीक्षण रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई, फीडबैक रिपोर्टों, सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों, घटना जांच के विस्तृत दस्तावेजों के विवरण का रखरखाव करता है। आने वाले समय में ब्यूरो का प्रस्ताव ई डी पी तथा आर एंड डी प्रयोजन से विश्वस्नीय डेटाबेस संकलित करना है।

4.8 प्रदूषण नियंत्रण

सभी वाहनों के लिए प्रदूषण जांच सुनिश्चित की जाती है तथा ना वि सु ब्यूरो के सभी वाहनों के विंडस्क्रीन पर प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से दिखाते हुए लगाया जाता है। ना वि सु ब्यूरो के सभी कार्यालयों की इमारतें कर्मचारियों की स्वयं अपनी पहलों तथा एक प्रदूषण मुक्त वातावरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में योगदान देकर स्वच्छ एवं हरित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। ना वि सु ब्यूरो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नए वाहन ''भारत–IV/VI'' प्रमाणित हों। ब्यूरो अपने कर्मचारियों को एक ''धुम्रपान रहित वातावरण'' भी उपलब्ध करवाता है।

4.9 महिला कल्याण

महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर इस विषय के संबंध में सरकारी नीति की विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट होते ही तुरन्त ध्यान दिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें उप महानिदेशक के स्तर के अध्यक्षा और एन जी ओ से एक सदस्य शामिल हैं।

4.10 प्रशिक्षण

i. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो भारत में विमानन सुरक्षा के लिए एक विनियामक निकाय है और ना वि सु ब्यूरो ने भारत में विमानन क्षेत्र में कार्य कर रहे भागीदारों / संगठनों के 33 विमानन

सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित किया है। यह संस्थान महानिदेशक, ना वि सु ब्यूरो के अनुमोदन के अनुसार अपने संस्थानों में विभिन्न विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम करवा रहे हैं। वे गैर–सुरक्षा स्टॉफ के लिए भी एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण करवा रहे हैं।

ii. ना वि सु ब्यूरो के प्रशिक्षण प्रभाग ने एडवांस एवसेक पाठ्यक्रमों, स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण (स्टैन्ड अलोन के साथ साथ आई एल एच बी एस) और एवसेक बेसिक पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2022 तैयार किया और तद्नुसार प्रशिक्षण कैलेंडरों को ना वि सु ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किए गए और उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम और परीक्षाएं आयोजित की गईं।

iii. ना वि सु ब्यूरो ने एन आई ई एल आई टी के समन्वयन से पाठ्यक्रम के अंतिम दिन भारत के विभिन्न शहरों में खासतौर पर दिल्ली, देहरादून, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलूः और कोचीन में एवसेक बेसिक कोर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन आयोजित किया । तथापि, ना वि सु ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों के विशेष अनुरोध पर अथवा जरूरत के आधार पर, उपरोक्त परीक्षाएं ए पी एस यू कार्मिकों के लिए भारत के अन्य शहरों में भी करवाई गईं जहां एन आई ई एल आई टी के पास ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की सुविध‍ा उपलब्ध थी, जैसे कि, श्रीनगर (जेएंडके), लखनऊ (यू पी), अमृतसरध्जालंधर (पंजाब), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), जयपुर (राजस्थान), रांची (झारखंड) ।

iv. ना वि सु ब्यूरो ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी, बैंगलूरु और अहमदाबाद स्थित ना वि सु ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) की परीक्षा एवं प्रमाणन का आयोजन किया । दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलूः और कोचीन में स्थित ना वि सु ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) की परीक्षा एवं प्रमाणन आयोजित किया गया।

v. स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) की परीक्षा एवं प्रमाण ान के सामान्य स्लॉट के अलावा इंटरग्लोब एविएशन लिमिटिड, स्पाइसजेट लि., एयर इंडिया लि., एयर एशिया (आई) लि., गो एयर, के एस आई एस एफ (कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स, सी आई एस एफ, टाटा एस आई ए एयरलाइन्स लि. सी ई एल ई बी, डी सी एस सी आदि को महानिदेशक, ना वि सु ब्यूरो के अनुमोदन से दिए गए । स्क्रीनर्स (स्टैन्डअलोन) के परीक्षण एवं प्रमाणन हेतु कुल 53 विशेष स्लॉट विभिन्न संगठनों को उनकी जरूरत के अनुसार अनुमोदित एवं आवंटित किए गए।

vi. स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) की परीक्षा एवं प्रमाणन हेतु विशेष स्लॉट महानिदेशक, ना वि सु ब्यूरो के अनुमोदन से सी आई ए एल, बी आई ए एल, एम आई ए एल, जी एच आई ए एल, डी आई ए एल और ए ए आई सी एल ए एस एस को आवंटित किए गए । स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) की परीक्षा एवं प्रमाणन के कुल 12 स्लॉट विभिन्न संगठनों को उनकी जरूरत के अनुसार अनुमोदित एवं आवंटित किए गए ।

vii. क्षेत्रीय कार्यालयों, गुवाहाटी, पटना, रांची, हैदराबाद और चेन्नई के अंतर्गत आने वाले ए पी एस यू कार्मिकों के लिए 5 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण का विशेष अनुमोदन भी प्रदान किया गया और तद्नुसार क्षेत्रीय निदेशालयों ने 5 दिवसीय एवसेक इन्डक्शन प्रशिक्षण आयोजित किया ।

viii. एन आई ई एल आई टी के साथ समन्वय करके ना वि सु ब्यूरो द्वारा एवसेक बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा रही है और द्विभाषी रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा स्क्रीनर्स (स्टैन्डअलोन) की परीक्षा एवं प्रमाणन के लिए भी द्विभाषी प्रश्नपत्र तैयार किया जा रहा है ताकि विमानन कार्मिकों द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में बढ़ोत्तरी की जा सके।

ix. एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट (ए

एस टी सी), आई ए ए कैम्पस, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे एडवांन्स्ड एवसेक पाठ्यक्रमों के लिए सभी हिस्सेदारों से नामांकन ई–बीसीएएस (प्रशिक्षण मॉड्यूल) में प्राप्त हो रहे हैं और तद्नुसार अर्हता मापदंडों की जांच की जाती है और महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनुमोदन के पश्चात् अर्हताप्राप्त प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

x. इसके अलावा, ना वि सु ब्यूरो द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2022 के अनुसार निर्धारित नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा ए एस टी सी, आई ए ए अकैडमी में एवसेक इन्स्ट्रक्टर कोर्स, एवसेक इन्स्ट्रक्टर रिफ्रैशर कोर्स, एवसेक ऑडिटर कोर्स और एवसेक ऑडिटर रिफ्रैशर कोर्सिस के अतिरिक्त बैच भी ना वि सु ब्यूरो ने आयोजित किए हैं।

xi. ना वि सु ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर नए तैनात हुए ना वि सु ब्यूरो के अधिकारियों / कार्मिकों के लिए एवसेक बेसिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। ना वि सु ब्यूरो के अधिकारियों के लिए एवसेक इन्स्ट्रक्टर और एवसेक ऑडिटर्स कोर्स भी ए एस टी सी, आई ए ए कैम्पस में महानिदेशक, ना वि सु ब्यूरो के अनुमोदन से आयोजित किए गए।

xii. प्रशिक्षण उपलब्धियां

क) इस अवधि के दौरान राज्य पुलिस, सी आई एस एफ तथा अन्य भागीदारों की और अधिक ए एस टी आई स्थापित करने के प्रयास किए गए । तद्नुसार, कर्नाटक स्टेट इन्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स (के एस आई एस एफ), सी आई एस एफ/ ए एस जी, अमृतसर, एएआई गुवाहाटी, मैसर्स एस एन वी एविएशन प्रालि, गुरूग्राम (हरियाणा) को मान्यता प्रदान की गई और ए एस टी आई में एविएशन सिक्योरिटी प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ ।

ख) राज्य पुलिस प्राधिकारियों को जागरूक करने के लिए, ना वि सु ब्यूरो ने अक्तूबर माह 2022 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य पुलिस प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया और उन्हें विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण और राज्यों में भी ए एस टी आई स्थापित करने के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की ।

ग) एवसेक बेसिक कोर्स और एवसेक एयर क्रू कोर्स की ट्रेनिंग रेफरैन्सिंग बुक (टी आर बी) को अद्यतन बनाया गया और तद्नुसार महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनुमोदन से एवसेक बेसिक कोर्स और एवसेक एयर क्रू कोर्स की ट्रेनिंग रेफरैन्सिंग बुक (टी आर बी) सभी संबंधित संगठनों को जारी की गईं और एन सी ए एस टी पी में अपेक्षित संशोधन किया गया ।

घ) विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर ए एस टी सी, आई ए ए कैम्पस, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एवसेक एडवांस्ड कोर्सिस के लिए मालदीव्ज एविएशन के सिक्योरिटी कार्मिकों को सीटें आवंटित की गईं । आवंटन के अनुसार मालदीव्ज के सुरक्षा कार्मिकोंने एवसेक इन्स्ट्रक्टर कोर्स, एवसेक ऑडिटर कोर्स, आपदा प्रबंधन कोर्स, एवसेक सुपरवाइजर कोर्स में उपस्थित हुए । कुल –13 (तेरह) मालदीव्ज एविएशन सुरक्षा कार्मिकों ने एएसटीसी, आई ए ए कैम्पस, नई दिल्ली कोर्स किया ।

ड.) लगातार अनुरोध के पश्चात, आई सी ए ओ मुख्यालय, मांट्रीयल ने 7 से 11 अगस्त 2023 से ए एस टी सी–आई ए ए कैम्पस नई दिल्ली में आयोजित करने के लिए एक इकॉओ एवसेक राष्ट्रीय इन्स्ट्रक्टर कोर्स आवंटित किया है।

च) वर्ष 2023 के दौरान डी एफ टी–यू के सहयोग से ना वि सु ब्यूरो ई टी डी और यात्री तथा केबिन बैगेज स्क्रीनिंग कोर्सिस भारत में आयोजित करेगा।

छ) सुरक्षा स्टॉफ से इतर कार्मिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पर ई

ट्रेनिंग मॉड्यूल दिनांक 25.11.2022 को महानिदेशक, ना वि सु ब्यूरो द्वारा लॉच किया गया है।

ज) एन सी ए एस टी पी–2018 में संशोधन के माध्यम से उत्तरदायित्वों के आवंटन में और अधिक हिस्सेदारों को शामिल किया गया ।

xiii. वर्ष 2022 के दौरान विमानन क्षेत्र में सुरक्षा कार्मिकों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमका विवरण निम्नानुसार है : –

क्रम सं.	एवसेक कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	बैच की संख्या	उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या
1	गैर–सुरक्षा स्टॉफ के लिए एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण	01	2646	103102	103102
2	विमानन सुरक्षा इन्डक्शन कोर्स	05	251	6019	5226
3	विमानन सुरक्षा बेसिक कोर्स	13	363	9094	5568
4	विमानन सुरक्षा बेसिक रिफ्रैशर कोर्स	03	392	11085	10875
5	स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) का परीक्षण एवं प्रमाणन	02	353	11553	7905
6	इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणन	02	29	931	807
7	विमानन सुरक्षा केबिन क्रू कोर्स	06	461	10732	10434
8	विमानन सुरक्षा केबिन क्रू रिफ्रैशर कोर्स	02	2	21	11
9	विमानन सुरक्षा इन्स्ट्रक्टर कोर्स	07	11	152	74
10	विमानन सुरक्षा इन्स्ट्रक्टर रिफ्रैशर कोर्स	02	7	76	72
11	विमानन सुरक्षा ऑडिटर कोर्स	07	6	109	48
12	विमानन सुरक्षा ऑडिटर रिफ्रैशर कोर्स	02	4	53	45
13	एवसेक आपदा प्रबंधन कोर्स	05	2	22	19
14	एवसेक पर्यवेक्षक कोर्स	07	2	34	13
कुल जोड़			**4529**	**152983**	**144199**

वर्ष 2022 में आयोजित किए गए एवसेक पाठ्यक्रमों में भागीदार

एवसेक जागरूकता प्रशिक्षण – 01 दिन :	1,03,102
एवसेक प्रशिक्षण (विभिन्न पाठ्यक्रम) 02–12 दिन:	49,881
कुल जोड़ :	**1,52,983**

4.11 राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ना वि सु ब्यूरो ने एवसेक स्क्रीनर्स की परीक्षा को द्विभाषी रूप में करवाए जाने का निर्णय लिया है ताकि विमानन क्षेत्र के साथ साथ भारत में अवस्थित इसके

क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी भाषा का उपयोग बढ़े। हिन्दी के प्रगामी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किए गए और इसके अलावा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यालय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

4.12. अनु जा /अनु जनजा तथा अ पि व का प्रतिनिधित्व

ब्यूरो इस विषय पर सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन करता है और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को अनु जा /अनु जनजा तथा अ पि व के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

4.13 कर्मचारी शिकायत एकक

सरकारी निर्देशों के अनुपालन में इस ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों से निबटने के लिए स्टॉफ शिकायत अधिकारी के रूप में निदेशक (प्रशासन) के साथ इस ब्यूरो में एक कर्मचारी शिकायत एकक कार्य करता है। ना वि सु ब्यूरो स्टॉफ की शिकायतों, यदि कोई हों तो, पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

4.14 सार्वजनिक शिकायत निवारण

i. एक वेब अनेबल्ड ऑनलाइन पद्धति, सीपीग्राम के माध्यम से वर्ष 2022 के दौरान कुल 103 शिकायतों का निवारण किया गया।

एवसेक पाठ्यक्रम

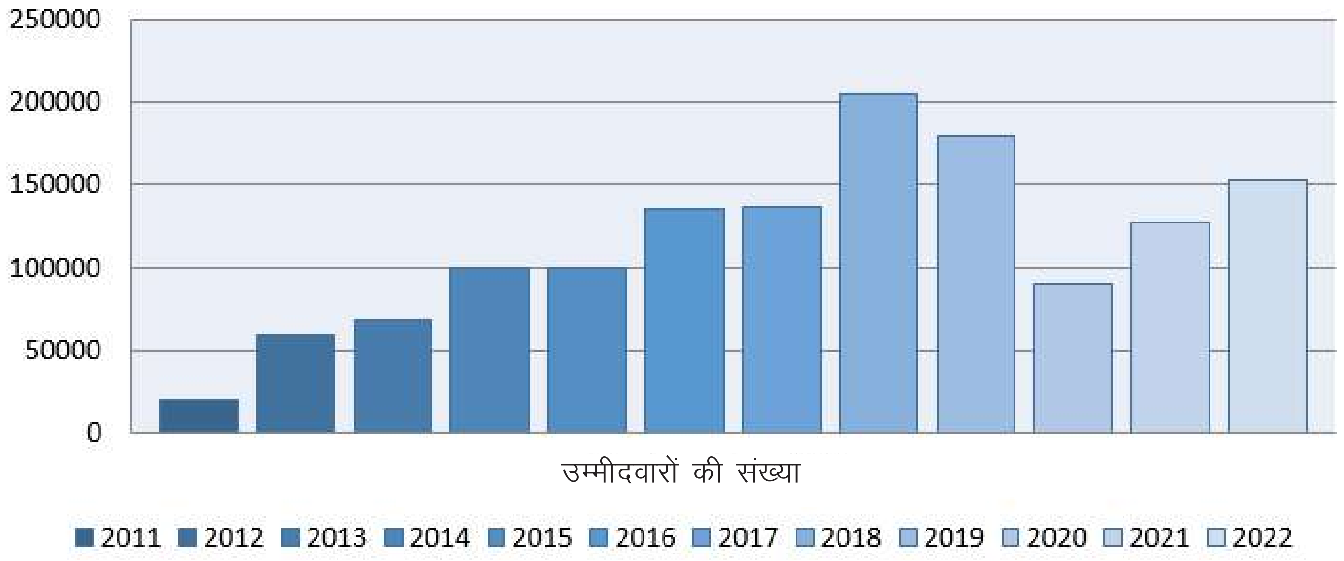

5. रेल संरक्षा आयोग

5.1 संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश काल के दौरान, रेलवे का निर्माण एवं परिचालन प्राइवेट कम्पनियों को सौंपा गया था। उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के अधीन परामर्शी इंजीनियर्स नियुक्त किए गए थे। जब सरकार के अधीन रेलवे का निर्माण आया, परामर्शी इंजीनियर्स सरकारी निरीक्षक के रूप में पद नामित किए गए। सन् 1883 में उनकी स्थिति सांविधिक मान्यता की थी। सरंक्षा नियंत्रण प्राधिकार की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास रही और निरीक्षणालय उनके अधीन रखा गया था।

17 जुलाई , 1937 को भारतीय पूर्व रेलवे के मुगल सराय – पटना खण्ड में बिहटा स्टेशन पर पंहुचते समय 18 अप पंजाब मेल की गंभीर रेल दुर्घटना हुई थी । सन् 1939 में बिहटा आपदा के संबंध में गठित पैसिफिक लोकोमोटिव समिति ने सिफारिश की , कि रेल निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक किया जाना चाहिए , इस सिद्धांत पर किया जाए कि रेल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी पदधारी रेल का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी से स्वतंत्र हों, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 181(3) में व्यवस्था की गई है। इस सिफारिश को सन् 1939 में विधान मण्डल द्वारा और सन् 1940 में राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। तद्नुसार मई 1941 में, रेल

निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक कर दिया गया था। मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक (मु.स.रे. नि.) का पद सृजित किया गया जिसके माध्यम से सरकारी रेल निरीक्षक (स.रे.नि.) सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रेल निरीक्षणालय को उस समय संचार विभाग में रखा गया था और अब नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के अधीन है।

दिनाँक 01.11.1961 को मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम रेल संरक्षा आयुक्त (रे.स.आ.) और सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त (अ.रे.स.आ.) कर दिया गया। जून, 1979 से रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम 'मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त' (मु.रे.सं.आ.) और अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम 'रेल संरक्षा आयुक्त ' (रे.स.आ.) में कर दिया गया।

रेल संरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति आज भी भारतीय रेलवे (आई.आर.) के अधिकारियों में से की जाती है, किन्तु वे रेलवे में वापस नहीं जाते हैं और वे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में समायोजित हो जाते है।

5.2 संगठन परिचय –

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (मु.रे.सं.आ.) का कार्यालय लखनऊ में स्थित है जो चरणबध्द तरीके से नई दिल्ली को स्थान्तरित हो रहा और नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) का भाग है। उन सभी मामलों में जो आयुक्तों से संबंधित हैं, के लिए वह केन्द्र सरकार के लिए प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के कार्यों को देखने के लिए देशभर में विभिन्न स्थानों पर 09 रेल संरक्षा आयुक्त (सी.आर.एस.) और 01 मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) परिमण्डल कार्यालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त , पश्चिम परिमण्डल के रे.सं.आ और दक्षिण परिमण्डल के रे.सं.आ. भी अपने से संबंधित क्षेत्राधिकार में मेट्रो के लिए मे.रे.सं.आ. का कार्य करते है। आयुक्तों के कार्यालय, परिमण्डल कार्यालय कहलाते हैं। प्रत्येक परिमण्डल कार्यालय में 9 से 11 कार्यालय स्टाफ होते है, जिसमें वरिष्ठ निजी सचिव (1), वरिष्ठ तकनीकी निरीक्षक(2) कार्यालय अधीक्षक (1), प्रवर लिपिक (2), अवर लिपिक (2) और मल्टी टास्किंग स्टाफ है।

प्रत्येक परिमण्डल के लिए उप रेल संरक्षा आयुक्त (उप.रे.सं.आ.) का एक पद स्वीकृत है और वे भारतीय रेलवे (आई.आर.) के विभिन्न विभागों से आते हैं। वर्तमान में –

- सिविल इंजीनियरिंग से दक्षिण परिमंडल, दक्षिण मध्य परिमंडल और दक्षिण पूर्व परिमंडल में,

- विद्युत इंजीनियरिंग से मध्य परिमंडल में, और
- सिगनल एवं दूरसंचार (सिग. एवं दूर.) इंजीनियरिंग से उत्तर परिमंडल, पूर्व परिमंडल, पू.सी. परिमंडल, पश्चिम परिमंडल और पूर्वोत्तर परिमंडल में उप रेल संरक्षा आयुक्त हैं।
- उपरोक्त के अलावा मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए एक पद उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त का है।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय में दो विंग हैं अर्थात रेल संरक्षा विंग और तकनीकी विंग।

रेल सरंक्षा विंग में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को दैनिक सरकारी कार्यों के साथ–साथ रेल मंत्रालय (रे.मं.) और नागर विमानन मंत्रालय(ना.वि.मं.) से सम्पर्क बनाये रखने में सहायता के लिए एक उपायुक्त (सामान्य) हैं। इसमें निजी सचिव (1), अनुभाग अधिकारी (1), सहायक अनुभाग अधिकारी (5), वैयक्तिक सहायक (1), व.स.सहायक (1), क.स. सहायक (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ हैं।

तकनीकी विंग में मु.रे.सं.आ. और रे.सं. आयुक्तों को तकनीकी मामलों में आवश्कतानुसार सहायता करने के लिए लखनऊ मुख्यालय पर विभिन्न विभागों (यांत्रिक, सिग्नल दूरसंचार, विद्युत, परिचालन) के 4 उप रेल संरक्षा आयुक्त है। यह रेल संरक्षा आयोग के लिए प्रबुद्ध मंडल तथा संस्थानीय स्मृतिध्शक्ति के रूप में कार्य करता है। तकनीकी विंग कार्यालय में आवश्यक स्टॉफध्अधिकारी की नियुक्ति की गई है जैसे एक सहायक निदेशक (राजभाषा), कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (1),वरिष्ठ तकनीकी निरीक्षक (5), तकनीकी सहायक (2), अवर लिपिक (1), स्टाफ कार ड्राइवर (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ (4) हैं।

उप रेल संरक्षा आयुक्त सांविधिक प्राधिकारी नहीं हैं। वे रेलवे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं और प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद रेलवे में वापस चले जाते हैं।

5.3 आयुक्तों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन, धारा 6 में दिए गए रेल संरक्षा आयुक्त (रे.सं.आ.) के कर्तव्य एवं कार्य निम्नलिखित हैं

(क) नई रेलों का निरीक्षण यह निर्धारित करने के लिए करना कि क्या ये रेल लाइनें यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने के उपयुक्त हैं तथा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित हैं, केन्द्र सरकार को इस विषय में रिपोर्ट देना,

(ख) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार किसी रेलवे अथवा उस पर प्रयोग होने वाले किसी चल स्टाक का आवधिक अथवा अन्य निरीक्षण करनाय

(ग) रेलवे पर किसी भी दुर्घटना के कारणों की इस अधिनियम के अधीन जाँच करनाय

(घ) इस अधिनियम के अधीन या उनको सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निष्पादन।

5.4 मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के कार्यः—

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधिकारियों की भर्ती, तैनाती एवं पदोन्नति, बजट एवं व्यय इत्यादि के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देता है। मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करते हैंः—

(क) रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा नई लाइनों की निरीक्षण रिपोर्टों, वर्तमान लाइनों का आमान परिवर्तन कार्य और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण को मु.रे.स.आ. कार्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(ख) दुर्घटनाओं की सांविधिक जांचों (प्रारम्भिक और अंतिम) की प्रथम तीन रिपोर्टों, जो नए नियुक्त हुए आयुक्तों द्वारा की गई, की रेलवे बोर्ड को अग्रसारित करने से पहले जांच के लिए मु.रे.स.आ. को भेजी जाती है।

(ग) आयुक्त की सिफारिशों के साथ प्राप्त आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन की माफी से संबंधित रेलवे के प्रस्तावों की स्क्रूटनी की जाती और यदि सही पाया जाता है तब मु.रे.स.आ. की टिप्पणियों के साथ रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(घ) आर. डी. एस. ओ. से प्राप्त नए चल स्टाक की शुरूआत या मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के सम्बन्ध में रेलवे के प्रस्तावों की जाँच

की जाती और यदि यह सही पाया जाता है, तो उपयुक्त शर्तों के साथ रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाता है।

(ड.) चल स्टाक के मामलों में आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन के माफी के लिए अन्य कोई समान मामला भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के सिफारिश पर रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(च) रेलवे बोर्ड के सामान्य नियमों के संशोधन के लिए, रेलवे को खोलने के लिए नियम, आयामों की अनुसूची इत्यादि के प्रस्तावों की जांच आयुक्तों के परामर्श में की जाती है और रेलवे बोर्ड को आयोग के विचारों को भेजा जाता है, जैसा कि संदर्भित हैः और

(छ) रेल संरक्षा आयुक्तों के क्रियाकलापों पर 'वार्षिक रिपोर्ट' तैयार करना।

(ज) रेल संरक्षा से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्यध्कर्तव्य।

5.5 रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य–

5.5.1 नई लाइनों के खोलने का प्राधिकारः

रेल अधिनियम 1989, की धारा 6, मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 और खोलने के नियम, 2000 के अनुसार भारतीय रेलवेध्मेट्रो रेलवे नई रेलवे लाइन खोलने, वर्तमान लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन कार्यों, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के संबंध में संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त से संस्वीकृति लेने के लिए आवेदन के साथ पहुंचते हैं।

खोलने के नियम में शर्तें हैं कि जब आयुक्त को रेल के निरीक्षण के संदर्भ में रेलवे लाइन या रेलवे लाइन के खण्ड को खोलने के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उस तारीख से एक माह पूर्व के अंदर आयुक्त को सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

आवेदन प्राप्त होने पर रेल संरक्षा आयोग आवेदन की जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक है तो निरीक्षण की तारीख निश्चित की जाती और रेलवे को सूचित की जाती है। निश्चित तारीख पर सम्बन्धित मंडल के मं.रे.प्र. द्वारा नेतृत्व के मंडल अधिकारी और क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय के साथ–साथ रेल संरक्षा आयुक्त अपनी टीम के साथ निरीक्षण करता है।

निरीक्षण के बाद, यदि आयुक्त नए कार्यों से यात्रियों की संरक्षा से संबंधित उपयुक्तता से संतुष्ट है तो वह निश्चित शर्तों के साथ/ बिना शर्तों के विषयक कार्यों को खोलने के लिए प्राधिकार/ स्वीकृति जारी करता है और निरीक्षण रिपोर्टों को भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजता है।

यदि रेल संरक्षा आयुक्त यात्रियों की संरक्षा से संतुष्ट नहीं है, वह निरीक्षण रिपोर्ट के साथ कार्य में विभिन्न कमियों को बताते हुए यात्रियों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजता है। यह रेल संरक्षा आयुक्त का विवेक है कि वह रेलवे द्वारा पाई गई कमियों के लिए यात्रियों को परिवहन हेतु खोलने से पहले खण्ड को दुबारा निरीक्षण करे या कमियों को दूर करने के बाद खोलने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करने के लिए भेजता है।

5.5.2 लघु कार्यों के निष्पादन की स्वीकृतिय

चालू लाइन पर गाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले सरंचनीय कार्यों जैसे अतिरिक्त पुलों का प्रावधान, पुनर्निर्माण या वर्तमान पुलों की रिगर्डिंग, स्टेशन यार्डों की रिमोडलिंग, सिगनलिंग की रूपान्तरण को रे.स.आ. से स्वीकृत लेने के बाद ही रेलवे द्वारा किया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे अधिनियम के प्रावधानों में घोषित बदलाव द्वारा वर्ष 2022 के दौरान आयुक्तों की शक्तियों से कुछ कार्यों को हटा दिया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे समस्त संलग्नकों जैसे संयुक्त संरक्षा प्रमाण पत्र, रेलपथ प्रमाण पत्र, पुल प्रमाण पत्र, ओ.एच.ई. प्रमाण पत्र, अनु.अभि. एवं मा. संगठन गति प्रमाण पत्र, रेलवे बोर्ड की प्रथम संस्वीकृति, आयामों की अनुसूची के अतिलघंनों के लिए बोर्ड की छूट इत्यादि के साथ विभिन्न कार्यों के आवेदन देता है। ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के बाद, रे.स.आ. विभिन्न मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उनकी जांच करता है और यदि सही पाता है, उसके लिए संस्वीकृति देता है।

5.5.3 नए चल स्टाक के प्रारंभ और वर्तमान चल स्टाक की गति में वृद्धि,

01 अक्टूबर, 2018 के पूर्व में, ऐसे प्रस्ताव को रेल संरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत किये गये थे जिसे जांच के पश्चात् ऐसे प्रस्ताव की रिपोर्ट सिफारिशों के साथ मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजते थे। मु.रे.स.आ. प्रस्ताव की जांच करने के बाद यदि सही पाता था तो नये चल स्टाक को चलाने या मौजूदा चल स्टाक की गति को बढ़ाने की मंजूरी के लिए, रेल मंत्रालय के साथ या बिना किसी शर्त के उसकी सिफारिश करते थे। अब, रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या–698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, (नियम–28) आर. डी. एस. ओ. दोनो के लिए मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजता है

(अ) नये चल स्टाक के प्रारम्भ और

(ब) मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के लिए। मु.रे.स.आ. प्रस्ताव की जांच करने के बाद यदि सही पाता है तो नये चल स्टाक को चलाने या मौजूदा चल स्टाक की गति को बढ़ाने की मंजूरी के लिए, रेल मंत्रालय के साथ या बिना किसी शर्त के उसकी सिफारिश करता है।

5.5.4 रेलवे बोर्ड ने अधिकतम, न्यूनतम एवं संस्तुति की गई आयामों की अनुसूची (संशोधित 2004) भारत के सभी रेलवे पर 1676 एम.एम. गेज का अनुपालन हेतु जारी किया है।

भारतीय रेलवे के आयामों की अनुसूची (आई. आर. एस. ओ. डी.) (संशोधित 2004) की अनुसूची–1 में दिए गए इन आयामों को दो भागों में बांटा गया हैय वर्तमान कार्यों और नए कार्यों के लिए। इन आयामों को भारतीय रेलवे पर सभी 1676 एम. एम. गेज पर लागू है जब तक कि नए कार्यों में निष्पादन के आई.आर.एस.ओ.डी. के द्वारा किए गए अतिलंघनों को रे.स.आ.ध्मु.रे.स.आ. के माध्यम से रेलवे बोर्ड से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होती।

01 अक्टूबर, 2018 से पहले, आयामों की अनुसूची में किसी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.स.आ. को प्रस्तुत किया जाता था। तब संरक्षा के दृष्टिकोण से रे.सं.आ. द्वारा इसकी छानबीन की जाती थी। जांच करने के पश्चात, रे.सं.आ. अतिलंघन के छूट के लिए प्रस्ताव मु.रे.सं.आ. को भेजा जाता था। दोबारा मु.रे.स.आ. कार्यालय में प्रस्ताव की जांच की जाती थी और तब रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है। मु.रे.सं.आ. की सिफारिश के आधार पर रेलवे बोर्ड अतिलंघन की छूट पर संस्वीकृति देता था।

हालांकि, रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या–698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और पैरा–22ए के अनुसार इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अनूसूची के लिए किसी भी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.सं.आ. को प्रस्तुत किया जाता है जो तब संरक्षा के दृष्टिकोण से रे. सं.आ. द्वारा जांच की जाती है। प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात, यदि रे.सं.आ. संतुष्ट है कि रेल के संचालन के लिए अतिलंघन सुरक्षित है, तो वह शर्त के साथ या उसके बिना अतिलंघन माफी देता है। यदि प्रस्तावित अतिलंघन आई.आर.एस.ओ.डी. की अनुसूची–2 में परिभाषित सीमाओं से परे है तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमों के इस संशोधन से पहले की प्रक्रिया अर्थात दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से पहले का पालन किया जाता है।

5.5.5 कोई परेषण (कनसाइनमेंट) आई.आर.एस.ओ.डी., 2004 के मानकों के अनुसार नहीं होता उसे अत्याधिक आयाम परेषण (ओ.डी.सी.) माना जाएगा। भारतीय रेलवे पर ओ.डी.सी. के चलन हेतु सक्षम अधिकारी की अलग से स्वीकृति आवश्यक है। रेलवे ओ.डी.सी. के चलन हेतु आवदेन संबंधित रे. स.आ. को देता है।

5.5.6 रेलवे की कार्यप्रणाली से अवगत रहने के लिए चालू लाइनों का निरीक्षण करना, और

5.5.7 गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जाँच और अन्य रेल दुर्घटनाओं की रेलवे द्वारा की गई जाँचों की रिपोर्टों की समीक्षा।

5.6 क्रियाकलाप / उपलब्धियां

वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के दौरान मुख्य क्रियाकलापों का सार इस प्रकार है:

मुख्य क्रियाकलाप	2021–22 (आंकडे 01.01.21 से 31.12.21 तक)	2022–23 (आंकडे 01.01.22 से 31.12.22 तक)
निरीक्षित और प्राधिकृत की गई लाइनें(कि.मी.)		
अतिरिक्त लाइनें / दोहरीकरण	939.11	1797.39
नई लाइनें	157.02	176.19
आमान परिवर्तन	179.26	109.18
विद्युतीकरण	2168.53	**
लघु निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	4162	2306**
चल स्टाक के स्वीकृत / अग्रेसित मामलों की संख्या	21	31

** क्रियाकलापों की संख्या कम कर दी गई क्योंकि गजट एस.ओ. 2368(ई) दिनांक 24.05.2022 के अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम–1989 की धारा 21, 22 एवं 23 के प्रावधानों के आवेदन से इन क्रियाकलापों को छूट दी जा चुकी है।

5.7 हिन्दी के प्रयोग की प्रगति

आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में अधिकतम पत्राचार हिंदी में किया गया है। इसके

परिणामस्वरूप मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के निरन्तर प्रयासों के बाद 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित परिमण डल कार्यालय द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान हिन्दी में क्रमशः 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत एवं 88.63 प्रतिशत का उत्साह जनक लक्ष्य प्राप्त किया है। आयोग ने 23 सितम्बर, 2022 को अपनी हिंदी गृह पत्रिका 'सुरुचि' 2022 का प्रकाशन किया । हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पश्चिम परिमण्डल को प्रथम स्थान के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः पूर्वोत्तर एवं दक्षिण परिमंडल को पुरस्कार प्रदान किया गया।

5.8 स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण:

रेल संरक्षा आयोग के सभी कार्यालयों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यालय परिसर को सदैव स्वच्छ व सुव्यवस्थित रखा जाता है। कार्यालय परिसरों में धूम्रपान पूर्णरूप से निषेध है। वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाये गये है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हैं।

5.9 लिंग बजटीय आंकड़ा सहित महिला कल्याण:

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधांए जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशु–पालन और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारी रेलवे के महिला कल्याण संगठन की महिला समिति में प्रतिभागी

भी हैं। जहाँ तक संभव है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण पर जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जाता है।

5.10 लोक शिकायत निवारण मशीनरी:

सामान्यतः रेल संरक्षा आयोग में आम लोगों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, रेल संरक्षा आयोग या अन्य मंत्रालय द्वारा हस्तांरित (सी. पी. जी. आर. ए. एम. एस.) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है। रेल संरक्षा आयोग शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए ई–आफिस स्तर पर भी कार्य करता है।

5.11 पूर्वोत्तर में विकास के लिए चलायी जा रही गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

रेल संरक्षा आयोग स्वयं किसी कार्य का निष्पादन नहीं करता। अधिनियम के अंतर्गत इसकी भूमिका निरीक्षणकर्ता , जाँचकर्ता एवं सलाह प्रकति की है।

5.12 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार रेल संरक्षा आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

संगठन का नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचप्रियों की कुल सं.	प्रतिशत (लगभग)	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की कुल सं.	प्रतिशत (लगभग)	अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की कुल सं.	प्रतिशत (लगभग)
रेल संरक्षा आयोग	108	18	16.67 प्रतिशत	4	3.70 प्रतिशत	13	12.04 प्रतिशत

5.13 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याणः

रे. सं. आ. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा, रे.सं.आ. ने एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी को संविदा आधार पर पुनर्नियोजन किया है।

5.14 विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएंः

रे.सं.आ., भारत सरकार एवं नागर विमानन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं देता है।

5.15 सतर्कता संबंधी क्रियाकलापः

रे. सं. आ. अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं।

6. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

6.1 स्थापना और कार्य

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा जारी मानकों और अनुशंसित पद्धतियों (SRP) के अनुसार तथा विनियामक कार्य से अन्वेषण कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), भारत से अलग एक ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय लिया।

भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2012 तैयार किए गए और दिनांक 5 जुलाई, 2012 को इन्हें राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया। इन नियमों के अनुसार और दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं और घटनाओं की जाँच करने प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने 30 जुलाई, 2012 को नागर विमानन मंत्रालय में वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) के रूप में ज्ञात एक ब्यूरो की स्थापना की है।

6.2 संगठन

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) अनुबंध–13 के अनुसार, वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमों को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) को नागर विमानन मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। अब जाँच कार्य संशोधित वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 के अनुसार किया जा रहा है, क्योंकि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) को न्यायिक निकायों या अन्य सरकारी प्राधिकरणों से पूर्व सहमति के बिना सभी संगत साक्ष्यों तक तत्काल और अप्रतिबंधित पहुँच प्राप्त हो गई है।

भर्ती नियमों को 06 मई, 2022 को अधिसूचित किया गया। विभिन्न पदों पर भर्ती का कार्य नागर विमानन मंत्रालय में प्रगति पर है।

6.3 दायित्व

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वारा अनुबंध–13 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के प्रति भारत के दायित्वों को पूरा करना अपेक्षित है यह संगठन और विभिन्न कार्यों को निष्पादित करेगा, जिसमें शामिल हैं:–

क) नियम 9 के उपनियम(1) या नियम 7 के उपनियम (3) के तहत किसी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों से नियम 9 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करना।

ख) घटना का वर्गीकरण करना और जाँच प्रक्रिया को निष्पादित करना तथा औपचारिक जाँच के मामले में इन नियमों के तहत केंद्र सरकार को सहयोग प्रदान करना:

ग) जब भी आवश्यक हो अन्वेषण के कार्य में जाँच और प्रशासनिक कार्य को सुकर बनानारू

घ) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्टों को संसाधित करना जिसमें शामिल है:–

   I. महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति और महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जैसा वह उचित समझे उस ढंग से रिपोर्ट को सार्वजनिक करना,

   ii. नियम 14 के उपनियम (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक की गई अंतिम रिपोर्ट को अनुबंध–13 की अपेक्षानुसार देशों को भेजना,

   iii. केद्र सरकार अथवा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक की गई अंतिम रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजना, यदि दुर्घटना अथवा घटना में शामिल एयरक्राफ्ट का मास 5,700 कि.ग्रा. से अधिक हो।

ड.) समय समय पर आयोजित किए गए सुरक्षा अध्ययनों के आधार पर सुरक्षा अनुशंसाओं को तैयार करना जिसमें सुरक्षा को बढाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है,

च) वास्तविक अथवा संभावित सुरक्षा त्रुटियों पर जानकारी के प्रभावी विश्लेषण के लिए किसी दुर्घटना और घटना का डेटाबेस तैयार करना और उनका अनुरक्षण करना,

छ) समय समय पर यथा संशोधित 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुबंध–13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के दायित्वों को प्रक्रिया में लानाय

ज) जाँच रिपोर्टों और सुरक्षा अध्ययनों में की गई अनुशंसाओं को डी जी, नागर विमानन और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करनाय

झ) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को वैश्विक सरोकार की सुरक्षा अनुशंसा (SRGC) को जारी किए जाने के बारे में और दिनांकित संचारण पत्राचार में इसके प्रत्युत्तरों के बारे में सूचित करना, चाहे वे वैश्विक सरोकार की सुरक्षा अनुशंसा (SRGC) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को संबोधित न हो, और

ञ) कोई अन्य कार्य जो इन नियमों के अंतर्गत समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को निष्पादित करने के लिए कह सकती है।

6.4 दुर्घटना/ गंभीर घटना जाँच

- 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 88 दुर्घटनाओं में से 78 दुर्घटनाओं की जाँच पूरी की जा चुकी है और 76 अंतिम जाँच रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से जारी किया जा चुका है।
- 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 110 गंभीर घटनाओं में से 106 गंभीर घटनाओं की जाँच पूरी की जा चुकी है और 103 अंतिम जाँच रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से जारी किया जा चुका है।
- अंतिम जाँच रिपोर्टें एएआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक दिए गए जाँच आदेश
  - वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 के नियम 11 के अंतर्गत महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वारा कुल 12 दुर्घटनाओं और 07 गंभीर घटनाओं की जाँच का आदेश दिया गया है।

6.5 विविध

- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) की डाटा डाउनलोडिंग और सी वी आर रीप्ले के लिए अपनी स्वयं की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्रयोगशाला बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- सभी स्वीकृत की गई जाँच रिपोर्टों के प्रभारी अन्वेषणकर्ता द्वारा की गई सुरक्षा सम्बन्धी अनुशंसाओं को कार्यान्वयन के लिए डी जी सी ए को भेजा गया था।
- व्यय विभाग, वित मंत्रालय ने जून, 2022 में 14 पदों (9 तकनीकी और 5 गैर– तकनीकी पद) को सृजित करने को अनुमोदन दे दिया हैद्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया का कार्य नागर विमानन मंत्रालय में जारी है।
- 05 गैर–तकनीक पदों में से, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) में एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का पद को सृजित करने का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
- "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।
- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB½ कार्यालय द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया गयाद्य
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- इस कार्यालय में शत–प्रतिशत ई–ऑफिस में कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2022 के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने के भरसक प्रयास किए गए और हिंदी में टिप्पणी निर्धारित 75 प्रतिशत के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया।
- महानिदेशक की अध्यक्षता में नियमित आधार पर हिंदी पखवाड़े/हिंदी दिवस का आयोजन किया गया।
- हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।
- गृह मंत्रालय द्वारा सूरत, गुजरात में आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह में इस कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया।
- नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन एक अंग्रेजी का शब्द हिंदी अर्थ बताकर अधिकारियों/कर्मचारियों को रोजाना एक अंग्रेजी–हिंदी शब्द सिखाने की पहल की जा रही है।

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

7.1 प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन देश में एकमात्र राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है। इग्रुआ की स्थापना सितम्बर, 1986 में रायबरेली, उत्तर प्रदेश के निकट अमेठी जिले के फुरसतगंज में, देश के वाणिज्यिक पायलटों के उड़ान मानकों तथा स्थल प्रशिक्षण के परिमाण में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

अपनी स्थापना के पिछले तीन दशकों के दौरान इग्रुआ द्वारा देश के लिए उत्तम पायलट तैयार किए गए हैं जिससे भारतीय विमानन उद्योग के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सका है।

7.2 संगठन संरचना

इग्रुआ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। इग्रुआ सोसायटी का संचालन नागर विमानन मंत्रालय के पदेन सचिव की अध्यक्षता में शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

अकादमी के प्रमुख निदेशक हैं तथा उन्हें विभाग/अनुभाग प्रमुखों की सहायता प्राप्त है। इग्रुआ के संचालन का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

7.3 लक्ष्य

इग्रुआ का मुख्य लक्ष्य एयरोनॉटिक्स विज्ञान एवं नागर विमानन को राष्ट्रीय हित में प्रोन्नत करना तथा विकास करना और साथ ही समान प्रकार की सेवाएं विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अकादमी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर के अनुरूप एयरलाइन सम्बद्ध उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रस्तावित विविध पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

क) फिक्स्ड विंग विमान के संबंध में प्रारंभ से लेकर वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम तक। उपकरण रेटिंग तथा मल्टी इंजन पृष्ठांकन, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

ख) डॉ.राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के माध्यम से बी. एससी (विमानन) तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

ग) मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से सूक्ष्म और लघु श्रेणी के ड्रोन दोनों पर पेशेवर आरपीएएस पायलट बनने के लिए 5 दिवसीय डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

घ) ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित आरपीटीओ के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से इग्रुआ द्वारा 7 दिवसीय 'ट्रेन द इंसट्रक्टर्स' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

ङ) पायलट उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रवीणता (ईएलपी) प्रशिक्षण और परीक्षण।

च) डीए 42 विमान पर सीआरएम एवं मल्टी क्रू कन्वर्जन पाठ्यक्रम ।

छ) भारतीय सीपीएल जारी करने के लिए विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के लिए कन्वर्जन प्रशिक्षण।

ज) नौसेना एवं तट रक्षक को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना।

झ) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षकों और पायलट प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

ञ) सहायक उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग (ए) और उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग (ए) के लिए पाठ्यक्रम।

ट) आवश्यकता के आधार पर इग्रुआ के पूर्व छात्रों के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कौशल परीक्षण।

ठ) बाहरी विमानन एजेंसियों को उनके पायलटों के चयन और साक्षात्कार के लिए सिम्युलेटर

प्रशिक्षण और जांच और अन्य सुविधाएं।

ड) वैमानिकी और विमान रखरखाव इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को विमान पर ऑन जॉब प्रशिक्षण इग्नुआ द्वारा आयोजित की जाती है।

ढ) इंजीनियरिंग स्नातकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण।

ण) एएमई निरंतरता प्रशिक्षण इग्नुआ द्वारा इस कैलेंडर वर्ष के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है–

   क) वैमानिकी और विमान रखरखाव इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑन जॉब प्रशिक्षण।

   ख) पीपीएल/सीपीएल और एटीपीएल के लिए, डीजीसीए पेपर पास करने के लिए छात्रों को तैयार करना तथा जमीनी प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.4 अवसंरचना

सार संक्षेप : अकादमी उत्कृष्ट प्रशिक्षण विमान, विजुअल सुविधा से युक्त एफएनपीटी तथा सीपीटी के रूप में आधुनिक सिमुलेटरों, प्रभावी स्थल प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक ऑडियोविजुअल प्रशिक्षण उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। विमानन एवं उड़ान प्रशिक्षण के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव प्राप्त योग्य उड़ान एवं स्थल अनुदेशकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इग्नुआ का उद्देश्य न केवल उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना है अपितु ऐसे पॉयलट भी तैयार करना है जो वैमानिकी के क्षेत्र में प्रभावी व्यवस्थापक की भूमिका का निर्वाह भी कर सकें। अकादमी से उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे अपेक्षित मानकों से समृद्ध होते हैं जिनसे वे एयरलाइनों के कॉकपिट में सरलतापूर्वक अपने कर्तव्यो का निर्वाह करते हुए विमान प्रचालन कर पाते हैं।

अकादमी की अवसंरचना अतुलनीय है जिससे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का कायाकल्प एक ऐसे आत्मविश्वासी वाणिज्यिक पायलट के रूप में हो पाता है जिसे प्रत्येक एयरलाइन अपने साथ जोड़ना चाहती है। यहां तीन हॉस्टल (महिलाओं के लिए एक अलग हॉस्टल सहित) स्थापित हैं जिनमें 248 पुरूष एवं 48 महिला विद्यार्थी द्विभागिता आधार पर निवास कर सकते हैं। इग्नुआ परिसर में कर्मचारियों के लिए आवास परिसर भी है। प्रचालनात्मक क्षेत्र में समानांतर टैक्सी ट्रैक, डिस्पर्सल क्षेत्र तथा तीन हैंगरों सहित 6080 फुट का रनवे है। संपूर्ण क्षेत्र पीएपीआई सहित रात्रि उड़ान सुविधाओं से सुसज्जित है। इग्नुआ के एयरफील्ड में अपना नैव तथा वीओआरध्डीएमई एवं आईएलएसध्डीएमई के संदर्भ में अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अग्नि शमन सेवाएं, विमानन ईंधन स्टेशन तथा विमान यातायात नियंत्रण स्थापित किया गया है। अबाधित प्रशिक्षणों के लिए इग्नुआ में एक समर्पित एयर स्पेस निर्धारित किया गया है। भारतीय विमानन उद्योग की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए यह स्व.निहित चौतरफा सेट–अप पायलट उम्मीदवारों की गुणवत्ता और मात्रा की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।

विमान बेड़ाः अकादमी के पास कैलेंडर वर्ष 2022 के अंत में 17 विमानों का बेड़ा है। उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विमानों के प्रकार का विवरण नीचे दिया गया हैः–

(i) 12 डीए–40 विमान जो ग्लास कॉकपिट से सुसज्जित हैं।

(ii) 01 त्रिनिदाद टीबी–20 विमान है। टीबी–20 विमान एक पिस्टन सिंगल इंजन विमान है जिसमें परिवर्तनीय पिच प्रोपेलर एवं वापस लेने योग्य अंडर कैरिज है और यह आधुनिक नेविगेशनल एड्स से लैस है।

(iii) 02 जलिन जेड–242 एल विमान है। यह एक पिस्टन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसमें फिक्स अंडर कैरिज है और यह आधुनिक नेविगेशनल एड्स से लैस है।।

(iv) 02 डीए–42 विमान है, प्रशिक्षण का अंतिम चरण डीए–42 विमान में किया जाता है। यह दो इंजन वाला विमान है। विमान ग्लास कॉकपिट, ऑटो–पायलट एवं वापस लेने योग्य पहिये से सुसज्जित है।

लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए

प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए उपरोक्त विमानों का उपयोग उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इग्रुआ के प्रशिक्षुओं को उनके कमर्शियल पायलट लाइसेंस पर मल्टी–इंजन एंडोर्समेंट और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ स्नातक है।

इग्रुआ हर साल उड़ान के घंटे बढ़ाने और एक साल में अधिक सीपीएल का उत्पादन करने के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षक विमानों को शामिल करके अपने बेड़े की शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

7.5 प्रशिक्षण चरण :

(क) थल प्रशिक्षण

अकादेमी में पहुंचने पर छात्र निम्नलिखित विषयों में थल प्रशिक्षण लेते हैं–

i. एयर नेविगेशन – 135 घंटे
ii. रेडियो एड्स – 045 घंटे
iii. टेक्निकल जनरल – 115 घंटे
iv. एयर मेट्रोलॉजी – 085 घंटे
v. एयर रेग्युलेशन्स – 085 घंटे

ग्राउंड ट्रेनिंग का उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी पायलट को अनिवार्य सीपीएल के बाद एटीपीएल का प्रयास करने के लिए सक्षम बनाना है और इसमें हैंगर और फ्लाइट ऑपरेशंस सेंटर में 465 क्लासरूम लेक्चर और कंसॉलिडेशन क्लास शामिल हैं, जिसमें

सैद्धांतिक कक्षाओं के व्यावहारिक पहलुओं से उन्हें अवगत कराया जाता है।

यह लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग (एलओएफटी) की नींव रखता है, इस प्रकार उन्हे विमानन उद्योग में गतिशील विकास के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करता है।

आडियो विजुअल साधन

व्हाइट बोर्ड और क्वेरी सिस्टम का उपयोग थल प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। थल प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए अकादमी प्रत्येक विषय की व्यापक समझ को बढ़ाने के लिए जहां संभव हो एनीमेशन के साथ ओवर–हेड प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग करके ऑडियो विजुअल इमेजरी का उपयोग करती है। अग्रुआ ने डीजीसीए द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण ऑनलाइन ग्राउंड क्लासेस भी विकसित की हैं।

(ख) उड़ान पूर्व स्थल प्रशिक्षण (पीएफजीटी)

पीएफजीटी अनुभवी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है। सिम्युलेटर और विमान पर प्रत्येक उड़ान से पहले और बाद में पूरी तरह से व्यक्तिगत ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के अलावा महत्वपूर्ण अभ्यासों पर समूह ब्रीफिंग की जाती है।

(ग) सिमुलेटर प्रशिक्षण

एकल इंजिन प्रशिक्षण 180 डिग्री व्यू फिल्ड वाले विजुअल सिस्टम से युक्त दो डायमण्ड डीए–40 फ्लाइट सिमुलेटर पर दिया जाता है। अकादमी के पास प्रारम्भिक उड़ान प्रशिक्षण एवं इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग हेतु दो एकल इंजिन टीबी–20 दृश्यप्रणाली युक्त सिमुलेटर भी उपलब्ध हैं।

बहुइंजिन प्रशिक्षण हेतु 180 डिग्री विजुअल फील्ड व्यू से युक्त डायमण्ड डीए–42 फ्लाइट सिमुलेटर उपलब्ध है।

(घ) सिमुलेटर / उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एकल इंजन विमान के लिए :

- 20.00 घंटेः एफ.एन.टी.पी पर सिमुलेटर प्रशिक्षण।
- टीबी–20/डीए–40/जिलिन विमानों पर 185:00 घण्टों का उड़ान प्रशिक्षण ।

मल्टी इंजन विमान के लिए :

वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के साथ स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को मल्टी इंजिन रेटिंग एन्डोर्समेंट के साथ डायमंड डीए–42 विमान पर इन्सट्रूमेन्ट रेटिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रशिक्षण ार्थी इस विमान पर 15:00 घण्टों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

7.6 कर्मी संसाधनप्रबंधन (सीआरएम) तथा मल्टी कर्मी कंवर्जन पाठ्यक्रम (एमसीसी)

थल एवं वायु प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियो को सीआरएम का एक कैप्सुल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है। वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत दो सप्ताह का एम सी सी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम से वे एयरलाइनों में आमेलन के लिए तैयार हो पाते हैं।

7.7 प्रमुख उपलब्धियां

क) विस्तार क्रियाकलाप : पंखविस्तारित करके स्वायत्तता की ओर कदम आगे बढ़ाने के लिए इग्रुआ द्वारा विभिन्न नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। संकलित पाठ्यक्रमों का वर्णन नीचे प्रस्तुत हैः—

(i) इग्रुआ में 86 कैडेटों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रवीणता प्रशिक्षण एवं इसके साथ—साथ बाहर के 91 उम्मीदवारों के लिए परीक्षण आयोजित किया गया।

(ii) ड्रोन प्रशिक्षकों के लिए रिमोटली पाइलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस कोर्स (जिसे आमतौर पर 'ड्रोन पायलट ट्रेनिंग' और 'ट्रेन द इंस्ट्रक्टर' कहा जाता है) का संचालन किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 600 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) वर्ष 2021 में मानेसर ,गुरुग्राम और बेंगलुरु में स्थापित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा मदुरै, कोयम्बटूर (तमिलनाडु), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) और कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में चार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। विभिन्न अन्य राज्यों में अधिक साइटें प्रस्तावित हैं।

(iv) इग्रुआ के उत्पादन में वृद्धि के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण गतिविधियों को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए गोंदिया, महाराष्ट्र में सेटलाईट बेस को आवश्यक डीजीसीए अनुमोदन प्राप्त करके स्थायी रूप से दूसरा उड़ान बेस बनाया गया है। अतिरिक्त बेस में निरीक्षण एवं अनुरक्षण के लिए समस्त सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

(v) इग्रुआ एफटीओ के लिए सीएफआई रिफ्रेशर कोर्स और एएमओ के लिए एएमई रिफ्रेशर कोर्स सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है।

(vi) इग्रुआ को उसकी हिंदी वार्षिक पत्रिका क्षितिज के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

(vii) अपने दूरस्थ स्थान और खरीद प्रक्रिया में विभिन्न बाधाओं के बावजूद, इग्रुआ ने सरकारी ई–मार्केटिंग पोर्टल (ळमड) के माध्यम से 70 प्रतिशत से अधिक खरीद सफलतापूर्वक हासिल की है।

ख) महत्वपूर्ण आयोजनः

(i) आजादी का अमृत महोत्सव—

इग्रुआ ने वर्ष 2022 में भी एक सप्ताह में सात दिनों की उड़ान के संकल्प के साथ जारी रखा, जिसकी घोषणा मार्च, 2021 में नागरिक उड्डयन सचिव ने इग्रुआ में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन करते हुए की थी।

(ii) स्वच्छ भारत अभियान—

स्वच्छ भारत पखवाड़ा के दौरान पूरे वर्ष और विशेष रूप से 16 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, फुर्सतगंज शाखा के सहयोग से वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया।

(iii) इग्रुआ ने 07 नवंबर 22 को अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसका हजारों लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखा। इस अवसर पर इग्रुआ के कई पूर्व प्रशिक्षु उपस्थित थे। समारोह के दौरान अकादमी में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग पर विशेष बल दिया गया।

7.8 निष्पादित कार्यः

क) उच्च उड़ान उत्पादन—

महामारी के कारण उड्डयन उद्योग में मंदी के बाद संभावित उछाल की तैयारी के रूप में और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल

को बढ़ावा देने के लिए, इग्रुआ ने विमानन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नातकों की संख्या के साथ–साथ उड़ान की मात्रा बढ़ाने के लिए सभी प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। इस अवधि के दौरान यानी 01–01–2022 से 31–12–2022 तक इग्रुआ पिछले वर्ष 18 की तुलना में 17 बेड़े की ताकत के बावजूद 18620 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम रहा है। पिछले वर्ष के दौरान 66 के मुकाबले समवर्ती अवधि के दौरान कुल 67 कैडेट उत्तीर्ण हुए हैं।

ख) उन्नत उड़ान सुरक्षाः

पिछले कई वर्षों से उड़ान की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है जब इसे उड़ान सुरक्षा को खतरे में डाले बिना किया जाता है। दुर्घटनाध्घटना दर पिछले पांच वर्षों के लिए 0.01ः के रूप में न के बराबर रही है।

ग) सीपीएल प्रशिक्षण के लिए नवीन नामांकनः

एक पायलट की नौकरी के बारे में धारणा विकासवादी बदलाव के दौर से गुजर रही है, खासकर लड़कियों और ग्रामीण भारत में। इससे पहले, शहरी भारत से केवल एक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक पायलट बनने की आकांक्षा रखते थे। हालांकि, यह प्रवृत्ति धीरे–धीरे ग्रामीण भारत में भी फैल रही है और विशेष रूप से लड़कियों में। समय की मांग को देखते हुए इग्रुआ ने इसकी संख्या बढ़ाकर 125 कर दी है। वर्ष 2022 में प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे देश से 769 आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन प्रक्रिया के बाद कुल 102 कैडेटों को शामिल किया गया है, जिनमें से 38 लड़कियां हैं।

घ) प्रभावपूर्ण जनशक्ति प्रबंधनः

पिछले 10 वर्षों में इग्रुआ में जनशक्ति 296 से घटकर 274 हो गई है, यानी प्रति वर्ष 0.75ः की कमी, जबकि इसी अवधि के दौरान संगठन में समग्र गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उड़ान के घंटे लगभग दोगुने हो गए हैं। राजस्व व्यय को कम करने के लिए मितव्ययिता उपाय के रूप में सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को बदलने के लिए कोई भर्ती नहीं की गई थी। तथापि, जनशक्ति प्रबंधन को या तो संविदाध्परामर्शदाता पर कर्मियों को तैनात करके या मौजूदा कर्मियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर या स्वचालन एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रभावी बनाया गया है।

ङ) आर्थिक सहायता के प्रति कम आश्रिताः

सब्सिडी पर भार को कम करने के लिए इग्रुआ हर साल उड़ान के नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप सीपीएल प्रशिक्षण के लिए कैडेटों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे अधिक राजस्व उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, इसने अपने राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय नौसेना और तट रक्षकों के कैडेटों को प्रशिक्षण देकर, देश भर के छह केंद्रों में ड्रोन प्रशिक्षण देकर, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ईएलपी प्रशिक्षण और परीक्षण आयोजित करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसके साथ ही, अकादमी द्वारा गैर–जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाकर, मेस और हॉस्टल, मोटर ट्रांसपोर्ट, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल मेंटेनेंस आदि जैसे विभिन्न वर्गों में अपने संसाधनों के प्रभावी और इष्टतम उपयोग कर आवश्यक वैधानिक खर्च बेहतर तालमेल के द्वारा खर्च को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

7.9 स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण।

क. नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)प्रबंधनः

इग्रुआ के पास एक अच्छी तरह की एम एस डब्ल्यू प्रबंधन प्रणाली है। सूखे कचरे, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलों, टूटे शीशे, पैकिंग सामग्री, नवीनीकरण–निर्माण के मलबे, मृत पत्तियों, अस्पताल के कचरे आदि के अलावा घरों, मेस किचन और कैंटीन से प्रतिदिन लगभग 500 किलोग्राम बायो–डिग्रेडेबल रसोई कचरा जमा होता है। इन कचरे को दो कचरे के डिब्बे रखकर स्रोत पर अलग किया जाता है, एक बायो–डिग्रेडेबल (गीले) कचरे के लिए और दूसरा सूखे कचरे के लिए, जैसे– पॉलीथिन,

प्लास्टिक की बोतलें, पैकिंग सामग्री, कागज, आदि। जबकि बायो–डिग्रेडेबल कचरे को वर्मीकल्चर के माध्यम से खाद में परिवर्तित किया जाता है, सूखे कचरे का निपटान किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

ख. अपशिष्ट जल निपटान :

इग्रुआ में जल संसाधनों से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के सुनिश्चय के लिए अंडरग्राउंड जल निकासी व्यवस्था एवं आधुनिक मल उपचार संयंत्र स्थापित है।

ग. सौर जल हीटर :

विद्यार्थियों के लिए गर्म पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईंधन की खपत में कमी लाए जाने के उपाय के तौर पर होस्टलों की छत पर सौर पैनल स्थापित किए गए हैं।

घ. अवार्डः

2022 में हिंदी पत्रिका ”क्षितिजष के वार्षिक संस्करण के लिए इग्रुआ को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।

7.10 प्रदूषण नियंत्रण :

इग्ग्रुआ कोई भी निर्माण, उत्पादन नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप धुआं, अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट आदि का उत्सर्जन होता है। जिससे वायु, पानी, मिट्टी, प्रकाश या ध्वनि प्रदूषण होता है। तथापि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के इंजनों को निर्धारित सीमा के भीतर धुंआ उत्सर्जित करने, भस्मीकरण, लैंडफिल कंपोस्टिंग आदि द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव पहल की गई है। अकादेमी में हरित वातावरण बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से वनीकरण किया जा रहा है।

7.11 नागरिक चार्टर

इग्रुआ का सिटीजन चार्टर हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एक नागरिक इग्रुआ की वेबसाइट ूपहतनं.हवअ.पद पर जा सकता है। नागरिक आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी जानकारी के लिए हमारे मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) श्री गोपा कुमार एस और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (निदेशक आईजीआरयूए) से अनुरोध कर सकते हैं।

7.12 महिला कल्याण

इग्रुआ में कार्यरत बारह महिलाओं (1 नियमित व 15 संविदा) से कल्याण संबंधित कार्य सामान्य प्रशासनिक चौनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के कार्य करती है।

7.13 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

अकादमी की कार्य प्रणाली इस प्रकार की है जिसमें लोक शिकायतों की प्राप्ति लगभग नहीं होती है। तथापि, लोक शिकायतों के निवारण हेतु संस्थान में एक अधिकारी, प्रबन्धक मानव संसाधन के माध्यम से यथा समय निस्तारण किये जाने की व्यवस्था की गई है। लोक शिकायतों की प्रबंधक मानव संसाधन द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

7.14 सतर्कताः

सतर्कता निवारक उपायों को उत्तम बनाने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अकादमी की सतर्कता क्रियाकलापों की देखरेख का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है।कर्मचारियों में भ्रष्टाचार से संबंधित अपने कार्य एवं सामान्य जीवन की प्रक्रियाओं में संलिप्त न होने की प्रति जागरूकता की उत्पति के प्रयास किए गए हैं।

7.15 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के विभिन्न प्रावधानो का कार्यान्वयन सुनिश्चितकरने के लिए अकादमी लगातार आवश्यक कदम उठाती रही है। कर्मचारियों को हिन्दी, देवनागरी टाइपिंग इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित एवं प्रभावी

उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किये गये है। कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग कार्यालयीन पत्रव्यवहार हिन्दी में करने की व्यवस्था की गई है। इग्रुआ द्वाराप्रत्येक वर्ष''क्षितिज'' नाम से एक हिन्दी पत्रिका का नियमित प्रकाशन भी किया जा रहा है।

7.16 खेल सुविधाएं

इग्रुआ में स्क्वैश, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, पूल टेबल जैसे खेलों के लिए इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं हैं और मल्टी–जिम उपकरणों के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम है। इसके अलावा परिसर में एक स्विमिंग पूल है जिससे प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को फिट रहने में मदद मिलती है। कैडेटों के लिए हर साल वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाता है।

7.17 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

इग्रुआ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं समारोहों के आयोजन के लिए वातानुकूलित सभागृह स्थापित है। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के प्रति उड़ान विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह जागृत हुआ है। इग्रुआ में ''फूल थ्रौटल'' के साथ प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायः हिंदी मे किए जाते हैं।

7.18 दिव्यांगजन अधिनियम,1995 का कार्यान्वयन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बंधित दिशानिर्देश अकादमी में लागू हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को उसका यथासंभव लाभ प्रदान किया जाता है।

7.19 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास क्रियाकलापों से संबंधित मामलेः

इग्रुआ एक स्वायत्त निकाय है तथा इसका मुख्यालय फुरसतगंज, अमेठी (जिला), उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इस प्रकार ऐसे कोई मामले नहीं हैं।

7.20 अनुजाति/जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

वर्ष 1996 के पश्चात से किसी प्रकार की नियमित भर्ती नहीं की गई है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई हैः–

संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.जजा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.पि.व. कर्मचारियों की कुल संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
इग्रुआ	91	21	23.07	0	0	37	40.65

7.21 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार तथा वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति में की गई संकल्पना के अनुसार सभी संबंधितों को वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उचित और तत्पर व्यवहार का सुनिश्चय करने के निदेश जारी किए गए हैं।

7.22 फीस संरचना

प्रारंभिक से मल्टी इंजन पृष्ठांकन सहित वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस का प्रशिक्षण शुल्क 45.00 लाख रूपए है तथा आवास भोजन के लिए प्रभार लिए जाते हैं (लगभग 12,000 रूपए प्रतिमाह)

7.23 भविष्य की योजनाएं

i) छात्रों के सीट (प्रवेश) की संख्या को प्रति–वर्ष बढ़ाकर 150 करना।

ii) मौजूदा बेड़े को बढ़ाने के लिए, इग्रुआ ने पांच हंसा एनजी विमानों की आपूर्ति के लिए एनएएल के साथ तीन साल की वैधता के

गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विमान का प्रकार प्रमाणीकरण अभी पूरा किया जाना है, जिसके बाद यह उत्पादन के लिए जाएगा। इग्रुआ एनएएल द्वारा पेश किए जाने वाले विमान की प्रगति और अंतिम लागत की निगरानी कर रहा है। उक्त शर्तों के आधार पर इस विमान के लिए जाने या दुनिया में उपलब्ध किसी अन्य सिद्ध ट्रेनर विमान को खरीदने के बारे में निकट भविष्य मे निर्णय लिया जाएगा।

iii) विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग विद्यालय की स्थापना करना।

iv) देश भर में और अधिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।

v) अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा इग्रुआ के स्वामित्व वाले फुरसतगंज हवाई अड्डे को आर सी एस उड़ान ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। फुरसतगंज हवाई अड्डे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, टैक्सीवे और संबंधित कार्य शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा परियोजना के निष्पादन के संबंध में मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है—

क. एएआई इग्रुआ के सहयोग से जल्द से जल्द विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन करेगा।

ख. आरसीएस उड़ान हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करने के लिए एएआई को मास्टर प्लान के अनुसार आवश्यक भूमि सौंपने के लिए एवं एएआई द्वारा आवश्यक अन्य संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए इग्रुआ और एएआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

ग. इग्रुआ के संचालन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए एएआई इग्रुआ के साथ समन्वय करेगा।

घ. इग्रुआ परियोजना निष्पादन में एएआई और उसके विक्रेताओं को आवश्यक सहायता और सुविधा प्रदान करेगा।

ङ. स्वीकृति आदेश के अनुसार एएआई को सीधे एमओसीए द्वारा भुगतान किया जाएगा।

भूमि की पहचान, मापन कार्य आदि जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं और टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, टैक्सीवे और संबंधित कार्यों का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। फुरसतगंज हवाई अड्डे पर आरसीएस उडान परिचालन 2023 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

8.1 प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

8.2 संगठनात्मक स्वरुप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरुप नीचे दर्शाया गया है:

ऐरा के स्टाफ में विमानन क्षेत्र, वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागोंध्संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारीध कर्मचारी हैं।

8.3 विनियम का दायरा

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना
- प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना

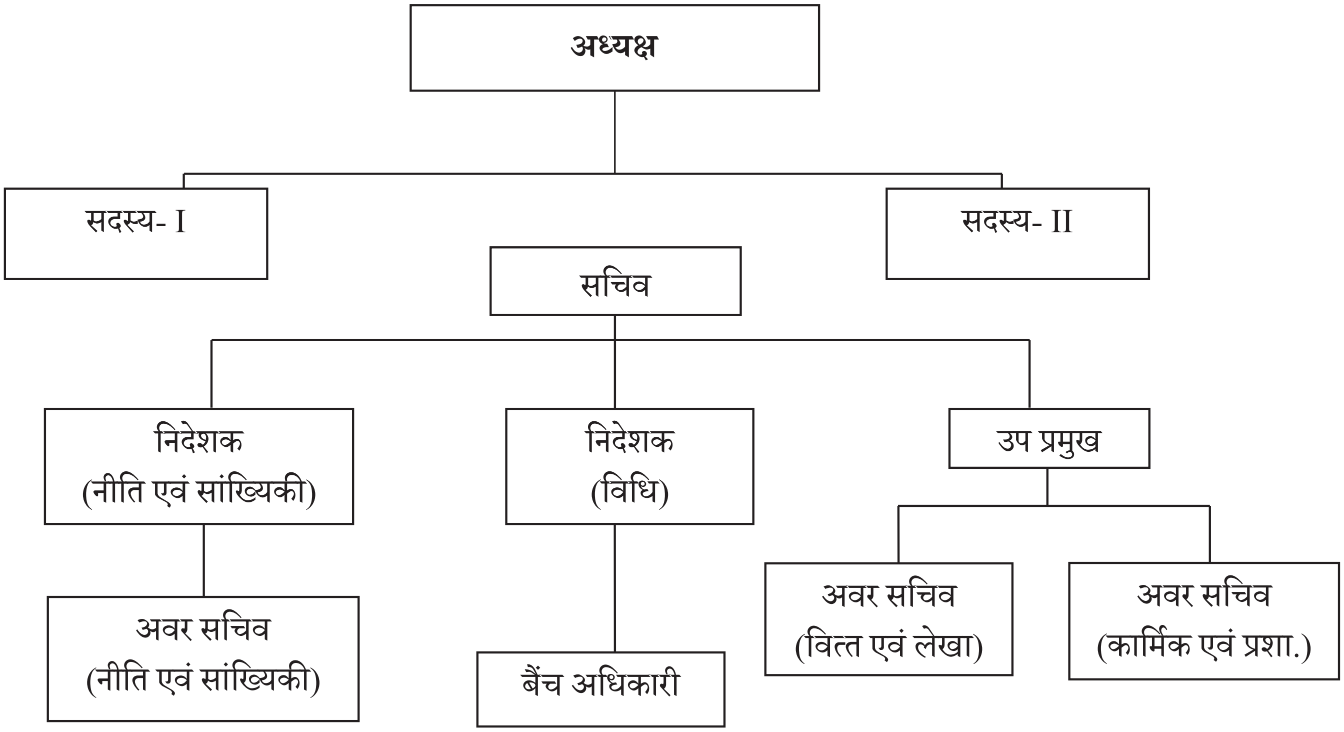

- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

2. ऐरा संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार वर्तमान में 27 हवाईअड्डों को प्रमुख हवाईअड्डे घोषित किया गया है और उक्त प्रावधान के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 31.12.2022 को निम्नलिखित हवाईअड्डों को "प्रमुख हवाईअड्डे" माना गया है :–
    1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली
    2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई
    3. कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरू
    4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
    5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि
    6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
    7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नै
    8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता
    9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद
    10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनन्तपुरम
    11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ
    12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
    13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी
    14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड
    15. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,गोवा
    16. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे
    17. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
    18. गु: रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर
    19. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी
    20. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर
    21. स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर
    22. तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूचिरापल्ली
    23. मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलू:
    24. कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, कन्नूर
    25. शेख उल अलम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर
    26. शिर्डी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिर्डी
    27. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा

3. ऐरा के प्रमुख उद्देश्य को ऐरा संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार पूर्व के 'किसी हवाईअड्डे' को हवाईअड्डों के समूह में शामिल करने के लिए प्रमुख हवाईअड्डे की परिभाषा को संशोधित कर व्यापक कर दिया गया है।

4. दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 28 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने हवाईअड्डों और वैमानिक सेवाओं के विनियमन के लिए अपने दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए::

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
हवाईअड्डा टैरिफ आदेश			
01	आदेश संख्या 38/2021–22	चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नै (एमएए) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	04.02.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
02	आदेश संख्या 39/2021–22	कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	11.02.2022
03	आदेश संख्या 43‹2021–22	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,सीसीयू के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	15.03.2022
04	आदेश संख्या 45/2021–22	पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (पीएनक्यू) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	17.03.2022
05	आदेश संख्या 04/2022–23	गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा (जीओआई) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	03.06.2022
स्वतंत्र सेवा प्रदाता **(i) फ्यूल फार्म एवं आईटीपी सेवाएं**			
06	आदेश संख्या 44/2021–22	बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2018 से 31.03.2023) के लिए ईंधन अवसंरचना शुल्क का निर्धारण	15.03.2022
07	आदेश संख्या 03/2022–23	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग डेल्ही प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	25.05.2022
08	आदेश संख्या 05/2022–23	मैसर्स भारत स्टार्स सर्विसेज (डेल्ही) प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में इंटो प्लेन सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ का निर्धारण	03.06.2022
(ii) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं			
09	आदेश संख्या 35/2021–22	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरू में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	20.01.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय शिकायतों का निवारण किया	जारी करने की तारीख
10	आदेश संख्या 36/2021–22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	28.01.2022
11	आदेश संख्या 41/2021–22	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (कोंकण) प्राइवेट लिमिटेड के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	21.02.2022
12	आदेश संख्या 48/2021–22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए मंगलुः अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुः में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	17.03.2022
13	आदेश संख्या 50/2021–22	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	28.03.2022
14	आदेश संख्या 07/2022–23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में मंगलुः अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुः में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	15.06.2022
15	आदेश संख्या 15/2022–23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	27.07.2022
16	आदेश संख्या 23/2022–23	मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरू में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	23.09.2022
17	आदेश संख्या 26/2022–23	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (त्रिचि) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएसटीपीएल) द्वारा त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआईए), तिरूचिरापल्ली में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	18.10.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
18	आदेश संख्या 27/2022–23	जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल) के लिए तिरूवनंतपुरम में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	31.10.2022
19	आदेश संख्या 31/2022–23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स) के लिए तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	02.12.2022
(iii) कार्गो सेवा			
20	आदेश संख्या 06/2022–23	एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) के संबंध में आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग प्रभारों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ का निर्धारण	09.06.2022
21	आदेश संख्या 20/2022–23	मैसर्स मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएससीएपीएल) के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभारों का निर्धारण अवधि बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था	30.08.2022
विस्तार के लिए अंतरिम व्यवस्था			
22	आदेश संख्या 34/2021–22	मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 16.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	14.01.2022
23	आदेश संख्या 37/2021–22	मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी में 01.02.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.02.2022
24	आदेश संख्या 40/2021–22	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में 15.02.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	11.02.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
25	आदेश संख्या 42/2021–22	मौजूदा टैरिफ की वसूली दिनांक 31.03.2022 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था संबंधी दिनांक 15.09.2022 के आदेश संख्या 17ध्2022 और दिनांक 06.10.2021 के आदेश संख्या 22ध्2021–22 के मामले में	14.03.2022
26	आदेश संख्या 46/2021–22	कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 18ध्2021–22 के मामले में दृमौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2022 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	17.03.2022
27	आदेश संख्या 47/2021–22	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में 01.04.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	17.03.2022
28	आदेश संख्या 49/2021–22	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में परियोजना कार्य और मैट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली के मामले में– डीएफ की वसूली की अवधि बढ़ाने के संबंध में	28.03.2022
29	आदेश संख्या 01/2022–23	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता में प्रदान की जाने वाली कार्गो टर्मिनल प्रचालन (सीटीओ) सेवाओं के लिए 20.04.2022 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	20.04.2022
30	आदेश संख्या 02/2022–23	मैसर्स इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.06.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	10.05.2022
31	आदेश संख्या 08/2022–23	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 01.07.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	16.06.2022
32	आदेश संख्या 09/2022–23	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) और मेट्रो परियोजना कार्य के लिए मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाने के मामले मेंदृविकास शुल्क (डीएफ) और मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाने की अवधि बढ़ाने के संबंध में	30.06.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
33	आदेश संख्या 10/2022–23	मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	30.06.2022
34	आदेश संख्या 11/2022–23	मैसर्स एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा मंगलु: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलु: में प्रदान की जाने वाली अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	30.06.2022
35	आदेश संख्या 12/2022–23	मैसर्स इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 11.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	05.07.2022
36	आदेश संख्या 13/2022–23	मैसर्स एआईसीएलएएस द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	05.07.2022
37	आदेश संख्या 14/2022–23	मैसर्स एआईसीएलएएस द्वारा तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, त्रिचि में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	07.07.2022
38	आदेश संख्या 16/2022–23	अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 16.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.08.2022
39	आदेश संख्या 17/2022–23	मैसर्स इंडो थाई अमृतसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री गु: राम दासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 22.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	18.08.2022
40	आदेश संख्या 18/2022–23	मैसर्स इंडो थाई पुणे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 22.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	18.08.2022
41	आदेश संख्या 1922022–23	गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल), एमओपीए में प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए प्रचालन की वाणिज्यिक तारीख ("सीओडी") से 31.03.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ	26.08.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
42	आदेश संख्या 21/2022–23	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.09.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	31.08.2022
43	आदेश संख्या 22/2022–23	मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	20.09.2022
44	आदेश संख्या 24/2022–23	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओंध्हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा कार्गो हैंडलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधि दिनांक 17.03.2022 के आदेश संख्या 46/2021–22 के मामले मेंदृमौजूदा टैरिफ (30.09.2022 को विद्यमान) 31.03.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था 23.09.2022	23.09.2022
45	आदेश संख्या 25/2022–23	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (सीएएसआईपीएल) द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (जीआईए), मोपा, गोवा में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 31.03.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	07.10.2022
46	आदेश संख्या 28ध्2022–23	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निधारण	14.11.2022
47	आदेश संख्या 29/2022–23	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म एवं इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण 30.11.2022	30.11.2022
48	आदेश संख्या 30/2022–23	मैसर्स ऑरिया सिवसुर्कत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.12.2022

8.4 राजभाषा नीतिः

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा सभी प्रयास किए गए। ऐरा में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय पर्व और महापुरूषों की जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और वार्ता आयोजित की गई तथा कार्यालय में वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किए गए। इन कार्यक्रमों में विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त 14 से 29 सितम्बर, 2022 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया और इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें 80 अधिकारियोंध्कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

साथ ही, प्राधिकरण के दो (02) अधिकारियों ने राजभाषा विभाग द्वारा 14 से 15 सितम्बर, 2022 तक सूरत (गुजरात) में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। इसी प्रकार दो (02) कार्मिकों ने संयुक्त राजभाषा क्षेत्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भी भाग लिया, यह कार्यक्रम भी राजभाषा विभाग द्वारा अमृतसर (पंजाब) में आयोजित किया गया था। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार (04) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कुल 117 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान हर तिमाही में प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। प्राधिकरण में भारत सरकार की हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वर्ष 2022–23 में इस योजना में विजेता घोषित आठ (8) कार्मिकों को कुल 28,000ध– रूपए के नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च, 2022 को ऐरा का राजभाषायी निरीक्षण किया। मंत्रालय ने सराहना की और कार्य को संतोषजनक पाया।

8.5 वित्तीय निष्पादन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम की धारा 34 के अनुसार केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त की जाती हैं। बजट आकलन 2022–23 में 20.00 करोड़ रूपए (वेतन शीर्ष के अंतर्गत 5.00 करोड़ रूपए, सामान्य शीर्ष के अंतर्गत 7.00 करोड़ रूपए और पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 8.00 करोड़ रूपए) आबंटित किए गए।

दिनांक 28.12.2022 तक जारी की गई निधियां और किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रू.लाख में)

शीर्ष	2021–22 की अप्रयुक्त राशि	बजट आलकन (बीई) 2022–23	अन्य स्रोतों से प्राप्त आय	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 28.12.2022 तक जारी की गई निधि	कुल निधि	प्राधिकरण द्वारा 28.12.2022 तक खर्च की गई राशि	31.12.2021 को शेष राशि
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.) = (क,ग,घ)	(च)	(छ)
वेतन	214.36	500.00	'	400.00	614.36	451.75	162.61
गैर वेतन	213.90	1500.00	'	200.00	413.90	325.66	88.24

*बैंक शेष पर अर्जित ब्याज = 7,18,447/ रूपए

8.6 महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय डाटा शामिल है

ऐरा में केंद्र/ राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात और आउट–सोर्स आधार पर सहायक स्टाफ के रूप में 12 महिला अधिकारीध्कर्मचारी कार्यरत हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यालय परिसर में चिकित्सीय आपात–स्थिति होने पर या अचानक आवश्यक सरकारी कार्य होने पर जल्दी घर से लाने/देर हो जाने पर घर छोड़ने के लिए परिवहनध्वाहन की सुविधाय स्त्री–रोग विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर वार्ता का आयोजन, महिलाओं के शौचालयों के लिए समर्पित महिला सफाई–कर्मी आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

8.7 जन शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

ऐरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जन शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और इसे अलग प्रयोक्ता क्रिडेन्शल दिए गए हैं। शिकायतों की नियमित रूप से जांच की जाती है और जब भी जन शिकायत प्राप्त होती है इसका जवाब निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में जन शिकायत के लिए उप प्रमुख (उप सचिव स्तर के अधिकारी) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 31 दिसम्बर, 2022 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

8.8 प्रदूषण नियंत्रण

प्राधिकरण टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान हवाईअड्डों द्वारा किए गए पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए उनका उत्साह बढ़ाता है और तदनुसार उन्हें प्रोत्साहित करता है। इनमें मुख्य रूप से सौरध्नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण, जल शोधन संयत्र के माध्यम से पानी को रिसाइकल करना आदि शामिल हैं। 2 से 31 अक्तूबर, 2022 के दौरान आयोजित विशेष अभियान में ऐरा के अधिकारियों के विशिष्ट दलों ने कुछ प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात हैदराबाद, कोचीन, चेन्नै और चंडीगढ़ का उनके द्वारा की गई पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पहल तथा उपायों के संबंध में निरीक्षण किया।

8.9 दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

ऐरा में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है। इसलिए ऐरा में नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति लागू नहीं है। तथापि ऐरा में कार्यरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है :

श्रेणी	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	पदनाम	भर्ती की पद्धति
अनुसूचित जाति	.	.	प्रतिनियुक्ति पर
अनुसूचित जनजाति	01	निदेशक (नीति एवं साख्यिकी)	
अन्य पिछड़ा वर्ग	05	उप प्रमुख (01) सहायक (03) आशुलिपिक (01)	

8.10 पूर्वोत्तर में किए गए विकास संबंधी कार्यकलापों से जुड़े मुद्दे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और पूर्वोत्तर में विकास से संबंधित कोई भी कार्यकलाप करना इस प्राधिकरण का उद्देश्य नहीं है।

8.11 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और वरिष्ठ नागरिकों की कोई भी कल्याण योजना चलाना इस प्राधिकरण का कार्य नहीं है।

8.12 दिव्यांगों को सुविधाएं

ऐरा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नियुक्त नहीं है। परंतु प्राधिकरण सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। साथ ही ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

8.13 सतर्कता विभाग के कार्यकलापों और उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा:

रिपोर्ट की अवधि में ऐरा के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला शुरू नहीं किया गया है और न ही लंबित है।

8.14 स्वच्छ भारत अभियान 2.0 (2 से 31 अक्तूबर, 2022) के दौरान किए गए विशेष कार्य

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के परिणामस्वरूप प्राधिकरण में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए 02 अक्तूबर, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए :

क्र. सं.	दिनांक	गतिविधि का नाम	गतिविधि का विवरण
01	03–13 अक्तूबर, 2022	रिकॉर्ड प्रबंधन	ऐरा के सभी पदाधिकारियों ने 03 से 13 अक्तूबर, 2022 के दौरान फाइलों/ दस्तावेजों को देखा और फाइलों के पृष्ठ ठीक से लगाए/फटी हुई फाइलों को ठीक करने/बिखरे हुए पृष्ठों को ठीक तरीके से लगाने का काम किया। इसके फोटो संलग्न है।
2. स्वच्छता अभियान (14 से 21 अक्तूबर, 2022)			
(क)	14 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन की छत की सफाई	ऐरा के पदाधिकारियों के अलग–अलग समूहों ने स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्य के फोटो संलग्न है।
(ख)	17 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन के बोर्ड रूम, मीटिंग रूम और सर्वर रूम की सफाई	
(ग)	18 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन के एएचयू, पैंट्री, वॉशरूम और सम्मेलन कक्ष की सफाई	
(घ)	19 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन के स्वागत कार्यालय, ड्राइवर रूम और पार्किंग की सफाई	
(ङ)	20 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन के पहले और दूसरे तल की खिड़कियों की सफाई	
(च)	21 अक्तूबर, 2022	ऐरा भवन के वाटर टेंक और वाटर कूलर की सफाई	
3. रद्दी माल का निपटान (14 से 21 अक्तूबर, 2022)			
(क)	14 अक्तूबर, 2022	निपटान के लिए रद्दी माल की पहचान करना	बेकार वस्तुओं की पहचान करने के लिए गठित समिति ने 14.10.2022 को ई–अपशिष्ट वाले रद्दी माल की जांच की। इस संबंध में फोटो संलग्न है।
(ख)	18 अक्तूबर, 2022	रद्दी माल का निपटान	पहचाने गए ई–अपशिष्ट/ रद्दी माल का एनडीएमसी के प्राधिकृत ई–अपशिष्ट/ रद्दी माल संबंधी डीलर के माध्यम से निपटान किया गया। 331 किलोग्राम ई–अपशिष्ट को पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए प्राधिकृत स्क्रैपर/ रिसाइकल करने वाले को दिया गया। इसके फोटो संलग्न है।

क्र. सं.	दिनांक	गतिविधि का नाम	गतिविधि का विवरण
4	25– 31 अक्तूबर, 2022	जगह बनाना	प्रत्येक कर्मचारी के कार्यस्थल को व्यवस्थित करने और जगह बनाने का कार्य किया गया, इसमें पदाधिकारियों ने अपने कार्यस्थल की सफाई की और इसे पुनः व्यवस्थित किया। सामान रखने की जगहदृकबर्ड/अलमारियों/कॉम्पेक्टरों को भी पुनः व्यवस्थित और साफ किया गया। फोटो संलग्न है।
5.	2–31 अक्तूबर, 2022	**पर्यावरणीय/हरित और स्वच्छ भारत अभियान संबंधी पहल के लिए प्रमुख हवाई अड्डों का मूल्यांकन** पर्यावरणीय/हरित और स्वच्छ भारत संबंधी पहल का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों के अलग–अलग दलों ने कुछ प्रमुख हवाईअड्डों का दौरा किया। ये दल इस प्रकार हैं: हैदराबाद हवाईअड्डा – सचिव, ऐरा और अवर सचिव (नीति एवं सांख्यिकी) द्वारा 11 से 12 अक्तूबर, 2022 कोचीन हवाईअड्डा – निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी) और उप महाप्रबंधक (वित्त एवं टैरिफ) द्वारा 14 से 15 अक्तूबर, 2022 चेन्नै हवाईअड्डा – उप प्रमुख, सहायक महाप्रबंधक (वित्त) और प्रबंधक (वित्त) द्वारा 27 से 28 अक्तूबर, 2022 चंडीगढ़ हवाईअड्डा – उप महाप्रबंधक (वित्त एवं टैरिफ) और अवर सचिव (नीति एवं सांख्यिकी) द्वारा 29 अक्तूबर, 2022 को	

8.15. विविध गतिविधियां/पहलः

(i) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भाग के रूप में दिनांक 22.04.2022 को आयोजित योगा कैंप में प्राधिकरण के सभी कार्मिकों ने भाग लिया।

(ii) 20.05.2022 को आंतकवाद विरोधी दिवस मनाया गया।

(iii) अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2023 – भोजन में बाजरा से बने खाद्य उत्पादों का उपभोग करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐरा वेबसाइट और ऐरा कार्यालय में लगे डिजिटल डिस्प्ले पैनलों के माध्यम से प्रचार, ऐरा में सरकारी बैठकों /कार्यक्रमों में बाजरा से बने स्नैक्स परोसने के लिए पसंद के स्नैक्स का चयन करना, नागर विमानन मंत्रालय/ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इस विषय पर आयोजिन किए जाने वाले कार्यक्रमों में प्राधिकरण के कार्मिकों का भाग लेना।

(iv) सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती मनाने और 31 अक्तूबर, 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए सप्ताह भर समारोह/कार्यक्रम आयोजित किए गए

(v) आयुर्वेद /2047 "हर दिन हर घर आयुर्वेद" ।

(vi) संविधान दिवस, 2022 – 26 नवम्बर, 2022 को उद्देशिका का वाचन और "प्दकपं–जीम उवजीमत व क्मउवबतंबलध्भारतः लोकतंत्र की जननी" पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेना तथा "भारत का संविधान और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेड़कर का योगदान" पर वार्ता

(vii) प्राधिकरण में दिनांक 16.08.2022 से 15. 11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

(viii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान पदाधिकारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 03.11.2022 को "भ्रष्टाचार मुक्त भारत – विकसित भारत" पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(ix) भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्राधिकरण में 'आजादी का अमृत महोत्सव' (भारत /75) के तहत विभिन्न मासिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(x) 09.12.2022 को 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम।

9. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

9.1 प्रस्तावना

1. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है तथा इसकी स्थापना संसद द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के नाम से पारित अधिनियम के अंतर्गत फुरसतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में की गई है।

2. विश्वविद्यालय की संकल्पना भारत में विमानन उद्योग के संवर्धन के लिए, विमानन वातावरण में ही, अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण अनुसंधान करने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में की गई है। संसद द्वारा पारित अधिनियम से विश्वविद्यालय को विमानन के क्षेत्र में डिप्लोमा, डॉक्टरेट डिग्री सहित डिग्री एवं प्रमाणपत्र प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हुई है।

3. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का उद्देश्य विमानन अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना एवं उद्योग / शैक्षणिक जगत के साथ मिलकर कार्य करके विमानन उद्योग के सभी उप–क्षेत्रों में प्रचालनों तथा प्रबंधन की उत्कृष्टता की हासिल करना है।

4. विश्वविद्यालय अनेकों पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र की विद्यमान एवं साथ ही भावी अपेक्षाओं को विचार में लेकर व्याप्त कौशल अंतर की पूर्ति करना चाहता है। विमानन क्षेत्र के लिए चरणबद्ध स्वरूप में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों, मास्टर डिग्री कार्यक्रमों, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, डाक्टोरल कार्यक्रमों एवं प्रमाणन पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति करना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एक महत्वकांक्षी योजना है।

9.2 भौतिक निष्पादन

विश्वविद्यालय की अवसंरचना

शैक्षणिक, प्रशासनिक, आवासीय, होस्टल, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं एवं अन्य सम्बद्ध अवसंरचनाओं से सुसज्जित है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

i. उच्चतर प्रौद्योगिकी की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं स्मार्ट कक्षा प्रौद्योगिकी से युक्त शैक्षणिक ब्लॉक, जो 1.2 लाख वर्ग फुट में स्थापित है,

ii. डिजीटल पुस्तकालय के समर्पित प्रावधान के साथ 2 पुस्तकालयय

iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा सहित प्रत्येक में 209 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा से युक्त 2 सेमीनार कक्षय

iv. स्पेस फ्रेम संरचना से सुसज्जित ओपन एयर थियेटरय

i. विद्यार्थियों के लिए कैंटीन, चिकित्सा कक्ष एवं कॉमन कक्षय

ii. निर्धारित पहुंच मार्ग एवं कार पार्किंग जैसी सुविधाएं,

iii. भूमिगत वाटर टैंक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 33केवीए की समर्पित बिजली आपूर्ति एवं 100: पावर बैकअप जैसी सुविधाएं,

iv. 576 विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन एवं जिम सुविधाओं से सुसज्जित वाई–फाई समर्थित होस्टल आवास।

अब तक विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों यथा कार्यपालक परिषद, कोर्ट, शैक्षणिक परिषद, सम्बद्धता एवं मान्यता मंडल एवं वित्त समिति का गठन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के अन्य विद्यालय मंडल आदि जैसे प्राधिकरणों के गठन की प्रक्रिया की जा रही है।

9.3 महत्वपूर्ण गतिविधियां (01 जनवरी 2022– 31 दिसम्बर 2022)

9.3.1 हवाईअड्डा प्रचालन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

हवाईअड्डा प्रचालन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीएओ) के दूसरे बैच ने अगस्त, 2022 में अपना इंटर्नशिप प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा लगभग सभी विद्यार्थियों को विभिन्न हवाईअड्डों / एयरलाइनों यथा अदानी हवाईअड्डा, अहमदाबाद, इंडिगो एयरलाइंस, एयर एशिया आदि में प्लेसमेंट प्राप्त हुई है।

पीजीडीएओ के तीसरे बैच का शैक्षणिक सत्र 21 अक्तूबर, 2021 से 16 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के साथ प्रारंभ हो गया है। विद्यार्थियों का इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिल्ली हवाईअड्डे पर 21 नवम्बर, 2022 से प्रारंभ हुआ है।

पीजीडीएओ के चौथे बैच का शैक्षणिक सत्र 27 अक्तूबर, 2022 से 24 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के साथ प्रारंभ हो गया है।

9.3.2 आधारभूत फायर फाइटर पाठ्यक्रम

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

के आधारभूत फायर फाइटर पाठ्यक्रम के चार बैच (चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां बैच) में उत्तीर्ण हुए कुल 167 विद्यार्थी 90: से भी अधिक की रिकार्ड प्लेसमेंट प्राप्ति के साथ उत्तीर्ण हुए हैं।

हाल ही में, आधारभूत फायर फाइटर पाठ्यक्रम के सातवें और आठवें बैच के 48 विद्यार्थियों को लखनऊ, मंगलु: एवं अहमदाबाद स्थित अदानी हवाईअड्डों पर सेवा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।

आधारभूत फायर फाइटर पाठ्यक्रम के आठवें बैच के विद्यार्थियों का कक्षा प्रशिक्षण 35 विद्यार्थियों के साथ 12 सितम्बर, 2022 से तथा नवें बैच की कक्षाएं 27 विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ 5 दिसम्बर, 2022 से प्रारंभ हो गई हैं।

9.3.3 विमानन सेवाओं एवं विमान कार्गो के लिए विमानन प्रबंधन में बीबीए

बीएमएस (2020) के प्रथम बैच के विद्यार्थियों ने अपना शिक्षुता प्रशिक्षण मैसर्स काले लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कार्गो मैन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसे लॉजिस्टिक्स कम्पनियों में लगभग 8,000 रुपए – 18,000 रुपए के मासिक वजीफे के साथ पूरा कर लिया है।

कार्यक्रम के दूसरे बैच की कक्षाएं 20 अक्तूबर, 2021 से प्रारंभ हुई हैं। दूसरे बैच के लिए 27 विद्यार्थियों तथा 27 अक्तूबर, 2022 से प्रारंभ हुए कार्यक्रम के तीसरे बैच के लिए 48 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

9.4 भावी कार्यक्रम

विश्वविद्यालय ने पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय अनुमोदित विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ बी.एससी (ऑनर्स) – विमान अनुरक्षण के तीन वर्षीय दोहरे कार्यक्रम में सहकार्यता के लिए 9 फरवरी, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कार्यक्रम विमानन उद्योग में कौशल विकास की पूर्ति के माध्यम से विमानन क्षेत्र में नए अवसरों के अंवेषण के लिए लक्ष्यबद्ध है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को टीटी लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टीटीएसडीपीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टीटीएसडीपीएल) की मंशा अपने उद्योग आधारित कार्यान्वयन साझेदार के माध्यम से दीर्घकालिक विमानन उद्योग चालित एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम आयोजित करने की है, इस पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री एवं पाठ्यक्रम से संबंधित अपेक्षित उद्योग सहायता तथा सहकार्यता का व्यवस्थापन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय द्वारा जाएगा। लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टीटीएसडीपीएल) के कार्यान्वयन भागीदार सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस (एसआईपीओ), सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ सौशल सांइस (एसयूएसएस) तथा सिंगापुर लॉजिस्टिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने दिनांक 14 जनवरी, 2022 को राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का दौरा किया था। रा.गां.रा.वि.वि. द्वारा उनके सम्मुख उपलब्ध अवसंरचना, आपरेटिंग माड्यूल एवं जारी पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई थी। टीटीएसडीपीएल की टीम को भारतीय उद्योग की अपेक्षाएं एवं चिह्नित पाठ्यक्रमों, अवधि एवं अध्यापन की विधि के बारे में फीडबैक भी दिया गया था।

विद्यार्थियों एवं व्यावसायिकों को विमानन क्षेत्र की बेहतर शैक्षणिक एवं व्यावहारिक दिशा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा भारत एवं विश्व में स्थित विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के सहकार्यता के अवसरों का अंवेषण किया जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अध्ययन एवं वैयक्तिक विकास का एक हितकर वातावरण प्रदान कर रहा है।

9.5 शैक्षणिक / सांस्कृतिक / खेल कार्यक्रम

(i) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में विमानन विशेषज्ञों ने दौरा किया था तथा उनके द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख अतिथि वक्तव्य प्रस्तुत

रा. गां. रा. वि. वि. में विमान चौपाल

किए गए थे एवं विद्यार्थियों को उनके द्वारा भारत के विमानन सेक्टर में व्याप्त ढेरों अवसरों तथा विभिन्न स्थितियों के बारे में जानकारी दी गई थी।

(ii) विश्वविद्यालय में फरवरी, 2022 में वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव ''उड़ान 2022'' के नाम से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर क्रिकेट, वॉलीबाल, रंगोली प्रतिस्पर्धा, पेंटिंग, लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(iii) इग्नुआ के प्रशिक्षु पायलटों को राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने तथा विद्यार्थियों के साथ मैत्री मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। समापन समारोह के आयोजन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए थे।

(iv) विश्वविद्यालय में हिन्दी माह का आयोजन 1 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के दौरान किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन, सुलेख प्रतियोगिता, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद

विवाद प्रतियोगिता आदि जैसी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों के वैयक्तिक एवं व्यावसायिक कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन एवं महत्व के प्रति रूचि को जागृत करना था।

(v) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस का आयोजन 7 दिसम्बर, 2021 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस के आयोजन का उद्देश्य विश्व के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान के प्रति विश्वव्यापी जागरूकता की उत्पति करना एवं इसे सुदृढ़ता प्रदान करना था। इस समारोह में विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभागिता गई एवं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा विमानन का चयन अपने व्यावसायिक कैरियर के रूप में किए जाने के अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताया।

(vi) स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर रा.गां.रा.वि.वि. के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पड़ोसी ग्राम तरौना में स्वच्छता के प्रति ग्रामीण महिलाओं एवं अन्य ग्रामवासियों में जागरूकता की उत्पति के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय में 12 ग्रामीण महिलाओं को आमंत्रित किया गया था तथा रा.गां.रा.वि.वि. द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था।

9.6 प्रदूषण नियंत्रण

चारदीवारी, पार्किंग तथा शैक्षणिक एवं आवासीय ब्लॉक के अन्य हरित क्षेत्रों में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत 50 पौधों का रोपण किया गया।

गृहा काउंसिल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन रा.गां.रा.वि.वि. विश्वविद्यालय के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। रा.गां.रा.वि.वि. के शैक्षणिक एवं आवासीय भवनों की छत पर रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

वायु प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में किए गए प्रयास के अंतर्गत संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर को धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है।

भविष्य में भी विशाल संख्या में वृक्षों के रोपण एवं रा.गां.रा.वि.वि. परिसर में हरित क्षेत्रों के विकास के माध्यम से प्रदूषण के प्रभाव न्यूनतर करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

9.7 जेंडर बजटिंग डेटा सहित महिला कल्याण

विश्वविद्यालय परिसर में महिला विद्यार्थियों एवं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा (शैक्षणिक तथा आवासीय परिसर में) "कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति के प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता एवं लैंगिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के उल्लंघन को अपनी जानकारी में लेना तथा उसकी रोकथाम के प्रति उचित समझी गई कार्रवाई करना है। महिला विद्यार्थियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के विचार से महिला एवं पुरूष होस्टल क्षेत्र के मध्य पार्टिशन का निर्माण करके इसे दो भागों में विभाजित किया गया है।

9.8 लोक शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

इस पहलू से विश्वविद्यालय के प्रचालन सीधे संबंधित नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्को लोक शिकायतों के मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकारी पदनामित किया गया है। विश्वविद्यालय में प्राप्त होने वाले सूचना अधिकार से संबंधित पूछताछ के समय पर निपटान के उद्देश्य से उन्हें मुख्य लोक सूचना अधिकारी भी पदनामित किया गया है।

9.9 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

वर्तमान में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में कोई नियमित कर्मचारी न होने के कारण अजा / अजजा/ अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। रा.गां.रा.वि.वि. अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत रा.गां.रा.वि.वि. में नियमित कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। रोजगार के लिए अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के प्रावधानों का पदों पर भर्ती किए जाने के दौरान कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

9.10 पूर्वोत्तर भारत में विकास गतिविधियों से संबंधित मामले

यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, अतः यह देश के पूर्वोत्तर भाग में विकास से सम्बद्ध नहीं है।

अखंडता प्रतिज्ञा

सतर्कता जागरूकता पर बैनर प्रदर्शित करते हुए मैराथन

9.11 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

विश्वविद्यालय की वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियां इस पहलू से संबंधित नहीं हैं।

9.12 दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं

दिव्यांगजनों को सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षणिक भवन में रैम्प की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को गाइड करने के लिए फर्श का निर्माण टैक्टाइल टाइल्स के साथ किया गया है। रा.गां.रा.वि.वि. के शैक्षणिक भवन में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के सुगम उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए शैक्षणिक भवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के छात्रावास एवं आवासीय ब्लॉक में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।

9.13 सतर्कता विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित विवरण

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रा.गां.रा.वि.वि. के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री अमल गर्ग, मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा गया है। दिनांक 16 अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान सतर्कता के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए आयोजित सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्रों और कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण की गई थी तथा छात्रों के मध्य वाद–विवाद एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन, छात्रों और कर्मचारियों द्वारा मैराथन दौड़, आस–पास के गांवों के किसानों से सम्पर्क जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

9.14 नागरिक चार्टर

विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की पर्याप्त नियुक्ति किए जाने के पश्चात नागरिक चार्टर की प्रस्तुति की जाएगी।

9.15 समाज कल्याण गतिविधियां

ज्ञान की उत्पति एवं सहभाजन के केन्द्र के रूप में भविष्य की संवहनीयता के सुनिश्चय के लिए विश्वविद्यालय विश्व की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय ग्राम के प्राथमिक विद्यालय, तरौना के छात्रों का दौरा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन अवसर पर हुआ है जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन किया है जिससे उनमें, अपने स्वयं के लिए, विमानन के क्षेत्र से जुड़ने के एक प्रेरक कारक की उत्पति हुई है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में एकजुटता के विकास के उद्देश्य से समान प्रकार के विश्वकर्मा पूजा, क्रिसमस, दीपावली, ओणम, होली, मकर संक्रान्ति समारोह आदि जैसे विविध त्योहारों सहित कुछ सामान्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ''विविधता में एकता'' की अवधारणा को बल प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय भावी उम्मीदवारों को देश के विभिन्न बैंको से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

10. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

10.1 प्रस्तावना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा वि प्रा) 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया । भा वि प्रा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है। इसका गठन पूर्ववर्ती अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय द्वारा देश में हवाई अड्डों पर वायु यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालन क्षेत्रों और कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यों में गति लाने के प्रयोजन से किया गया था ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को देश में भूमि और वायु क्षेत्र दोनों पर नागर विमानन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौपा गया है। भा वि प्रा 133 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 23 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (3 सिविल एन्क्लेव सहित), 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे (4 सी ई सहित), 100 अंतर्देशीय हवाई अड्डे (22 सिविल एन्क्लेव सहित) सम्मिलित हैं।

10.2 भाविप्रा के प्रमुख कार्य

- इकाओ द्वारा स्वीकृत देश की भौगोलिक सीमाओं से परे विस्तारित भारतीय वायु क्षेत्र (विशेष प्रयोगकर्ता वायु क्षेत्र को छोड़कर) का नियंत्रण और प्रबंधन ।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी सुविधाओं का प्रावधान।
- प्रचालन क्षेत्रों जैसे कि रनवे, एप्रन, टैक्सीवे इत्यादि का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालन क्षेत्र में विमान और वाहन यातायात के लिए भू आधारित लैंडिंग और आवागमन नियंत्रण सुविधाओं का प्रावधान।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रखरखाव।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणाली का प्रावधान।

10.3 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भाविप्रा का अनुमानित वित्तीय कार्य–निष्पादन

अनुमानित वित्तीय विवरण के मुख्य अंश (हाइलाइट्स)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
राजस्व	10801.69
व्यय	8858.34
कर पूर्व लाभ	1943.35
कर के पश्चात लाभ	1943.35
लाभांश	776.24
लाभांश पर कर	शून्य

अनुमानित राजस्व के मुख्य अंश (हाइलाइट्स)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
वायु दिक्चालन सेवाएं	3273.28
वैमानिकी हवाई अड्डा सेवाएं	2685.26
गैर वैमानिकी हवाईअड्डा सेवाएं	1205.72
हवाईअड्डा लीज राजस्व (रेवेन्यू)	3259.38
अन्य आय	378.05
कुल राजस्व	10801.69

अनुमानित व्यय के मुख्य अंश (हाइलाइट्स)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
कर्मचारी हितलाभ व्यय	3945.97
परिचालन खर्च	2066.26
प्रशासनिक और अन्य व्यय	677.85
वित्तीय प्रभार	173.26
मूल्यह्रास	1995.00
सुरक्षा व्यय	0.00
कुल व्यय	8858.34

वित्तीय वर्ष 2022–22 के लिए राजकोष में अंशदान (अनंतिम)

(रुपए करोड़ में)

लाभांश	लाभांश कर	गारंटी शुल्क	आयकर	जीएसटी	कुल
0.00	0.00	2.04	850.00	1580.00	2432.04

टिप्पणी:

1. **वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश की गणना डीआईपीएम दिशानिर्देशों के आधार पर निवल संपत्ति के 5: की दर पर की गई है। इस संबंध में, भा वि प्रा सी ए पी ई एक्स (ब्।च्म्) लक्ष्य और भा वि प्रा की वित्तीय स्थिति के कारण वित्त वर्ष 2022–23 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान से छूट हेतु भा वि प्रा द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा ।**
2. **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश राशि को राजकोष के अंशदान में नहीं दिखाया गया है।**

10.4 संभाला गया यातायात (2022 बनाम 2021)

2021की तुलना में अर्थात कोविड युग के बाद, 2022 में भारतीय हवाई अड्डों के सभी तीन मोर्चों पर वायु यातायात में पर्याप्त सुधार हुआ है। सभी भारतीय हवाई अड्डों पर कुल मिलाकर वर्ष 2021 में 182 मिलियन यात्री संभालने की तुलना में वर्ष 2022 में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 294 मिलियन यात्रियों को संभालने का अनुमान है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान कुल विमान संचलन और माल की आवाजाही में क्रमशः 33 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2022 के दौरान संभाले गए यातायात का विवरण और 2021 से उनकी तुलना निम्नलिखित हैः

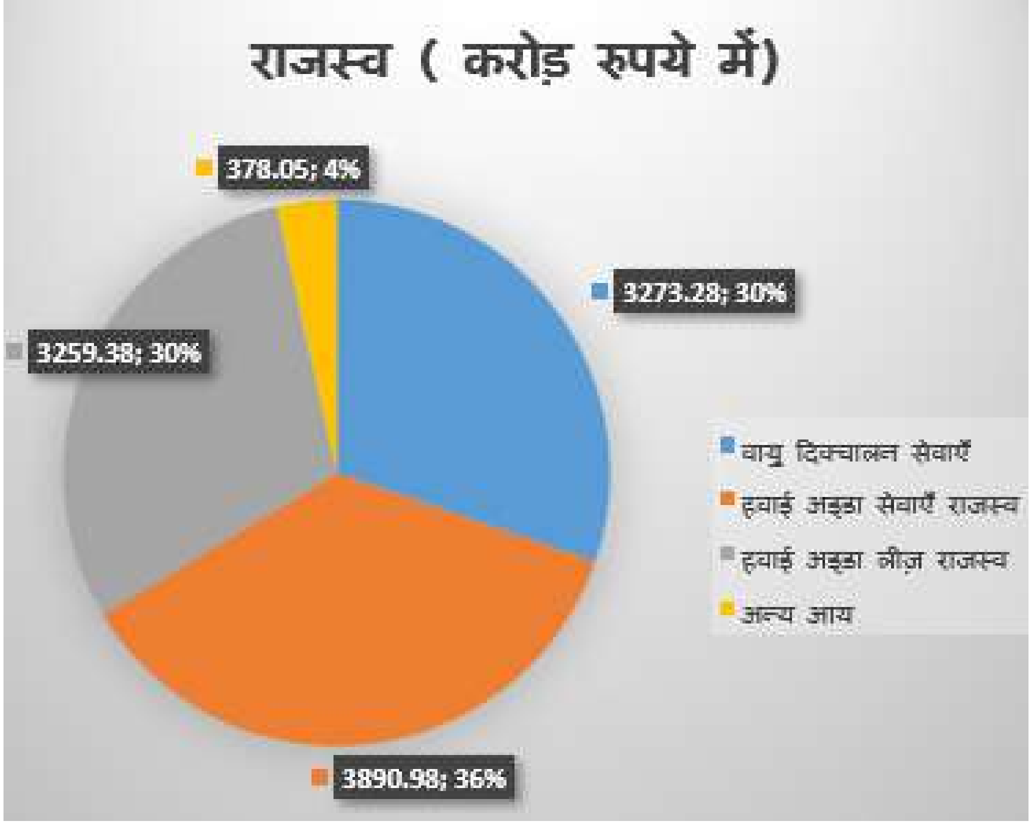
राजस्व (करोड़ रुपये में)
378.05; 4%
3273.28; 30%
3259.38; 30%
3890.98; 36%
वायु दिक्चालन सेवाएँ
हवाई अड्डा सेवाएँ राजस्व
हवाई अड्डा लीज़ राजस्व
अन्य आय

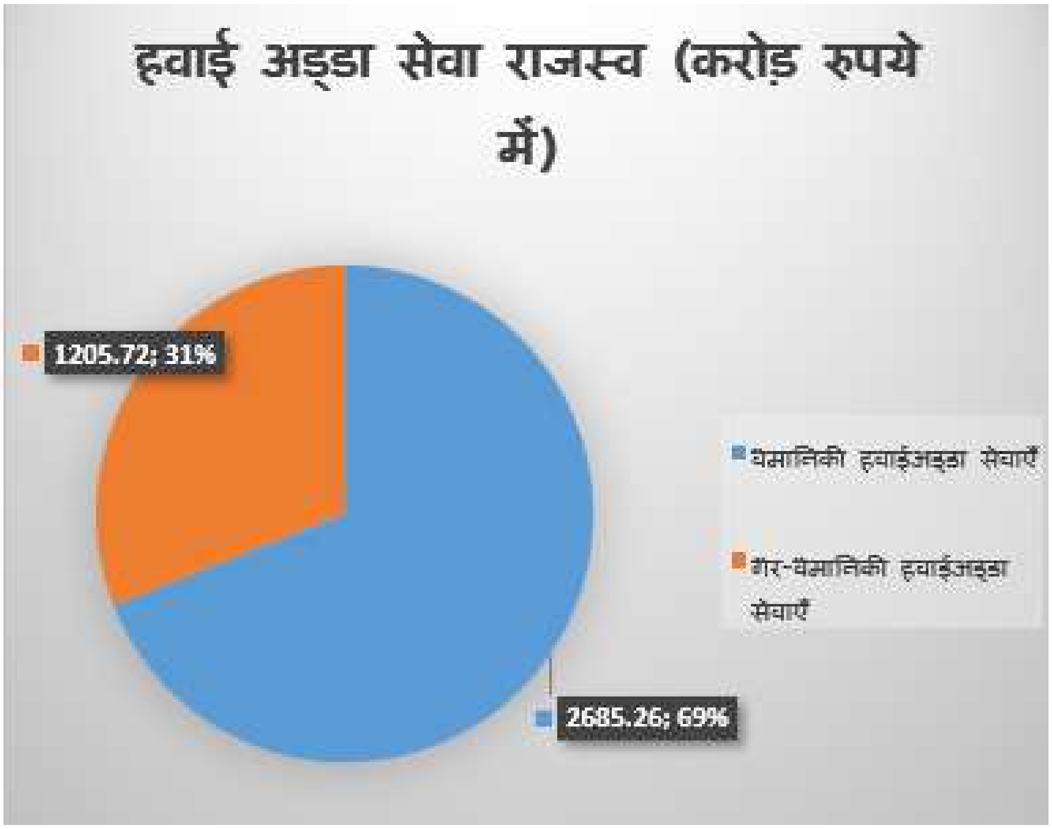
हवाई अड्डा सेवा राजस्व (करोड़ रुपये में)
1205.72; 31%
2685.26; 69%
वैमानिकी हवाईअड्डा सेवाएँ
गैर-वैमानिकी हवाईअड्डा सेवाएँ

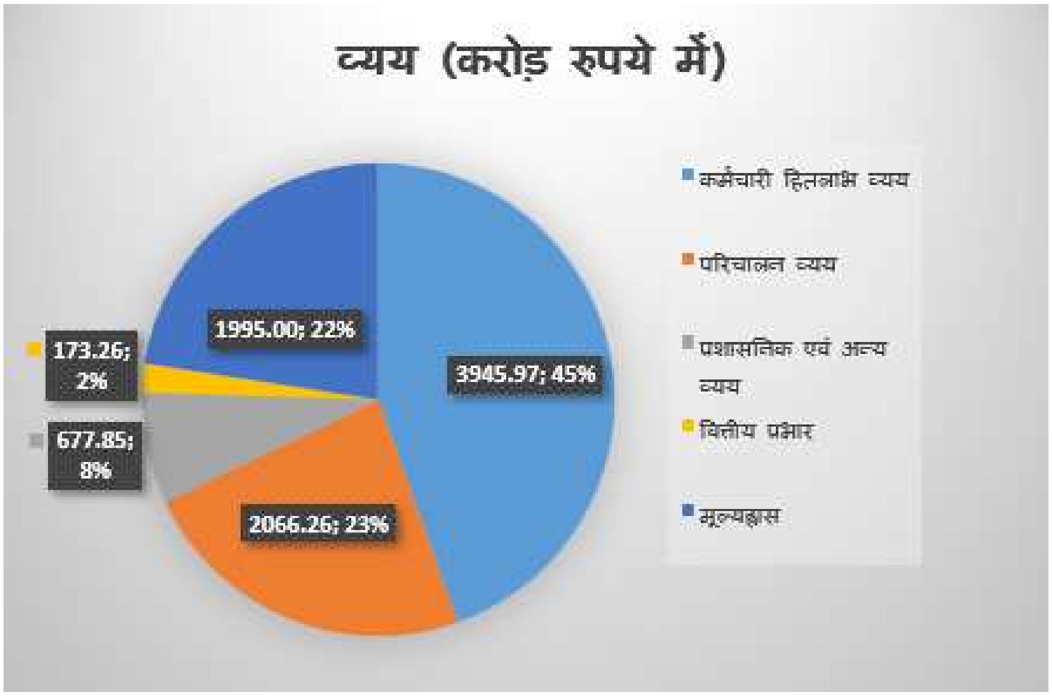

विवरण	2022	2021	% मे परिवर्तन
विमान संचलन (000 में)			
अंतरराष्ट्रीय	329.89	193.79	70.2%
घरेलू	1991.3	1552.21	28.3%
संपूर्ण	2321.19	1746.00	32.9%
यात्री (मिलियन में)			
अंतरराष्ट्रीय	49.13	18.42	166.7%
घरेलू	245.01	163.74	49.6%
संपूर्ण	294.14	182.16	61.5%
भाड़ा ('000 मीट्रिक टन में)			
अंतरराष्ट्रीय	1880.62	1952.08	–3.7%
घरेलू	1282.36	1193.23	7.5%
कुल	3162.97	3145.31	0.6%
*नोट :– दिसंबर–2022 यातायात विवरण अनंतिम है			

10.5 एसीआई–एएसक्यू अवार्ड्स 2021

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा संचालित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण यात्रियों की संतुष्टि को मापने के लिए विश्व प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वैश्विक बेंचमार्किंग कार्यक्रम है।

एएसक्यू सर्वेक्षण 34 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों में यात्रियों की संतुष्टि को मापता है जिसमें 8 प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं जैसे पहुंच, चेक–इन, सुरक्षा, हवाईअड्डा सुविधाएं, भोजन और पेय, खुदरा, हवाईअड्डा पर्यावरण और

आगमन सेवाएं। एएसक्यू अवार्ड्स दुनिया भर के उन हवाई अड्डों को मान्यता देते हैं जो उनके हवाई अड्डे के यात्रियों की स्वयं की राय में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करते हैं।

वर्ष 2021 में उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के लगभग 253 हवाई अड्डों पर एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण किया गया था। 2021 में, 18 भारतीय हवाई अड्डों ने एएसक्यू सर्वेक्षण में भाग लिया, जिनमें से 10 भा वि प्रा के हवाई अड्डे थे।

2021 में एसीआई–एएसक्यू सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सात (07) भाविप्रा हवाईअड्डों चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, पटना, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ को वॉयस ऑफ कस्टमर रिकग्निशन के लिए चुना गया था।

चंडीगढ़ को निम्नलिखित श्रेणियों में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

i) आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (एशिया–प्रशांत में प्रति वर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री)
ii) क्षेत्र (एशिया–प्रशांत) द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता उपाय।

10.6 पर्यावरण संधारणीय के लिए भाविप्रा द्वारा पहल

भाविप्रा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करके सतत विकास हासिल करने के उद्देश्य से अग्रसर हो रहा है। इस दिशा में भाविप्रा द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

1. एसीआई–एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन कार्यक्रम : भाविप्रा अपने हवाई अड्डों के एसीआई–एसीए की प्रक्रिया में है ताकि उनके उत्सर्जन का मूल्यांकन, समीक्षा, उसमें कमी तथा अनुकूलन किया जा सके।

   कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी हवाई अड्डों पर भाविप्रा ने दिसंबर 2019 में स्तर 2 हवाईअड्डा कार्बन मान्यता प्राप्त की है और 23 अन्य हवाई अड्डों के लिए स्तर 2 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा पहल : ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, भाविप्रा हवाई अड्डे सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाविप्रा ने पहले से ही विभिन्न हवाईअड्डों पर 54 मेगावाट से अधिक की संचयी क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। भाविप्रा ओपन एक्सेस और ग्रीन टैरिफ के माध्यम से लगभग 53 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा भी खरीद रहा है, इस प्रकार भाविप्रा हवाई अड्डों की कुल बिजली खपत का लगभग 35: नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) हिस्सा बढ़ा रहा है।

   भाविप्रा कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को और बढ़ाने के साथ–साथ 100: आरई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य व्यवहार्य विकल्पों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

3. ऊर्जा संरक्षण पहल: विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार पहचान किए गए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के तहत सतत ऊर्जा बचत उपायों को करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है।

   राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम (उजाला – सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) के अंतर्गत भाविप्रा ने सभी हवाई अड्डों पर एलईडी फिटिंग के साथ पारंपरिक प्रकाश फिक्सर के प्रतिस्थापन की शुरुआत की है।

4. हरित अवसंरचना : भाविप्रा ने परियोजनाओं के साथ–साथ प्रचालन और रखरखाव गतिविधियों में सामग्री, प्रक्रियाओं और उपकरणों के चयन के लिए विभिन्न हरित विकल्पों को अपनाते हुए उच्चतम ग्रिहा रेटिंग के साथ हरित भवन के रूप में टर्मिनल भवनों के निर्माण की पहल की है।

5. अपशिष्ट प्रबंधन : भाविप्रा अपशिष्ट प्रबंधन में कड़े कदम उठा रहा है और अपने अधिकांश हवाई अड्डों पर एकल–उपयोग–प्लास्टिक प्रतिबंध सफलतापूर्वक लागू कर चुका है। भाविप्रा भारत का पहला पीएसयू है जिसने जीआरओडब्ल्यू (सरकारी पुनः नवीनीकरण कार्यालय अपशिष्ट) पहल के अनुरूप कागज पुनर्चक्रण इकाई की स्थापना की है। भाविप्रा

कचरे के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और उचित निपटान के लिए अपने हवाई अड्डों पर एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

6. जल प्रबंधन : भाविप्रा ने अपशिष्ट जल के प्रसंस्करण और उपचारित जल के पुनः उपयोग द्वारा पीने योग्य पानी की बर्बादी को कम करके जल प्रबंधन पर पहल की है। मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) और वर्षा जल संचयन प्रणालियां मौजूदा/नई परियोजनाओं के साथ उपलब्ध करवाई गई है/योजनाबद्ध हैं।

7. प्रस्थान स्लॉट प्रबंधन (डीएसएम) का कार्यान्वयनः प्रचालन में डीएसएम के प्रयोग के परिणामस्वरूप एयरलाइनों के समय पर आवागमन में सुधार हुआ है, जिससे प्रस्थान पर विमानों के जमावड़े और विमानों की कतार कम हो गई है, जिससे ईंधन की खपत और जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

8. केन्द्रीय विमान यातायात आवागमन प्रबंधन (सीएटीएफएम) का कार्यान्वयनः यह प्रबंधन तकनीक भाविप्रा को भारतीय आकाश में रणनीतिक रूप से विमान यातायात प्रवाह का प्रबंधन करने में सहायता कर रही है, जिससे देरी और धारण मे कमी और क्षमता का अनुकूलन सुनिश्चित करने में सहायता मिली है, जिससे ईंधन की खपत और जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

9. निष्पादन आधारित दिक्चालन नेविगेशन (पीबीएन) का कार्यान्वयनः पीबीएन हवाई मार्गोंध्आगमन–प्रस्थान रूटोंध्पहुंच प्रक्रियाओं के विकास का समर्थन करता है जो ट्रैक मील, डिसेंट और क्लाइंब प्रोफाइल को कम/अनुकूलित करने में सहायता करता है और इस प्रकार हवाई क्षेत्र की क्षमता बढ़ाता है। ये उपाय विमान प्रचालन की प्रचालन दक्षता में सुधार करते हैं और ईंधन की खपत और जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाते हैं।

10. सतत डिसेंट प्रचालन (सीडीओ) का कार्यान्वयनः विमान को एक अति ईंधन–कुशल आगमन उड़ान पथ बनाए रखने की अनुमति देने के लिए सीडीओ को लागू किया गया है, जो ईंधन की खपत और जमीन पर शोर को कम करने में मदद करता है, जिससे जीएचजी उत्सर्जन कम होता है।

11. हवाई अड्डे के सहयोगात्मक निर्णय लेने (ए–सीडीएम) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इंटरसेक्शन प्रस्थान को प्रोत्साहित करके जमीनी प्रचालन दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे ईंधन और जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

12. हवाई अड्डों पर फिक्स्ड इलेक्ट्रिक ग्राउंड पावर (एफईजीपी) और प्री–वातानुकूलित वायु (पीसीए) इकाइयों का प्रावधानः मौजूदा हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से एफईजीपीयू और पीसीए के प्रावधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे जमीनी प्रचालन क्षमता बढ़ेगी और ईंधन की बचत होगी जिससे जीएचजी उत्सर्जन में कमी के आएगी।

13. टैक्सीबॉट्स का प्रावधान ग्रीन टैक्सिंग के लिए चेन्नई और कोलकाता हवाईअड्डों पर अपने इंजनों को चलाए बिना विमानों को खींचने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है, जो एटीएफ को जलाने से बचाएगा, जिससे जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

14. उत्सर्जन को कम करने और हवाई अड्डों पर स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशनों के प्रावधान सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना ।

10.7 महिला कल्याण

भर्ती गतिविधियों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाविप्रा अपनी सभी भर्ती गतिविधियों में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है।

महिला कर्मचारियों को अधिक सहायक वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास में भाविप्रा के प्रबंधन ने आईवीएफ के साथ सरोगेसी के मामले में अपनी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय लिया।

भाविप्रा में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकल महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास आवास का प्रावधान शुरू किया गया है।

10.8 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

1 निगमित मुख्यालय में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा सभी हवाई अड्डों के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र की मानीटरिंग की जाती है। निगमित मुख्यालय में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ दल द्वारा अंशधारकों के साथ नियमित फालोअप किया जाता है, जहां शिकायतें लंबित हैं।

2. प्रत्येक हवाईअड्डे पर जन शिकायत अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनका विवरण यात्रियों और हवाईअड्डों के उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए हवाईअड्डों पर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। फील्ड स्टेशनों, क्षेत्रीय मुख्यालयों और निगमित मुख्यालयों पर संबंधित पीजीओ द्वारा दैनिक आधार पर जन शिकायतों की मानीटरिंग की जाती है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए सभी पीजीओ के लिए समर्पित ईमेल आईडी बनाई गई हैं और उनका विवरण भाविप्रा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3. नागरिकों/यात्रियों के लाभ के लिए, उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं जैसेय सीपीग्राम, पत्र, ईमेल, भाविप्रा वेबसाइट, सुझाव बॉक्स, रजिस्टर, टेलीफोनिक, ट्विटर या शिकायत का कोई अन्य माध्यम/प्रिंट मीडिया ।

4. उचित नियंत्रण, निवारण और मानीटरिंग के लिए भाविप्रा के हवाई अड्डों के साथ–साथ सभी संयुक्त उद्यम और निजी हवाई अड्डों को सीपीग्राम पोर्टल में अधीनस्थ कार्यालय के रूप में जोड़ा गया है। टीम निजी और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डों के पीजीओ / नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करती है और जनता और यात्रियों की शिकायतों को संभालने के दौरान प्रतिक्रिया की गुणवत्ता और तत्परता के लिए उनका मार्गदर्शन करती है।

5. वर्ष 2016 में एक एकीकृत शिकायत पोर्टल, अर्थात् एयर सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो सफलतापूर्वक चला। बेहतर संचालन और सुचाः कामकाज के लिए और बेहतर यूजर इंटरफेस देने के लिए एयर सेवा पोर्टल को नियमित अंतराल पर अपडेट किया जा रहा है।

6. भाविप्रा में लोक शिकायत निवारण तंत्र के उचित प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल, लोक शिकायत पोर्टफोलियो में एक नया आयाम पहले ही जोड़ा जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित हवाईअड्डों, जहां शिकायत की जाती है, से प्रतिक्रिया/जवाब लेकर शिकायतों को संभाला, संसाधित और तुरंत निवारण किया जाता है।

10.9 31.12.2022 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व।

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी कर्मचारियों का %	एसटी कर्मचारियों की कुल संख्या	एसटी कर्मचारियों का %	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों का %
15888	3275	20.61	1353	8.52	4114	25.89

10.10 कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान पूरी की गई पूंजीगत योजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना स्थल	विवरण	समापन तिथि	समापन लागत
1	अगरतला	अगरतला एयरपोर्ट पर कार्गो बिल्डिंग का निर्माण	31–12–22	15.78
2	सिलचर	सिलचर हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार और नए लिंक टैक्सीवे का निर्माण ।	25–05–22	17.14
3	ईटानगर (होलोंगी)	ईटानगर में अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण।	30–09–22	24.07
4	देहरादून	रनवे और टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण, आपातकालीन निकास सड़क का निर्माण और संबंधित कार्य	06–10–22	25.80
5	चित्रकूट	चित्रकूट में हवाई अड्डे का विकास	31–03–22	26.14
6	रांची	रनवे का पुनः सतहीकरण	12–02–22	26.17
7	वाराणसी	कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	07–09–22	28.23
8	मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर कोड 'सी' प्रकार के विमान और संबद्ध कार्यों के लिए मौजूदा रनवे 09/27 का पुनः सतहीकरण।	30–05–22	28.39
9	अगरतला	अगरतला एयरपोर्ट पर हैंगर का निर्माण।	31–03–22	32.51
10	खजुराहो	रनवे के बेसिक स्ट्रिप का चौड़ीकरण और ग्रेडिंग खजुराहो हवाई अड्डे पर पेरीमीटर रोड और स्टॉर्मवाटर ड्रेन का निर्माण।	28–02–22	33.77
1 1	विजयवाड़ा विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर न्यू एप्रन, लिंक टैक्सीवे का निर्माण और संबंधित कार्य।	31–03–22	33.91	33॰91
12	बारापानी	बारापानी हवाई अड्डे पर एप्रन लिंक टैक्सी ट्रेक और आइसोलेटिड बे का निर्माण	31–08–22	34.93
13	मैसूर	मैसूर हवाई अड्डे पर प्रचालन क्षेत्र की वॉल टू वॉल ग्रेडिंग।	30–10–22	35.34
14	कोलकाता	हैंगर, एप्रन और लिंक का निर्माण	30–06–22	35.44
15	भुवनेश्वर	नए नियंत्रण टॉवर और तकनीकी ब्लॉक का निर्माण और संबद्ध कार्य।	31–07–22	37.63

क्र.सं.	परियोजना स्थल	विवरण	समापन तिथि	समापन लागत
16	त्रिची	तिरुचिरापल्ली (त्रिची) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन और एयरसाइड सुविधाओं का उन्नयन। एसएचः एप्रन, संबद्ध टैक्सीवे, आइसोलेशन बे, जीएसई क्षेत्र का निर्माण और संबंधित कार्य। (पैकेज– प्)	05–08–22	44.52
17	पाकयोंग	माइक्रो पाइल और प्रीटेंशन एंकर के ऊपर सीमेंटेड रॉक हिल द्वारा आरई दीवार के आधार को मजबूत करना।	30–04–22	46.26
18	हैदराबाद	बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद हॉस्टल ब्लॉक में नागर विमानन अनुसंधान संगठन परिसर का निर्माण	30–06–22	48.52
19	कोयंबटूर	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और त्रिची हवाई अड्डे पर पुराने वायरलेस स्टेशन पर नए आवासीय स्टाफ क्वार्टर, सीआईएसएफ बैरक, डॉग केनेल और कम्युनिटी हॉल का निर्माण।	30–04–22	48.75
20	भुवनेश्वर	एप्रन सहित समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	30–06–22	60.74
21	हुबली	हुबली हवाई अड्डे पर 8 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड पीवी सोलर प्लांट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	30–10–22	64.06
22	त्रिची	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और त्रिची हवाई अड्डे पर पुराने वायरलेस स्टेशन पर नए आवासीय स्टाफ क्वार्टर, सीआईएसएफ बैरक, डॉग केनेल और कम्युनिटी हॉल का निर्माण।	30–05–22	65.12
23	विशाखापत्तनम	टर्मिनल भवन का रैखिक विस्तार	30–05–22	70.44
24	कडप्पा	कोड–सी प्रकार के विमान (ए–320) के संचालन के लिए कडप्पा हवाईअड्डे पर विद्युत कार्य सहित आइसोलेशन बे, विस्फोट क्षरण के खिलाफ फुटपाथ, आरईएसए और पेरीमीटर रोड, स्ट्रिप्स की ग्रेडिंग आदि के निर्माण के साथ–साथ मौजूदा रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।	30–06–22	94.44

क्र.सं.	परियोजना स्थल	विवरण	समापन तिथि	समापन लागत
25	अमृतसर	10 संख्या कोड 4सी प्रकार के विमानों के लिए एप्रन का विस्तार। अमृतसर। अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	30–03–22	96.15
26	आदमपुर	आदमपुर हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव का विकास	30–11–22	114.45
27	शिमला	शिमला हवाई अड्डे पर बेसिक स्ट्रिप का जीर्णोद्धार, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, एप्रन का विस्तार और संबंधित कार्य।	12–10–22	131.96
28	कोल्हापुर	कोल्हापुर हवाई अड्डे पर रनवे, एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा सम्बद्ध कार्य ।	30–07–22	172.97
29	तिरुपति	तिरुपति हवाईअड्डे पर कोड ई प्रकार के विमानों के लिए रनवे के विस्तार के साथ मौजूदा रनवे, एप्रन का सुदृढ़ीकरण और आरईएसए का प्रावधान तथा सम्बद्ध कार्य ।	30–08–22	177.10
30	चेन्नई	चेन्नई हवाईअड्डे पर कार पार्किंग का विकास।	31–07–22	250.00
31	देवघर	देवघर हवाई अड्डे का विकास ।	12–07–22	305.17
32	पुणे	पुणे हवाई अड्डे पर कार पार्किंग का विकास।	31–10–22	120.00
33	होलोंगी	नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, होलोंगी , अरुणाचल प्रदेश का निर्माण। पैकेज 1: ईटानगर , होलोंगी में प्रचालन क्षेत्र में रनवे, एप्रन का विकास और संबद्ध कार्य ।	10–11–22	460.89

10.11 कैलेंडर वर्ष 2022 के तहत प्रगतिशील पूंजीगत योजनाएं

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
1	पोर्ट ब्लेयर	एनआईटीबी का निर्माण और संबद्ध कार्य	90.00%	अप्रैल –23	707.73
2	पोर्ट ब्लेयर	पोर्टब्लेयर में लिंक टैक्सीवे के साथ नए एप्रन का निर्माण ।	52.00%	मार्च –23	99.77
3	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एप्रन, एटीसी टॉवर सहित एनआईटीबी का निर्माण और संबंधित कार्य।	32.91%	जून–24	611.80

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
4	होलोंगी/ ईटानगर	होलोंगी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण	61.00%	19.11.2022 को अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग के साथ हवाईअड्डे का उद्घाटन किया गया है। नियमित टर्मिनल बिल्डिंग हेतु पीडीसी जून 23 है	645.63 (समग्र) (पैकेज)2: 195.50
5	तेजू	तेजू हवाई अड्डे, अरुणाचल प्रदेश का प्रचालन/उन्नयन।	97.50%	मार्च –23	67.74
6	डिबरूगढ़	हैंगर का निर्माण।	67.00%	मार्च –23	15.13
7	डिब्रूगढ़	तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टावर का निर्माण।	56.00%	मार्च –23	44.28
8	डिबरूगढ़	डिबरूगढ़ हवाईअड्डे पर वर्तमान रनवे–05 (फ्लैक्सिबल) की रीकार्पेटिंग और नए रिजिड रनवे फुटपाथ के साथ विलय और अन्य सम्बद्ध कार्य।	46.00%	मार्च –23	50.54
9	डिबरूगढ़	प्रचालन क्षेत्र में वर्तमान खुले नाले को तोड़ना और उसी स्थान पर नए ढके हुए नाले का निर्माण।	98.00%	फरवरी–23	39.91
10	दरभंगा	एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा में रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन का विस्तार और संबद्ध कार्य ।	87.00%	जून –23	73.22
11	दरभंगा	दरभंगा हवाईअड्डे का वीएफआर से आईएफआर में रूपांतरण/ दरभंगा हवाईअड्डे पर रनवे शोल्डर, आरईएसए एवं बैलास्ट पैड तथा भाविप्रा कार्यालयों, पावर हाउस एवं कैंटीन में सीसीआर कक्ष का निर्माण।	64.78%	जून –23	30.35
12	दरभंगा	दरभंगा हवाई अड्डे का विकास एसएचः सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, एचवीएसीः वीआरएफ, एयरपोर्ट सिस्टम, आईटी सिस्टम, कार पार्किंग और सड़कें, बाउंड्री वॉल, सिटी साइड डेवलपमेंट और अन्य संबंधित कार्यों सहित वर्तमान टर्मिनल में परिवर्तन सहित वर्तमान प्री–इंजीनियर टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन व निर्माण के आधार पर विस्तार।	0.00%	जुलाई 23	36.94

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
13	पटना	पटना हवाई अड्डे पर नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन और अन्य संरचनाओं (चरण I और II) का निर्माण।	50.50%	दिसंबर–24	1216.90
14	पटना	राज्य सरकार हैंगर, फ्लाइंग क्लब भवन, वीआईपी लाउंज भवन का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य ।	62.00%	दिसंबर–23	
15	पटना	एटीसी कंट्रोल ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक फायर स्टेशन और कार्गो ब्लॉक का निर्माण।	99.00%	मार्च –23	
16	पटना	पटना हवाईअड्डे पर रनवे, टैक्सीवे, शोल्डर्स, एप्रन की रिकार्पेटिंग, पैरेलल टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे, टैक्सीवे लिंक से न्यू एप्रन (हैंगर के सामने) से रनवे का निर्माण और संबद्ध कार्य	5.00%	जुलाई–23	95.11
17	सफदरजंग	सफदरजंग हवाई अड्डे, नई दिल्ली में डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी, ऐरा और भाविप्रा के लिए संयुक्त प्रचालन कार्यालयों का निर्माण।	94.00%	फरवरी–23	351.20
18	धोलेरा	धोलेरा, अहमदाबाद (गुजरात) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास।	5.00%	दिसंबर–25	1305.00
19	राजकोट	हीरासर (राजकोट) में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण।	64.00%	मार्च –23 (अंतरिम टर्मिनल भवन सहित) नियमित टर्मिनल बिल्डिंग हेतु पीडीसी दिसंबर–23 है	1405.00
20	सूरत	सूरत हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार।	83.00%	टर्मिनल भवन अप्रैल–23 एप्रन एवं पीटीटी जुलाई 23	353.25
21	सूरत	सूरत में एप्रन का विस्तार और समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण।	60.00%		
22	सूरत	सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के सामने कैनोपी का निर्माण।	0.00%		

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
23	वडोदरा	एटीसी टॉवर और फायर स्टेशन का निर्माण।	88.00%	फरवरी–23	57.72
24	गोवा	वर्तमान एकीकृत टर्मिनल भवन का विस्तार।	22.35%	जून –24	255.69
25	कालीकट	कालीकट हवाईअड्डे पर संबद्ध सिविल और विद्युत कार्यों सहित रनवे की रीकार्पेटिंग और सुदृढीकरण और सेंट्रल लाइन लाइट्स को ठीक करना	0.00%	नवंबर–23	55.59
26	लेह	लेह हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण ।	54.00%	मार्च –24	480.33
27	भोपाल	एटीसी टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्य।	80%	मार्च –23	41.16
28	ग्वालियर	ग्वालियर हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव का विस्तार ग्वालियर हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण, सहायक भवन, कार पार्किंग, सिटी साइड विकास एवं अन्य संबंधित कार्य	28.00%	सितंबर–23	446.12
29	ग्वालियर	ग्वालियर हवाई अड्डे, ग्वालियर में 09 एबी–321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए संबंधित कार्यों सहित एप्रन और लिंक टैक्सी का निर्माण	27.00%	सितंबर–23	
30	इंदौर	एटीसी टावर और फायर स्टेशन का निर्माण	0.00%	मई–24	86.61
31	इंदौर	डीएबीएच इंदौर हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय एयर कार्गो टर्मिनल, पेरिशेबाल कार्गो के लिए सेंटर का निर्माण और संबंधित कार्य।	60.00%	मार्च –23	15.42
32	जबलपुर	एबी–320 प्रकार के विमानों के लिए जबलपुर हवाई अड्डे का उन्नयन एसएच : नया टर्मिनल भवन ।	67.22%	जून –23	412.24
33	जबलपुर	एबी–320 प्रकार के विमानों के लिए जबलपुर हवाई अड्डे का उन्नयन एसएच : रनवे का विस्तार, नए एप्रन, टैक्सी ट्रैक और लिंक टैक्सी सहित आइसोलेशन बे, जीएसई क्षेत्र, परिधि सड़क का निर्माण और संबद्ध कार्य (सिविल और विद्युत)।	100.00%	30–06–2022 को कार्य पूर्ण किया गया।	
34	इम्फाल	हैंगर का निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्य।	58.00%	मार्च –23	35.90
35	इम्फाल	इंफाल हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण।	74.00%	मार्च –23	15.93
36	इम्फाल	इम्फाल में टर्न पैड और फिललेट्स का विस्तार और टी डब्लू वाई सी का सुदृढ़ीकरण।	20.00%	अप्रैल–23	17.05

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
37	इम्फाल	इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंफाल, मणिपुर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन, कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक, एप्रन, लिंक टैक्सीवे का निर्माण और संबंधित कार्य	10.22%	जुलाई 24	499.00
38	जुहू	भाविप्रा–पीएचएचएल कॉलोनी, जुहू में आवासीय क्वार्टर का निर्माण	97.00%	फरवरी–23	38.80
39	कोल्हापूर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण।	54.00%	जून –23	71.72
40	पुणे	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।	75.00%	सितंबर–23	475.39
41	भुवनेश्वर	लिंक भवन का निर्माण।	41.00%	जून –23	87.51
42	भुवनेश्वर	4 एम डब्लू पी (डी सी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान।	98.00%	जनवरी–23	41.24
43	भुवनेश्वर	बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, भुवनेश्वर में 08 कोड सी विमानों की पार्किंग के लिए समानांतर टैक्सी ट्रैक (पीटीटी), रैपिड एग्जिट टैक्सी वे (आरईटी) और एप्रन का निर्माण। एसएचः पीटीटी और आरईटी का निर्माण (फेज–II)।	0.00%	सितंबर–23	47.95
44	झारसुगुडा	झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर 4 एप्रन बे का निर्माण	85.00%	फरवरी–23	25.24
45	जोधपुर	जोधपुर हवाईअड्डे पर नए एप्रन का निर्माण (शेष भाग) चरण–II	25.00%	अक्तूबर–23	16.65
46	उदयपुर	एमपी हवाई अड्डा, उदयपुर में बी–777 वीआईपी उड़ान प्रचालन के लिए रनवे रीसर्फेसिंग, फिलेट और टर्न पैड उपलब्ध कराना	98.00%	मार्च –23	29.52
47	चेन्नई	चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण (चरण–II), चेन्नई हवाई अड्डा।	54.02%	फरवरी–23 (भाग – I) जुलाई 25 (भाग – II)	2467.00
48	चेन्नई	चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई में मुख्य रनवे 07/25 के लिए बी–टैक्सी ट्रैक (रनवे के महत्वपूर्ण भाग से अलग) के साथ विलय और टैक्सीवे–डी और टैक्सीवे–एम के बीच रिसर्फेसिंग के लिए 2 रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (आरईटी) के शेष भाग का निर्माण और संबंधित कार्य।	68.00%	मार्च –23	66.18

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
49	चेन्नई	चेन्नई हवाईअड्डे, चेन्नई में कोड 'ई' विमान प्रचालन के लिए 'एच' टैक्सी ट्रैक, 'ई' टैक्सी ट्रैक का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण ा। अंतर्देशीय एप्रन में आरईटी–एम से 'एच' टैक्सी ट्रैक तक लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण, द्वितीयक रनवे का पुनर्निर्माण और संबद्ध कार्य।	50.00%	अप्रैल–24	53.66
50	चेन्नई	चेन्नई हवाईअड्डे, चेन्नई में लिंक टैक्सीवे के 'एन1' और 'एफ' को बी टैक्सी से जोड़ने वाले शेष भाग का निर्माण। 'के' टैक्सीवे से 'एम' टैक्सीवे के बीच बी टैक्सी वे का पुनर्निर्माण और ओल्ड सेरेमोनियल लाउंज और एयर इंडिया कार्गो स्थान में कार्गो बे का निर्माण।	20.00%	मार्च –23	97.60
51	चेन्नई	चेन्नई हवाईअड्डे पर प्रचालन क्षेत्र में वर्षा जल निकासी नाले का रूपान्तरण ।	8.00%	मई–23	209.10
52	चेन्नई	चेन्नई हवाई अड्डे पर आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	55.00%	नवंबर–24	460.75
53	कोयंबटूर	कोयंबटूर हवाईअड्डे पर रनवे की रीसर्फेसिंग।	20.00%	जून –23	49.80
54	मदुरै	तकनीकी ब्लॉक सह एटीसी टॉवर का निर्माण।	30.00%	फरवरी–24	99.02
55	मदुरै	मदुरै हवाई अड्डे पर प्री–कास्ट प्रचालनात्मक बाउंड्री वॉल, प्रॉपर्टी वॉल का निर्माण	0.00%	दिसंबर–23	98.25
56	त्रिची	त्रिची हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन, एप्रन, एटीसी परिसर का निर्माण।	79.22%	दिसंबर–23	951.00
57	त्रिची	तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डे, त्रिची पर सतह कार पार्किंग का निर्माण एवं संबंधित कार्य।	23.00%	अप्रैल–23	49.45
58	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन हवाईअड्डे का विकास: बैलास्ट पैड, रेसा, टेकसीवे, एप्रन, जीएसई क्षेत्र, आइसोलेशन बे सहित रनवे का विस्तार, और विविध कार्य	32.57%	दिसंबर–23	380.87

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
59	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन, एटीसी टावर सह तकनीकी ब्लॉक,फायर स्टेशन का निर्माण एवं रख रखाव, प्रचालन और एआईसीएमसी सहित अन्य संबन्धित कार्य।			
60	हैदराबाद	बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद पर रनवे का रीसर्फेसिंग और सुदृढीकरण एसएचः बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद पर रनवे और अन्य फुटपाथ कार्यों की रीसर्फेसिंग ।	5.00%	जुलाई 23	60.00
61	हैदराबाद	क्षतिग्रस्त हिस्सों में प्रचालन दीवार का विकास/पुनर्निर्मित करना (चरण–प्प्)	94.00%	मार्च –23	19.28
62	हैदराबाद	बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद, चरण– प् में नागर विमान अनुसंधान संगठन परिसर का निर्माण।	76.00%	जून –23	353.61
63	अयोध्या	अयोध्या हवाईअड्डे का विकास। एसएच. डिजाइन और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर पर प्री–इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीईबी) का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य	49.00%	जून –23	328.00
64	अयोध्या	अयोध्या हवाईअड्डे, उत्तर प्रदेश का विकास। एसएच. डिजाइन और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर पर प्रचालन क्षेत्र में फुटपाथ, ग्रेडिंग और अन्य कार्य	72.00%		
65	बरेली	बरेली में सिविल एन्क्लेव का विकास एसएच. बरेली में एप्रन का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	60.00%	फरवरी–23	21.49
66	गोरखपुर	गोरखपुर सिविल एन्क्लेव, गोरखपुर में यात्री टर्मिनल भवन का विस्तार	77.00%	फरवरी–23	26.87
67	कानपुर	कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे का विकास	95.00%	फरवरी –23	168.87
68	सहारनपुर	डिजाइन और निर्माण के आधार पर सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डे का विकास उपशीर्षः पूर्व–इंजीनियर्ड टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	2.00%	जून–23	80.00

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति (%) 31.12.20 तक	पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्वीकृत लागत
69	सहारनपुर	सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डे का विकास । उपशीर्ष: ऐप्रन, टैक्सी ट्रैक का निर्माण और संबद्ध कार्य	3.00%	जून–23	
70	फुरसतगंज	सिविल प्रचालन के लिए फुर्सतगंज हवाई अड्डे का विकास	0.00%	सितम्बर –23	25.24
71	म्यूरपुर (कोरबा) ।	म्यूरपुर में हवाई अड्डे का विकास म्यूरपुर हवाई अड्डे, जिला सोनभद्र, उ.प्र. पर पूर्वनिर्मित संरचना (टर्मिनल भवन) और संबद्ध संरचनाओं का निर्माण ।	70.00%	मार्च –23	44.51
72	म्यूरपुर (कोरबा) ।	म्यूरपुर हवाई अड्डा, म्यूरपुर, सोनभद्र में सरफेस ग्रेडिंग और आरसीसी रिटेनिंग वॉल।	65.00%	अप्रैल –23	
73	देहरादून	देहरादून हवाई अड्डे पर घरेलू यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	87.00%	एयरपोर्ट का उद्घाटन 08.10.2021 को किया गया है। टर्मिनल भवन चरण–I चरण– II के लिए पीडीसी जून–23 है	456.86
74	कोलकाता	एटीसी टावर/तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	91.00%	अभियांत्रिकी कार्य – अप्रैल–23 सीएनएस कार्य–मई–24	458.00
75	कोलकाता	ने.सु.चं.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता की एयरसाइड क्षमता में वृद्धि। प्रस्तावित बे नंबर सी–13 से 19आर और 19आर से 19एल तक एफ–टैक्सी ट्रैक का विस्तार, ने.सु.चं.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर 03 आरईटी, 04 एप्रन, शोल्डर्स और बॉक्स कलवर्ट का निर्माण	98.00%	अप्रैल –23	389.71

10.12 योजनागत परियोजनाएं कैलेंडर वर्ष 2022

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति	टिप्पणियां
1	अगरतला	रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की रिकार्पेटिंग ।	134.00	योजना चरण (अनुमान चरण)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 30.04.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 30.06.2024
2	अगाती	अगाती हवाईअड्डे का विकास उपशीषर्रू अगाती हवाईअड्डे पर रनवे की री–सरफेसिंग।	23.71	योजना स्तर	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 28.02.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 30.08.2024
3	भुवनेश्वर	कैटेगरी–स लाइटिंग को कैटेगरी–ससस लाइटिंग सिस्टम में बदलना और रनवे की रीसर्फेसिंग	117.00	योजना चरण (निविदा आमंत्रित)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 01.02.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.01.2024
4	कोयंबत्तूर	एनआईटीबी चरण सस (सीई) के लिए नई अधिगृहित भूमि के हेतु चारदीवारी का निर्माण	39.28	योजना चरण (वित्तीय बोली 09. 09.2022 को खोली गई। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) प्रक्रियाधीन है)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 07.02.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 30.05.2024
5	जम्मू	एप्रन, टैक्सी ट्रैक और अन्य संबद्ध सिविल कार्यों सहित नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण और सिविल हवाई अड्डा जम्मू में तवी नदी की ओर विद्युत और यांत्रिक उपकरणों की स्थापना।	850.00	योजना चरण (इंजीनियरिंग परामर्श प्रगति पर है)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 31.03.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.08.2025
6	जोधपुर	जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	480.00	योजना चरण (इंजी. परामर्श कार्य प्रगति पर है)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 01.04.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.10.2025
7	कलबुर्गी	कलबुर्गी हवाई अड्डे का विकास। उपशीर्षः कलबुर्गी हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार और सिविल और विद्युत संबंधी अन्य संबद्ध कार्य	31.06	योजना चरण (तकनीकी बोली 09.01.2023 को खोली जाएगी)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 28.02.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 27.09.2024
8	कोलकाता	कोलकाता हवाईअड्डे पर एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन की क्षमता में वृद्धि।	141.00	योजना चरण (अनुमान चरण)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 31.03.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 30.09.2025
9	कोटा	कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण।	1000.00	योजना चरण	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 31.05.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.01.2025

क्र. सं.	परियोजना स्थल	विवरण	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति	टिप्पणियां
10	राजमुंद्री	राजमुंद्री हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार	347.15	योजना चरण (प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) स्वीकृत)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 30.04.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 30.05.2025
11	श्रीनगर	श्रीनगर हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	1400.00	योजना चरण (पीएमसी प्रगति पर है)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 01.04.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.08.2026
12	तिरुपति	त्रिची हवाई अड्डे पर प्रचालन और नियमित रखरखाव और सभी समावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध (एआईसीएमसी) सहित नए एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक और उपयोगिता / सेवा ब्लॉक का निर्माण।	58.64	योजना चरण (वित्तीय बोली खोली गई)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 31.01.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.01.2024
13	उदयपुर	उदयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	754.00	योजना चरण (इंजी. परामर्श कार्य प्रगति पर है)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 01.06.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 31.10.2025
14	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	76.14	योजना चरण (वित्तीय बोली 13.12.2022 को खोली गई, वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन।)	प्रारंभ होने की संभावित तिथि – 15.02.2023 पूर्ण होने की संभावित तिथि – 24.11.2024
15	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर हवाईअड्डे पर नए घरेलू टर्मिनल ख्टी3, भवन का निर्माण	955.00	योजना स्तर	पीपीपी हवाई अड्डों के अंतर्गत पहचान की गई। इस संबंध में रियायतग्राही समझौते में भाविप्रा उपयुक्त खंड शामिल करेगा जिसके द्वारा भुवनेश्वर में कैपेक्स में भाविप्रा के निवेश की प्रतिपूर्ति आरएबी के रूप में या रियायतग्राही से कार्य के प्रगति में रूप में की जाएगी।
16	बागडोगरा	बागडोगरा में न्यू सिविल एन्क्लेव का निर्माण	अंतिम रूप दिया जा रहा है।	योजना चरण (ईआईए और इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हैं) योजना निदेशालय के परामर्श से मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	प्रारंभ की संभावित तिथि पूर्ण होने की संभावित तिथि

10.13 दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं

भाविप्रा ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन के लिए पूरी तरह से सुगम्य अवसंरचना सुनिश्चित करते हुए सुगम्य भारत अभियान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। चिकित्सा आपात स्थितियों और कम चल फिर सकने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भाविप्रा के हवाईअड्डों पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा भी प्रारम्भ की गई थी। नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं और राजपत्र में अधिसूचना से पहले इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया गया है। इससे भारत के सभी हवाई अड्डों को लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने में सहायता प्राप्त होगी ।

10.14 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

समर्पित "मे आई हेल्प यू" काउंटर भाविप्रा के 43 हवाईअड्डों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा भाविप्रा के शेष हवाईअड्डों पर "मे आई हेल्प यू" काउंटर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10.15 सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) का निगमित सतर्कता विभाग (सीवीडी) नई दिल्ली में निगमित मुख्यालय में स्थित है जबकि विभिन्न क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर–पूर्वी) में भी यह विद्यमान है। सतर्कता विभाग की भूमिका और कार्य समय–समय पर अद्यतन किए गए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सतर्कता नियमावली के अनुरूप हैं।

भाविप्रा के एक सेवा संगठन होने के नाते सतर्कता निदेशालय की भूमिका और कार्य त्री आयामी हैं – (क) निवारक (ख) दंडात्मक और (ग) निगरानी और खोज । अपनी निवारक भूमिका में निगमित सतर्कता विभाग जागरूकता अभियान चलाता है जिसमें यह कदाचार और भ्रष्टाचार की संभावना वाले दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है। इन अभियानों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन शामिल है, जो एक वार्षिक कार्यक्रम है और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं, व्याख्यान, संगोष्ठियों आदि जैसे सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अपनी खोज/निगरानी की भूमिका में यह प्रणालीगत विफलता और भ्रष्टाचार और कदाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए आकस्मिक, नियमित और सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की योजना बनाता है और उसे सम्पन्न करता है। यह सतर्कता की दृष्टि से कार्रवाई करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों और वार्षिक संपत्ति विवरणियों आदि की भी छानबीन करता है।

निगमित सतर्कता विभाग अपनी सक्रिय भूमिका के एक अंश के रूप में विभिन्न प्रमुख विभागों से आग्रह करता है कि वे कार्यस्थल पर पारदर्शिता लाने और विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को कम करने के लिए अपनी कार्य प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करें तथा अपनी नियमावली को संशोधित करें। कार्यशालाओं और फील्ड निरीक्षणों में हो रहे विचार–विमर्श के परिणाम के आधार पर निगमित सतर्कता विभाग महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रणालीगत सुधार के लिए प्रबंधन को सुझाव देता है।

10.16 वर्ष 2022 के दौरान की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां/उपलब्धियां

पेंशन मामलों के निपटान में विलम्ब से बचने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित किया है कि ऐसे कर्मचारियों के पेंशन के मामलों पर ईपीएफओ की आवश्यकता के अनुसार उनके मूल वेतन से उक्त वेतन वृद्धि के अंश को हटाने के बाद संशोधित वित्तीय रिपोर्ट/ वेतन पत्र तैयार करके कार्रवाई की जा सकती है।

भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित सुधार के उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए छानबीन समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम तीन अधिकारी शामिल हों और इनमें से दो अधिकारी भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन से अलग विभागों के हों । पात्रता मानदंड के निष्पक्ष और

न्यायसंगत मूल्यांकन के लिए दस्तावेज सत्यापन और उसके अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया के लिए इसमें शामिल अधिकारियों के उत्तरदायित्वों सहित स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए ।

देश में कोविड–19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपने दायरे में आने वाले संगठनों में सतर्कता संबंधी प्रशासन में सुधार लाने तथा इन संगठनों में पदों पर

अनुकरणीय सेवा और सतर्कता संबंधी स्वच्छ उपलब्धियों वाले व्यक्तियों का आसीन होना सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार भाविप्रा के सभी सेवारत कार्मिकों हेतु अनुशासनात्मक/ सतर्कता संबंधी अनापत्ति जारी करने की कार्रवाई सैप–ईएसएस पोर्टल के माध्यम से करने के लिए समयानुसार एक प्रणाली विकसित की गई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

भाविप्रा प्रबंधन ने भाविप्रा में कर्मचारियों के पहचान हेतु विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा की और कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों, उपलब्धियों और व्यावसायिक कुशलता को पहचानने के लिए संगठन में कर्मचारी पहचान प्रथाओं के दायरे को व्यापक बनाने का निर्णय लिया। पूरे संगठन में उत्कृष्टता की पहचान के लिए ष्भाविप्रा दिवस पुरस्कार योजनाष नामक एक नई कर्मचारी सम्मान योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान मांग क्षमता असंतुलन स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए 132 अवसरों पर वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन (एटीएफएम) उपायों को लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 2016.92 टन ईंधन की और लगभग 6373.46 टन CO_2 उत्सर्जन की बचत हुई ।

11. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)

11.1 एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)

11.1.1 एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, भारत सरकार की (100%) पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है, जिसे भारत सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है। चार सहायक कंपनी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल), एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल), एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) और होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचसीआई), गैर मुख्य संपत्ति तथा एयर इंडिया लिमिटेड की अन्य गैर प्रचालन संपत्तियों सहित किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित न होने वाले संचित कार्यशील पूँजी ऋण के उद्देश्य से गठित की गई थी।

11.1.2 प्राधिकृत शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 70,000,00,00,000 रुपए है जो 10/– रु. प्रति के 7000,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 दिसंबर 2022 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 62,365,45,00,000 रुपये जो 10 रु. प्रति के 6236,54,50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

11.1.3 वित्तीय निष्पादन

(रु. मिलियन में)

विवरण	2021–22 राशि (अस्थायी)	2020–21 राशि
प्रचालन से राजस्व–बिल्डिंगों का किराया	–	1252.49
अन्य आय	19941.37	22115.72
कुल राजस्व	19941.37	23368.21
कुल व्यय	30516.03	22740.98
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(10574.67)	627.22
कर व्यय		
1. चालू कर	.	169.16
2. आयकर हेतु प्रावधान	.	21.10
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(10574.67)	436.96

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों का अधिग्रहण किया। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए समेकित वित्तीय विवरण संकलन के अधीन है।

11.1.4 एआई से सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

भारत सरकार ने सीजीएचएस और एनएचए के माध्यम से एआई के योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। एआई से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी किए गए हैं। तदनुसार, कर्मचारियों को सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के माध्यम से ओपीडी सुविधाओं का लाभ दिया गया है और कंपनी लाभार्थियों को आईपीडी सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

11.1.5 विनिवेश

भारत सरकार ने कंपनी की 3 सहायक कंपनियों के लिए विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। डीआईपीएएम ने प्रचलित/सार्वजनिक होने से पूर्व निवेशकों के साथ कई रोड शो आयोजित किए। भावी निवेशकों से प्राप्त फीडबैक

के आधार पर एआईईएसएल और एआईएएसएल के लिए एक पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) जनवरी 2023 तक जारी होने की उम्मीद है।

11.1.6 मानव शक्ति

कंपनी ने दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मानव शक्ति की भर्ती की है। आज तक या आज की तिथि तक कंपनी में पेरोल पर 13 नियमित कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी सहायक कंपनियों/मानव शक्ति प्रदाताओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

11.1.7 परिसंपत्ति मुद्रीकरण

एयर इंडिया ने 05 जनवरी 2022 के रिस्टेटेड फ्रेमवर्क अनुबंध के तहत विमुद्रीकरण के लिए गैर–मूल (नॉन–कोर) परिसंपत्तियों को एआईएएचएल में स्थानांतरित कर दिया। इस संबंध में, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एआईएएचएल ने कई पहल की हैं।

क. मूल्यांकन की प्रक्रिया की निगरानी हेतु परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण से राजस्व उत्पादन का अधिक्रमण हेतु निरीक्षण समिति का गठन किया गया।

ख. संपत्तियों की 10 इकाइयों के लिए नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ई–नीलामी की गई।

ग. 5 संपत्तियों को (एशियन खेल गांव कॉम्प्लेक्स) दिल्ली में स्थित, एआई से एआईएएचएल में स्थानांतरित किया गया

घ. अन्य संपत्तियों का मुद्रीकरण प्रक्रिया में है

11.1.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का एआईएएचएल के प्रत्येक वर्ग में प्रतिनिधित्व

एआईएएचएल में डीओपीटी के निर्देशों का पालन भर्ती करते समय किया जाता है। सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एक सदस्य को भी मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में एआईएएचएल के रोल पर केवल 13 निश्चित अवधि के कर्मचारी हैं। 13 में से केवल 01 कर्मचारी अनुसूचित जाति समुदाय का है।

11.1.9 महिला कल्याण

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखती है, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, छुट्टी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रस्तुति, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक समिति बनाई गई है।

11.1.10 प्रदूषण नियंत्रण

एआईएएचएल में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यालय परिसर को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। कार्यालय परिसर में धूम्रपान निषेध है। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा–भरा बनाने के लिए कुछ पौधे लगाए गए हैं। हालांकि, एआईएएचएल किसी भी प्रदूषण उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं है।

11.1.11 सहायक कंपनियाँ

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के पश्चात, इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था।

कंपनी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:

1. एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड – पूर्ण स्वामित्व वाली
2. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड – पूर्ण स्वामित्व वाली
3. एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड – पूर्ण स्वामित्व वाली
4. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – कंपनी के पास होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 80.38% इक्विटी शेयर हैं और शेष 19.62% शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास हैं।

11.1.12 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार हेतु उठाए गए कदम।

एआईएएचएल ने लोक शिकायतों के समय पर निपटान के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त आरटीआइ प्रश्नों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए आरटीआइ अधिनियम, 2005 के तहत पीआईओ के रूप में भी नामित किया गया है।

11.1.13 सतर्कता विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित विवरण

सतर्कता विभाग एआईएएचएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री अमल गर्ग (आईआरएसः बैच 1995) हैं। सतर्कता विभाग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में निवारक सतर्कता के साथ भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सतर्कता विभाग निरंतर आधार पर प्रणालीगत सुधार लाने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अद्यतन करने और सुव्यवस्थित करने के लिए संगठनों को प्रोत्साहित कर रहा है।

सतर्कता विभाग समय–समय पर प्रशिक्षण देकर और कार्यशालाओं का आयोजन करके निवारक सतर्कता गतिविधियों को सक्रिय कर रहा है। यह कर्मचारियों की क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक है ताकि वे नियमित कार्य में सामान्य गलतियां न करें जिसके परिणामस्वरूप कई बार सतर्कता कार्रवाई की जाती है।

भ्रष्टाचार को रोकने हेतु, सतर्कता विभाग सक्रिय रूप से संवेदनशील प्रकृति के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। मामलों के समय पर निपटान के साथ सतर्कता विभाग ने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा की कमी वाले मामलों को तय करने में सामान्य मानकों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक ठोस प्रयास किया है।

सतर्कता विभाग ने सभी सहायक कंपनियों में सीवीसी थीम– 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए' के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का आयोजन किया। पूरे नेटवर्क में सभी अधिकारियों द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। संगठनों को व्यापक प्रचार करने और सतर्क रहने और इसे अपने जीवन में अपनाने व इसके महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया गया। हाउसकीपिंग गतिविधियों के अपने तीन महीने के अभियान के लिए आयोग द्वारा बताए गए छह फोकस क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था।

11.2 एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

11.2.1 कंपनी का संक्षिप्त परिचय

कंपनी ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 से अपना स्वायत्त प्रचालन आरंभ किया। तब से कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन प्रचालन से पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया, केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 को छोड़कर। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के आगमन के कारण कंपनी का प्रचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ, तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 में, कंपनी ने 153.27 मिलियन रूपए का लाभ अर्जित किया है।

एआईएएसएल के पास भारत में 105 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग उपस्थित है, जिसमें लेह और थोइस पर सबसे अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके हवाईअड्डे, जैसलमेर में रेगिस्तानी हवाई क्षेत्र, अगाति और पोर्ट ब्लेयर में द्वीप हवाईअड्डे, और कालीकट में टेबल–टॉप हवाईअड्डा शामिल हैं।

एआईएएसएल के पास ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों (जीएसई) का सबसे बड़ा बेड़ा और सक्षम जनशक्ति की विशेषज्ञता और अनुभवी संसाधन उपलब्ध है जो ए380 प्रकार तक के सभी यात्री और मालवाहक विमानों को कवर करने वाली ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।

11.2.2 कंपनी का कार्य निष्पादन

वित्तीय विवरण

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2020–21 के 3405.45 मिलियन रूपए की तुलना में 6214.48 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष

2020–21 के पुनर्घोषित 5501.54 मिलियन रूपए की तुलना में 6233.89 मिलियन रूपए था। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हुई कर पूर्व हानि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 2096.09 मिलियन रुपये के कर पूर्व हानि के पुनर्निर्धारित आंकड़े की तुलना में 19.41 मिलियन है। इस अवधि के दौरान हुआ शुद्ध लाभ 153.27 मिलियन रुपये था, जबकि 2020–21 के दौरान 1900.28 मिलियन रुपये की शुद्ध हानि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के लिए वित्तीय निष्पादनों को विधिवत रूप से निम्नलिखित चार्ट द्वारा सिद्व किया जा सकता है:–

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक के आंकड़े

क. प्राप्य लेखे (एआर-राजस्व)

राजस्व की स्थिति :

ग्राहक समूह	राजस्व
समूह कंपनी	178.47 करोड़
सरकारी पक्ष	12.19 करोड़
तीसरा पक्ष	897.96 करोड़
कुल	1823.85 करोड़

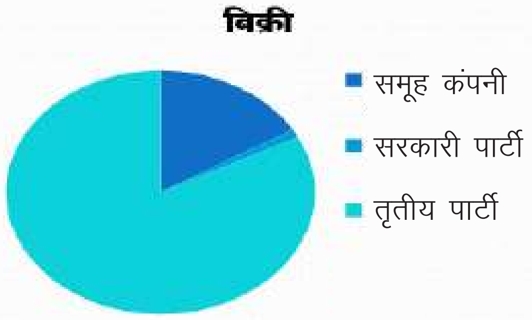

देय लेखे (एपी-व्यय):

एआईएएसएल के प्रमुख व्यय

पक्ष का नाम	प्रमुख व्यय
कर्मचारी लाभ व्यय	1240.68 करोड़
वित्तीय लागत	119.18 करोड़
अन्य	533.90 करोड़
कुल	1893.7 करोड़

अतीत में हमारे लिए कर्मचारियों की कमी भी बड़ी चुनौती थी, जिसे हमने गुणवत्ता सेवा और समय पर निष्पादन हेतु पिछले कुछ महीनों में 2000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देकर दूर किया है।

दिनांक 30 मार्च 2022 से 30 सितंबर 2022 तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

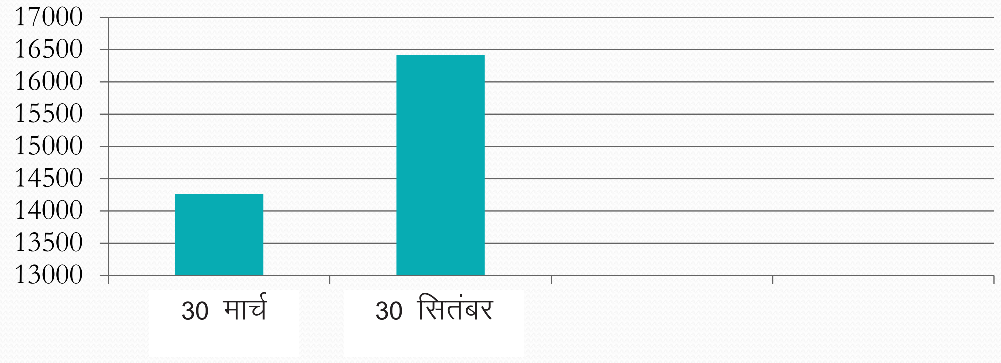

***दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक के अनंतिम और अलेखापरीक्षित आंकड़े**

प्रचालनिक

एआईएएसएल ने कलेंडर वर्ष के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान 103277 उड़ानें (एआई समूह उड़ानें और एलायंस एयर) हैंडल की हैं। इसी प्रकार, एआईएएसल ने कलेंडर वर्ष के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान 89182 शेड्यूल्ड ग्राहक एयरलाइनों की उड़ानें संचालित की हैं और कलेंडर वर्ष के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान 14386 नॉन–शेड्यूल्ड प्रचालकों की उड़ानों औरा हज प्रचालन की 115 उड़ानों को संचालित किया है।

एआई के विनिवेश के साथ वर्तमान परिदृश्य में, ग्राउंड हैंडलिंग (यात्री, रैंप और कार्गो) सेवाएं, 06 भारतीय शेड्यूल एयरलाइनों (एआई समूह – एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों सहित), 05 क्षेत्रीय एयरलाइंस (एलायंस एयर उड़ानों सहित), 01 घरेलू कार्गो एयरलाइनय गैर–शेड्यूल्ड हैंडलिंग के अलावा 59 विदेशी शेड्यूल्ड एयरलाइंस, 8 सीजनल चार्टर एयरलाइनों और 22 विदेशी एयरलाइन्स (एपीईडीए) पेरिशेबल कार्गो हैंडलिंग के लिए भी प्रदान की जाती हैं।

एआईएएसएल, मुंबई और चेन्नई दोनों हवाईअड्डों पर कार्गो वेयरहाउस का प्रबंधन और संचालन करती है। इन सुविधाओं का उपयोग एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड सहित अधिकांश क्लाइंट एयरलाइनों द्वारा किया जा रहा है। ये कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग अधिकार एआईएएसएल को एयर इंडिया द्वारा इसके विनिवेश से पहले दिए गए हैं। यह एयर इंडिया द्वारा अपने विनिवेश से बहुत पहले और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) जैसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के निर्माण के बाद, अपनी सभी ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को ग्राउंड हैंडलिंग विनियमन, 2018 के तहत स्थानांतरित करने और बीओएम और एमएचए में ''कार्गो वेयरहाउस'' के संचालन और प्रबंधन जैसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियां के लिए नीतिगत हस्तांतरण का भाग था।

इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल, एयरक्राफ्ट यूनिट लोड डिवाइसेस (यूएलडी) और मील कार्ट की मरम्मत करने के अलावा केबिन की सफाई, गहन सफाई और केबिन ड्रेसिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचना द्वारा अनधिकृत हैंडलिंग एजेंसियों को दिनांक 01 जुलाई 2021 से सभी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग करने की अनुमति नहीं दी है। एआईएएसएल ने नवंबर, 2022 के महीने में

कानूनी मामलों के निर्णय आने के पश्चात एआई मुख्यालय के अनुरोध पर अपना कवरेज बढ़ाया है।

एआईएएसएल को भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था का विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि एआईएएसएल को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (सिविल एन्क्लेव और रक्षा हवाईअड्डों) सहित सभी भारतीय घरेलू और एसईएसएफध्वीवीआईपी उड़ानों को संभालने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा एकमात्र हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आईएएफ, बीएसएफ, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, एचएएल, एनएसजी आदि जैसे सभी हवाईअड्डों पर सुरक्षा बलों की ओर से सभी उड़ानों की भी व्यवस्था करता है।

एआईएएसएल को एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी मान्यता दी गई है और इसे वर्ष 2022 के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया है।

11.2.3 एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की गतिविधियाँ

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल), दिनांक 13.01.2022 तक एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश और एअर इंडिया लिमिटेड से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को शेयरधारिता के हस्तांतरण के अनुसार, एआईएएसएल दिनांक 13.01.2022 से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण पूरी तरह से सहायक कंपनी बन गई है।

एआईएएसएल, भारत में विभिन्न हवाईअड्डों पर अपनी समूह कंपनी एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और ग्राहक एयरलाइनों को व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है।

एआईएएसएल, भारत में एक प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और भारत में 105 हवाईअड्डों (सिविल हवाईअड्डों और सिविल एन्क्लेव सहित) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एआईएएसएल वर्तमान में, 80 हवाईअड्डों पर कार्यरत है और अनुरोध पर अतिरिक्त 25 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, एआईएएसएल सभी रक्षा विमानों के लिए रक्षा एन्क्लेव (हवाईअड्डों) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

इन सेवाओं को प्रमुख रूप से इस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है:

- यात्री हैंडलिंग/ रैंप हैंडलिंग / कार्गो हैंडलिंग/ केबिन सर्विसेज / स्टेशन प्रबंधन।
- वर्तमान में बीओएम और एमएए में कार्गो वेयर हाउस हैंडलिंग और भविष्य में किसी भी अन्य हवाईअड्डे पर सेवाएं।
- मुख्यालय, आईजीआई हवाईअड्डे, दिल्ली में यूएलडी (यूनिट लोडिंग डिवाइस) और मील कार्ट की मरम्मत कार्यशाला का निर्माण और मरम्मत।
- एअर इंडिया के लिए सुरक्षा जनशक्ति सेवाएं।
- एआईईएसएल के माध्यम से इंजीनियरिंग सेवाएं।
- सहायक कंपनियों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड।
- अखिल भारतीय आधार पर नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निजी चार्टर उड़ानों की हैंडलिंग।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ानें (एसईएसएफ) – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय।
- सरकार की गैर–एसईएसएफ घरेलू हैंडलिंग एजेंसियां (भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी चार्टर) आदि।
- व एचएएल – बेंगलुरु, एचएएल हवाईअड्डे पर एआईएएसएल संयुक्त कार्य समूह।

11.2.4 प्रदूषण नियंत्रण –

क. प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी उपकरणों की जांच की जाती है।

ख. सभी नए उपकरणों की खरीद के समय बीएस–प्ट मानदंडों का पालन किया जाता है।

ग. बैटरी/प्रयुक्त तेल का निपटान खतरनाक अपशिष्ट निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिकृत एजेंसियों को किया जाता है।

घ. रीसाइकलिंग के लिए प्रयुक्त कागजों के निपटान की प्रक्रिया चल रही है।

11.2.5 लैंगिक बजटीय डेटा सहित महिला कल्याण –

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की उपस्थिति 80 से अधिक हवाईअड्डों पर है। यहां अकुशल और अर्ध–कुशल कर्मचारियों अर्थात अप्रेंटिस और यूटिलिटी एजेंट–सह–रैंप ड्राइवर की भारी आवश्यकता है। अप्रेंटिस, यूटिलिटी एजेंट–सह–रैंप ड्राइवर आदि जैसे रोजगारों, जो अत्यधिक श्रम–गहन कार्य हैं, और इयनके लिए ज्यादातर पुरुषों को नियुक्त किया जाता है, को छोड़कर, अन्य सभी पदों जैसे ग्राहक सेवा कार्यकारी अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी–यात्री, ड्यूटी अधिकारी, ड्यूटी मैनेजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, टर्मिनल मैनेजर आदि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। पुरुष और महिला पर आंकड़ों का विभाजन नीचे दिया गया है:

स्थायी अवधिध्अस्थायी आधार आधार पर 14850 कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या 12941 और महिलाओं की संख्या 1909 है और एअर इंडिया (स्थायी कर्मचारियों) से स्थानांतरित किए गए 783 कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या 772 और महिलाओं की संख्या 04 है।

कंपनी, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, विश्राम कक्ष, छुट्टी और अन्य लाभ शामिल हैं।

महिला कार्यस्थल का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक तंत्र विद्यमान है, जिसे एआईएएसएल में लागू किया गया है। एआईएएसएल की महिला कर्मचारियों की शिकायतों की जांच और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत समितियों का गठन, कॉर्पोरेट स्तर पर किया गया है।

11.2.6 जन शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमः

मुख्य रूप से कर्मचारियों से जन शिकायत प्राप्त होती हैं, जो कंपनी से अलग होने के बाद पूर्ण और अंतिम निपटान या पीएफ निकासी में समस्या के कारण प्रभावित होती है। ये शिकायतें छोटी और संख्या में कम हैं। संबंधित आईआर और एचआर प्रभागों और पेरोल टीमों को पूर्ण और अंतिम निपटान व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। भविष्य निधि प्रकोष्ठ को, पीएफ निकासी की शिकायत का तत्काल समाधान करने की सलाह दी गई है। पीएफ सेल, जिसके पास कम कर्मचारी थे, को इसके लिए अतिरिक्त और समर्पित जनशक्ति दी गई है, और अब संयुक्त घोषणा, मृत्यु दावों और अंतिम निकासी के मामलों का निपटान तत्काल किया जा रहा है। इस संबंध में बांद्रा कार्यालय, मुंबई में ईपीएफओ आयुक्त के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें पीएफ की पूरी टीम के साथ उप महाप्रबंधक–जीएच(ओ) और ओएसडी–एचआर और एजीएम–एचआर मुख्यालय ने चर्चा की और लंबे समय से लंबित मुद्द समस्याओं को सुलझाया। एआईएएसएल को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि ईपीएफओ, बांद्रा, मुंबई के आयुक्त के साथ किए गए दौरों और बैठकों के कारण ऐसी कई शिकायतें अब दूर कर दिया गया हैं।

एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश और इंडियन एयरलाइन प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट और एअर इंडिया प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, जो एअर इंडिया लिमिटेड की ओर से इन दो ट्रस्टों द्वारा एयर इंडिया और एआईएएसएल सहित इसकी सहायक कंपनियों, में काम करने वाले सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से चलाए जा रहे थे, के विघटन के परिणामस्वरूप, पीएफ राशि को एआइ विनिवेश प्रक्रिया निर्णय के अनुरूप ईपीएफओ में स्थानांतरित कर दिया गया है। सामान्य तौर पर, सभी स्थायी कर्मचारियों और ईपीएफओ के ऐसे स्थानांतरण के 12 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में बहुत सारी आरंभिक समस्याएं थीं। अधिकांश शिकायतें, इन कर्मचारियों के संबंध में थीं, जो 12 महीने के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे थे और ईपीएफओ, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए तैयार

नहीं था (जो मुख्य रूप से एअर इंडिया लिमिटेड के लिए विशिष्ट थे)। हालांकि, ईपीएफओ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए इन मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा रहा है। हमने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों के संबंध में इन सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।

11.2.7 दिनांक 31.12.2022 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्वः

कुल 14850 कार्मिकों (स्थायी अवधि संविदागत आधार और अस्थायी नियुक्ति आधार) में से, स्थायी अवधि संविदागत आधार पर नियुक्त कार्मिकों की संख्या 12843 है और अस्थाईध्सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या 2007 है। स्थायी अवधि संविदागत आधार पर नियुक्त कार्मिकों की भर्ती, प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन और एआईएएसएल तथा एआईएएचएल की कंपनी वेबसाइटों पर प्रकाशन के माध्यम से स्टेशन स्तर पर पर आवश्यकता के अनुसार खुला बाजार से की जाती है। इन भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन करते समय सख्त रोस्टर पैटर्न का अनुपालन किया जाता है।

इन स्थायी अवधि के कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है। श्रेणीवार सारांश संलग्न चार्ट में दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस	सामान्य	अ.पि.व	अ.जा	अ.ज.जा	कुल
4	6721	2952	2731	435	12843

स्थायी रूप से स्थानांतरित कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है।

सामान्य	अ.पि.व	अ.जा	अ.ज.जा	सकल योग
393	102	209	72	776

11.2.8 उत्तर पूर्व में की गई विकास गतिविधियों से संबंधित मुद्देः

"उड़ान योजना" के तहत, पूर्वोत्तर राज्योंध्क्षेत्रों में मौजूदा/नए हवाईअड्डों का उद्घाटन किया गया है। एलायंस एयर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य मौजूदा हवाईअड्डों तक विस्तार करने के अलावा इन नए प्रचालनिक हवाईअड्डों में अपनी उड़ानों को प्रचालित कर रही है।

एआईएएसएल ने कोलकाता, जो कि एआईएएसएल का क्षेत्रीय मुख्यालय है, से लोगों को तैनात करने के स्थान पर इन स्टेशनों में ऐसी उड़ानों के संचालन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/क्षेत्रों के स्थानीय क्षेत्रों से मानव संसाधनों की भर्ती शुरू की है।

11.2.9 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

एआईएएसएल पर लागू नहीं।

11.2.10 सतर्कता विभाग की गतिविधियों और उपलब्धि से संबंधित विवरणः

एआईएएचएल के सतर्कता विभाग द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

11.3 वित्तीय प्रदर्शन एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)

11.3.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, वित्तीय प्रदर्शन में बदलाव आया है क्योंकि कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक राजस्व रु. 1907 करोड़ और फलस्वरूप, रुपये का उच्चतम पीबीटी। 575 करोड़ और रुपये का पीएटी। 837 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना के साथ इसका संक्षिप्त

विवरण नीचे दिया गया है: (रु. करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2022	वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2021 (फिर से बताने से)
(A) कुल राजस्व	1906.52	1185.54
(B) कुल खर्च	1331.24	1202.27
(C) कर से पहले लाभ (हानि)	575.28	(16.73)
(D) कर व्यय:		
(i) वर्तमान कर	(58.45)	.
(ii) एम ए टी क्रेडिट	58.32	.
(iii) आस्थगित कर आय	261.97	.
(E) कर अदायगी के बाद लाभ	837.12	(16.73)
(F) अन्य व्यापक आय	6.86	21.52
(G) कुल व्यापक आय	843.98	4.79

वर्ष 2022 के बाद के महीनों के दौरान भी राजस्व और कमाई स्थिर है और केवल उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

11.3.2 गैर–वित्तीय प्रदर्शन एआईईएसएल

गैर–वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में, वित्त वर्ष 2021–22 में, कंपनी ने लगभग 400 विमानों को संभाला। एआईईएसएल ने जजीरा एयरवेज जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ एआईएल बेड़े को लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान कीं। ओमान एयरवेज, मलेशियाई एयरलाइंस, कुवैत एयरवेज, टाइगर स्कूट, चाइना एयरलाइंस, मालिंडो एयरलाइंस, मिस्र एयर आदि और एयर एशिया इंडिया, गो एयर, स्पाइसजेट, फ्लाई बिग, टाटा विस्तारा सहित भारतीय ऑपरेटरों।

कंपनी रक्षा के साथ–साथ निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों को एमआरओ सेवाएं प्रदान कर रही है, जहां भी एआईईएसएल की क्षमता है। एआईईएसएल ने 2021–22 में घरेलू परिचालकों – एयर एशिया इंडिया, टाटा एसआईए एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस के लिए आधार रखरखाव का काम भी किया। इसके अलावा, एआईईएसएल ने एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी), भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और एचएएल के लिए प्रमुख रखरखाव कार्य किया। 2021–22 में एआईईएसएल ने निजी पार्टी के विमानों जैसे – रिलायंस आरसीडीएल, ताज एयर चार्टर्स, जूम एयर, क्लब वन एयर और ब्लूड आर्ट एयरक्राफ्ट के रखरखाव का जिम्मा लिया। इसके अलावा एआईईएसएल ने अपने ए319 और ए320 विमानों के रखरखाव के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया। आत्मनिर्भर अभियान के एक हिस्से के रूप में, एआईईएसएल ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित पी8आई सहित भारत में प्रमुख बोइंग रक्षा प्लेटफार्मों पर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए बोइंग रक्षा के साथ सहयोग किया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, AIESL us TATA SIA] Air Asia Berhad] Air India Limited] Thai Smile] Malaysian Airlines Berhad] TATA SIA (काठमांडू स्टेशन के लिए), मंटा एविएशन, एयर के साथ ैळभ्| (स्टैंडर्ड ग्राउंड हैंडलिंग एग्रीमेंट्स) पर हस्ताक्षर / नवीनीकरण किया है। एशिया भारत।

वर्तमान में, एआईईएसएल को ईएएसए, एफएए, कतर, कुवैत, जीएसीए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए थाईलैंड, सीएए मलेशिया, बांग्लादेश के सीएए और पीएसीए ओमान जैसे 13 विदेशी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त है। एआईईएसएल ने मिस्र के सीएए के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

एआईईएसएल के उत्तरी क्षेत्र ने CFM LEAP1A विमान की जांच और भविष्य की मांगों के लिए तत्परता के लिए क्षमता वृद्धि का कार्य किया है। इसी तरह, एआईईएसएल के पश्चिमी क्षेत्र में, एयरबस एनईओ विमान के पीडब्ल्यू1100 इंजनों के

लिए प्रैट एंड व्हिटनी इंजनों की चरण1 जांच के लिए समझौता पूरा किया गया। नागपुर एमआरओ में, इंजन टेस्ट सेल ने GEnx और GE90 इंजनों के परीक्षण के लिए EASA और FAA से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। जीईएनएक्स इंजन को क्यूटी (क्विक टर्न) रखरखाव जांच की आवश्यकता होती है, नागपुर एमआरओ में हमने 4 क्यूटी जांच की है।

अन्य क्षेत्रों जैसे दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में एटीआर और एनईओ विमानों की भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्षमता वृद्धि की गई है जो भविष्य में एयरलाइंस द्वारा संचालित किए जाएंगे।

11.3.3 एआईईएसएल भविष्य की योजनाएं:

कंपनी तीसरे पक्ष को मौजूदा क्षमताओं से संबंधित एमआरओ सेवाएं प्रदान करके (आक्रामक विपणन के माध्यम से) और नई क्षमताएं प्राप्त करके राजस्व सृजन में सुधार करने की योजना बना रही है। एआईईएसएल ने विमान पुनर्वितरण व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ईएएसए और एफएए आधार रखरखाव क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। यह डीआरडीओ/आईएएफ/भारतीय नौसेना जैसे रक्षा क्षेत्र में अपनी एमआरओ सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। एआईईएसएल ने पहले ही डीआरडीओ के साथ उनके ए319 विमानों के बेड़े के लिए दीर्घकालिक रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अलावा एआईईएसएल का इरादा बी737 मैक्स एयरक्राफ्ट की बेस मेंटेनेंस क्षमता हासिल करने का भी है। एआईईएसएल ने वाणिज्यिक विमानों को रक्षा मिशन विमानों में बदलने के लिए ओईएम के साथ सहयोग करने की भी योजना बनाई है। कंपनी नैरो बॉडी और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के पैसेंजर–टू–फ्रेटर कन्वर्जन के लिए ओईएमध्एसटीसी होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है। एआईईएसएल एयरक्राफ्ट टियरडाउन और पार्ट हार्वेस्टिंग व्यवसाय में व्यावसायिक रास्ते भी तलाश रहा है।

क्षमता वृद्धि के एक भाग के रूप में, एआईईएसएल नैरो बॉडी लैंडिंग गियर ओवरहाल क्षमता और सीएफएम56–5बी इंजन ओवरहाल क्षमता के लिए ईएएसए प्रमाणीकरण प्राप्त करने की योजना बना रहा है। कंपनी की ।320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट के विभिन्न घटकों की सेवा के लिए ।ज्ड शॉप को अपग्रेड करने की योजना है। एआईईएसएल इंजन ओवरहाल, लैंडिंग गियर ओवरहाल और कंपोनेंट

Conducted workshops/sensitization programmes on "Corruption Free India for a Developed Nation".

ओवरहाल सहित भारतीय नौसेना के पी8आई विमान के लिए रखरखाव सहायता प्रदान करने का भी इरादा रखता है, जिसके लिए कंपनी पहले ही डीजीएक्यूए अनुमोदन के लिए आवेदन कर चुकी है।

11.3.4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति 31.12.2022 तक

जाति–श्रेणी	कुल प्रतिशत में
सामान्य	50.86
अन्य पिछड़ी जाति	24.18
अनुसूचित जाति	18.97
अनुसूचित जनजाति	6.00
कुल योग	**100.00**

11.3.5 गतिविधि रिपोर्ट–2022

क. सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यशालाएं और कार्यक्रम।

ई–शपथ ली गई : 31–10–2022 से 06–11–2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 'एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय के साथ ई–शपथ ली गई । दिनांक 31–10–2022 को प्रातः 11.00 बजे एआईईएसएल के सभी कर्मचारियों ने शपथ ली जिसे सीएमडी ने सीईओ आदि को दिलाई।

ख. स्वच्छता अभियान दिनांक 31–10–2022 तक।

1. अभियान के लिए अधिकारियों का संवेदीकरण और जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाना।
2. पेंडेंसी की पहचान।
3. अभिलेख प्रबंधन में सुधार के लिए विशेष अभियान।
4. स्वच्छता अभियान

ग. 08–03–2022 को महिला दिवस समारोह का आयोजन भाषण के साथ किया गयाः

जैसा कि महिलाएं जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और पुरुषों के बराबर काम करती हैं। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि चाहे घर पर हो या कार्यालय में, वे हर काम को अपने तरीके से बहुत ही जोश के साथ करती हैं।

Launch of Hollongi Airport

Launch of Keshod Airport

घ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम):–

कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए 10 अगस्त 2022 को महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। (जिसमें कर्मचारी का आंतरिक और साथ ही बाहरी लोगों के साथ पारस्परिक व्यवहार के लिए सुरक्षित वातावरण शामिल है)। एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।

11.4 एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

11.4.1 परिचय

वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रारंभ में, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में थी। हालांकि, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड 25 जनवरी 2022 से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। वर्तमान में, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एलाइंस एअर ब्रांड के तहत प्रचालित की जाती है और एलाइंस एअर ने 15 अप्रैल 1996 से प्रचालन आरंभ किया। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) भारत में टायर ‍‍‍‍‍ⅱ और टायर ⅲ शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली देश की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइनों में से एक है।

वर्तमान में कंपनी के पास 21 विमानों का बेड़ा है जिसमें 18 एटीआर–72 600 विमान, 2 एटीआर–42 600 विमान और 1 डोर्नियर डीओ–228 विमान शामिल हैं। 56 स्टेशनों के नेटवर्क पर प्रत्येक दिन लगभग 134 प्रस्थान प्रचालित किए जाते हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस), 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) की शुरुआत के साथ, एलाइंस एअर सुदूर भारत में अछूते सेक्टरों पर उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नए सेक्टर प्रचालित कर रही है। एलाइंस एअर उड़ान योजना के तहत शिमला/दिल्ली सेक्टर पर उड़ान प्रारंभ करने वाली पहली एयरलाइन थी, जिसका भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 अप्रैल 2017 से शुभारंभ किया गया था ।

अब तक, एलाइंस एअर को आरसीएस उड़ान 4.3 राउंड में दिए गए 129 मार्गों में से 99 मार्गों को प्रारंभ किया गया है। एटीआर–72 6002एटीआर–42 600 प्रकार के विमानों के लिए हवाई अड्डों को चालू किए जाने के अधीन शेष मार्गों पर उड़ानें प्रारंभ करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

एलाइंस एअर ने भारत सरकार की आरसीएस–उड़ान योजना के तहत सक्रिय भागीदारी के लिए विंग्स इंडिया 2022 पुरस्कार भी जीता।

11.4.2 निष्पादन

वित्तीय निष्पादन	वित्तीय वर्ष 21–22	वित्तीय वर्ष 22–23 (दिसम्बर तक)
कुल राजस्व (भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में)	724.11	797.02
कुल व्यय (भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में)	1171.50	1241.45
लाभ/हानि (भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में)	(447.39)	(444.43)

वास्तविक निष्पादन

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर तक)
यील्ड/पैक्स	3,543	3,685
राजस्व पैक्स	1.08 मिलियन	1.21 मिलियन
सीट फैक्टर	65%	70%
ओटीपी	82%	80%

11.4.3 जैंडर बजटीय डेटा सहित महिला कल्याण–

कंपनी ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए व उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है।

11.4.4 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

एयर सेवा पोर्टल और पीजी पोर्टल (नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निगरानी और नियंत्रण) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए दो समर्पित नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है।

11.4.5 31.12.2022 तक अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

31.12.2022 तक अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. की संख्या रु अ.जा.–124, अ.ज.जा. –43, अ.पि.व. –170

11.4.6 दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सुविधाएं –

रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ।

11.4.7 सिटीजन चार्टर –

पीजी पोर्टल और एयर सेवा पोर्टल पर शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

11.5 भारतीय होटल निगम लिमिटेडः

11.5.1 भारतीय होटल निगम लिमिटेड, तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी और अब प्रभावी जनवरी 27, 2022 से ए.आई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी, को वर्ष 1971 में शामिल किया गया था।

वर्तमान में भाहोनि 'सेंटॉर' ब्रांड के तहत दिल्ली और श्रीनगर में दो होटलों का संचालन करता है।

सेंटॉर होटल, दिल्ली इं.गा.अ.हवाई अड्डे के आसपास स्थित है तथा एयरोसिटी और गुरुग्राम के व्यापारिक जिलों के करीब है। होटल का उद्घाटन वर्ष 1982 में हुआ था।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर, डल झील के तट पर स्थित है, जो जबरवान पहाड़ियों के शानदार और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। होटल का उद्घाटन वर्ष 1984 में हुआ था।

भाहोनि 'शैफेयर' ब्रांड के तहत दो फ्लाइट किचन भी संचालित करता है। शैफेयर मुंबई ने वर्ष 1969 में परिचालन शुरू किया था जबकि शैफेयर दिल्ली की स्थापना 1971 में हुई थी।

इसके अतिरिक्त, शैफेयर, नई दिल्ली टी–3, इं.गा.अ.हवाई अड्डे, नई दिल्ली में दो एयर इंडिया लाउंज का संचालन करती है।

11.5.2 प्रदर्शन

वित्तीय अवलोकनः

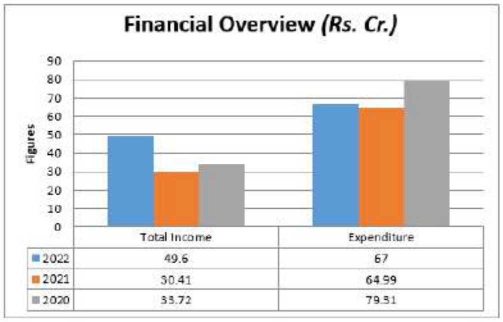

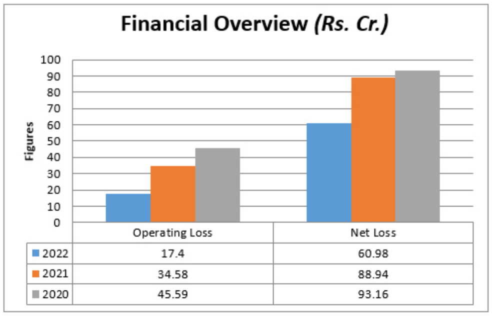

मार्च 2020, अप्रैल 2021 और फरवरी 2022 में जारी महामारी के दौरान अलग–अलग अवधि के लिए लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने दुनिया भर में आतिथ्य व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया और भाहोनि को कोई अपवाद नहीं रहा है।

मार्च 2022 में वाणिज्यिक हवाई यात्रा को फिर से खोलने से उत्साहित, कंपनी ने राजस्व में लगातार वृद्धि देखी और वित्तीय प्रदर्शन में समग्र सुधार हुआ। कंपनी इस वर्ष (अप्रैल–जून 2022) की दूसरी तिमाही में परिचालन ब्रेक–ईवन स्थिति प्राप्त करने के करीब थी, जो 14 जून, 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर द्वारा सेंटूर लेक व्यू होटल श्रीनगर की अचानक सीलिंग और कंपनी के साथ अपरिवर्तनीय 99 साल की लीज समाप्त कर दी गई थी। श्रीनगर के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि विवाद को निर्धारित सरकार के निवारण तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाए। इस बीच, यह देखते हुए कि होटल के लगभग 160 सेवारत कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है, भले ही पिछले 6 महीनों से होटल से कोई कमाई नहीं हुई हो, कंपनी अब खुद को एक गंभीर प्रतिकूल नकदी प्रवाह की स्थिति में पाती है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, कंपनी संसाधनों को युक्तिसंगत बनाकर शीर्ष लाईनो को बढ़ाने और लागत को कम करने के अवसरों का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

11.5.3 एससी/एसटी और ओबीसी के अभ्यावेदन दिनांक 31.12.2022 तकः

ग्रुप	कुल कर्मचारी	एससी कर्मचारी	एसटी कर्मचारी	ओबीसी कर्मचारी
ए	40	8	5	3
बी	65	10	2	5
सी	300	36	17	76
डी	202	45	12	20
कुल	**607**	**99 (16.3:)**	**36 (5.93:)**	**104 (17.13:)**

11.5.4 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमः प्राप्त सभी लोक शिकायत आवेदनों का दिशा–निर्देशों के अनुसार उत्तर दिया जाता है।

****

12. पवन हंस लिमिटेड

12.1 संगठन

पवन हंस लिमिटेड का निगमन नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन अक्तूबर, 1985 ('हेलीकॉप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' के नाम से) तेल एवं गैस क्षेत्र में अपतटीय खनन के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने, पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में प्रचालन करने, यात्रा एवं पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए चार्टर उड़ानें उपलब्ध करवाने, विमान अनुरक्षण इंजीनियरों, पॉयलटों हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने, सीप्लेन का परिचालन करने, संरक्षा ऑडिट एवं उत्कृष्टता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान की स्थापना करने तथा हेलीपोर्टों एवं हेलीपैडों जैसी अवसंरचनों का विकास करने के लिए किया गया था। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय तथा निगमित कार्यालय नोएडा में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई और नई दिल्ली में स्थित हैं।

12.2 पूंजी एवं संगठन संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 560 करोड़ रुपए तथा 557.482 करोड़ रुपए हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा ओएनजीसी लिमिटेड की शेयरधारिता का अनुपात 51रू49 है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड की निवल सम्पत्ति 970.00 करोड़ रुपए हैं। पवन हंस लिमिटेड के इक्विटी शेयर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डिपॉजिटरी सिस्टम में शामिल हो गए हैं, जिससे कंपनी के

शेयरधारक अपने शेयर प्रमाणपत्र को डिमेटेरियलाइज करा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास

धारित कंपनी के 10,000६– रुपए प्रतिशेयर मूल्य के 1,95,050 इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज करवा लिए गए हैं। शेष 89,259 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास भौतिक रूप में है।

12.3 बेड़ा प्रोफाइल

सम्पूर्ण भारत में पवन हंस अपने पूर्णतः संतुलित 46 हेलीकॉप्टरों के प्रचालन बेड़ा,जिसमें पट्टे पर प्राप्त 1 एएलएच / ध्रुव और 04 सिकोरस्की एस–76डी हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर प्रचालकों में से एक है।

पवन हंस ने 24.3.2022 को हैदराबाद में विंग्स इंडिया इवेंट में मैसर्स माइल स्टोन एविएशन ग्रुप लिमिटेड से 6 सिकोरस्की एस76डी हेलीकॉप्टरों को पट्टे पर लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।

31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का प्रचालनात्मक विमान बेड़ा निम्नानुसार हैः.

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए 365एन	17	35
डॉफिन एएस365 एन3	14	14
बैल्ल –407	3	20
बैल्ल 206एल4	2	18
एएस 350 बी3	2	12
एमआई–172	3	14
एएलएचध्रुव (पट्टे पर)	1	17
सिकोरस्की एस–76डी (पट्टे पर)	4	9
योग	**46**	

निदेशक मंडल द्वारा पांच डॉफिन एसए365 एन हेलीकॉप्टरों, जो 35 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं तथा जो अप्रचलन के कारण काफी समय से ग्राउन्ड किये गये थे के संबंध में "अक्षम परिसम्पत्ति" का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

12.4 बेड़ा परिनियोजन

अपतटीय प्रचालन

ओएनजीसी लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा राउंड दॅ क्लॉक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में ओएनजीसी के उत्पादन कार्य के लिए 5 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर अनुबंधित हैं।

तटीय प्रचालन

कम्पनी द्वारा मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, संघ शासित प्रदेश दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन,

लक्षद्वीप, संघ शासित प्रदेश लडाख, के राज्य सरकारों को तथा सीआरपीएफ को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एनटीपीसी जैसे कारपोरेट्स के लिए तथा चार्टर सेवाओं के लिए भी कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

यात्री सेवाएं

पवन हंस द्वारा फाटा से पवित्र श्राइन केदारनाथ के लिए प्रत्येक वर्ष यात्रा सीजन अर्थात मई–जून एवं सितम्बर–अक्टूबर के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पवन हंस ने श्रीनगर से नीलग्रथध्पहलगाँव तक श्री अमरनाथजी तीर्थ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का परिचालन किया था ।

12.5 पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया

भारत सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ–साथ पवन हंस लिमिटेड में अपने पूरे 51: शेयर होल्डिंग के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया है, जो प्रगति पर है और तीन सदस्यों (अर्थात स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड) के एक कंसोर्टियम को 29 अप्रैल, 2022 में उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया था। ।

12.6 मानव संसाधन विकास

31 दिसंबर 2021 तक 612 की जनशक्ति की तुलना में 31 दिसंबर 2022 को कंपनी की कुल जनशक्ति 584 थी (270 स्थायी कर्मचारियों और 314 संविदागत कर्मचारियों के साथ) जिसमें 101 पायलट, 67 विमान रखरखाव इंजीनियर, 58

अधिकारी, 142 तकनीशियन और 199 अन्य तकनीकी और गैर–तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं।

12.7 संरक्षा उपाय

कंपनी एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपने परिचालनों और रखरखाव क्रियाकलापों में संरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान देती है। वैश्विक डोमेन विशेषज्ञों द्वारा तृतीय पक्ष संरक्षा (एसएमएस) ऑडिट आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि के रूप में संरक्षा को शामिल करने के लिए कंपनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित किया गया है।

12.8 वित्तीय निष्पादन

क) वित्तीय परिणाम

(रुपए लाख में)

विवरण	2021–22 राशि	2020–21 राशि
क) परिचालन से राजस्व	38512.77	37237.48
ख) अन्य परिचालन से आय	2054.21	1159.45
ग) कुल परिचालन आय	40566.98	38396.93
घ) परिचालन व्यय		
i) हेलीकॉप्टर परिचालन और रखरखाव व्यय	12395.07	13031.46
ii) कर्मचारी लाभ पर व्यय	15909.13	17330.55
iii) अन्य व्यय	3541.32	5788.78
कुल	**31845.52**	**36150.79**
ड) परिचालन लाभ / हानि	8721.46	2246.14
च) अन्य गैर परिचालनिक आय / (व्यय)		
i) अन्य आय	654.14	1721.87
ii) वित्त लागत	(545.38)	(195.69)
iii) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	(9338.07)	(6599.20)
कुल	**(9229.31)**	**(5073.02)**
छ) कर पुर्व लाभ / (हानि)	(507.85)	(2826.88)
ज) बंद परिचालन से कर से पूर्व लाभ / (हानि)	(498.27)	(484.12)
कुल	**(1006.12)**	**(3311.00)**
झ) (i) आस्थगित कर आस्ति (देयताएं)	(860.14)	1255.89
(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर	.	(90.00)
त्र) कर पश्चात लाभ / (हानि)	(1866.26)	(2145.11)

ख) लाभांश

वर्ष 2021–22 के दौरान हुई हानियों के कारण पवन हंस लिमिटेड द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

12.9 नई पहल

पवन हंस लिमिटेड ने क्रमशः 2019 और 2020 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया और बाद में 2021 और 2022 के दौरान नए मार्ग जोड़े गए। मार्ग निम्नानुसार हैं: –

1. चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ दिनांक 28–02–2019 से प्रभावी, (सप्ताह में छह दिन)
2. शिमला–कुल्लू–शिमला दिनांक 13. 05.2019 से प्रभावी । जिसे शिमला–मंडी–कुल्लू–मंडी–शिमला तक दिनांक 10.12.2021 से विस्तारित किया गया, (सप्ताह में तीन बार)।

3. शिमला–धर्मशाला–शिमला से दिनांक 14.05. 2019 से प्रभावी । जिसे शिमला–मंडी– धर्मशाला–मंडी–शिमला तक दिनांक 9.12.2021 से विस्तारित किया गया, (सप्ताह में तीन बार) ।
4. देहरादून–नई टिहरी– श्रीनगर– गौचर– श्रीनगर–नई टिहरी–देहरादून दिनांक 29.07. 2020 से प्रभावी, (सप्ताह में तीन बार) ।
5. शिमला–रामपुर–शिमला दिनांक 9 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, (सप्ताह में तीन बार)।
6. देहरादून–गौचर–देहरादून दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी (सप्ताह में छह दिन)
7. देहरादून–श्रीनगर–देहरादून (सप्ताह में तीन बार)
8. देहरादून–हल्द्वानीध्पंतनगर–पिथौरागढ़ –देहरादून दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी (सप्ताह में छह दिन) ।
9. देहरादून–हल्द्वानीध्पंतनगर–अल्मोड़ा–पिथौरागढ़–अल्मोड़ा–पंतनगरध्हल्द्वानी–देहरादून दिनांक 26 अगस्त, 2022 से प्रभावी।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय नागर विमानन मंत्री और श्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री

द्वारा देहरादून से उड़ान के तहत नए मार्गों की शुरुआत की फ्लैगिंग

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में विकास के तहत हेलीपोर्ट्स के विकास और लाइसेंसिंगध परिचालन प्राधिकार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने हेतु पवन हंस लिमिटेड की सेवाएं लेने के लिए नियुक्त किया हैं।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के पांच राज्यों में विकास के तहत आरसीएस उड़ान–प्ट के अंतर्गत सभी 31 हेलीपोर्ट्स के लिए संचार, सुरक्षा, विजुअल एड्स और अग्निशमन सहित सभी उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद के लिए पवन हंस लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

पवन हंस लिमिटेड ने डीजीसीए द्वारा अनुमोदित एएमई पाठ्यक्रम के सहित विमान रखरखाव में बीएससी (ऑनर्स) के लिए आरजीएनएयू (त्ळछ।न्) (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 9.2.2022 को डीजीसीए द्वारा अनुमोदित एएमई पाठ्यक्रम के साथ विमान रखरखाव में बीएससी (ऑनर्स) के लिए पवन हंस लिमिटेड और आरजीएनएयू (त्ळछ।न्) (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

12.10 पुरस्कार

वर्ष के दौरान पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्राप्त पुरस्कार इस प्रकार हैं :

1. दिनांक 2.12.2021 को झारसुगुड़ा में उड़ान उत्सव के अवसर पर, माननीय नागर विमानन मंत्री और माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा उड़ान के चौंपियन के रूप में प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
2. 28.02.2022 को ऐसोचेम (।ैैव्ब्भ्।ड) द्वारा आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार, नागर विमानन और कार्गो के दौरान माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा पवन हंस लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर परिचालन 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया।
3. पवन हंस को हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 के दौरान फिक्की (थ्प्ब्ब्प्) द्वारा उड़ान के तहत सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंसध्हेलीकॉप्टर ऑपरेटर श्रेणी में सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया ।

विंग्स इंडिया 2022 के दौरान फिक्की द्वारा उड़ान के तहत आयोजित पुरस्कार समारोह में माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के करकमलों से सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस / हेलीकॉप्टर ऑपरेटर का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

12.11 उभरता हुआ परिदृश्य

पवन हंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है और इसके परिचालन और रखरखाव के मानक उच्च कोटि के हैं। संरक्षा और निष्पादन में चौतरफा सुधार करके उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पवन हंस का अथक प्रयास जारी है।

पवन हंस लिमिटेड ने पहली बार एक विजन डॉक्यूमेंट ष्स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट प्लानः 2020ष और न्यू बिजनेस प्लान 2027 तैयार किया है। हालांकि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के मद्देनजर यह योजना फिलहाल रुकी हुई है। तदनुसार विनिवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पवन हंस ने एएससीआई (ॅब्) से छह वर्षीय बिजनेस प्लान 2021–2026 तैयार कराया है।

12.12 दिल्ली में हेलीपोर्ट

पवन हंस लिमिटेड ने रोहिणी, दिल्ली में भारत का पहला एकीकृत हेलीपोर्ट विकसित और संचालित किया है।

रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए दीर्घावधि लीज पर नागर विमानन मंत्रालय के नाम सीधे डीडीए द्वारा आवंटित की गई भूमि को ध्यान में रखते हुए, रोहिणी स्थित हेलीपोर्ट रणनीतिक बिक्री/विनिवेश के प्रस्तावित लेनदेन का हिस्सा नहीं होगा । इसलिए नागर विमानन मंत्रालय ने फैसला किया है कि रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले रोहिणी हेलीपोर्ट परिसंपत्तियों को पवन हंस लिमिटेड के बहीखातों से अलग करके विशेष उद्देश्य वाहन (चमबपंस चनतचवेम अमीपबसम) को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

रोहिणी हेलीपोर्ट को पवन हंस लिमिटेड से डिमर्ज करके रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड में उननतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर डीमर्जर की योजना को संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (डब्।) द्वारा दिनांक 29.8.2022 को आदेश पारित करके अनुमोदित किया गया है, जिसकी नियुक्त तिथि 1.4.2022 है। डीमर्जर योजना 26.09.2022 से प्रभावी है।

12.13 स्वच्छ भारत अभियान

पवन हंस ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस अवधि के दौरान स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर, पोस्टर प्रदर्शित करने जैसी विभिन्न गतिविधियाँ की गईं ।

12.14 महिला कल्याण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए आवश्यक एक समिति बनाई हुई है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा फिक्की और वूमेन इन एविएशन–इंडिया के सहयोग से विमानन में महिलाओं की उपलब्धि के लिए आयोजित समारोह का जश्न मनाते हुए पवन हंस लिमिटेड की कैप्टन मयूरी देशमुख और कैप्टन आशिमा मेंदिरत्ता (नागर विमानन के माननीय मंत्री से भारतीय विमानन में उनके योगदान के लिए पुरस्कार विजेता) के साथ श्रीमती उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय और श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड

12.15 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

पवन हंस का मुख्य रूप से ओएनजीसी, राज्य सरकारों और पीएसयू आदि जैसे चुनिंदा ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं। इसलिए प्राप्त शिकायतें न्यूनतम हैं और जिन्हें निर्धारित समय के भीतर तुरंत निपटाया जा रहा है। पवन हंस के पास किसी भी सार्वजनिक शिकायत को निपटाने के लिए सीपीजीआरएएमएस(ब्च्ळत्।डै) सहित एक निर्धारित लोक शिकायत प्रक्रिया है। इसके अलावा शिकायतों से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में नोडल अधिकारी और क्षेत्र में शिकायत अधिकारी लोक शिकायत निवारण तंत्र के अतंर्गत मौजूद है।

12.16 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अ.जा.ध्अ.जजा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	योग – अ.जा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग – अ.जजा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग – अ.पि.व. कर्मचारी	प्रतिशत (%)
पवन हंस लिमिटेड	270	45	16.67	25	9.26	27	10

12.17 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं

पवन हंस द्वारा नामतः मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

12.18 सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई–निविदा, ई–टिकटिंग, ई–भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग का कार्यान्वयन किया गया है। अधिप्राप्तियों के प्रति पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ नवंबर,2011 को सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के लिए सचेतक नीति अनुमोदित कर दी गई है।

12.19 राजभाषा का प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने हिंदी दिवसध पखवाड़ा मनाकर, हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करके और हिंदी पखवाड़ा (14.09.2022 से 28. 09.2022) के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आर्थिक प्रोत्साहन देकर सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और अन्य प्रावधानों के साथ–साथ राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन किया है। कंपनी को वर्ष 2022–23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आयोजित प्रतियोगितायों में पवन हंस लिमिटेड की आंतरिक गृह पत्रिका ष्हंसध्वनिष के लिए सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पवन हंस की गृह पत्रिका ''हंसध्वनि'' के लिए दिनांक 27.12.2022 को श्री राजीव बंसल, सचिव, नागर विमानन द्वारा श्रीमती रीना गुप्ता, स्थानापन्न विभागाध्यक्ष(मासं एवं प्रशा) को शील्ड प्रदान की गई ।

श्री राजीव बंसल, सचिव, नागर विमानन से शील्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती रीना गुप्ता गुप्ता, विभागाध्यक्ष (मासं एवं प्रशा) पवन हंस लिमिटेड

12.20 सिटीजन चार्टर / वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपनी वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर परिचालन के दौरान जहां और जब भी आवश्यकता हो,वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करके उनके कल्याण की देखभाल कर रहा हैं।

13. मंत्रालय में लेखांकन व्यवस्था

13.1 सचिव (नागर विमानन), नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख लेखा प्राधिकारी है। वह संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) और मंत्रालय के मुख्य वित्तीय नियंत्रक के माध्यम से और उनकी सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

13.2 मुख्य वित्तीय नियंत्रक, लेखांकन संगठन के "विभाग प्रमुख" हैं और वित्तीय सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं।

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.3 के अनुसार, मुख्य लेखा प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से मुख्य वित्तीय नियंत्रक, मुख्य रूप से इनके लिए जिम्मेदार हैः –

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों / प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, सिवाय जहां कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी अधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय के खातों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करनाय अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, उनका विधिवत अंकेक्षण करवाना और उन्हें मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर के बाद सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के भुगतान और लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना।

लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, पांच वेतन और लेखा कार्यालय (दिल्ली में दो और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एक–एक) और नई दिल्ली में स्थित एक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपये में)

राजस्व अनुभाग	10590.54
पूंजी अनुभाग	76.46
कुल	**10667.00**

13.3 प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मुख्य रूप से इनके लिए जिम्मेदार हैरू

- नागर विमानन मंत्रालय के खातों का नागर लेखा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार और लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित तरीके से समेकन।
- नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों के मासिक लेखे और वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, वित्त मंत्रालय के महालेखाकार को केंद्रीय लेनदेन का विवरण और वित्त लेखा के लिए सामग्री प्रस्तुत करना।
- विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अंतर विभागीय प्राधिकरण जारी करना।
- लेखा मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण के लिए वेतन और लेखा कार्यालय को तकनीकी सलाह देना और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- रसीद बजट और पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएफएमएस,एनटीआरपी से संबंधित कार्यों का समन्वय और ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

13.4 वेतन और लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय के तहत वेतन और लेखा कार्यालय, पूंजी प्रदान करने, व्यय नियंत्रण और अन्य प्राप्तियों और भुगतान कार्यों के लिए निम्नानुसार जिम्मेदार हैं: –

- भुगतान के लिए मंत्रालय के नॉन–चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (एनसीडीडीओ)
- द्वारा जमा किए गए बिलों की पूर्व–जांच।
- चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (सीडीडीओ) को ष्लेटर ऑफ क्रेडिटष् जारी करने के माध्यम से एक निश्चित स्तर तक संचालित करने के लिए धन का आवंटन। लखनऊ में रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त तथाबेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में रेलवे सुरक्षा कार्यालयों के आयुक्त, चार सीडीडीओ हैं।
- नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायोंध्सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदानध्इक्विटी का भुगतान जारी करना।
- एकत्रित प्राप्तियों और उनके द्वारा अधिकृत भुगतानों के आधार पर मासिक खाते का संकलन और विधिवत मिलान करने और चेक आहरण और संवितरण अधिकारियों (सीडीडीओ) के खातों को शामिल करना और इसे प्रधान लेखा कार्यालय में जमा करना।
- सामान्य भविष्य निधि खातों का रखरखाव, और ट्रस्टी बैंकों को नई पेंशन योजना के योगदान का प्रेषण। आवक और जावक दावों का निपटान। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि का प्राधिकरणध्भुगतान।
- सभी संबंधित प्राधिकारियोंध्संभागों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।
- डीडीएस एंड आर शीर्षों के तहत शेष राशि की समीक्षा।

13.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, सीधे मुख्य वित्तीय नियंत्रक के अधीन काम करती है, जिसकी

संपूर्ण जिम्मेदारी वित्तीय सलाहकार और मंत्रालय के सचिव के पास रहती है। नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विंग सामान्य है, जिसमें चार सहायक लेखा अधिकारियों और चार लेखाकारों / वरिष्ठ लेखाकारों की संख्या स्वीकृत की गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन की भूमिका, लेखा और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों, प्रणाली और प्रक्रिया के आवेदन की सीमा का पता लगाने के लिए कार्यकारी कार्यालयों में बनाए गए प्रारंभिक खाते की नमूना जांच करना है। लेखापरीक्षा उद्देश्यों और आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा रैनडम सैंपलिंग के सिद्धांत पर की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र संचालन है और इसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है।

नागर विमानन मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ–साथ आहरण और संवितरण अधिकारियों के कार्यालय, आंतरिक लेखा परीक्षा के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन कार्यालयों के अतिरिक्त स्वायत्त निकायोंध्अनुदानी संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की आवश्यकता होती है।

वर्ष के दौरान डीजीसीए (मुख्यालय) नई दिल्ली के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया पैराओं की स्थिति निम्नानुसार है।ः

इकाइयों की संख्या	दिनांक 31.12.2022 को बकाया पैरा
54	703

13.6 शिकायतों का निवारणरू

प्रधान लेखा कार्यालय को मुख्य रूप से पेंशनभोगियों/ पेंशनभोगियों के परिवार और सीपीजीआरएएम पोर्टल से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, शिकायतें मेलध्डाक के माध्यम से भी प्राप्त होती थीं। अधिकांश शिकायतें पेंशन लाभ जारी करने से संबंधित हैं। ऐसी शिकायतों

को कम करने के लिए, प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

13.7 भुगतान और प्राप्तियों के डिजिटलीकरण के लिए पहल।

वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के लेखा संगठन ने कार्यान्वयन एजेंसी स्तर तक, लेखांकन कार्यों में समग्र सुधार और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पूर्ण रोल आउट द्वारा भुगतान वितरण प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से चालू कर दिया है।

13.8 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए धन पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से काम करती है।

पीएफएमएस फंड ट्रांसफर के लिए एक केंद्रीकृत और पूरी तरह से संचालित आईटी एप्लिकेशन होने के कारण ष्एकदम सही समय पर बजट जारी करनेष की सुविधा प्रदान करने और अंतिम स्तर के लाभार्थियों तक फंड के उपयोग की पूरी निगरानी करने की स्थिति में है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वायत्त निकायों/अनुदान प्राप्त संस्थानों से भी ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से पीएफएमएस संचालित करने का अनुरोध किया जाता है।

मंत्रालय के संबंध में पीएओ, सीडीडीओ, एनसीडीडीओ की स्थिति निम्नानुसार है:

पीएओ	सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
05	04	49

सभी पीएओ और डीडीओ पीएफएमएस से जुड़ गए हैं और इसके ईआईएस मॉड्यूल को लागू किया है। सभी संबंधित रिपोर्ट पीएफएमएस के माध्यम से तैयार की जा रही हैं।

13.9 गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)

लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित गैर कर रसीद पोर्टल, मैनुअल प्रणाली की देरी और अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक प्रारम्भ से अंत तक का समाधान है। डिजिटल इंडिया पहल के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के वित्त विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी गैर–कर राजस्व रसीद एकत्र करने के लिए भारतकोष के तहत एनटीआर पोर्टल के उपयोग को सर्वव्यापी बना दिया है। इसके अनुपालन में मंत्रालय अब भारतकोष के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों की ऑनलाइन छूट की सुविधा प्रदान करने वाले एनटीआर पोर्टल के साथ एकीकृत हो गया है। सभी शुल्क, लाभांश, गारंटी शुल्क आदि अब एनटीआरपी के माध्यम से प्रवाहित हो रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2022 तक एनटीआरपी के माध्यम से 2629.06 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

14. महिला कल्याण

14.1 प्रस्तावना

नागर विमानन मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए तथा स्टाफ की महिला सदस्यों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित काम का माहौल प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। नागर विमानन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों का भी गठन किया गया है जो कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई और से उत्पीड़न को रोकने के लिए उपचारी उपाय सुझाती है। मंत्रालय और इसके संगठनों में महिला कल्याण की स्थिति/यौन उत्पीड़न के मामलों की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और जहां जरूरत हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

14.2 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

इस विषय पर सरकार की नीति की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जब भी महिला कर्मचारियों की समस्याओं की सूचना दी जाती है, शीघ्र ध्यान दिया जाता है और निपटान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें डीडीजी स्तर पर अध्यक्ष और एनजीओ से एक सदस्य शामिल हैं।

14.3 रेलवे संरक्षा आयोग

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधांए जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशु–पालन और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारी रेलवे के महिला कल्याण संगठन की महिला समिति में प्रतिभागी भी हैं। जहाँ तक संभव है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण पर जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जाता है।

14.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- भर्ती गतिविधियों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एएआई अपनी सभी भर्ती गतिविधियों में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है।
- महिला कर्मचारियों को अधिक सहायक वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास में, एएआई के प्रबंधन ने आईवीएफ के साथ सरोगेसी के मामले में अपनी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय लिया।
- एएआई में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकल महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास आवास का प्रावधान शुरू किया गया है।

14.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इग्रुआ में कार्यरत सोलह (01 नियमित व 15 संविदागत) महिलाएं हैं तथा उनके कल्याण के कार्य, सामान्य प्रशासनिक चौनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के कार्य करती है।

14.6 पवन हंस लिमिटेड

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक प्रताड़ना (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में निवारण, प्रतिषेध प्रतितोष समिति का गठन किया गया है।

14.7 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा में 12 महिला कर्मचारी हैं, जिनमें विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी, ।।ए से ऋण आधार पर और वाह्य स्रोत के आधार पर कार्य करने वाले सहायक कर्मचारी शामिल हैं। पर्याप्त महिला कल्याण उपाय जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या काम की आधिकारिक अत्यावश्यकता के कारण कार्यालय से जल्दी आगमन/देर से प्रस्थान के मामले में घर पर लाने/छोड़ने के लिए परिवहन/वाहन का प्रावधानय स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विशिष्ट महिला स्वास्थ्य मुद्दों पर बातचीत का आयोजनय कार्यालय परिसर में महिला शौचालय आदि के लिए समर्पित महिला हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध कराया गया है।

14.8 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों (दोनों अकादमिक और साथ ही आवासीय परिसर) की सुरक्षा के लिए, ”कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013’ के

प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी का व्यापक कार्य, विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूल सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान देना है और इसके विरुद्ध जैसा उचित समझा जाए, कार्रवाई करना है। छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यात्राओं और छात्रों के छात्रावास में बंटवारा करते हुए छात्रावास परिसर को दो भागों में बांटा गया है।

15. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

15.1 दिशा–निर्देशों को लागू करना

नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके अनुषंगी कार्यालय निःशक्त व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं और निःशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के लिए सरकार के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निशक्त व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को आराम/सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यात्रियों को किसी प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सम्मानित यात्रियों को उनकी विमान यात्रा के दौरान सभी संभव सहायता प्राप्त होनी चाहिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा हवाईअड्डों पर यात्रा करने वाले सम्मानित लोगों के लिए सुविधाएं/शिष्टाचार तथा निरूशक्त व्यक्तियों औरध्या कम गतिशीलव्यक्तियों का विमान द्वारा परिवहनश्श पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड–3, विमान परिवहन, श्रृंखला–एम, भाग–1 पर विमान परिवहन परिपत्र 01/2014 जारी किया गया है। सीएआर में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की ओर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है बशर्ते कि एयरलाइन से अग्रिम तौर पर सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाए।डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए नागर विमानन महानिदेशालयमें रैंप का निर्माण किया गया है। डीजीसीए केवल निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए एक वॉश रूम के निर्माण की प्रक्रिया में है।

15.2 नागर विमानन महानिदेशालय

डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। नागर विमानन महानिदेशालय में निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रैंप्स और शौचालयों का निर्माण किया गया है।

15.3 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

लिफ्टों/शौचालयों आदि सहित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में निरूशक्त व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों को यूजर फ्रेंडली सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

15.4 रेलवे सुरक्षा आयोग

सीआरएस निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है।

15.5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भाविप्रा ने हवाईअड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ अवसंरचना सुनिश्चित करके सुगम्य भारत अभियान के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। चिकित्सा आपात स्थिति और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भाविप्रा हवाईअड्डों पर एम्बुलिफ्ट

सुविधा भी शुरू की गई थी। राजपत्र अधिसूचना से पहले, नागर विमानन के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश भी सार्वजनिक डोमेन में तैयार कर प्रकाशित किए जाते हैंय जो सभी भारतीय हवाईअड्डों को लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा।

15.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

निःशक्त व्यक्तियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और जहां भी संभव हो, विकलांग व्यक्तियों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है।

15.7 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

निःशक्त लोगों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। आरजीएनएयूके शैक्षणिक भवन में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अकादमिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है।

15.8 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नियुक्त नहीं है परंतु प्राधिकरण सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। ऐरा वेबसाइट www.aera.gov.in दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

16. इकाओ परिषद् में भारत के प्रतिनिधि

16.1 परिचय

इंटरनेशनलसिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (इकाओ) की स्थापना दिसंबर 1944 में इंटरनेशनलसिविल एविएशन पर शिकागो अभिसमय के तहत हुई थी। वर्तमान में 192 संविदाकारी देश इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं। संगठन एक एसेंबली, 36 निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद और एक सचिवालय से बना है। मुख्य अधिकारी परिषद के अध्यक्ष और महासचिव होते हैं, जो इस पद के लिए चुने जाते हैं।

एसेंबली, जिसमें सभी 192 संविदाकारी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इकाओ का संप्रभु निकाय है। संगठन के कार्य की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने, और आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए, इसकी बैठक हर तीन वर्ष में होती है। इसमें त्रैवार्षिक बजट पर मतदान भी किया जाता है।

संगठन का शासी निकाय काउंसिल है, जिसका चुनाव एसेंबली द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, इसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। एसेंबली तीन शीर्षकों के अधीन काउंसिल के सदस्य देशों का चुनाव करती है: हवाई परिवहन में प्रमुख महत्व वाले देश, वे देश जिनका हवाई दिक्चालन के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में सबसे अधिक योगदान है, और वे देश जिनका नामन यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। शासी निकाय के रूप में, काउंसिल इकाओ के कार्य को निरंतर दिशा प्रदान करती है। काउंसिल में ही मानकों और अनुशंसित परिपाटियों का अंगीकरण किया जाता है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंधों के रूप में समाविष्ट किया जाता है। काउंसिल को हवाई दिक्चालन आयोग (तकनीकी मामले), हवाई परिवहन समिति (आर्थिक मामले), हवाई दिक्चालन सेवाओं पर संयुक्त समर्थन संबंधी समिति और वित्त समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वायु दिक्चालन आयोग (एएनसी) उन्नीस सदस्यों से बना है, जिनके पास ष्वैमानिकी के विज्ञान तथा अभ्यास में उपयुक्त योग्यता एवं अनुभवष् है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन (शिकागो कन्वेंशन) पर कन्वेंशन में उल्लिखित है। एएनसी को परिषद द्वारा इकाओ के तकनीकी कार्य कार्यक्रम का

प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है तथा इसकी स्थापना के पश्चात, आयोग ने एसएआरपी पर विचार किया है एवं शिकागो कन्वेंशन के 19 एनेक्स में से 17 को शामिल करने की सिफारिश की है — जिसमें सुरक्षा प्रबंधन पर नए एनेक्स 19 का सबसे हालिया परिचय शामिल है। परिषद की स्वीकृति के तहत, एएनसी आम तौर पर अपने कार्य कार्यक्रम के मामलों का समाधान करने के लिए प्रत्येक वर्ष तीन सत्र बुलाती है। प्रत्येक सत्र आम तौर पर तीन सप्ताह के अवकाश सहित, नौ सप्ताह तक चलता है।

सचिवालय, महासचिव की अध्यक्षता में, पांच मुख्य प्रभागों में बांटा गया है: वायु दिक्चालन ब्यूरो, वायु परिवहन ब्यूरो, तकनीकी सहयोग ब्यूरो, कानूनी ब्यूरो तथा प्रशासन एवं सेवा ब्यूरो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवालय का कार्य सही मायने में अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, व्यापक भौगोलिक आधार पर पेशेवर स्तर के कर्मियों की भर्ती की जाती है।

इकाओ, संयुक्त राष्ट्र परिवार के अन्य सदस्यों, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डबल्यूएमओ), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ), विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडबल्यूटीओ) तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है।

गैर–सरकारी संगठन जो इकाओ के काम में भाग लेते हैं, उनमें अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था (आईएटीए), अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परिषद (एसीआई), सिविल वायु दिक्चालन सेवा (सीएएनएसओ) एयरलाइन पायलट संस्था का अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन (आईएफएएलपीए) तथा विमान के मालिक एवं पायलट संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय परिषद (आईएओपीए) शामिल हैं।

16.2 इकाओ के कार्यनीतिक उद्देश्य

वैश्विक हवाई परिवहन नेटवर्क को समर्थन और सक्षम करने के अपने चल रहे मिशन में, जो सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं वैश्विक व्यवसायों तथा यात्रियों की व्यापक संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करता है या पार करता है, और प्रणाली सुरक्षा, दक्षता, सुविधा या पर्यावरण प्रदर्शन पर अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव के बिना, 2030 तक वैश्विक हवाई परिवहन क्षमता के अनुमानित दोहरीकरण की आशा और प्रबंधन की स्पष्ट आवश्यकता को स्वीकार करता है, इकाओ ने पांच व्यापक कार्यनीतिक उद्देश्य स्थापित किए हैं।

- **सुरक्षाः** वैश्विक नागर विमानन सुरक्षा को बढ़ाना। यह कार्यनीतिक उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य की विनियामक निरीक्षण क्षमताओं पर केंद्रित है। वैश्विक वियन्न सुरक्षा योजना (जीएएसपी) त्रैवार्षिक के लिए प्रमुख गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है।
- **हवाई दिक्चालन क्षमता एवं दक्षताः** वैश्विक नागर विमानन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि एवं दक्षता में सुधार करना। हालांकि यह कार्यात्मक और संगठनात्मक रूप से सुरक्षा के साथ अन्योन्याश्रित, यह कार्यनीतिक उद्देश्य मुख्य रूप से हवाई दिक्चालन तथा हवाईअड्डे की अवसंरचना को अपग्रेड करने तथा विमानन प्रणाली के कार्य–निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए नई प्रक्रियाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। वैश्विक हवाई दिक्चालन शत एवं दक्षता योजना (वैश्विक योजना) त्रैवार्षिक के लिए प्रमुख गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है।
- **सुरक्षा एवं सुविधाः** वैश्विक नागर विमानन सुरक्षा एवं सुविधा को बढ़ाना। यह कार्यनीतिक उद्देश्य विमानन सुरक्षा, सुविधा तथा संबंधित सीमा सुरक्षा मामलों में इकाओ के नेतृत्व की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **हवाई परिवहन का आर्थिक विकासः** एक मजबूत तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नागर विमानन प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना। यह कार्यनीतिक उद्देश्य आर्थिक नीतियों तथा सहायक गतिविधियों पर केंद्रित हवाई परिवहन तंत्र के सामंजस्य में इकाओ के नेतृत्व की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **पर्यावरण संरक्षणः** नागर विमानन गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। यह कार्यनीतिक उद्देश्य सभी विमानन संबंधी पर्यावरणीय गतिविधियों में इकाओ के नेतृत्व को बढ़ावा देता है तथा इकाओ एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की पर्यावरण संरक्षण नीतियों तथा प्रथाओं के अनुरूप है।

16.3 आरओआई के क्रियाकलाप

भारत, इकाओ में भारत के प्रत्योजन का स्थायी कार्यालय अनुरक्षित करता है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि (आरओआई), तकनीकी सलाहकार और दो अन्य गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं।

भारत के प्रतिनिधिः डॉ शेफाली जुनेजा (आईआरएस)

आरओआई के लिए तकनीकी सलाहकारः अजय भाष्कर जोशी, संयुक्त महाप्रबंधक (एटीएम), भा.वि.प्रा.

16.4 इकाओ के नियमित बजट में 2022 में अंशदान एवं 2023 के लिए प्रतिबद्धता

एक सदस्य देश के तौर पर भारत ने 2022 में इकाओ के नियमित बजट में 620,193 कैनेडियन डॉलर तथा 339857 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत 2023 में इकाओ के नियमित बजट में 670,013 कैनेडियन डॉलर तथा 652,995 अमेरिकी डॉलर (0.99% पैमाने के आधार पर)

16.5 2022 के परिषद एवं एनसी सत्र

समिति और परिषद चरण के निम्नलिखित सत्र जनवरी से दिसंबर 2022 तक आयोजित/निर्धारित किए गए थे।

सत्र संख्या	समिति चरण	परिषद चरण
225वां सत्र	17 जनवरी – 4 फरवरी 2022	21 फरवरी – 18 मार्च 2022
226वां सत्र	18 अप्रैल – 6 मई 2022	23 मई – 23 जून 2022
227वां सत्र	24 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022	21 नवंबर – 2 दिसंबर 2022

परिषद के लिए तकनीकी मामलों पर दस्तावेज तैयार करने के लिए, समितिध्परिषद चरण के दौरान एयर नेविगेशन कमीशन (एएनसी) की बैठक साथ–साथ आयोजित की गई थी। एएनसी की बैठकों में आरओआई के तकनीकी सलाहकार एक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं और जहां भी आवश्यक हो मूल्यवान इनपुट प्रदान करते हैं।

इन सत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। परिषद और एएनसी से उत्पन्न होने वाले एलटीएजी, सीओआरएसआईए समीक्षा, साइबर सुरक्षा, विमानन वसूली, एसएआरपीएस में संशोधन आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरे वर्ष के अपडेट्स को ईमेल, रिपोर्ट, न्यूजलेटर्स आदि के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य हितधारकों को प्रचारित किया गया।

16.6 माननीय नागर विमानन मंत्री ने मई 2022 में इकाओ मुख्यालय का दौरा किया

भारत के माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया (एचएमसीए) ने 2 से 4 मई 2022 के दौरान कनाडा का दौरा किया। माननीय नागर विमानन मंत्री ने मॉन्ट्रियल में

बॉम्बार्डियर सुविधाओं का दौरा किया और कनाडा में स्थित प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियों के साथ एक बिजनेस राउंडटेबल में भाग लिया। माननीय नागर विमानन मंत्री ने एक्सक्लूसिव सेंट जेम्स क्लब में, इकाओ में भारत के प्रतिनिधि द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने अध्यक्ष, महासचिव और इकाओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ कई देशों के प्रतिनिधियों और राजनयिकों के साथ बातचीत की। माननीय नागर विमानन मंत्री ने ओटावा का भी दौरा किया और एयर इंडिया फ्लाइट 182 के पीड़ितों जिन्होंने 1985 में आतंकवादी बमबारी के कारण

Roundtable with CEOs of aerospace industry

अपनी जान गंवा दी थी को उनके स्मारक पर सम्मान अर्पण किया। माननीय नागर विमानन मंत्री ने 3 मई, 2022 को ओटावा में कनाडा के परिवहन मंत्री श्री उमर अलघबरा से मुलाकात की और द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। माननीय नागर विमानन मंत्री ने मिराबेल, मॉन्ट्रियल में एयरबस संस्थान का दौरा किया और शाम को मॉन्ट्रियल में भारतीय सामुदायिक संगठनों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया। माननीय नागर विमानन मंत्री ने, इकाओ के अध्यक्ष और महासचिव, विमानन उद्योग संगठनों (आईएटीए, आईएसीसीआईए, एसीआई, सीएएनएसओ) के प्रतिनिधियों और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय समन्वयक, ब्रिक्स और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के प्रतिनिधियों के साथ, अलग–अलग बैठकें कीं।

16.7 एलटीएजी पर उच्च–स्तरीय बैठक

अंतर्राष्ट्रीय विमानन कार्बनडाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी (एचएलएम–एलटीएजी) के लिए एक दीर्घकालिक आकांक्षात्मक लक्ष्य की व्यवहार्यता पर उच्च–स्तरीय बैठक 19 से 22 जुलाई 2022 तक मॉन्ट्रियल, कनाडा स्थित इकाओ मुख्यालय में एक हाइब्रिड इवेंट (आभासी एवं वैयक्तिक भागीदारी) के रूप में आयोजित की गई थी।

बैठक में लगभग 100 देशों के 400 से भी अधिक उच्च–स्तरीय अधिकारियोंध्प्रतिनिधियों ने नीतिगत प्रतिबद्धताएं तैयार करने के साथ–साथ विमानन औरध्या माहौल में प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, नागर विमानन ने किया, जिन्होंने इस बैठक में आभासी रूप से भाग लिया और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संस्थानों के पांच अन्य प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिया। सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल ने बैठक के उद्घाटन दिवस पर एक वक्तव्य दिया जिसमें डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारत के प्रयासों और लचीले और व्यावहारिक एलटीएजी पर सहयोगात्मक रूप से काम करने की भारत की इच्छा का विस्तार से वर्णन किया गया। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक आकांक्षात्मक लक्ष्य की सिफारिश करने पर सर्वसम्मति से निर्णय के साथ उच्च स्तरीय बैठक अर्थात एलटीएजी संपन्न हुई। भारत ने बैठक के सर्वसम्मत निर्णय तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 2050 तक पूर्णरूपेण शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि विकासशील देशों को

उनकी राष्ट्रीय समय सीमा के अनुसार एलटीएजी में योगदान करने की अनुमति दी गई। भारत द्वारा प्रस्तावित अवधारणा कि उपयुक्त और व्यावहारिक एलटीएजी के लिए विकसित देशों को नेट माइनस और विकासशील देशों को नेट प्लस करने की आवश्यकता है, को स्वीकृति मिली है। निष्कर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पैरा इस प्रकार है।

"इकाओ तथा इसके सदस्य देशों को, पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के समर्थन में 2050 तक नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतरराष्ट्रीय विमानन (एलटीएजी) के सामूहिक दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक देश की विशेष परिस्थितियों और संबंधित क्षमताओं (उदाहरण के लिए, विकास का स्तर, विमानन बाजारों की परिपक्वता, इसके अंतर्राष्ट्रीय विमानन का सतत विकास, उचित परिवर्तन और हवाई परिवहन विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं) को अपनी स्वंय की राष्ट्रीय समयसीमा के अंतर्गत एलटीएजी में योगदान देने की क्षमता से सूचित करते हुए, मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

16.8 इकाओ सम्मेलन का 41वां सत्र

संप्रभु निकाय अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इकाओ सम्मेलन का 41वां सम्मेलन 27 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 तक मॉन्ट्रियल, कनाडा में इकाओ मुख्यालय में आयोजित किया गया था। पहली बार, सम्मेलन सत्र एक हाइब्रिड संस्थान में आयोजित किए गए थे। 184 सदस्य देशों, 1 गैर–सदस्य देश, 56 पर्यवेक्षक प्रतिनिधिमंडलों के कुल 2573 प्रतिनिधियों ने ए41 में भाग लिया जिसमें अधिकांश व्यक्तिगत रूप से और कुछ आभासी रूप से शामिल

(Honourable Minister of Civil Aviation H E Shri Jyotiraditya Scindia addressing the 41st ICAO Assembly)

हुए थे। 41वें सम्मेलन के सत्र की रिकॉर्डिंग इकाओ टीवी पर देखने के लिए उपलब्ध है।

भारत की मजबूत उपस्थिति और उत्साही भागीदारी का नेतृत्व माननीय नागर विमानन मंत्री, महामहिम श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में श्री राजीव बंसल, सचिव, नागर विमानन, श्री अरुण कुमार, महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, श्री जुल्फिकार हसन, महानिदेशक, बीसीएएस, इकाओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि डॉ शेफाली जुनेजा, श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री एस के मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, श्री अजय यादव, निजी सचिव, माननीय नागर विमानन मंत्री, एएनएस एएआई के सदस्य श्री एम

सुरेश तथा संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन, श्री मनीष कुमार शामिल थे। नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उद्योग के तीस अन्य अधिकारियों ने सम्मेलन के सत्रों में भाग लिया।

भारत ने इकाओ परिषद के सदस्य के रूप में अपना 26वां कार्यकाल लगातार भारी बहुमत से जीता।

एलटीएजी और कोर्सिया पर ए41 के प्रस्तावों में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य ए41 द्वारा एक संकल्प कि ष्इकाओ तथा इसके सदस्य देशों को, पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के समर्थन में 2050 तक नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतरराष्ट्रीय विमानन (एलटीएजी) के सामूहिक दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक देश की विशेष परिस्थितियों और संबंधित क्षमताओं (उदाहरण के लिए, विकास का स्तर, विमानन बाजारों की परिपक्वता, इसके अंतर्राष्ट्रीय विमानन का सतत विकास, उचित परिवर्तन और हवाई परिवहन विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं) को अपनी स्वंय की राष्ट्रीय समयसीमा के अंतर्गत एलटीएजी में योगदान देने की क्षमता से सूचित करते हुए, मिलकर काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। के साथ अपनाया गया था।

कोर्सिया के स्वैच्छिक और अनिवार्य चरणों के लिए 2019 उत्सर्जन के 85% के बेसलाइन की मंजूरी और 2032 तक व्यक्तिगत विकास कारक को 20%

ए41 में सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल

से घटाकर 0% और 2033–2035 के लिए 70% से घटाकर 15% करना भी भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत थी।

ए41 में भारत के कार्य–पत्र एयर कार्गो के डिजिटलीकरण, आरपीएएस सुरक्षा और नीति, ड्रोन संचालन, लैंगिक समानता, वन्यजीव जोखिम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर थे।

भारत एयर कार्गो के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अग्रणी है। इस विषय पत्र पर डब्ल्यूपी ने निर्बाध और लागत–कुशल एयर कार्गो परिवहन के लिए डिजिटल समाधान और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस प्रकार "आईसीएओ एयर कार्गो मल्टीडिसिप्लिनरी डिजिटलाइजेशन टास्क फोर्स" के गठन की सिफारिश की। कार्य–पत्र को बीस से अधिक देशों और संगठनों द्वारा समर्थित किया गया था। लैंगिक समानता पर भारत का कार्य–पत्र जिसने विमानन कार्यबल में अधिक से अधिक महिलाओं को लाने के भारत के प्रयासों को प्रस्तुत किया, उसकी भी सराहना और समर्थन किया गया।

इकाओ में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने ए41 के साथ–साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी की। माननीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर, कतर, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। बाद की अवधि में सचिव, नागर विमानन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स, मलेशिया और इथियोपिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें संपादि कीं। द्विपक्षीय बैठकों ने इन देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया और हवाई सेवा करारों और सहयोग के अन्य मार्गों पर चर्चा की गई।

माननीय नागर विमानन मंत्री ने भारत के उच्चायोग, इकाओ में भारत के प्रतिनिधिमंडल और कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित बिजनेस राउंडटेबल में भाग लिया। चर्चा, मेक इन इंडिया परियोजनाओं के लिए निवेश पर केंद्रित थी। उद्योग के प्रतिभागियों में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा,

ग्रिंटेक्स एविएशन, एयरबस, पीएसएफ, पोल एयर, ओएमईआरएस और फेयरफैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज शामिल हैं।

16.9 इकाओ व इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मध्य समझौता ज्ञापन

इस वर्ष आरओआई के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि 26 सितंबर 2022 को इटरनेशनल सोलर अलायंस और इकाओ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना रही है। समझौता ज्ञापन हवाईअड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं पर नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को मुख्यधारा में लाएगा।

41वें सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आयोजित एक शानदार समारोह में दुनिया के समक्ष इस समझौता ज्ञापन की घोषणा की गई थी तथा भारत और फ्रांस के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा इस समारोह की सह–मेजबानी की गई थी। इस समारोह में भारत के माननीय नागर विमानन मंत्री, महामहिम श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फ्रांस के माननीय परिवहन मंत्री, श्रीमान क्लेमेंट ब्यूने, अध्यक्ष इकाओ काउंसिल, श्री सल्वातोर सिआचिटानो तथा इकाओ के महासचिव श्री जुआन कार्लोस सालाजार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), कई संयुक्त राष्ट्र संगठनों सहित 32 सहयोगी संगठनों और 121 हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक गठबंधन है। आईएसए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करता है। आईएसए, न्यूनतम विकसित देशों (स्क्) और लघु द्वीप विकासशील देशों ";फ्क्द्ध में प्रभाव पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ, सदस्य देशों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी समाधान तैयार करने का प्रयास करता है। इकाओ अपनी कई पहलों और लक्ष्यों के माध्यम से विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईएसए और इकाओ के बीच की साझेदारी, सभी सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा के उपयोग से निपटने के लिए देशों की क्षमता विकसित करने की दिशा में कई प्रकार के हस्तक्षेप करेगी।

16.10 परिषद में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों का समूह।

कुछ अन्य परिषद प्रतिनिधियों की मदद से आरओआई द्वारा बनाए गए समान विचारध ारा वाले विकासशील देशों के अनौपचारिक समूह ने वर्ष 2022 में तेजी से प्रगति की है। 2022 की शुरुआत में, 27 जनवरी को, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इकाओ परिषद में नौ देशों के नागर विमानन, विदेश मामलों और पर्यावरण मंत्रालयों के उच्च–स्तरीय नीति बनाने वाले अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें इकाओ के सामने आने वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा इकाओ के निर्णयों पर केंद्रित थी जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाले आर्थिक विकास के उद्देश्यों को संतुलित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय विमानन को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा। इस बैठक में चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब, मिस्र, जाम्बिया और नाइजीरिया के वरिष्ठ नीति निर्माताओं ने भाग लिया। भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रयास से, गठबंध न बढ़ता रहा है और नवगठित इकाओ परिषद एलएमसी समूह में 14 सदस्य नामतय ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, घाना, भारत, मॉरिटानिया, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे हैं।

एलटीएजी और 41वे सम्मेलन पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, समूह उनके संबंधित क्षेत्रों में अन्य विकासशील देशों तक पहुंचा और एलटीएजी और कोर्सिया समीक्षा पर गठबंधन द्वारा उठाए गए रुख को व्यापक समर्थन मिला।

16.11 सर्वोत्तम कार्य–प्रणाली श्रृंखला

2021 में शुरू की गई सर्वोत्तम कार्य–प्रणाली श्रृंखला 2022 में जारी रही।

i) सर्वोत्तम कार्य–प्रणाली आयोजन की चौथी घटना, 13 जनवरी 2022 को आईएटीए और भारत के

बीच हुई बैठक थी। आईएटीए और भारत ने कोर्सिया समीक्षा, एलटीएजी और ईयू–ईटीएस प्रस्ताव के पर्यावरणीय मुद्दों पर दृष्टिकोणों का आदान–प्रदान किया। आईएटीए ने तीन विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं, जो उद्योग से भारत के विशेषज्ञों को उपयोगी जानकारी प्रदान करते थे और ये विषय वैश्विक दृष्टिकोण से समीचीन थे।

ii) सर्वोत्तम कार्य–प्रणाली श्रृंखला का पाँचवा आयोजन, इकाओ में भारत के प्रतिनिधिमंडल की एक पहल, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच दीर्घकालिक विमानन ईंधन विषय पर, 16 फरवरी 2022 को हुआ।

यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न वक्ताओं द्वारा निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

- यूके डीकार्बोनाइजेशन में एसएएफ (दीर्घकालिक विमानन ईंधन का विकास) की भूमिका
- यूके एसएएफ (दीर्घकालिक विमानन ईंधन का विकास) उद्योग को विकसित करने के लिए नीति साधन
- एसएएफ (दीर्घकालिक विमानन ईंधन का विकास) पर एक उद्योग परिप्रेक्ष्य
- निजी क्षेत्र को काम में लाना
- सभी चार सत्रों में भारत के प्रतिभागियों ने गहरी रुचि दिखाई और प्रस्तुतियों और प्रश्न–उत्तर सत्रों के माध्यम से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की गई।

16.12 अन्य योगदान

आरओआई के कार्यालय ने वर्षभर इकाओ में भारत के स्तर को सुधारने के अपने प्रयासों को जारी रखा, इनमें से कुछ प्रयास निम्नवत हैं,

- नई दिल्ली में इकाओ एपीएसी के एक क्षेत्रीय उप कार्यालय हेतु प्रस्ताव जमा किया।
- नागर विमानन के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इनपुट प्रदान किए
- दिल्ली में दूसरे एपीएसी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए समन्वय।
- इकाओ परिषद के भाग ए से भाग ट तक भारत की प्रगति के लिए कदम उठाने का प्रयास किया।
- भारत के लिए एयर नेविगेशन कमीशन में स्थान लेने के लिए प्रयास किए
- सेकेंडमेंट पालिसी के लिए मसौदा प्रस्तुत किया
- इकाओ पैनल में भारत की भागीदारी की प्रभावकारिता में सुधार के प्रयास किए
- राष्ट्रीय पत्रों की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए
- कार्यालय ने न्यूजलेटर्स के प्रकाशन सहित तथा ट्विटर अकाउंट (@India_in_icao) के माध्यम से सूचना साझा करने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा है।

16.13 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई वेबिनारों में भाग लिया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं।

2022 इकाओ एलटीएजी–जीएलएडीएस	2022–03–27–2022–04–08, आभासी
काप्स्का वैश्विक आभासी ग्लोबल संगोष्ठी	2022–03–29–2022–03–31, आभासी
2022 इकाओ कानूनी संगोष्ठी	2022–04–12–2022–04–14, सियोल
फ्यूचर एविएशन फोरम	2022–05–08–2022–05–11, रियाद
एलटीएजी पर उच्च स्तरीय बैठक	2022–07–20–2022–07–23, मॉन्ट्रियल
17वीं ट्रिप (TRIP) संगोष्ठी और प्रदर्शनी	2022–09–13–2022–09–15, मॉन्ट्रियल
इकाओ 2022 नवाचार मेला	2022–09–24–2022–09–26, मॉन्ट्रियल
आरपीएएस संगोष्ठी मानव रहित विमानन	2022–11–07–2022–11–09, मॉन्ट्रियल
ड्रोन सक्षम मानव रहित विमानन	2022–11–14–2022–11–16, मॉन्ट्रियल
एयरपोर्ट नेशनल मीटिंग	2022–11–16–2022–11–18, ब्राजील

16.14 अतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिह्नित करने के लिए, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने इकाओ में 21 जून को एक योग सत्र का आयोजन किया था। इकाओ काउंसिल के सदस्यों और इकाओ डिप्लोमैट्स स्पाउज क्लब के सदस्यों को सत्र में आमंत्रित किया गया था और स्पाउज क्लब के अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 40 लोगों ने इस सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया था। श्री दीपेश जुनेजा ने स्पाउज क्लब के भारतीय सदस्य के रूप में प्रतिभागियों का स्वागत किया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के योग प्रशिक्षकों ने सत्र का संचालन किया और योग के फायदों के बारे में बताते हुए कुछ योग आसन सिखाए।

16.15 आजादी का अमृतमहोत्सव

भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव इकाओ में छोटे भारतीय समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया गया।

***** रिपोर्ट की समाप्ति ****

सत्यमेव जयते

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF
CIVIL AVIATION